लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[बारहवां सत्र
Twelfth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 46 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XLVI contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

ल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 17, शुक्रवार, 6 दिसम्बर 1974/15 अग्रहायण, 1896 (शक)

No. 17, Friday, December 6, 1974/Agrahayana 15, 1896 (Saka)

ता० प्र० संख्या S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGE
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
349	"आंसुका" के अंतर्गत गिरफतार तस्कर Smugglers arrested under MISA	1
350	तस्करों के विरुद्ध कार्यवाही Action against Smugglers . . .	2
351	पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकसित किये जाने के लिये चुने हुए स्थानों का सर्वेक्षण Survey of Selected Places to be developed as Tourist Centres . .	11
355	हथकरघा/विद्युत चालित करघा उद्योग में संकट Crisis in Handloom/Powerloom Industry	12
	प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
352	पालिस्टर फाईबर के लिये आयात लाइसेंस देना Issue of Import Licences for Polyster Fibre	15
353	लघु एककों को उपलब्ध आयात लईसेंसों की सुविधाओं का वापस लिया जाना Withdrawal of the Facilities for Import of Licences extended to Small Scale Units	15
354	तस्करों द्वारा घायल किये गये सीमा शुल्क अधिकारी को सहायता Assistance to Customs officer injured by Smugglers	16
356	रसायनों के आयात के लिये लाइसेंसधारी Licence Holders for Import of Chemicals	17
357	नई दिल्ली में पर्यटकों के लिये होटल Tourist Hotels in New Delhi	17
358	सबसे बड़ी 75 कम्पनियों/व्यक्तियों के नाम कर की बकाया राशि Arrears of Taxes against Top 75 Companies/Individuals	17
359	कपड़ा उद्योग में मंदी Recession in Textile Industry	18
360	रुपये के मूल्य में गिरावट Fall in value of Rupee	18
361	मोगा में एक भूतपूर्व विधान सभा सदस्य के मकान पर छापे के दौरान स्वर्ण बरामद होना Seizure of Gold during raid on the House of former MLA in Moga .	18
362	हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा देश के बाहर धन भेजा जाना Remittances by Hindustan Lever Ltd.	19
363	मितव्ययता अभियान Economy Drive	19

किसी नाम पर अंकित यह+इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign+ marked above the name of a Member indicated that the Question was acctually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGE
364	मैसर्स जे० बी० मंघाराम एंड कम्पनी द्वारा निर्यात की गई वस्तुएं	Commodities Exported by M/s. J.B. Mangharam & Co. 21
365	विकसित, विकासशील तथा रुपये में भुगतान वाले देशों को निर्यात तथा उनसे आयात	Exports to and Imports from Developed, Developing and Rupee Payment Countries . . 22
366	एयर इंडिया में "स्लिप" प्रणाली	Slip system in Air India 23
367	'फाईव स्टार' होटल	Five Star Hotels 23
368	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में परियोजनाओं को वित्तीय सहायता	Financial Assistance by IDBI to Projects in Backward Areas . . 23
369	विदेशों से ऋण	Loans from Foreign Countries . 25
370	कच्चे पटसन के मूल्यों में गिरावट	Decline in Prices of Raw Jute . . 26
371	भारत तथा दक्षिण कोरिया के बीच व्यापार करार	Trade Agreement between India and South Korea . . . 27
अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.		
3385	अधिकारियों के प्रतिनियुक्ति भत्ते पर होने वाला व्यय	Expenditure on account of Deputation Allowance drawn by Officers . . 27
3386	विदेशी कम्पनियों द्वारा स्वदेश भेजे गये लाभ की राशि	Profits repatriated by Foreign Companies 28
3387	बम्बई में तैयार शुदा कपड़ों के लिए एक निर्यात निर्बाध व्यापार क्षेत्र (जोन) बनाना	Setting up of an Export Free Trade Zone for Ready Made Garments at Bombay. 29
3388	कपड़ों के उत्पादन हेतु दायित्व	Obligation for Production of Textile . 29
3389	तस्करों के साथ सरकारी अधिकारियों की सांठगांठ के बारे में जांच करने के लिये विशेष सैल	Special Cell to investigate into connivance of Government Officials with smugglers 30
3390	टेरिलीन तथा बढ़िया (फाइन) कपड़े का उत्पादन	Production of Terylene and Fine cloth 30
3391	मत्स्य तथा अन्य समुद्री उत्पादों की लागत कम करने संबंधी प्रस्ताव	Proposals to bring down the Cost of Fishing and other Marine Products . 31
3392	इंडियन एयरलाइंस के किरायों में वृद्धि	Increase in Fares in Indian Airlines . 31
3393	इंडियन एयरलाइंस की कोच सेवाएं समाप्त करने के विरुद्ध अभ्यावेदन	Representations against withdrawal of Coach Services of Indian Airlines . 31
3394	राजस्थान में आयकर की बकाया राशि	Arrears of Income Tax in Rajasthan . 32

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGE
3395 इंडियन एयरलाइंस की रात्रि विमान डाक सेवाएं	Night Air Mail Services of Indian Airlines	33
3396 चार्टर्ड एकाउन्टैंट संस्थान द्वारा कर अपवंचन के बारे में अध्ययन	Study on Tax Evasion by Institute of Chartered Accountants . .	33
3397 सूती कपड़े के मूल्यों में कमी	Decline in Prices of Cotton Cloth .	34
3398 राज्यों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to States	34
3399 मध्य प्रदेश के ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखाओं की स्थापना	Setting up of new branches of Nationalised Banks in Rural and Tribal Areas of Madhya Pradesh	35
3400 आयकर अधिकारियों के वेतन में विषमताएं	Anomalies in Pay of Income Tax Officers.	36
3401 उड़ीसा में शाल-ऊन उद्योग का विकास	Development of Shawl Wool Industries in Orissa	36
3402 सोवियत संघ को बुने हुए ऊनी कपड़ों के निर्यात में वृद्धि	Increase in Export of Woollen Knitwears to USSR .	36
3403 घाटे की अर्थव्यवस्था	Deficit financing	37
3404 पक्षियों और पशुओं का निर्यात	Export of Birds and Animals	37
3405 खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से लौह अयस्क का निर्यात	Canalisation of Iron Ore Exports through MMTC . .	38
3406 हवाई अड्डों पर परिवहन सुविधायें	Transport facility at Airports	38
3407 पर्यटन से विदेशी मुद्रा अर्जन	Foreign Exchange Earnings from Tourism	39
3408 पालम हवाई अड्डे से यात्रियों को शहर में लाने के लिये टैक्सी ड्राइवरों द्वारा लिये जाने वाले किराये के बारे में शिकायत	Complaint regarding Fares charged by Taxi Drivers from Palam Airport to City .	39
3409 सरकारी उपक्रमों में उत्पादन	Production in Public Undertakings	40
3410 पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में अनुसूचित जनजाति के राजपत्रित अधिकारी	Gazetted Officers belonging to Scheduled Tribes in the Ministry of Tourism and Civil Aviation .	40
3411 भारत के लिए अमरीकी वित्तीय सहायता	U.S. Financial Assistance for India .	41
3412 दिल्ली आयकर कर्मचारी संघ	Delhi Income Tax Employees Union .	41
3413 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भारत को ऋण देने का प्रस्ताव	Credit offered to India by International Monetary Fund .	42

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGE
3414	विदेशों में स्थित भारतीयों के साथ तस्करों का सम्पर्क / Smugglers Links with Indians Abroad	42
3415	पौली स्टील (इंडिया) लिमिटेड के प्रबंध निदेशक द्वारा लोहा और इस्पात उत्पादों का निपटान / Disposal of Iron and Steel Products by Managing Director of Poly Steel (India) Limited . .	43
3416	बम्बई के श्रीराम लाल नारंग की गिरफ्तारी / Arrest of Shri Ram Lal Narang of Bombay . .	43
3417	मुकद्दमें के लिये पड़ें तस्करी के मामले / Cases of Smuggling pending for Trial	43
3418	पांडिचेरी आयात लाइसेंस घोटाला / Pondicherry Import Licence Scandal .	44
3419	विदेशों में रह रहे भारतीय तस्करों के पासपोर्ट रद्द करना / Cancellation of Passports of Indian Smugglers staying Abroad	44
3420	चीनी का निर्यात बढ़ाने के लिये कार्यवाही / Steps to boost up Sugar Exports	44
3421	आंसुका में त्रुटियों को दूर करने के लिये राज्य सरकारों को मार्गदर्शी सिद्धांत / Guidelines to State Governments for removing Lacunae in MISA .	45
3422	ईरान को इंजीनियरी समान का निर्यात / Export of Engineering Goods to Iran .	45
3423	राजस्थान में तस्करों की गिरफ्तारी / Arrest of Smugglers in Rajasthan .	46
3424	तस्करी को रोकने के लिये द्रुतगामी निरीक्षण नौकाओं के लिए क्रयादेश देना / Acquisition of Fast Patrol Boats to Check Smuggling . . .	46
3425	खनिज तथा धातु व्यापार निगम में फालतू कर्मचारी / Surplus Staff in MMTC	47
3426	भारतीय रुपये को अपना मूल्य स्वयं निर्धारित करने के लिये मुक्त छोड़ना / Floatation of Indian Rupee	47
3427	भारत और बंगला देश के बीच वस्तु-विनिमय व्यापार / Barter System Trade between India and Bangladesh .	47
3428	काटन मिल्स फैडरेशन और सूती कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा नई योजना पेश करना / Submission of New Scheme by Cotton Mills Federation and Cotton Textiles Export Promotion Council	48
3429	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा परियोजनाओं के लिये मंजूर की गई सहायता / Assistance sanctioned to Projects by Industrial Development Bank of India	48

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3430	सिक्यूरिटी पेपर मिल के स्थान के बारे में सरकार का निर्णय	Decision of Government in regard to Location of Security Paper Mill . 50
3431	ओपियम फैक्टरी, गाजीपुर के टेक्नीकल स्टाफ एसोसिएशन का मांग-पत्र	Charter of Demands from Technical Staff Association of Opium Factory, Ghazipur 50
3432	राजस्थान में तस्करी की वस्तुओं का पकड़ा जाना	Seizure of smuggled Goods in Rajasthan 51
3433	राज्यों द्वारा ओवरड्राफट	Overdrafts by States . 51
3434	तस्करों तथा कर अपवंचकों पर मारे गये छापों में जब्त नकद धनराशि तथा बहुमूल्य वस्तुओं के रखरखाव तथा निपटान पर हुआ व्यय	Expenditure on Maintenance or disposal of Cash and Valuables seized during Raids on Smugglers and Tax Evaders . . 52
3435	तस्करों की गिरफतारी	Arrest of Smugglers 52
3436	सीमेंट के निर्यात के लिये मध्य-पूर्व के देशों के साथ समझौता	Agreement with Middle East Countries for Export of Cement . . . 52
3437	मुद्रा-स्फीति से निपटने के लिए वित्तीय प्रतिबंध	Monetary Restraints to deal with Inflation 53
3438	चाय बागानों के उर्वरकों की वितरण व्यवस्था	System of Distribution of Fertilisers to Tea Gardens 53
3439	अहमदाबाद में आयकर और सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा छापे	Raids by Income Tax and Customs Authorities in Ahmedabad . . 54
3440	रुई के ऊँचे मूल्यों का वस्त्र उद्योग पर प्रभाव	Effect of High Cotton Prices on Garment Industry 55
3441	बहराइच (उत्तर प्रदेश) में धोतियों और साड़ियों की भारी मांग	Heavy Demand of Dhotis and Saris in Baharaich (U.P.) 55
3442	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते के फार्मूले में संशोधन	Revision in D.A. Formula for Central Government Employees . . . 56
3443	मुद्रा-स्फीती का मुकाबला करने के लिए कार्यवाही	Steps to fight inflation . 56
3444	औद्योगिक विकास पर कम्पनी लाभांश (अस्थायी) नियंत्रण अधिनियम का प्रभाव	Impact of Companies (Temporary) Restrictions on Dividends Act on Industrial Development . . . 58
3445	भारत की प्रगति के बारे में विश्व बैंक का प्रतिवेदन	World Bank's Report on India's Progress . . 58
3447	निर्माताओं द्वारा हैसियत की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिये कार्यवाही	Steps to check increase in prices of hessian by manufacturers . . 59

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGE
3448	सिले सिलाये कपड़ों का निर्यात	Export of Ready Made Garments . 59
3449	अर्थ-व्यवस्था पर ऋण प्रतिबंध का प्रभाव	Effect of Credit Squeeze on Economy 60
3450	चाय बगानों का विकास	Development of Tea Gardens . . 60
3451	विदेशी मुद्रा और आयात सम्बन्धी नियंत्रणों को समाप्त करना	Removal of Exchange and Import controls 61
3452	लघु क्षेत्र के निर्माण-निर्यातकों के लिये अच्छे सौदे	Better deal for Small Scale Manufacturer Exporters . . . 61
3453	साइप्रेस में भारतीयों द्वारा उद्योगों की स्थापना	Setting up Industries by Indians in Cyprus 62
3454	खनिज तथा धातु व्यापार निगम का लाभ/घाटा	Profit/loss of MMTC . 62
3455	चाय बोर्ड का पुनर्गठन	Reconstitution of Tea Board 63
3456	रुपये का मूल्य	Value of Rupee . . 63
3457	आयकर अधिकारियों द्वारा छापे	Raids by Income Tax Authorities 63
3458	तस्करी विरोधी अभियान से सम्बद्ध अधिकारियों द्वारा विदेशों के दौरे	Foreign Tours by Officers connected with anti-smuggling drive . 64
3459	वोल्गा रेस्टोरेंट के नाम आयकर की बकाया राशि	Arrears of Income Tax against Volga Restaurant 64
3460	पर्यटन की विकास-दर	Growth Rate of Tourism . 65
3461	परियोजनाओं को पूरा करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मांगी गई धनराशि	Amount demanded by U.P. Government for Completion of Projects 65
3462	न्यायालय परिसमापक, केरल पर व्यय	Expenditure of the Court Liquidator, Kerala 66
3463	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण पर दी गई राशि	Amount of Loans advanced by Nationalised Banks 66
3464	बस्तर जिला (मध्य प्रदेश) में पर्यटन केन्द्र का विकास	Development of Tourist Centre in Bastar District (Madhya Pradesh) . 67
3465	रुग्ण चाय बागानों को अदा किया गया मुआवजा	Compensation paid to Sick Tea Gardens 67
3466	संकटग्रस्त एवं बंद चाय बागान	Sick and closed Tea Gardens 67
3467	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मछेरों को दिए गए ऋण	Loans given by Nationalised Banks to Fishermen . . . 68

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGE
3468	भारतीय पर्यटन विकास निगम को पुनः नया रूप देना / Re-structuring of ITDC	69
3469	चाय बोर्ड द्वारा चाय कम्पनियों को ऋण / Loan by Tea Board to Tea Companies	69
3470	आस्ट्रेलिया से कच्ची ऊन खरीदने का राज्य व्यापार निगम का ठेका / STC's contract for purchase of Raw Wool from Australia . .	70
3471	तस्करों द्वारा समानान्तर रिजर्व बैंक की स्थापना / Parallel Reserve Bank set up by Smugglers .	70
3472	अखबारी कागज की कमी / Shortage of Newsprint	70
3473	भारत में व्यापार कर रही विदेशी कम्पनियां / Foreign companies trading in India .	71
3474	केरल मिलों में अनुपयुक्त पड़ा कता हुआ सूत / Un-utilised spinning yarn lying in Kerala Mills . . .	71
3475	कृत्रिम रेशा उद्योग / Synthetic fibre industry . . .	72
3476	मैसर्स वोल्गा रेंस्टोरेंट दिल्ली और बम्बई से करों की वसूली / Collection of taxes from M/s. Volga Restaurant Delhi and Bombay .	72
3477	अवर सचिव तथा इससे उच्च पदाधिकारियों के वेतनों पर खर्च की गई धनराशि / Amount spent on Salaries of officers of the Rank of Under Secretary and above	73
3478	तस्करी को रोकने के उपाय / Steps to check smuggling .	73
3479	भारत और बलगारिया के बीच व्यापार समझौता / Trade Protocol between India and Bulgaria . .	73
3480	अनसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रत्याशियों की राष्ट्रीयकृत बैंकों में भरती / Recruitment of S.C. and S.T. in Nationalised Banks .	74
3481	बंद तथा संकटग्रस्त चाय बागानों को पुनः चालू करना / Rehabilitation of closed and sick Tea Gardens	76
3482	लौह अयस्क का निर्यात / Export of Iron Ore .	76
3483	वास्तविक प्रयोक्ताओं को आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस / Import replenishment licences to actual users . .	76
3484	54 फर्मों द्वारा लाइसेंसों का गैर-कानूनी उपयोग / Unlawful utilisation of licences by Fifty Four Firms	77
3485	औद्योगिकरण के लिए सोवियत संघ से सहायता / Assistance from USSR for Industrialisation	77

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGE
3486 मछली पकड़ने वाली आयातित नौकाओं के आबंटन का मापदण्ड	Criteria for allotment of imported Trawlers	77
3487 'आंसुका' के अतर्गत गिरफ्तार किये गये तस्करों को जेल में दी जाने वाली सुविधाएं	Facilities provided to smugglers in prisons arrested under MISA . .	78
3488 एवरो विमानों की उड़ान-योग्यता	Airworthiness of Avro Planes .	78
3489 अरब 'पेट्रो डीलर्स आयल फंड' पुनर्व्यवस्थापित करने के लिये ब्रिटेन का प्रस्ताव	Proposal from U.K. for recycling Arab Petro-dollars Oil Funds . . .	79
3490 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को यात्री डिब्बे निर्यात करने के लिये आदेश	Order for Export of Railway Coaches from South East Asian Countries .	79
3491 अस्पताल कर्मचारियों तथा प्रवर्तन विभाग के अधिकारियों को श्री एस० एन० बाखिया द्वारा दिख गये उपहार	Gifts given by Shri S. N. Bakhia to the Hospital Staff and Officials of Enforcement Department . .	80
3492 मूंगफली का निर्यात	Export of Groundnuts . . .	81
3493 पेट्रोल पर बढ़े हुये उत्पाद-शुल्क से प्राप्त राजस्व	Revenue accruing from increased Excise Duty on Petrol	81
3494 अयस्क (ओर) क्लब	Ore Club	81
3495 आर्थिक अपराधों के मामलों में व्यक्तियों को 'आंसुका' के अन्तर्गत नजरबन्द करने का आधार	Criteria for Detaining Persons under MISA for Economic Offences .	82
3496 वर्ष 1972-73 और 1973-74 के दौरान चीनी का निर्यात	Export of Sugar during 1972-73 and 1973-74	83
3497 चीनी कारखानों के मामले में उत्पादन शुल्क में छूट की नई व्यवस्था	New Excise rebate system in case of sugar factories . . .	83
3498 अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से तेल के लिये ऋण	Credit from International Monetary Fund for Oil	84
3499 राज्य व्यापार निगम के अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	CBI Inquiry against STC Officials	84
3500 नैनमल पंजाजी शाह के कब्जे में सोना	Gold in possession of Nainmul Punjaji Shah	84
3501 पांचवीं योजना के दौरान अधिक संख्या में गुटके बनाने वाले संयंत्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव	Proposal to set up more pelletisation Plants during Fifth Plan . .	85

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGE
3502 नवजीवन ट्रेडिंग फाईनेन्स प्राइवट लिमिटेड	Navjeevan Trading Finance Private Limited	85
3503 कम्पनियों द्वारा गैर-बैंककारी निदेशों का उलंघन	Violation of the non-banking Directions by Companies . .	86
3504 सरकारी विभागों में स्टाफ कारों का उपयोग	Use of staff cars in Government Departments	87
3505 ऊन के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट	Slump in International Wool Prices .	87
3506 आयकर संयुक्त कर्मचारी संघ से प्राप्त अभ्यावेदन	Representations received from Aayakar Sanyukt Karamchari Sangh . .	87
3507 आयातित रुई पर शुल्क समाप्त करने की मांग	Demand for abolition of duty on imported cotton . . .	88
3508 इंडियन एयर लाइन्स में विमानों की संख्या	Number of Aircrafts in Indian Airlines	88
3509 स्टेट बैंक आफ इंडिया में क्लर्क एवं कैशियर के पद के लिये भर्ती	Recruitment to the Post of Clerk-cum-Cashier in State Bank of India .	89
3510 पश्चिम एशिया से पर्यटक	Tourists from West Asia .	89
3511 सिल्चर हवाई अड्डा	Silchar Airport . .	89
3512 ग्वालपाड़ा आसाम में अभाव की स्थिति	Scarcity conditions in Goalpara, Assam	90
3513 राजस्थान में पर्यटन केन्द्रों का विकास	Development of Tourist Centres in Rajasthan	90
3514 राजस्थान में शाल ऊन उद्योग का विकास	Development of Shawl Wool Industry in Rajasthan	90
3515 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा राजस्थान के कृषि क्षेत्र में दिये गये ऋण	Advances made by Nationalised Banks to Agricultural Sectors in Rajasthan	91
3516 लघु उद्योग निगम, राजस्थान द्वारा सिले-सिलाये वस्त्रों का निर्यात	Export of readymade garments by Small Scale Industries Corporation, Rajasthan	91
3517 अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत शामिल किये गये कर्मचारी	Employees covered under the Compulsory Deposit Scheme .	92
3518 अनिवार्य जमा योजना	Compulsory Deposit Scheme . .	92
3519 यूरोपीय साझा बाजार को कपड़ों का निर्यात	Export of Textiles to EEC .	93
3520 लौह-अयस्क का उत्पादन करने वाले देशों का सम्मेलन	Conference of Iron Ore producing countries	93

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGE
3521	मुद्रा और ऋण सम्बन्धी नीतियों में प्रस्तावित परिवर्तन — Proposed changes in Monetary and Credit Policies . . .	93
3522	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उच्च प्रबन्धक पद — Top Management posts in Public Sector Undertakings . .	94
3523	कर्नाटक आय-कर अधिकारियों द्वारा छापे मारा जाना — Raids by Karnataka Income Tax Authorities	94
3524	मादक द्रव्यों की चोरी छिपे लाने ले जाने (ट्रैफिकिंग) को रोकने के लिये कार्यवाही — Steps to Check Trafficing in Narcotics	95
3525	मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में पूंजी निवेश के लिये जीवन बीमा निगम का नया प्रस्ताव — Fresh Proposals of LIC in regard to Investment of more Funds for Backward Areas of Madhya Pradesh	96
3526	मध्य प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ग्रामोद्योगों को दिया गया ऋण — Amount Advanced by Nationalised Banks to Village Industries in Madhya Pradesh . .	96
3527	वर्ष 1973-74 में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मध्य प्रदेश में किसानों को दिया गया ऋण — Loan given to Farmers by Nationalised Banks in Madhya Pradesh during 1973-74	97
3528	मध्य प्रदेश को जीवन बीमा निगम द्वारा दिया गया ऋण — Amount of Loan given by LIC to Madhya Pradesh .	98
3529	विश्व बैंक से ऋण — Loan from World Bank . .	98
3530	प्रतिपूर्ति अदायगियों सम्बन्धी जाल साजियां — Compensatory payments Rackets	98
3531	'ट्रेबल एजेंसियां' — Travel Agencies	99
3532	स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उड़ीसा में किसानों को मंजूर किये गये ऋण — Loan sanctioned by State Bank of India and Nationalised Banks to farmers in Orissa	99
3533	अल्प-बचत संग्रह — Small Savings Collections .	99
3534	विदेशी मुद्रा स्थिति के संबंध में मतभेद — Differences over export earnings .	100
3535	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उड़ीसा में कृषि क्षेत्रों को दिया गया ऋण — Advances made by Nationalised Banks to Agricultural Sectors in Orissa .	100
3536	उड़ीसा लघु उद्योगों को प्राप्त हुये सिले सिलाये वस्त्रों के निर्यात के क्रयादेश — Orders for export of ready made garments received by Orissa Small Scale Industries	101
3537	उड़ीसा पर्यटन विभाग को दी गई सहायता — Help given to Tourism Department of Orissa	101

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGE
3538	उड़ीसा में आयकर की बकाया राशि / Arrears of Income Tax in Orissa .	101
3539	पंजाब में पर्यटन केन्द्रों का विकास / Development of Tourist Centres in Punjab	102
3540	पंजाब में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण दिया जाना / Loans advanced by Nationalised Banks in Punjab .	102
3541	पंजाब में शाल ऊन उद्योग का विकास / Development of Shawl Wool Industry in Punjab . . .	104
3542	गोवा में आयकर से बकाया राशि / Arrears of Income-tax in Goa	104
3543	गोवा में पर्यटन केन्द्रों का विकास / Development of Tourists Centre in Goa	104
3544	गोआ में शाल ऊन उद्योग का विकास / Development of Shawl Wool Industry in Goa	105
3545	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा गोआ के कृषि क्षेत्र को दिये गये ऋण / Advances made by Nationalised Banks to Agricultural Sector in Goa . .	105
3546	कुटीर विद्युत चालित उद्योग / Cottage Powerloom Industry	105
3547	मैसर्स कोरस इंडिया लिमिटेड पर आयकर की बकाया राशि / Arrears of Taxes against M/s. Kores India Ltd.	106
3548	'क्रैश फायर टेन्डर्स' मशीनों का आयात / Import of Crash Fire Tenders	106
3549	मुद्रा-स्फीति को रोकने के उपाय / Steps to Check Inflation .	107
3550	ऋणों में रोक / Curbs on Credit	107
3551	भारत के विदेशी मुद्रा रिजर्व / India's Foreign Exchange Reserves .	108
3552	आयकर निर्धारण के विचाराधीन मामले / Pending Income Tax cases .	108
3553	रेलगाड़ियों में तस्करों की गतिविधियां रोकने के लिये कार्यवाही / Steps to check smugglers, activities in Trains . . .	109
3554	बलेकेरी पत्तन, उत्तरी कनारा, कर्नाटक राज्य से लौह अयस्क का निर्यात / Iron Ore Export from Belekeri Port North Kanara, Karnataka State .	110
3555	मैससर्ज कोरस इंडिया लिमिटेड द्वारा कच्चे माल तथा अर्ध तैयार माल का निर्यात / Export of Raw Material and Half Finished Goods by M/s. Kores India Limited . . .	110
3556	आयकर तथा सीमा शुल्क अधिकारियों के कब्जे में चल तथा अचल सम्पत्तियां / Movable and Immovable Properties possessed by Income Tax and Customs Officials	111

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGE
3557 पश्चिम बंगाल में सूखा राहत सम्बन्धी कार्यवाही	Drought Relief Operations in West Bengal . . .	111
3558 अकाल ग्रस्त राज्यों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Famine affected States	112
3559 कृषि कर लगाना	Levy of Agricultural Tax . .	113
3560 वर्ष 1973-74 के दौरान मुद्रा प्रसार में वृद्धि	Increase in money circulation during 1973-74 . .	114
3561 उत्पादन शुल्क घोटाले का पता लगाया जाना	Unearthing of Excise Duty racket	114
3562 आयकर अपवंचक	Income Tax Evaders .	115
3563 मध्य प्रदेश में 'आंसुका' के अधीन गिरफ्तार किये गये तस्कर	Smugglers arrested under MISA in Madhya Pradesh	116
3564 श्रीराम रेयन मिल्स, कोटा द्वारा अनधिकृत वस्तुओं का उत्पादन	Production of unauthorised items by Shree Ram Rayon Mills, Kota .	116
3565 श्रीराम रेयन्स, कोटा (राजस्थान) को लाइसेंस जारी किया जाना	Issue of Licences to Shree Ram Rayons, Kota (Rajasthan) . . .	116
3566 आर्थिक अपराधों के लिये गिरफ्तार किये गये व्यक्ति	Persons arrested for economic offences	117
3567 अर्जित छुट्टी के बदले नकद पैसा किया जाना	Encashment of Earned Leave	117
3568 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के लिये नया मंजूरी ढांचा	New Wage structure for the staff of Public Sector Undertakings .	118
3569 मछली का निर्यात	Export of Fish . .	118
3570 गैर बैंकिंग सम्बम्धी विदेशों के खंड 9 और 6 का पालन न किया जाना	Non compliance of clauses 9 and 6 of the Non Banking Directions by Companies	119
3571 अरब देशों से ऋण लेने के लिये पेट्रोडालरों का उपयोग करना	Utilisation of Petro-dollars for raising loans from Arab countries	120
3572 आर्थिक अपराधों के लिये दोषियों की सजा देने हेतु कानून	Laws to punish individuals for economic offences	120
3573 मादक पदार्थों का उत्पादन, उनकी बिक्री और उनका उपयोग	Production, Sale and Use of Narcotics	120
3574 राजस्थान जनसम्पर्क विभाग के पास तस्करों के फोटो होना	Photographs of smugglers in possession of Rajasthan Public Relations Department . . .	121

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGE
3575 आंतरिक सुरक्षा बनाये रखने सम्बन्धी अधिनियम के प्रवर्तन का पर्यवेक्षण करने के लिये समिति	Committee to Supervise the operation of MISA . .	121
3576 भारत और पश्चिम जर्मनी के बीच तकनीकी सहायता के लिये समझौता	Agreement between India and West Germany on technical assistance .	121
3577 इंजीनियरी उद्योग में क्षमता का उपयोग	Utilisation of capacity in Engineering Industry	122
3578 दिल्ली में दिल्ली क्लाथ मिल का अवैध उत्पादन	Illegal production in DCM Units	122
3579 विदेशी कम्पनियों द्वारा प्रत्यावर्तित की गई धनराशि	Remittances by Foreign Companies .	123
3580 सरकारी उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ	Profit earned by Public Sector Undertakings	123
3581 केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा नागर विमान विभाग के सहायक विमान निरीक्षक के निवास स्थान से अपराध प्रमाणित करने वाली सामग्री पकड़ना	Incriminating material found by CBI from the resident of Assistant Aircraft Inspector of Civil Aviation Department	124
3582 सरकारी टेलीफोनों के कनेक्शन समाप्त करना	Surrender of Official Telephones .	124
3583 सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये पद आरक्षित करना	Reservation of Posts for Candidates belonging to S.C./S.T. in Public Sector Undertakings . . .	127
3584 कपड़े के उत्पादन में कमी	Decline in production of Cloth .	127
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	Re. Adjournment Motion . . .	128
(प्रश्न)	(Query)	128
सभा की कार्यवाही के रिकार्ड के बारे में	Re. Record of Proceedings of the House	129
श्री मोरारजी देसाई द्वारा सत्याग्रह के बार में	Re. Satyagraha by Shri Morarji Desai	134
सभापटल पर रखे गये पत्र—	Papers Laid on the Table—	135
राज्यसभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha . .	136
श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध (संशोधन) विधेयक— राज्यसभा द्वारा पास किये गये रूप में	Working Journalists (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions (Amendment) Bill—As passed by Rajya Sabha . . .	136

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGE
विधेयक पर अनुमति	Assent to Bill .	136
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to matter of urgent public importance . . .	140
केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की किश्तें न देने के सरकार के निर्णय का समाचार	Reported decision of the Government not to pay instalments of dearness allowance to Central Government employees . . .	140
सभा का कार्य—	Business of the House	143
विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण विधेयक	Conservation of Foreign exchange and Prevention of smuggling activities Bill	145
पास करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Motion to pass, as amended .	145
श्री सोमानाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	145
श्री इराज्मुद सेकैरा	Shri Erasmo de Sequeira	146
श्री समर गुह	Shri Samar Guha .	147
श्री ओंकार लाल बेरवा	Shri Onkar Lal Berwa .	148
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha	148
श्री पी० के० देव	Shri P. K. Deo . .	149
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra	149
श्री पी० जी० भावलंकर	Shri P. G. Mavalankar .	150
श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody .	151
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	151
श्री सी० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam . . .	152
देश में फासिस्ट वाद के बढ़ने के बारे में संकल्प	Resolution Re. Growth of Fascism in the country	153

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 6 दिसम्बर, 1974/15 अग्रहायण, 1896 (शाक)
Friday, December 6, 1974/Agrahayana 15, 1896 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
Oral Answers to Questions

"मांसुका" के अन्तर्गत गिरफ्तार तस्कर

\+
*349. **श्री बीरेन एंगती :**
श्री समर गुह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'मांसुका' के अन्तर्गत कितने तस्करों को गिरफ्तार किया गया है;

(ख) क्या इस अधिनियम और अन्य समपार्श्वो उपायों के परिणामस्वरूप तस्करी के जाल को तोड़ने के उद्देश्य की प्राप्ति हो सकी है;

(ग) क्या प्रमुख तस्कर, हाजी मस्तान ने आरोप लगाया है कि उसकी गतिविधियों में राजनीतिज्ञों और मंत्रियों का भी हाथ था;

(घ) क्या सरकार के पुलिस, निवारक और प्रवर्तन विभागों के पास राजनीतिज्ञों और प्रशासन के ऐसे लोगों की सूची है जिनको तस्करों से नियमित रूप से एवं समय-समय पर धनराशि प्राप्त होती रही है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियो और संगठनों के नाम क्या है?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम्) : (क) केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अधीन 19 तस्कर व्यापारी नजरबन्द किये गये। केन्द्रीय सरकार को प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 1974 के अधीन राज्य सरकारों द्वारा 5-11-74 तक 550 से भी अधिक व्यक्तियों को तस्करी में अथवा विदेशी मुद्रा संरक्षण विरोधी गतिविधियों में अन्तर्गस्त होने के कारण नजरबन्द किया गया है।

(ख) तस्करी विरोधी तन्त्र को सुदृढ़ करने की दृष्टि से सरकार द्वारा किये गये उपायों के कारण जिनमें अध्यादेश के अधीन की गई कार्यवाही भी शामिल है, तस्करों के गिरोहों से भारतीयों का सम्पर्क समाप्त हो गया है।

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार के पास कोई विशिष्ट सूचना नहीं है।

(घ) तथा (ङ) जिन अधिकारियों की तस्कर व्यापारियों के साथ सांठगांठ पायी जाती है उनके मामले में विभागीय कार्यवाही की जाती है। जिन मामलों में पर्याप्त साक्ष्य मिल जाते है उनके विरुद्ध कानून में विद्यमान व्यवस्था के अनुसार मुकदमा भी चलाया जाता है। सरकार के पास ऐसे राजनीतिज्ञों की कोई सूची नहीं है जिनके बारे में यह आरोप लगाया गया है कि उन्हें तस्कर व्यापारियों से समय-समय पर धन प्राप्त होता रहता है।

मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न का उत्तर पहले दिया जा चुका है। और इसे अब लिया जा रहा है क्योंकि पर्याप्त समय नहीं था। हमने इस पर 6 घंटे से अधिक चर्चा की थी तथा अपने उत्तर में मैंने सभी बातों का उत्तर दे दिया था।

Shri H. C. Kachwai: Mr. Speaker, please get us the reply to question 350 as well.

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 350 को भी इसके साथ ले लिया जाये।

तस्करों के विरुद्ध कार्यवाही

***350. श्री भागीरथ भंवर:**

श्री मधु लिमये:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक समाजवादी संसद सदस्य ने वित्त मंत्री से 1967 से लेकर 1970 तक यह सुझाते हुये पत्र व्यवहार किया था कि नेपाल से भारत में स्टेनलैस स्टील, नायलौन, पोलिस्टर धागे, तथा कपड़ों और शराब आदि की, जो किसी तीसरे देश की वस्तुयें हैं, तस्करी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाये;

(ख) क्या उस समाजवादी संसद सदस्य ने 1970 में अनेक ऐसे प्रश्न संसद में पूछे थे जिन में कुछ मस्तान जैसे तस्करों के राजनैतिक उम्बन्धों को प्रकाश में लाने की मांग की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो तस्करों और तस्करी के विरुद्ध सितम्बर, 1974 तक कार्यवाही करने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। इन मामलों से संबंधित कुछ अतारांकित प्रश्नों का वित्त मंत्री द्वारा लोक सभा में 1970 में उत्तर दिया गया था।

(ग) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

भारत नेपाल के बीच तस्करी की समस्या का मुकाबला करने के लिये सरकार द्वारा बहुत से उपाय किये गये हैं। इनमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:

(i) जनवरी, 1969 में भारत नेपाल सीमा पर सीमाशूल्क निवारक एककों का जाल कायम किया जाना और बाद में 1970 और 1971 में उसका और अधिक बढ़ाया जाना।

भारत नेपाल सीमा पर अब सात सीमाशुल्क प्रभाग कार्य कर रहे हैं। इन निवारक एककों को गतिशील बनाये रखने के लिये जीपों की व्यवस्था की गई है और सेना के भूतपूर्व कर्मचारियों को भर्ती किया गया है। इन निवारक एककों को रिवाल्वर और राइफलें भी सप्लाई की गई हैं।

भारत नेपाल सीम पर तैनात अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिये पटना और इलाहाबाद में सीमाशुल्क सम्बन्धी प्रशिक्षण देने की दृष्टि से विशेष प्रशिक्षण केन्द्र कामय किये गये हैं।

(ii) भारत नेपाल सीमा पर होने वाले तस्कर व्यापार से संबंधित गुप्त सूचना, निवारक उपाय तथा तस्करी विरोधी अभियान के बारे में समन्वय कायम करने की दृष्टि से जनवरी, 1970 में राजस्व गुप्तचर्य निदेशालय में एक विशेष कार्य अधिकारी का पद निर्मित किया गया।

(iii) सम्पूर्ण भारत नेपाल सीमा को सीमाशुल्क समाहर्ता (निवारक) की एकीकृत कमान के अधीन रखा गया है जिसका मुख्यालय पटना में हैं।

(iv) समय-समय पर नेपाल के महामहिम की सरकार से सहयोग मांगा गया है और नेपाल की सरकार द्वारा किये गये उपायों से भारत नेपाल सीमा पर तस्करी को रोकने में सहायता मिली है।

श्री बीरेन एंगती: क्या यह सच है कि कुछ तस्कर जो गिरफ्तार किये गये थे, न्यायालय द्वारा रिहा कर दिय गये हैं और यदि हां, तो उन्हें रिहा करने के क्या आधार हैं और वर्तमान कानून में क्या त्रुटियां हैं और उन्हें दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम: अब तक आठ या नौ व्यक्ति विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा रिहा किये जा चुके हैं··· (**व्यवधान**) बड़े बड़े मगरमच्छ नहीं, मध्यम आकार की मछलियां। जो मुख्य तर्क दिया गया है, वह यह है कि नजरबन्दी के आधार के रूप में अभी हाल की किसी गतिविधि का उल्लेख नहीं था। जैसा कि मैंने कल विधेयक पर बहस के दौरान बताया था कि, विशेष रूप से बड़े आदमी, स्वयं यथासंभव तस्करी की गतिविधियों से दूर रहने का प्रयास करते हैं और इसलिए राजनैतिक नजरबन्दों के मामले में अदालतें जो मानदण्ड अपनाती हैं, वह तस्करों के मामले में लागू नहीं होनी चाहिये। राजनैतिक बन्दियों के मामले में उच्चतम न्यायालय के ऐसे मामले हैं, जो उच्च न्यायालयों पर अनिवार्यतः लागू होते हैं, और उसके आधार पर उन्हें रिहा कर दिया जाता है। हम इस मामले में उच्चतम न्यायालय में अपील करने जा रहे हैं। और हमें आशा है कि हम उच्चतम न्यायालय को आश्वस्त कर सकेंगे और तस्करी के मामले में अनुमान आधार नहीं होना चाहिये।

श्री बीरेन एंगती: क्या पूर्वोत्तर भारत में औषधियों की बड़े पैमाने पर तस्करी की सरकार को जानकारी है और क्या यह सच है कि थाईलैंड लाओस बर्मा के त्रिकोण से इस क्षेत्र में भारी पैमाने पर औषधियां आती हैं? मेरे प्रश्न का भाग (ख) इस प्रकार है: क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम से होकर शिलांग में औषधियों की तस्करी की जाती है और "कोप्री" नामक शिलांग स्थित रेस्टारेन्ट औषधियों का प्राप्तकर्ता और वितरण केन्द्र है और जिसका मालिक एक राजनैतिक पार्टी का उपाध्यक्ष है और उस राज्य के मंत्री के भी उसमें निहित हित हैं? अगर सरकार को इसकी जानकारी नहीं है तो क्या वे इस बारे में जांच पड़ताल करेंगे और इसकी सदन को जानकारी देंगे?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : जहां तक पूर्वोत्तर क्षेत्र का सम्बन्ध है, सरकार के ध्यान में तस्करी की जो गतिविधियां आई हैं, वे बहुत बड़े पैमाने पर नहीं हैं। परन्तु माननीय सदस्य ने राज्य के मंत्री के बारे में गम्भीर आरोप लगाया है। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और अगर इसमें जांच पड़ताल की जरूरत है, तो जांच पड़ताल की जायगी।

मुझे खेद है कि रिहा किये गये व्यक्तियों की संख्या बताने में मुझसे भूल हो गई। मुझे बताया गया है कि अब तक 26 व्यक्ति रिहा किये जा चुके हैं।

श्री समर गुह: हाजी मस्तान के वक्तव्य का सदन में अनेक बार उल्लेख किया गया है। मैं एक या दो वाक्य पढ़ना चाहता हूं। एक वक्तव्य में उसने कहा है कि "कुछ बड़े नेता हैं, सम्मानित नेता हैं और अगर मैं उनके नाम जाहिर करता हूं तो एक राजनैतिक विस्फोट हो जायगा, उसमें कांग्रेस, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट और मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल हैं। उसने यह भी कहा है कि "इस व्यापार में बड़े से बड़े सरकारी अधिकारी और उच्च पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। अगर मैं व्यापार का राज बताऊं, तो वह यह है कि अगर सरकारी कर्मचारी उनके पीछे न हों, तो उनका काम एक दिन भी नहीं चल सकता।" मेरे विचार में सरकार ने उस वक्तव्य को देखा है। मैं सरकार से इसकी जानकारी चाहता हूं। सरकार ने 555 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों से विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं, सरकारी अधिकारियों, सीमा-शुल्क अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और उन बैंक अधिकारियों के नाम जानने के लिये पूछताछ की गई है, जिनके साथ उनके सम्बन्ध थे और क्या इस बारे में ऐसी कोई जांच पड़ताल की गई है ? और यदि हां, तो इस जांच का क्या परिणाम निकला? इस तस्करी को सदैव के लिये रोकने हेतु और रोकने ही नहीं बल्कि उन्हें दण्डित करने के लिये क्या सरकार उच्चाधिकार प्राप्त आयोग नियुक्त करेगी, जिससे तस्करों के जाल का पता लगाने के लिये सभी पहलुओं का अध्ययन किया जा सके और इस समस्या से निपटने के लिये प्रतिरोधी और दण्डित उपायों के बारे में सलाह प्राप्त की जा सके?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम: जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, विधेयक में कल इस आशय का निश्चित संशोधन था, परन्तु सदन ने इसे अस्वीकार कर दिया। इसलिये, सदन इसके पक्ष में नहीं हैं। परन्तु यह कार्यवाही हेतु एक सुझाव है। उचित समय पर अगर इसका अध्ययन करने के लिये आयोग आवश्यक है, तो निश्चित रूप से इसका गठन किया जायगा ।

हाजी मस्तान के वक्तव्य को आज ही नहीं, बल्कि कल भी माननीय सदस्यों ने बहुत महत्व दिया था, जैसे कि वही पूर्ण सत्य हो। आखिकार, वह तस्कर है और वह यह कह कर बच निकलने का प्रयास

करेगा कि उच्च स्तर पर इतने व्यक्ति इसमें सम्बन्ध हैं। सम्भव है, वे ग्रन्तर्ग्रस्त हों ग्रौर इसलिये मस्तान ने जो कुछ कहा है, उस पर कोई ध्यान दिये बिना इसकी व्यापक जांच करने की ग्रावश्यकता है मैं उसके कथन को कोई महत्व नहीं देता लेकिन स्वतन्त्र रूप से इस बात की जांच करने की ग्रावश्यकता है कि उनके राजनीतिज्ञों से या सरकारी ग्रधिकारियों से सम्बन्ध थे या नहीं। इस पर निश्चित रूप से विचार किया जायेगा। उनमें से कुछ से पूछताछ भी की जा रही है।

श्री समर गुह: मेरे प्रश्न पर उन्होंने उत्तर नहीं दिया है कि क्या सरकार ने गिरफ्तार किये गये 555 तस्करों से उनके राजनैतिक, प्रशसनिक, पुलिस ग्रौर सीमा-शुल्क प्राधिकारियों से सम्बन्धों का पता लगाने के बारे में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ग्रपने 'पाशविक' बहुमत के द्वारा उच्चाधिकार प्राप्त ग्रायोग के गठन का सुझाव ग्रस्वीकार कर दिया। परन्तु उच्चाधिकार प्राप्त ग्रायोग स्थापित करने के बारे में सरकार का क्या रुख है?

ग्रध्यक्ष महोदय. जब से हाजी मस्तान ग्रौर तुलमोहनराम का इस सदन में उल्लेख हुग्रा है, तब से शांति नहीं है।

श्री समर गुह: मेरे प्रश्न बहुत स्पष्ट है।

ग्रध्यक्ष महोदय: लेकिन ग्राप उन्हें जबाब देने का मौका ही नहीं देते।

श्री समर गुह: जैसे ही ग्रापने कहा, में बैठ गया।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम: मैं बता चुका हूं कि उनसे पूछताछ की जा रही है।

श्री समर गुह: मैंने पूछा था कि क्या सरकार उच्चाधिकार प्राप्त ग्रायोग नियुक्त करेगी?

ग्रध्यक्ष महोदय: यह कभी भी समाप्त न होने वाला पूरक प्रश्न है।

Shri Bhagirath Bhanwar: Government is crushing the thieves in the matter of smuggling, but not the mother of the thieves . . .

Shri Hukam Chand Kachwai: That is Smt. Indira Gandhi.

श्री वसन्त साठे : यह निम्न रुचि की टिप्पणी है। इस प्रकार की टिप्पणियां कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं होनी चाहिये। इसे कार्यवाही वृतान्त से निकाला जाय... **(व्यवधान)** इस प्रकार की निम्न रुचि की टिप्पणियां करना कितना मूर्खतापूर्ण है... **(व्यवधान)** यह हद से ज्याद बेहूदा बात है।

Shri Bhagirath Bhanwar: I would like to know whether smuggling would be stopped by creating an atmosphere against the smugglers ? In my of the view that it could never be stopped like that. I would like to know whether the politicians and the Officers having links with the smugglers would also be arrested ? If so, the main features of the scheme so that we could be assured that Government is taking certain positive action ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम: हम बिना किसी ग्राधार के राजनीतिज्ञों, प्रशासकों ग्रौर ग्रधिकारियों को गिरफ्तार नहीं कर सकते। इसमें व्यापक जांच पड़ताल करने की ग्रावश्यकता है ग्रौर यह पता लगाने की कोशिश करनी है कि वस्तुत: किनकी साँठगाँठ है। राजनीतिज्ञों ग्रौर ग्रधिकारियों के सम्पर्क हो सकते हैं। ग्रगर पर्याप्त प्रमाण मिलता है तो चाहे जितना बड़ा राजनीतिज्ञ या ग्रधिकारी हो, हम उसके विरुद्ध कार्यवाही करने में नहीं हिचकिचायेंगे।

Shri Bhagirath Bhanwar: It has been asked whether a Socialist M.P. had drawn the attention of Government towards all such things. The Honourable Minister had replied in the affirmative. After his correspondence, the smuggling activities are going on as before. Why has Government delayed action against the smugglers? Whether the reason is that the smugglers have been giving contribution to the Congress Party?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम: यह पूर्णतया निराधार है। प्रश्न काल में ऐसे निराधार आरोप लगाना, कि तस्कर कांग्रेस पार्टी को चन्दा देते रहे हैं, उचित नहीं है। कल अपने उत्तर के दौरान और आन्तरिक सुरक्षा कानून संबंधी विधेयक को पेश करते समय मैं पहले ही उस कार्यवाही का ब्यौरा दे चका हूं, जो सरकार ने इन वर्षों के दौरान की है। इसलिए इस मामले में सरकार का निष्क्रिय बने रहने का कोई प्रश्न ही नहीं है। अब उन्हें अपनी गतिविधियों को और आगे बढ़ाने से रोकने के लिए उन्हें नजरबन्द करने संबंधी अधिकारों का हम प्रयोग कर रहे हैं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, 500 से अधिक व्यक्तियों को नजरबन्द किया जा चुका है।

Shri Madhu Limaye: Mr. Speaker, Sir, the reply to Part (c) of the question has not been given, in which I had asked about the reasons for delay in taking action against smuggling on Indo-Nepal border inspite of raising this matter many years back? You should give your direction, only then I would ask my supplementary.

श्री सी० सुब्रह्मण्यम: सभा पटल पर एक विवरण रखा है।

श्री मधु लिमये: सभय पटल पर रखा विवरण आपने पढ़ा तक नही है।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम: जो कुछ भी सूचना उपलब्ध है, वह मैंने सभा-पटल पर रख दी है।

अध्यक्ष महोदय: श्री मधु लिमये का कहना है कि प्रश्न के भाग (ग) का उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम: सभा-पटल पर एक विवरण पर रखा गया है।

श्री मधु लिमये: कार्यवाही करने में विलम्ब के कारण विवरण पत्र में नहीं दिये गये हैं।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम: मेरे विचार से कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

Shri Madhu Limaye: Are you satisfied with this reply? According to your directions, answers to questions shall be complete . . . **(Interruptions)**

अध्यक्ष महोदय: मन्त्रियों के ध्यान में यह बात ला दी गई है कि जब प्रश्न के कई भाग हों, तो प्रत्येक भाग का पृथक उत्तर दिया जाना चाहिये। मैंने यह बात कई बार उनके ध्यान में लाई है। एक सामान्य किस्म का उत्तर नहीं दिया जाना चाहिए। माननीय सदस्य भाग (ग) का एक निश्चित उत्तर चाहते हैं।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम: हम यह महसूस करते हैं कि कोई विलम्ब नहीं हुआ है। माननीय सदस्य के अनुसार सरकार ने सितम्बर, 1974 तक कोई कार्यवाही नहीं की, जबकि यह बात 1970 में सरकार के ध्यान में ला दी गई थी। परन्तु अगर आप विवरण देखें, तो इससे पता चलता है कि जनवरी, 1969 में भारत-नेपाल सीमा पर सीमा-शुल्क निवारक एककों का एक जाल बिछा दिया गया था और वर्ष 1970 और 1971 में बाद में इसमें बढ़ोतरी की गई। इसलिए, माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न पूछने के पहले, अर्थात् 1970 से भी पहले कार्यवाही कर दी गई थी।

अध्यक्ष महोदय: मन्त्री महोदय का उत्तर है कि वर्ष 1970 से भी पहले कार्यवाही की गई थी।

Shri Madhu Limaye: I would like to know whether the contraband goods are being smuggled to India via Nepal even now ? I would like to cite an example. I want information regarding the following matter. It has been reported to me that a proto-type of Maruti Car was sent to the Ahmednagar Vehicle Depot and was approved by Government. This car was sent to Ahmednagar and it is still there. It is fitted with an imported engine from West Germany. One foreigner working with the Maruti Technical Services Private Limited, Mr. W. H. F. Muller is the person who has brought it by air. There is a ban on the import of Motor Car engines. Whether such an engine, which was to be tested for Maruti Car, in Ahmednagar Vehicles Depot, was smuggled into the Country via Nepal and the Customs authorities had allowed them to do so ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम: मेरे पास ऐसी कोई जनाकारी नहीं है।

Shri Madhu Limaye: Would you reply after examining it ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम: यह एक सामान्य प्रश्न है और वह कुछ विशिष्ट बातों का उल्लेख कर रहे हैं चार्ल्स के सिर की तरह मारुति के पीछे पड़े हैं। किसी न किसी तरह इसे प्रश्न के दायरे में ले आयेंगे और फिर जानकारी देने के लिये मुझ से कहेंगे।

Shri Madhu Limaye: It is not a Crime to ask a supplementary about Maruti.

Shri Md. Jamilurahman: Whether it is a fact that Shri Lakhan Lal Kapoor, a former M.P. of S.S.P. was arrested in May, 1972 at Thakurganj border while smuggling stainless steel utensils worth five thousand of rupees and if so, what is the outcome of this case ?

अध्यक्ष महोदय: सदस्य महोदय सामान्य प्रश्न के अन्तर्गत विशिष्ट प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम: मैं अपनी पार्टी के सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह इस मामले में विरोधी पक्ष का अनुकरण न करें।

श्री अटल विहारी वाजपेयी: हम बार-बार आयोग नियुक्त करने की मांग करते रहे हैं, जिससे अन्तग्रस्त राजनीतिज्ञों का पता लगाया जा सके। मारुति के मामले में उन्होंने कहा कि जानकारी नहीं है। परन्तु कांग्रेस सदस्य के पूरक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि "विरोधी पक्ष का अनुकरण मत करो।" **(व्यवधान)** मन्त्री महोदय जानकारी दें।

श्री पीलू मोदी: मैं एक निवेदन करना चाहता हुं। इस सदन में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के सदस्य नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: इसकी क्या जरूरत है ?

श्री पीलू मोदी: मेरे विचार में मन्त्री महोदय को अपनी पार्टी के सदस्य को यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि वह इस आधारपर जानकारी नहीं मांग सकता कि वह उनकी पार्टी का सदस्य है।

श्री हरि किशोर सिंह: मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि अपने पत्र में हाजी मस्तान की महान उपलब्धियों पर प्रकाश डालने के लिए इसी सदन के माननीय सदस्य को भारी धनराशि दी गई है और अनेक भाषाओं में उसका अनुवाद किया गया है।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम: मेरे पास ऐसी कोई जनकारी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: श्री वाजपेयी ।

श्री हरि किशोर सिंह: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस बारे में जांच करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय: मैं पहले ही दूसरे सदस्य से प्रश्न पूछने के लिए कह चुका हूं। अनेक व्यक्ति वर्गहीन समाज में विश्वास करते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: विभिन्न उच्च न्यायलयों ने कुछ तस्करों को इस आधार पर रिहा कर दिया है कि नजरबन्दी के जो कारण दिये गये थे, वे या तो अस्पष्ट थे या अनिश्चित अथवा अपर्याप्त थे। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस आरोप की जांच की है कि तस्करों की नजरबन्दी का अधिकार रखने वाले कुछ अधिकारियों की तस्करों के साथ सांठ-गांठ है और वे ऐसे कारण दे रहे हैं, जो न्यायालय द्वारा रद्द हो जायं ।

श्री सी. सुब्रह्मण्यम: वस्तुत हमने इसका अध्ययन किया था और यह पता लगाने की कोशिश की कि कहीं आधार तैयार करने में कुछ कमियां जानबूझकर तो नहीं छोड़ दी गईं, परन्तु हमें इसका कोई आधार नहीं मिला। परन्तु अगर माननीय सदस्य यह सोचते हैं कि इसमें कुछ और जांच करने की जरूरत है, तो मैं निश्चित रूप से और जांच करूंगा और यह पता लगाने की कोशिश करूंगा कि किसी अधिकारी की उनके साथ सांठगांठ है और क्या उन्होंने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया है ताकि वे इन कमियों का लाभ उठा सकें और उच्च न्यायालय से रिहा हो सकें। निश्चित रूप से यह काफी संगत प्रश्न है ।

Shri Narsingh Narain Pandey: I would like to know whether it is a fact that large scale smuggling of rice and such other comiodities has been going on on the border of Nepal and as a result of which, rice, wheat and other commodities are being smuggled into Nepal and other neighbouring countries and if so, whether steps would be taken to check such smuggling activities and to detain the smugglers ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम: मैं पहले ही बता चुका हूं कि क्या-क्या कार्यवाही की गई है । विशेष रूप से लम्बी स्थल-सीमा और विशेषज्ञ नेपाल से भारत में तथा भारत से नेपाल में लगातार लोगों के आने-जाने से विशेषकर खाद्यान्न आदि के मामले में ऐसी बातें होती रहती हैं। वस्तुत: नेपाल में रहने वाले कुछ लोगों की इस ओर जमीन है और इधर रहने वाले कुछ लोगों की नेपाल की ओर जमीन है। इसी प्रकार मकान भी है । इसलिए खाद्यान्न जैसी छोटी-मोटी चीजों आदि के लाने ले जाने को पूरी तरह नहीं रोका जा सकता। परन्तु मैं इससे सहमत हूं कि ऐसी चीजों की बड़े पैमाने पर तस्करी को रोका जाना चाहिए और इसके लिए हमने यथासम्भव पर्याप्त उपाय किये हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: कुछ प्रकाशनों से पता चलता है कि इस देश के एक सब से बड़े तस्कर हाजी मस्तान ने एक लेख लिखा है, जिसमें उसने इस प्रकार की गैर-कानूनी गतिविधियों में भाग लेना स्वीकार किया है । निवारण नजरबन्दी में एक आम तर्क यह दिया जाता है कि ऐसे व्यक्तियों पर दोष-सिद्धि करने के लिए प्रमाण उपलब्ध नहीं हो रहा है। जब इस प्रमुख तस्कर ने यह लिखित रूप में स्वीकार कर लिया है और जिसे देश भर में प्रचारित किया गया है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, उस पर सीमाशुल्क अधिनियम और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन मुकदमा चलाने के लिए सरकार कार्यवाही करेगी, जिन के अन्तर्गत यहां उपबन्धित एक वर्ष की अपेक्षा उसे अधिक लम्बी अवधि की सजा दी जा सकती है ? उसे कठोर कारावास का दंड दिया जा सकता है और एक विशिष्ट

व्यक्ति के साथ जिस प्रकार का बर्ताव किया जाता है वैसा नहीं किया जायेगा जैसा उसके साथ किये जाने का समाचार है। क्या सरकार उसकी अपनी संस्वीकृति के आधार पर अब उस पर मुकद्दमा चलाये जाने के लिये कार्यवाही करेगी ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम: मैं इस बात से सहमत हूं। न केवल हाजी मस्तान के संबंध में अपितु अन्य कैदियों के संबंध में भी यदि उनके द्वारा किये गये किसी विशेष अपराध के कोई साक्ष्य है, तो जैसा कि मैं कल कह चुका हूं, उन पर मुकद्दमा चलाया जायेगा। हमें इस लेख की जांच करनी होगी। मुझे यह पता नहीं है कि मस्तान इसे कहां तक स्वीकार करने जा रहा ह, या यह किसी के द्वारा लिखित जीवनी हो सकती है; मुझे पता नहीं है। इसकी जांच की जाने की आवयश्कता है। यदि उसने यह स्वीकृति सार्वजनिक रूप से की है तो निश्चय ही उसका साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि मुकद्दमा चलाने के लिये इसका कहां तक उपयोग किया जा सकता है।

श्री मोइनुलहक चौधरी: हमारे नियमों के अन्तर्गत एक सदस्य दूसरे सदस्य से प्रश्न पूछ सकता है। यदि आप अनुमति दें तो श्री शमीम से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ? नियम के अनुसार ऐसा किया जा सकता है।

श्री एस० ए० शमीम: मुझे उत्तर देने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री मोइनुल हक चौधरी: मेरा प्रश्न यह है कि यदि सरकार ने मुकद्दमा चलाया . . .

अध्यक्ष महोदय: आप कौन सा प्रश्न पूछना चाहते हैं ?

श्री मोइनुल हक चौधरी: मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। यदि आप मुझे अनुमति दें तब ही मैं अपना प्रश्न पूछूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते: इसका एक उपाय है । आप श्री शमीम को मंत्री बनायें और फिर उनसे अपने प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहें।

श्री मोइनुल हक चौधरी: आपकी अनुमति और नियमों के अन्तर्गत प्रश्न पूछा जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको पूरक प्रश्न के लिये बुलाया है। आप पूरक प्रश्न मंत्री महोदय से पूछ सकते हैं ।

श्री मोइनुल हक चौधरी: आपकी अनुमति से मैं उनसे प्रश्न पूछूंगा। मेरा प्रश्न यह है—या श्री शमीम इसे स्पष्ट करें या मंत्री महोदय इसका उत्तर दें—कि यदि वे हाजी मस्तान पर मुकद्दमा चलाने की सोचते हैं तो क्या वे श्री एस० ए शमीम से इस बात की पुष्टि करेंगे कि क्या वह न्यायालय में इस आशय का साक्ष्य देंगे कि उस तस्कर ने उनके समक्ष न्यायिकेतर संस्वीकृति की थी और उसके आधार पर उन्होंने वह लेख लिखा था ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम: यदि कोई मुकद्दमा चलाया जायेगा तो शायद श्री शमीम को गवाह के रूप में बुलाया जा सकता है। 'बुलाया जा सकता है', यही शब्द है।.... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय: श्री शमीम, क्या आप इसका उत्तर देने जा रहे हैं:

श्री एस० ए० शमीम: मैं प्रश्न के रूप में उत्तर दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय: मैंने माननीय सदस्य को आपसे प्रश्न करने की अनुमति नहीं दी है।

श्री एस० ए० शमीम: मेरा अपना प्रश्न है। मैं मंत्री महोदय की इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि जब वह यह कहते हैं कि श्री हाजी मस्तान ने जो कहा है उस पर अधिक निर्भर नहीं रहा जाना चाहिये।

परन्तु क्या मंत्री महोदय जानते हैं कि यह ऐसा साक्षात्कार नहीं था जो महान हाजी मस्तान ने इस देश के महानतम पत्रकार के साथ किया था? यह बात नहीं थी। मैंने तो श्री सुब्रह्मण्यम से भी साक्षात्कार करना नहीं चाहा था। अतः हाजी मस्तान के साक्षात्कार का प्रश्न ही नहीं उठता।

क्या उन्हें यह मालूम है कि यह साक्षात्कार नहीं था बल्कि जब मुझे स्वयं अभियुक्त से तथ्य जानने का अवसर मिला तो ये तथ्य इकठ्ठे किये गये थे?

दूसरी बात यह है कि क्या उन्हें पता है कि हाजी मस्तान की यह कहानी मेरे द्वारा सम्पादित 'आईना' साप्ताहिक 31 मई के अंक में प्रकाशित हुई थी और तस्करों के विरुद्ध तीन महीने बाद अगस्त में कार्यवाही की गई थी?

क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि जब हाजी मस्तान ने भेद खोला या संस्वीकृति की, तब वह जानता है कि इसका उपयोग उसके विरुद्ध किया जा सकता है और वास्तव में उस कहानी के अंश के रूप में क्या मंत्री महोदय को पता है कि उसने यह कहा है कि सरकार यह कह कर संसद सदस्यों को छल रही है कि वह तस्करों के विरुद्ध कार्यवाही कर रही है ?

क्या मंत्री महोदय को पता है कि हाजी मस्तान ने केवल उसी बात की पुष्टि की है जो हम संसद में कह रहे हैं?

अन्त में, यदि मुझे गवाह के रूप में बुलाया गया...मुझे पक्का विश्वास है कि मुझे नहीं बुलायेंगे...तो मुझे गवाही देने में प्रसन्नता होगी और मैं बहुत सी अन्य बातें कहूंगा तथा बहुत से अन्य नामों का उल्लेख करूंगा एवं केवल सच ही कहूंगा और उस सत्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहूंगा जिसके लिये मेरे पास उसकी ओर से स्पष्ट रूप में पुष्टि की गई है और मैं उन मंत्रियों के नाम बता दूंगा जिनके लिये उसने कहा है कि उन्होंने उससे पैसा लिया है (**व्यवधान**)

श्री सी० सुब्रह्मण्यम: मुझे पता नहीं है कि श्री शमीम और हाजी मस्तान के बीच क्या सम्बन्ध हैं?

श्री एस० ए० शमीम: क्या मंत्री महोदय कभी पत्रकार रहे हैं। वह पत्रकार नहीं रहे हैं।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम: कल वह आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने सम्बन्धी अधिनियम के बारे में बोल रहे थे और आज ऐसा लगता है कि श्री मस्तान के साथ उनका घनिष्ठ सम्बन्ध है। अतः, मैं नहीं कह सकता कि उन्हें साक्षी के रूप में बुलाया जायेगा या नहीं। यह जांच पर निर्भर होगा।

अध्यक्ष महोदय: आपने बिना मतलब इस प्रश्न पर देर लगाई। श्री शमीम, कृपया बैठ जाइये।

श्री शमीम का कहने का यह तात्पर्य है कि यदि कोई संसद सदस्य ऐसे तस्कर से मिला हो तो उस पर आपत्ति की जा सकती है परन्तु पत्रकार पर आपत्ति नहीं की जा सकती क्योंकि उसके दो व्यक्तित्व होते हैं? जैसे मेरे दो व्यक्तित्व हैं एक अध्यक्ष के रूप में और दूसरा पत्रकार के रूप में। मुझे आशा है कि यदि मैं भी ऐसे लोगों से मिलने जाऊं तो आप आपत्ति नहीं करेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते: आपने पत्रकारों की स्वतन्त्रता की रक्षा की है।

श्री एस० एम० बनर्जी: अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं प्रश्न करूं, मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं आपत्ति नहीं करूंगा, यदि आप पत्रकार के रूप में श्री हाजी मस्तान से मिलें। परन्तु मेरा प्रश्न यह है कि समाचार पत्र से ऐसा प्रतीत होता है कि गत एक महीने में या पुनर्गठन के पश्चात् तस्करों की गिरफ्तारी यदि पूर्णतया बन्द नहीं हुई है तो न्यूनतम कर दी गई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सभी तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है? यदि नहीं, तो क्या सरकार और अधिक तस्करों की गिरफ्तारी करेगी?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम: जो कोई भी कार्यवाही आवश्यक है, वह की जा रही है। वक्रोयक्ति के द्वारा यह सूचित करना गलत है कि मंत्रिमंडल में परिवर्तन के बाद तस्करी की गतिविधियों के विरुद्ध जो कार्यवाही की जा रही है वह किसी भी रूप में धीमी पड़ गई है। दूसरी ओर, यह कार्यवाही अधिक कठोरता से की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय: हाजी मस्तान के इस प्रश्न पर पैंतालीस मिनट लग गये हैं।

Survey of selected places to be developed as Tourist Centres

***351. Shri Mahadeepak Singh Shakya**: Will the Minister of **Tourism & Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether the survey of the selected places to be developed as tourist centres for international tourists has started; and

(b) if so, the progress made so far in this regard ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) और (ख) पर्यटन विभाग इन बातों का निर्धारण करने के लिये समय-समय पर विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षणों (सर्वेज) का आयोजन करता है—(i) पर्यटन केन्द्रों पर प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की मात्रा तथा स्वरूप, (ii) विकास के लिये प्रस्तावित क्षेत्र/ केन्द्र की भौतिक आयोजना (फिजिकल प्लानिंग), (iii) पर्यटकों के लिये किसी स्थान का संभावित आकर्षण।

हाल ही में मनाली में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं तथा जिन स्थानों पर वे प्रदान की जानी हैं उन स्थानों का निर्धारण करने के लिये तथा इस स्थल का प्राकृतिक सौन्दर्य नष्ट न होने पाये इस दृष्टि से इसके सुनियमित विकास को सुनिश्चित करने के लिये एक मास्टर प्लान तैयार किया गया था। पुरातात्विक रुचि (आर्केओलॉजिकल इंटरेस्ट) के कुछ चुने हुये स्थानों के लिये भी इसी तरह के मास्टर प्लान तैयार किये जा रहे हैं। चुने हुये केन्द्रों की इस प्रकार की भौतिक आयोजना (फिजिकल प्लानिंग) का कार्य पांचवीं योजना के प्रत्येक वर्ष में किया जायेगा।

दक्षिणी तथा पश्चिमी प्रदेशों में महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों और दिल्ली में आवास सम्बन्धी आवश्यकताओं के बारे में एक सर्वेक्षण (सर्वे) पूरा हो चुका है। इस सर्वेक्षण का क्षेत्र उत्तरी तथा पूर्वी प्रदेशों तक भी बढ़ा दिया जायेगा।

दिल्ली और आगरा में पर्यटकों के लिये अधिक रुचिकर मनोरंजनों का मूल्यांकन करने के लिये एक सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। दिल्ली, आगरा, जयपुर, वाराणसी और बम्बई में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों की खरीदो-फरोख्त की प्रवृत्ति के बारे में भी एक सर्वेक्षण पूरा हो चुका है? इन दो सर्वेक्षणों के क्षेत्र को संभवतया अन्य महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों तक भी बढ़ा दिया जायेगा।

Shri Maha Deepak Singh Shakya: The hon. Minister has stated that the survey of tourist centres is undertaken from time to time. Has the attention of Hon. Minister been invited to the facts about Khajuraho and Agra, the tourist centres for which the survey was conducted earlier ? If some facts relating to these tourist centres have been brought to his notice, what are he main features thereabout ?

Shri Surendra Pal Singh : As I have stated surveys are conducted and are still being conducted. But so far as Khajuraho is concerned, we have selected ten sites after undertaking survey which are to be developed and those include the temple at Kahjuraho also.

Shri Maha Deepak Singh Shakya: It is stated in the first survey report that one third of the tourists visiting country go to Agra and they are not given proper lodging facilities. And it is mentioned in the earlier survey that water is not available to the tourists at Khajuraho. What steps Government are taking to provide these facilities and by what time these facilities will be provided ?

Shri Surendra Pal Singh: We try to remove the drawbacks at one time or the other which come to our notice through survey. There were no hotel facilities at Khajuraho but now these facilities are being provided there. Therefore, we try to sort out the complaints we receive to remove the drawbacks.

श्री विश्वनाथ राय : क्या उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले में पावानगर जैसे बड़े धार्मिक स्थान को इस समय सर्वेक्षण में शामिल किया जा रहा है?

Shri Surendra Pal Singh: If the hon. Members ask about different places, it will be very difficult for me to tell. I have already said that we have decided to develop 10 sites.

श्री सैयद ग्रहमद ग्रागा : क्या सरकार श्रीनगर को एयर इंडिया के ग्रन्तर्राष्ट्रीय मार्ग पर लाने पर विचार कर रही है ताकि थोड़े समय के लिये यात्रा पर ग्राने वाले व्यक्ति श्रीनगर भी जा सकें? मैं यह प्रश्न इसलिये पूछ रहा हूं कि जो पर्यटक थोड़े समय के लिये देश में ग्राते हैं, उनके पास काश्मीर जाने का समय नहीं होता है। मान लीजिये, यदि हम श्रीनगर को एयर इंडिया से ब्रिटेन के मार्ग पर रखते हैं या मास्को-दिल्ली मार्ग पर रखते हैं तो ऐसा करने से वे श्रीनगर जा सकेंगे।

पर्यटन ग्रौर नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : हमें ऐसे सुझाव मिलते रहे हैं। सच तो यह है कि इंडियन एयरलाइन्स की सेवायें श्रीनगर के लिये पहले से ही हैं ग्रौर जो पर्यटक श्रीनगर जाना चाहते हैं, उन्हें पूरी सुविधा दी जाती है।

हथकरघा/विद्युत चालित करघा उद्योग में संकट

+

*355. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**
श्रीमती पार्वती कृष्णन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हथकरघा उद्योग/विद्युत चालित करघा उद्योग में इस समय व्याप्त संकट, जिसके परिणामस्वरूप ग्रनेकों लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, की ग्रोर दिलाया गया है :

(ख) यदि हां, तो इस संकट के क्या कारण हैं ; ग्रौर

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) तथा (ख) हथकरघों और शक्तिचालित करघों के उत्पादन में कटौती और/अथवा उनके बाद होने के परिणामस्वरूप कुछ कठिनाई आने के संबंध में हथकरघा तथा शक्तिचालित करघा बुनकरों के सामने कठिनाइयां उत्पन्न होने की कुछ रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर: क्या यह सच है कि सरकार ने हथकरघा की समस्याओं की जांच करने के लिये शिवरामन की अध्यक्षता में एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित की है और यदि हां, तो क्या उस समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है? क्या उस प्रतिवेदन में दिये गये सुझाव हथकरघा उद्योग के हित में हैं और क्या आल इंडिया फेडरेशन ऑफ पावरलूम्स एसोसियेशन्स का विचार है कि उन सुझावों का विद्युत चालित करघों के कार्यकरण पर बुरा प्रभाव पड़ेगा?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय: शिवरामन समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है जिस पर एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति द्वारा विचार किया जा रहा है। इस बीच हमें पावरलूम एसोसियेशनों से कुछ अभ्यावेदन मिले हैं जिनमें चिंता और आशंका व्यक्त की गई है कि शिवरामन समिति की कुछ सिफारिशों के क्रियान्वयन का इस उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मैं इस समय यही कह सकता हूं कि सिफारिशों पर किए जाने वाले निर्णयों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इस समय में इतना ही कह सकता हूं कि विद्युत चालित करघा उद्योग के हितों को उचित संरक्षण दिया जायेगा परन्तु हम निवेदन करना चाहते हैं कि हथकरघा उद्योग की कमजोरियों की ओर हमें प्रारम्भिक ध्यान देना है।

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर: क्या प्रतिवेदन के अनुसार उत्पादन-शुल्क के अन्तराल को कम किया जा रहा है? क्या इससे विद्युत चालित करघा में लगे व्यक्तियों और उद्योग को राहत मिल रही है?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय: जहां तक विद्युत करघा उद्योग का संबन्ध है, उत्पादन शुल्क के बारे में सुझाव आया है और इसकी जांच की जा रही है। चूंकि उस पर कोई निर्णय नहीं किया गया है अतः मैं और अधिक कुछ नहीं कह सकता।

Shri Hukam Chand Kachwai: The hon. Minister has admitted in his reply that he has received complaints to this effect that the handloom industry is facing crisis. What measures Government has adopted to sort out those complaints and whether the Governmen propose to provide any financial assistance to handloom industry until they come to any decision? The memorandum given by the powerloom people is under considera-ion. When did Government receive that memorandum, by what time Government will decide that finally and will Government take proper care to see that there is no adverse effect on the handloom industry in the meantime?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय: मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि हथकरघा उद्योग की समस्याओं की ओर हमारा प्राथमिक ध्यान है और सहानुभूतिपूर्वक ध्यान दिया जायेगा। धागे की सप्लाई से संबन्धित सभी समस्याओं की जांच की जा रही है, शिवरामन समिति के प्रतिवेदन में इनका उल्लेख किया गया है। धागे का मूल्य कम हो गया है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उद्योग को धागा सप्लाई किया जाता रहे।

श्री भगवत झा आजाद : हथकरघा और विद्युतकरघा को धागे की कम सप्लाई, विशेषकर भागलपुर जैसे शहर में कम सप्लाई के प्रश्न हम गत सत्र से उठाते रहे हैं। मंत्री महोदय ने सभा में उत्तर दिया था कि हम मामले की जांच करेंगे। उच्च शक्ति-प्राप्त समिति द्वारा शिवरामन समिति की सिफारिशों पर कब तक विचार कर लिया जायेगा और उनको क्रियान्विति कब तक होगी ताकि उन्हें वह धागा मिल सके जिसका बम्बई तथा अन्य बड़े शहरों के मिल मालिक गबन कर रहे हैं?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : धागे की स्थिति में गत तीन चार महीनों में काफी सुधार हुआ है। अब धागे की कम सप्लाई की समस्या नहीं है परन्तु धागे के जमा स्टाक की समस्या है और उसके मूल्यों में भारी कमी किये जाने के बावजूद स्टाक उठाया नहीं जा रहा है। जहां तक सिफारिशों पर निर्णय को अन्तिम रूप देने का संबन्ध है, इसमें हमें लगभग 2 महीनें लग जायेंगे क्योंकि अब वह अन्तिम अवस्था में है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : श्री भागवत झा आजाद ने अभी हथकरघा बुनकरों को धागे की सप्लाई का प्रश्न उठाया था। जहां तक प्रतिवेदन का संबन्ध है, हथकरघा का कपड़ा इस सीमा तक जमा किया जा रहा है कि हथकरघा बुनकरों के लिये अपना व्यावसायिक कार्य करते रहना कठिन हो गया है क्या यह बात मंत्री महोदय की जानकारी में है या नहीं और यदि हां, तो इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : धागे के अत्याधिक मूल्य के कारण हथकरघा उत्पादों विशेषकर कपड़े के मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि हो गई। अतः बाजार की स्थिति में अस्थायी विकार आ गया था। नवीनतम जानकारी यह है कि अब स्थिति सुधर रही है।

श्री धामनकर : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हथकरघों तथा विद्युतकरघों द्वारा निर्मित कपड़े का भारी स्टाक बिना बेचा हुआ पड़ा है और क्या पावरलूम एसोसियेशनों तथा हैंडलूम एसोशियेशनों ने सरकार से अभ्यावेदन किया है कि स्टेंडर्ड कपड़ा इन दो क्षेत्रों में ही बनाया जाना चाहिये? यदि हां, तो क्या सरकार ने इस पर अनुमति दे दी है?

प्रो० डी० पी० : चट्टोपाध्याय : मैं श्री भट्टाचार्य के प्रश्न के उत्तर में प्रश्न के पहले भाग का पहले ही उत्तर दे चुका हूं। हमें इस स्थिति की जानकारी है कि विद्युतकरघा तथा हथकरघा उत्पादों का स्टॉक जमा हो गया था परन्तु अब स्थिति सुधर रही है।

श्री राम सहाय पाण्डे : क्या सरकार ने हथकरघा तथा विद्युतकरघा बुनकरों की आवश्यकताओं का पता लगा लिया है और यदि हां, तो उन्हें कितनी मात्रा की आवश्यकता है?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : सही सही मात्रा के बारे में नहीं बताया जा सकता परन्तु हमें उनकी आवश्यकताओं का पता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

पोलिथीन फाईबर के लिये आयात लाइसेंस देना

*352. **श्री मधु लिमये:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पोलिथीन फाइबर का आयात करने के लिये जून, 1970 से कोई आयात लाइसेंस दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो लाइसेंस प्राप्त करने वाली फर्में कौन-कौन सी हैं और यह लाइसेंस कब दिये गये थे तथा इस अवधि में इनमें से प्रात्येक फर्म को कितने मूल्य के लाइसेंस दिये गये थे ;

(ग) क्या इन लाइसेंसों पर कोई निर्यात संबन्धी शर्त अथवा कोई अन्य शर्त लगाई गयी थीं ;

(घ) क्या सरकार को यह भी पता है कि आयात लाइसेंसों की शर्तों का उल्लंघन करते हुए भारत में इन आयातित वस्तुओं को, जो शुल्क से मुक्त थीं, बेचा गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो भाग (ग) और (घ) का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) जी हां।

(ख) 1967-68 लाइसेंसिंग अवधि से पोलिस्टर रेशे का आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत कर दिया गया था और इसलिए अन्य कोई लाइसेंसधारी नहीं है। किन्तु मार्गीकृत मदों के संबन्ध में अन्य पार्टियों के पक्ष में प्राधिकार पत्र जारी किये जा सकते हैं।

(ग) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

लघु एककों को उपलब्ध आयात लाइसेंसों की सुविधाओं का वापस लिया जाना

*353. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया:**
श्री पी० गंगादेव:

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष की प्रथम छमाही में लघु एककों को उपलब्ध आयात लाइसेंस की सुविधा को वापस ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने उपभोग के आधार पर लाइसेंस देने की पद्धति पुनः अपनाने का निर्णय किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) से (घ) सरकार ने लघु एककों के लिये आयात लाइसेंस की सुविधा समाप्त नहीं की है। अप्रैल 1974 माच 1975 की आयात व्यापार नियंत्रण नीति में लघु एककों को अप्रैल 1973 मार्च 1974 की अवधि के लिये उन्हें दिये गये आयात लाइसेंसों/

रिलीज आर्डरों के मूल्य के 50 प्रतिशत के लिये 'रिपीट आपरेशन' की सुविधा प्रदान की गई है जिससे कि वे 1974-75 की पहली छमाही की अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। उक्त नीति में की गई व्यवस्था के अनुसार दूसरी छमाही के लिये लघु एकक गत वर्ष की वास्तविक खपत के आधार पर कच्चे माल के आयात हेतु लाइसेंसों के लिये आवेदन कर सकते हैं। प्राथमिकता वाले उद्योगों के अलावा अन्य उद्योगों में लगे हुए तथा उस वर्ष के लिये 10,000 रु० से अधिक के आयातित निविष्ट साधनों की जरूरत न रखने वाले एककों के लिये खपत का विवरण प्रस्तुत करना जरूरी नहीं है। अप्रैल 1974 मार्च 1975 की दूसरी छमाही की हकदारी पहली छमाही में 'रिपीट आपरेशन' के अन्तर्गत उपयोग में लाई गई राशि के यथोचित समायोजन करने के बाद तय की जायेगी।

तस्करों द्वारा घायल किये गये सीमा-शुल्क अधिकारी को सहायता

***354. श्री मौलाना इसहाक सम्भली:**

श्री मनोरंजन हाजरा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तस्करों ने जून, 1974 में वापी के निकट एक सीमाशुल्क अधिकारी को गम्भीर रूप से घायल कर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले के तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या उस अधिकारी के इलाज के लिए, जिस पर काफी धनराशि खर्च होगी, कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ङ) उसको उपयुक्त सहायता देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां।

(ख) 25 जून, 1974 को वापी के पास सरन गांव में तस्करों के एक गिरोह के साथ हुई मुठभेड़ में श्री आर० एम० सेठ तस्करों के हमले का शिकार बने। सीमाशुल्क अधिकारियों का यह दल, जिसने एक लाख रुपये से अधिक मूल्य का अवैध माल पकड़ा, अवैध माल से लदे वाहन के वापी को चले जाने के बाद अलग-अलग बट गया और इस दल के पांच सदस्य पीछे रह गये जिसमें श्री सेठ भी शामिल थे। तस्करों के गिरोह के 100 से भी अधिक व्यक्तियों की एक भीड़ ने इस दल पर, जिसकी संख्या बहुत ही कम थी, हमला कर दिया। इस हमले में दो अधिकारियों, अर्थात् सर्वश्री आई० आर० पारेख और आर० एम० सेठ, निरीक्षकों को चोट आई। चोट लगने से श्री पारेख की 2 जुलाई, 1974 को मृत्यु हो गई परन्तु श्री सेठ का अस्पताल में उपचार किये जाने के बाद 21-8-1974 को अन्ततः छुट्टी देदी गई।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। श्री सेठ के चिकित्सा व्यय की पूर्ति के लिए उन्हें 5,000 रु० की अनुग्रहपूर्ण अदायगी का भुगतान कर दिया गया है, जिसे चिकित्सा-व्यय-प्रतिपूर्ति के प्रति समायोजित किया जाना है।

रसायनों के आयात के लिये लाइसेंसधारी

*356. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में रसायनों के लिये कितनी कम्पनियों अथवा व्यक्तिगत पार्टियों को आयात लाइसेंस-धारी के रूप में सूची में दर्ज किया गया है ;

(ख) क्या लाइसेंस के अनुचित उपयोग के संबन्ध में चालू वर्ष में कुछ पार्टियों के विरुद्ध आरोप लगाये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन पार्टियों का विवरण क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) आयात लाइसेंसों संबन्धी आंकड़े वीकली बुलेटिन आफ इम्पोर्ट लाइसेंसज, एक्सपोर्ट लाइसेंसेज एण्ड इन्डस्ट्रियल लाइसेंसेज में प्रकाशित किये जाते हैं जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) जी हां।

(ग) ब्यौरे एकत्र किये जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिये जाएंगे।

नई दिल्ली में पर्यटकों के लिए होटल

*357. **श्री मोहम्मद शरीफ**: क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई दिल्ली में इस समय पर्यटकों के लिए कुल कितने होटल हैं ;

(ख) राजधानी में 1972-73 और 1973-74 के दौरान कितने होटल खोले गये ; और

(ग) क्या उक्त होटल पर्याप्त लाभ कमा रहें हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) इस समय दिल्ली में पर्यटन विभाग द्वारा अनुमोदित 24 होटल हैं।

(ख) 1972-73 और 1973-74 के दौरान तीन नये होटल खोले गये थे।

(ग) दिल्ली में अनुमोदित होटलों में से 6 सरकारी क्षेत्रीय उद्यम, भारत पर्यटन विकास निगम के हैं। इनमें से तीन होटलों ने लाभ दिखाया है तथा तीन ने हानि उठाई है। शेष होटल निजी क्षेत्र के हैं जिनके विषय में सूचना उपलब्ध नहीं है।

Arrears of Taxes against Top 75 Companies/Individuals

*358. **Shri R. V. Bade:**
Shri Atal Bihari Vajpayee:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the names of the 75 Government/private undertakings or companies/individuals State-wise against whom the amount of tax arrears is the highest;

(b) the efforts made in each case to realize the tax arrears during the last three years and the results thereof; and

(c) the date since when tax arrears started accumulating in each case ?

The Minister of Finance (Shri C. Subramaniam): (a) and (c) The names of the 75 assessees against whom the amount of income-tax arrears was the highest as on 30th June, 1974 and the date from which these income-tax arrears started accumulating in each case, are given in the Annexure. **[Placed in Library. See No. L.T. 8685/74]**

(b) In several of these 75 cases, the arrears are less than 3 years old. In each case, all appropriate measures, as provided in the Income-tax Act, 1961, have been/are being taken to liquidate the arrears.

कपड़ा उद्योग में मंदी

*259. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :**

श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कपड़ा उद्योग को इस समय मंदी का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी नहीं। परन्तु कपड़े तथा सूत के कुछ स्टाक इकट्ठे हो गए हैं।

(ख) अधिकांश किस्मों के कपड़े की एक्स-मिल कीमतों में औसतन लगभग 20 प्रतिशत की कमी आई है। वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति अन्य कोई अपेक्षित उपायों का अध्ययन करने के लिए नियुक्त की गई है और समिति के प्रतिवेदन के आधार पर उपयुक्त कार्यवाही के लिए विचार किया जाएगा।

रुपये के मूल्य में गिरावट

*360. **श्री रानेन सेन :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व की प्रमुख मुद्राओं की तुलना में भारतीय रुपये के मूल्य में 19% गिरावट आई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और हमारी अर्थव्यवस्था पर इस प्रवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) जहां पर मुद्रा की विनिमय दरें अनिर्धारित हों वहां पर मुद्रा का औसतन बाह्य मूल्य ठीक-ठीक निर्धारित करना संभव नहीं है। भारत का अधिकतर बाह्य व्यापार निर्धारित विनिमय दरों पर किया जाता है। बाकी के बारे में, विनिमय दरों में होने वाली मार्जिनल घटबढ़ से अर्थ व्यवस्था पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है।

मोगा में एक भूतपूर्व विधान सभा सदस्य के मकान पर छापे के दौरान स्वर्ण बरामद होना

*361. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक भूतपूर्व विधान सभा सदस्य के मकान पर पुलिस छापे के दौरान मोगा जिला (पंजाब) में भारी मात्रा में सोना बरामद हुआ था ;

(ख) क्या सम्बद्ध उप पुलिस अधीक्षक ने साक्ष्य को नष्ट कर दिया था ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(घ) उक्त उप पुलिस अधीक्षक तथा भूतपूर्व विधान सभा सदस्य के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम). (क) फरीदकोट जिले में मोगा के एक मकान से लगभग 24 किलोग्राम वजन के सोने के जेवरात बरामद हुए थे । वह मकान श्री मुनीलाल और श्री मथुरादास के दखल में था। इनमें से कोई भी व्यक्ति एम० एल० ए० नहीं है और न ही पहले कभी था। मामले की जाँच-पड़ताल चल रही है । इस मामले में यदि कोई अन्य व्यक्ति ग्रस्त होंगे, तो उनके नाम और विवरण, जांच-पड़ताल पूरी होने के बाद ही मालूम होंगे ।

(ख) से (घ) मोगा के पुलिस उप-अधीक्षक को मुअत्तिल कर दिया गया है । लेकिन उनकी मुअत्तली का माल पकड़े जाने के इस मामले से कोई संबन्ध नहीं है ।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा देश के बाहर धन भेजा जाना

*362. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1970 के लिए पंजीकृत ट्रेड मार्कों के रूप में मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड ने 6,23,000 रु० की धनराशि विदेश भेजी थी ;

(ख) क्या वर्ष 1970 के बाद इसी शीर्ष के अन्तर्गत अन्य कोई धनराशि विदेश भेजी गई है ;

(ग) क्या ट्रेड मार्कों के लाभांश के रूप में वर्ष 1970 में 87,000 रु० की धनराशि विदेश भेजी गई थी और क्या इसी शीर्ष के अन्तर्गत बाद में अन्य कोई धनराशि भी भेजी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो टुथपेस्टों, साबुनों और डिटर्जेन्टों जैसी वस्तुओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय ब्रान्ड के नामों की अनुमति देने के क्या कारण हैं, जिसके परिणामस्वरूप विदेशों में धन भेजना पड़ता है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड ने ट्रेड मार्कों के इस्तेमाल के मुआवजे या फीस के रूप में 6.23 लाख रुपये की धनराशि विदेश नहीं भेजी। कम्पनी ने भारतीय रिजर्व बैंक को यह भी बताया है कि उसने ट्रेड मार्कों के प्रयोग के लिए अपने विदेशी भागीदारों के नाम कोई नये शेयर जारी नहीं किये ।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(घ) उन मामलों पर विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973 की धारा 28(1) (ग) के अधीन विचार किया जायेगा जिनमें किसी विदेशी कम्पनी ने अथवा किसी ऐसी भारतीय कम्पनी ने जिसमें 40 प्रतिशत से अधिक शेयर गैर-निवासियों के हों, किसी व्यक्ति अथवा कम्पनी को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ के लिए अपने ट्रेड मार्कों का इस्तेमाल करने का अधिकार दिया हो ।

मितव्ययता अभियान

*363. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रशासनात्मक व्यय कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाये गये मितव्ययता अभियान की मुख्य बातें क्या हैं ?

(ख) क्या विभिन्न विकास कार्यों के लिए नियत राशियों में भी कोई कटौती की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो दोनों शीर्षों के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में कितनी धनराशि बचाये जाने की आशा है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) मितव्ययता के जो उपाय पहले से लागू हैं, उनके अलावा सरकार के प्रशासनिक व्यय में कमी करने के लिए इस वर्ष निम्नलिखित और कदम उठाये गये हैं।

(1) विभिन्न मंत्रालय विभागों में 'चालू कार्यों' और कर्मचारियों संबन्धी वास्तविक आवश्यकताओं की बारीकी से समीक्षा, ताकि गैर-जरूरी कामों को समाप्त करने और फालतू कर्मचारियों का पता लगाने की सुनिश्चित व्यवस्था की जा सके। इस समीक्षा के पूरा होने तक अतिरिक्त कर्मचारियों संबन्धी प्रस्तावों पर विचार करना स्थगित कर दिया जाएगा और स्थानीय अथवा तदर्थ भर्ती करने की शक्तियां निलम्बित कर दी जायेंगी, चाहे इससे कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के संबन्ध में निर्धारित ढांचे में कुछ फेर-बदल हो जाय।

(2) कार्यालय-व्यय, यात्रा भत्ते और फुटकर व्यय के लिए की गयी व्यवस्था में 10 प्रतिशत की कटौती।

(3) गैर-औद्योगिक कर्मचारियों को दिये जाने वाले समयोपरि भत्ते के खर्च में 10 प्रतिशत की कटौती।

(4) दिहाड़ी पर रखे जाने वाले अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति पर पूर्ण प्रतिबन्ध।

(5) सिविल विमानन विभाग, डाक तार विभाग, भारतीय मौसम-विज्ञान विभाग में कार्य-चालन संबन्धी कुछ पदों को छोड़ कर और उन कार्यचालन संबन्धी तथा तकनीकी कर्मचारियों को छोड़कर जिनका संबन्ध सीधे नयी आयोजनागत परियोजनाओं के क्रियान्वयन और सुरक्षा और सतर्कता के क्षेत्रों से है, नये पदों के निर्माण पर पूर्ण प्रतिबन्ध।

(6) गैर-तकनीकी और कार्यचालन संबन्धी पदों से भिन्न पदों के रिक्त स्थानों को भरने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लेकिन तबादले, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति अथवा फालतू कर्मचारियों के समायोजन द्वारा ये रिक्त पद भरे जा सकते हैं।

(7) कर्मचारी निरीक्षण एकक की अभी तक क्रियान्वित न की गयी उन सभी रिपोर्टों की तीन महीने की अवधि के अन्दर क्रियान्वित करना, जिनमें फालतू पदों को समाप्त करने या उनका समायोजन करने की सिफारिश की गयी हो।

(8) विदेशों में जाने वाले प्रतिनिधिमंडलों और भारत सरकार के अधिकारियों द्वारा विदेशों में किये जाने वाले दौरों की संख्या और आकार को न्यूनतम करना।

(9) पूरी हो चुकी विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं के वेतन पाने वाले फालतु कर्मचारियों की छंटनी।

(10) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में कर्मचारियों संबन्धी आवश्यकताओं पर पुनर्विचार और भर्ती करने के संबन्ध में अधीनस्थ कर्मचारियों की शक्तियों में कमी करना।

(11) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में, जहां उत्पादन शुरू हो गया हो, नकद-हानि होने पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता को धीरे धीरे समाप्त करना और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विशिष्ठ कार्यों से होने वाली हानि को अन्य उपक्रमों में होने वाले लाभ से पूरा करने की प्रथा से बचना।

(12) निर्माण कार्यक्रमों में, जहां तक संभव हो अर्थ-स्थायी और अस्थायी विशिष्टियों को अपनाना।

(13) प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में टेलीफोनों की संख्या में 20 प्रतिशत कमी करना।

(14) मोटरकारों की खरीद के लिए अधिकारियों को अग्रिम दिया जाना बन्द करना।

(15) कागज के इस्तेमाल में अधिकतम किफायत।

इसके अलावा, संभाव्य बचत का पता लगाने के लिए आयोजना-भिन्न व्यय की विशिष्ट मदों की समीक्षा की गयी है और बचतों का पता लगाने के लिए आगे कार्यवाई की जा रही है।

(ख) आयोजना के अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्रों से भिन्न कतिपय क्षेत्रों में लगभग 142 करोड़ रुपये की बचत करना निर्धारित किया गया है। यह इस प्रकार किया गया है कि इसका असर केवल उन्हीं योजनाओं पर पड़े जो मौजूदा सन्दर्भ में बहुत अधिक प्राथमिकता-प्राप्त न हों। इसके विपरीत, केन्द्रीय आयोजना के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे उर्वरक, कोयला, इस्पात, पेट्रोलियम, पत्तन आदि की कुछ आवश्यक योजनाओं के लिए 162 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था करना आवश्यक समझा गया है। इसका अर्थ यह है कि यद्यपि आयोजनागत व्यय का पुनर्वितरण करके अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए अधिक रकम रखी गयी है, लेकिन निवल बचत करना संभव नहीं हुआ है।

(ग) बचत का जायजा लेना, एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। मौजूदा जायजे के अनुसार, यह अनुमान है कि किफायत के उपायों के फलस्वरूप चालू वित्तीय वर्ष में आयोजना-भिन्न व्यय में लगभग 71 करोड़ रुपये की बचत होगी। आयोजनागत व्यय में 142 करोड़ रुपये की बचत का अनुमान है लेकिन इसकी तुलना में 162 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की जायगी।

Commodities Exported by M/s. J. B. Mangharam & Co.

*364. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the names of the countries to which M/s. J. B. Mangharam and Company Gwalior (M.P.) exported their products, like buscuits during the last three years together with the quantity of the products exported;

(b) the amount of foreign exchange earned by it;

(c) whether Government have given to this Company any sort of import licence in lieu of the items exported by it; and

(d) if so, the main features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh): (a) and (b) Export statistics are maintained product-wise and not firmwise.

(c) and (d) Import Licence upto 10% of the f.o.b. value of export of buscuits are given under the Import Replenishment Scheme for import of items specified in the Scheme which are required for the manufacture of buscuits. M/s. J. B. Mangharam & Co. were also entitled to import licences under this scheme.

विकसित, विकासशील तथा रुपये में भुगतान वाले देशों को निर्यात तथा उनसे आयात

*365 **श्री भोगेन्द्र झा:** क्या **वाणिज्य** मंत्री रुपये में भुगतान वाले देशों से आयात के संबन्ध में 30 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4015 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विकसित, विकासशील तथा रुपये में भुगतान वाले देशों को वर्ष 1973-74 में निर्यात तथा उनसे आयात के नवीनतम आंकड़े क्या हैं और चालू वर्ष 1974-75 के लिये अनुमान क्या है ;

(ख) क्या विकसित देशों से आयात का उन देशों को किये जाने वाले निर्यात से संतुलन सुनिश्चित कराने तथा उन्हें भारतीय मुद्रा स्वीकार करने अथवा समान मूल्य की वस्तुयें लेने के लिये सहमत कराने का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो इस संबन्ध में, विशेषकर अमरीका, ब्रिटेन, जर्मन जनवादी गणतन्त्र, जापान तथा फ्रांस से किये जाने वाले आयात तथा उन्हें किये जाने वाले निर्यात संबन्धी मुख्य बातें क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) 1973-74 के दौरान विकसित देशों, रुपया भुगतान वाले देशों और विकासशील देशों से हुए आयातों और उन्हें किए गए निर्यातों को दर्शाने वाला एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है । पूर्ण वर्ष 1974-75 के लिए विदेश व्यापार आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) सरकार की यह नीति है कि सभी व्यापारिक साझीदार देशों के साथ चाहे वे रुपया भुगतान क्षेत्र में हो अथवा चाहे परिवर्तनीय मुद्रा क्षेत्र में हों, व्यापार का विविधीकरण किया जाए और उसे अधिक से अधिक बढ़ाया जाए। परिणामस्वरूप सभी क्षेत्रों को निर्यातों को प्रोत्साहित किया जाता है । अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए माल का आयात उन्हीं स्रोतों से किया जाता है जहां वह अति प्रतियोगी कीमतों पर उपलब्ध है । व्यापार को किसी विशेष अर्थ व्यवस्था क्षेत्र अथवा किसी विशेष मुद्रा क्षेत्र तक सीमित करने की कोई व्यवस्था नहीं है ।

विवरण

महानिदेशक, वाणिज्यिक जानकारी तथा अंकसंकलन, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित मन्थली स्टेटिटिक्स आफ फारेन ट्रेड आफ इंडिया के आधार पर 1973-74 के दौरान निर्यात और आयात निम्नलिखित है :—

	(मिलियन रु० में)
विकसित देश	आयात—16376.6
	निर्यात—14387.2
रुपया भुगतान वाले देश	आयात—3849.3
	निर्यात—4545.1
विकासशील देश	आयात—8793.2
	निर्यात—5899.9

Slip System in Air India

*366. **Shri M. C. Daga:**
Shri P. Venkatasubbaiah:

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) the period for which lock-out continued in Air India due to non-acceptance of slip system; and

(b) the total annual gain Air India is likely to have by introducing the slip system ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur): (a) The lock-out declared from 8.00 A.M. on 3rd August 1974 in respect of line pilots excepting those who had agreed to operate flights on the basis of the slip pattern of crew scheduling, was lifted in stages in respect of individual pilots who signed the undertaking prescribed by the management of Air-India. All the 184 Line Pilots returned to duty by 1st November 1974 after signing individual undertakings accepting that the determination of the pattern of operation and the pattern of crew scheduling were management functions. The lock out was lifted by the management of Air-India on that day.

(b) Besides conforming to a pattern of operations which has been or is being currently adopted, in the interests of efficiency and economy of operations, by almost all the leading international airlines of the world, the system is presently expected to yield an annual saving of approximately Rs. 75 lakhs.

'फाईव स्टार' होटल

*367. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में इस समय कितने 'फाइव-स्टार' होटल हैं ;

(ख) इन होटलों को वर्ष 1973-74 के दौरान कितना लाभ हुआ ; और

(ग) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र में उक्त प्रकार के और होटलों का निर्माण करने का निर्णय किया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) इस समय सरकारी क्षेत्र में तीन ऐसे होटल हैं जो 5-स्टार डीलक्स अथवा 5-स्टार श्रेणी की सेवाएं एवं सुविधाएं प्रदान करते हैं ।

(ख) 1973-74 के दौरान इन होटलों ने 56.84 लाख रुपये का लाभ अर्जित किया है ।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में परियोजनाओं को वित्तीय सहायता

*368 **श्री राजदेव सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने पिछड़े क्षेत्रों में परियोजनाओं को सीधी सहायता के रूप में कोई धनराशि दी और यदि हां, तो क्या यह सहायता 1973-74 में दी गई कुल सहायता का 46.9 प्रतिशत थी ;

(ख) राज्य-वार और पिछड़े-क्षेत्रवार सहायता की राशि का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बक द्वारा केवल आर्थिक रूप से पिछडे क्षेत्रों को ही सहायता दी जाती है अथवा औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों को भी ;

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) योजना आयोग द्वारा औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े माने गये जिलों/क्षेत्रों में अवस्थित उद्योगों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, रियायती दरों पर सहायता प्रदान करता है । लेखा वर्ष 1973-74 (जुलाई-जून) में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने प्रत्यक्ष ऋण और हामीदारी के रूप में कुल 30.56 करोड़ रुपयों की सहायता मंजूर की थी जिसमें से 30.16 करोड़ रुपये (99 प्रतिशत) ऐसे एककों को रियायती शर्तों पर मंजूर किये गये थे जो इस प्रकार निर्धारित क्षेत्रों में अवस्थित थे। 30.56 करोड़ रुपये की यह समग्र सहायता, उक्त अवधि में दी गई कुल 65.30 करोड़ रुपये की प्रत्यक्ष सहायता का लगभग 46.9 प्रतिशत थी। 30.56 करोड़ रूपये की सहायता का राज्यवार/जिलेवार विवरण अनुबन्ध में दिया गया है । जिन क्षेत्रों का वर्गीकरण औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र के रूप में नहीं किया गया है उनमें स्थित उद्योगों सामान्य शर्तों पर धन प्राप्त कर सकते हैं ।

विवरण

अनुबन्ध

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई०डी०बी०आई०)

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े निर्दिष्ट जिलों में स्थित एककों को वर्ष 1973-74 (जुलाई-जून) वर्ष में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा मंजूर की गई प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता का विवरण ।

(करोड़ रुपयों में)

राज्य/जिला	स्वीकृत की गई सहायता	
	रियायती शर्तों पर	सामान्य शर्तों पर
1	2	3
1. असम		
(क) गोलपाड़ा	5.60	—
2. हरियाणा		
(क) हिसार	0.75	—
3. मध्य प्रदेश		
(क) रायपुर	0.60	—
4. महाराष्ट्र		
(क) औरंगाबाद	0.65	—
(ख) चन्द्रपुर	5.25	—

1	2	3
5. मेघालय		
(क) खासी पहाड़ियां	0.04	—
6. कर्नाटक		
(क) मैसूर	4.50	—
7. राजस्थान		
(क) टोंक	0.56	—
(ख) उदयपुर	3.25	—
8. तमिलनाडु		
(क) उत्तरी अर्काट	0.91	—
(ख) दक्षिणी अर्काट	0.08	—
(ग) रामनाथपुरम	6.42	—
(घ) तिरुचिरापल्ली	—	0.15
9. उत्तर प्रदेश		
(क) मुरादाबाद	—	0.06
10. पश्चिम बंगाल		
(क) बर्दवान	0.80	0.19
(ख) हुगली	0.36	—
(ग) गुरुलिया	0.39	—
जोड़	30.16	0.40

वित्तीय सहायता में प्रत्यक्ष ऋण (निर्यात के लिए ऋण छोड़कर) और शेयरों और ऋणपत्रों की हामीदारी शामिल है ।

Loans from Foreign Countries

*369. **Shri Jagannathrao Joshi:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) country-wise amount of loan and interest to be repaid by India as on the 30th November, 1974 in foreign exchange and in rupees;

(b) country-wise amount of annual repayment made in this context in foreign exchange and in rupees during the last three years;

(c) the manner in which arrangements for the requisite amount of foreign exchange were made indicating the time when such arrangements were made; and

(d) country-wise increase or decrease in the amount of loan to be repaid by India during the last three years separately ?

The Minister of Finance (Shri C. Subramaniam): (a) Information regarding country-wise amount of loan to be repaid by India as on 30-9-74, and the estimated amount of interest payable on the loan outstanding on 30-9-74, in foreign exchange and in rupees, is furnished in Statement I. [Placed in Library. See No. L. T. 8686/74]

The above information as on 30-11-74 will be laid on the Table of the House, as soon as complete data about drawals during October and November 1974 are available.

(b) Information regarding country-wise amount of annual repayments made in context in foreign exchange and in rupees during the three years 1971-72, 1972-73 and 1973-74 is furnished in Statement II. [Placed in Library. See No. L. T. 8686/74]

(c) Repayments of principal and payment of interest are being made on the dates on which they fall due. Requisite amount of foreign exchange is found from our earnings of foreign exchange through exports of goods and services.

(d) Statement III furnishing the required information is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. L. T. 8686/74]

कच्चे पटसन के मूल्यों में गिरावट

*370. **श्री इन्द्रजीत गुप्त**

श्री गजाधर माझी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे पटसन के मूल्यों में गिरावट आई है और यदि हां, तो सितम्बर तथा अक्तूबर, 1974 के दौरान गिरावट किस सीमा तक आई;

(ख) क्या इस अवधि के दौरान भारतीय पटसन निगम ने अपर्याप्त धन का बहाना लेकर अपनी खरीद को कम कर दिया था;

(ग) क्या इस अवधि के दौरान पटसन मिल-मालिकों ने भी बैंक ऋणों पर रोक के बहाने से अपनी खरीद को कम कर दिया था; और

(घ) सरकार ने कच्चे पटसन के उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए उचित समय पर कार्यवाही क्यों नहीं की ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी०पी० चट्टोपाध्याय) : (क) कच्चे पटसन की कीमतें सितम्बर के तीसरे सप्ताह तक निरन्तर बढ़ी और सितम्बर के अन्त से मुख्यत: आवक बढ़ जाने के कारण 10-15 प्रतिशत की कमी आई।

(ख) तथा (ग) ऋण संकुचन का प्रचार भारतीय पटसन निगम और उद्योग दोनों की खरीद दारियों के परिमाण पर पड़ा है।

(घ) कच्चे पटसन की कीमतें सामान्यत: सरकार द्वारा निर्धारित कानूनी न्यूनतम कीमतों से ऊपर रही हैं और भारतीय पटसन निगम ने उन क्षेत्रों में अपने कार्यों को गहन कर दिया है जहां कीमतें अपेक्षतया कम थीं।

भारत तथा दक्षिण कोरिया के बीच व्यापार करार

*371. **श्री बनमाली बाबू**

श्री वीरभद्र सिंह

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारिता तथा सहयोग के क्षेत्रों का निश्चय करके व्यापारिक संबंधों का विस्तार करने के उद्देश्य से भारत तथा दक्षिण कोरिया के बीच कोई करार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) करार की प्रतियां संसद पुस्तकालय में प्रस्तुत कर दी गई हैं। करार की मुख्य बातें दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

भारत सरकार और कोरिया गणराज्य सरकार के बीच व्यापार संवर्धन तथा आर्थिक व तकनीकी सहयोग संबंधी एक करार 12 अगस्त, 1974 को किया गया। करार के अंतर्गत निम्नलिखित की व्यवस्था है ;

(क) दोनों देशों के बीच व्यापार का अधिकाधिक बढ़ाया जाना ;

(ख) एक दूसरे के वाणिज्य को परम मित्र राष्ट्र व्यवहार प्रदान करना ;

(ग) परस्पर स्वीकृति योजनाओं के विकास को प्रोत्साहित करना ;

(घ) प्रत्येक देश के आर्थिक विकास और जीवन-स्तर ऊंचा उठाने के लिए तकनीकी सहयोग बढ़ाना ;

(ङ) वस्तुओं के लिए नौवहन व्यवस्थाएं ;

(च) अमरीकी डालर अथवा पोंड स्टर्लिंग अथवा किसी अन्य परिवर्तनीय मुद्रा में भुगतान और

(छ) एक दूसरे के साथ समय समय पर परामर्श।

अधिकारियों के प्रतिनियुक्ति भत्ते पर होने वाला व्यय

3385. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1974 को विभिन्न मंत्रालयों तथा अधीनस्थ कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर कुल कितने अधिकारी कार्य कर रहे थे;

(ख) इन अधिकारियों को उन के प्रतिनियुक्ति भत्ते के भुगतान पर प्रति वर्ष कितनी राशि व्यय की जाती है; और

(ग) इस व्यय को कम करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और सभी मंत्रालयों से एकत्रित की जा रही है। जैसे ही वह प्राप्त होगी उसे सभापटल पर रख दिया जाएगा। किन्तु तत्काल उपलब्ध सूचना के अनुसार, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और उनके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर काम करने वाले 14,375 कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति भत्ता देने के कारण 1972-73 के दौरान लगभग 42.९८ लाख रुपए खर्च हुए।

(ग) प्रतिनियुक्ति भत्ते की योजना की सतत रूप समीक्षा की जाती रही है। 1970 से लेकर इसकी दो बार समीक्षा की जा चुकी है और प्रतिनियुक्ति भत्त की दर और अधिकतम मात्रा में क्रमिक रूप से कमी की गई है। यह भी फैसला किया गया है कि उधारकर्ता प्राधिकारियों को जहां तक हो सकता हो अपने स्वयं के संवर्ग बनाने चाहिए और इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रतिनियुक्ति की जिस अधिकतम अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति भत्ता स्वीकार्य होगा उसे चार वर्ष रखा गया है।

विदेशी कम्पनियों द्वारा स्वदेश भेजे गये लाभ की राशि

3386. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी प्रथम दस विदेशी कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनके द्वारा पिछले तीन वर्षों में लाभ की अधिकतम राशि स्वदेश भेजी गई है ;

(ख) इन वर्षों में इन कम्पनियों द्वारा किये गये कार्य का ब्योरा क्या है ; और

(ग) सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है कि ये लाभ भारत में ही उपयोग में लाये जाये ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) उन पहली दस कम्पनियों के नाम जिन्होंने 1972-73 के वित्तीय वर्ष में अधिकतम रकमें बाहर भेजी हैं, नीचे दिए गये हैं :—

1. इंडियन टोबोको कं० लि०
2. इंडियन ऐक्सप्लोसिब्ज लि०
3. हिन्दुस्तान लीवर लि०
4. यूनियन कार्बाइड (इं०) लि०
5. ऐस्सो स्टैण्डर्ड रिफाइनिंग कं० (इं०) लि०
6. बर्माशैल रिफाइनरीज लि०
7. गैस्ट कीन विलियम्स
8. फायर स्टोन टायर ऐण्ड रबर कं० आफ (इं०) प्रा० लि०
9. ब्रुक बाण्ड इंडिया लि०
10. फाइजर लि०

(ख) इन कम्पनियों द्वारा 1972-73 को समाप्त होने वाले 5 वर्षों के दौरान, बाहर भेजी गयी रकमों का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8687/74]

(ग) सरकार की ऐसी कोई नीति नहीं है कि विदेशी कम्पनियों को इस बात के लिए मजबूर किया जाए कि वे उस अवस्था को छोड़ कर जब उनकी पूंजी अपेक्षाकृत राशि से कम हो, अपने मुनाफे की रकम को दुबारा भारत में ही लगायें। किन्तु कम्पनी (लाभांशों पर अस्थायी रोक) अधिनियम, 1974 को ध्यान में रखते हुए, इन कंपनियों द्वारा करों की रकम काटने के बाद कमाये गये निवल लाभों का एक भाग भारत में व्यापार में फिर से लगाया जायगा। इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा जारी किये गये विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29 के अंतर्गत जारी किये गये निर्देशकों के अनुसार उक्त अधिनियम के लागू किये जाने से उसकी कई मामलों में कम्पनियों को अपनी विदेशी शेयर-धारिता घटानी होगी जिससे लाभांशों/लाभों के रूप में बाहर भेजी जाने वाली रकमें अपने आप कम होंगी।

बम्बई में तैयार शुदा कपड़ों के लिये एक निर्यात निर्बाध व्यापार क्षेत्र (जोन) बनाना

3387. **श्री वसन्त साठे**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने 'नई बम्बई' क्षेत्र में तैयार शुदा कपड़ों तथा चमड़ा उद्योगों के लिए निर्यातोन्मुख निर्बाध व्यापार क्षेत्र तथा न्हावा शिवा में सभी सामानों के लिए कर मुक्त क्षेत्र बनाने का सुझाव दिया है और विभिन्न भागों में विशेषकर कच्ची चीनी की शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख चीनी यूनिट बनाने के लिए योजना आयोग से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार के प्रस्ताव पर क्या निर्णय किया गया है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) विभिन्न राज्य सरकारों से अनेक स्थानों पर, जिनमें बम्बई का न्हावा शिवाक्षेत्र भी शामिल है, मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करने के लिए सुझाव प्राप्त हुए हैं। योजना आयोग के अनुसार उनको विभिन्न भागों में शत प्रतिशत निर्यात अभिमुख चीनी एककों, विशेषरूप से शक्कर एककों के बारे में महाराष्ट्र सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों के सुझाव सरकार के विचाराधीन हैं। अलग अलग स्थानों का विनिश्चय प्रत्येक स्थान के लिए संभाव्यता अध्ययन के आधार पर किया जाएगा।

कपड़ों के उत्पादन हेतु दायित्व

3388. **श्री सी० के० जाफर शरीफ**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा दोनों नियंत्रित किस्म के तथा निर्यात किये जाने वाले, कपड़ों के उत्पादन हेतु अनवरत दायित्व वाली योजना, को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) तथा (ख) 1 अक्तूबर, 1974 से संयुक्त सूती वस्त्र मिलों से यह अपेक्षित है कि वे अपने उत्पादन का 30 प्रतिशत उत्पादन नियंत्रित कपड़े के रूप में करें। प्रत्येक 5 रु० एफ०ओ०बी० मूल्य के मिल निर्मित सूती थानों तथा

तयार कपड़ों और 7.50 रु० एफ० ओ० बी० मूल्य के मिल निर्मित कपड़े के परिधानों के निर्यातों के आधार पर नियंत्रित कपड़ा सम्बन्धी दायित्व में एक वर्ग मीटर के समंजन की अनुमति है ।

तस्करों के साथ सरकारी अधिकारियों की सांठगांठ के बारे में जांच करने के लिये विशेष सैल

3389. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने तस्करों के साथ सरकारी अधिकारियों की सांठगांठ के बारे में जांच करने के लिए कोई विशेष सैल बनाया है ; और

(ख) यदि हां, तो सीमाशुल्क तथा पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) तथा (ख) जी, नहीं। तथापि तस्करों के साथ सरकारी कर्मचारियों की सांठ-गांठ की जांच-पड़ताल करने और उचित कार्यवाही करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र विद्यमान है। कुछ मामलों में इस्तगासे की कार्यवाही की गई है और न्यायालयों द्वारा दोष सिद्ध हो गयी है।

Production of Terylene and Fine Cloth

3390. **Shri B. S. Chowhan:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the quantity of terylene and fine cloth produced during the last three years, separately, year-wise:

(b) the nature of facilities and the manner in which these are provided by Government to these textile units: and

(c) the facilities proposed to be provided during the current year ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh):

(a) A statement is enclosed.

(b) No special facilities have been provided to textile units manufacturing Polyester cloth or fibre.

(c) Does not arise.

Statement

Terylene is the Trade name for Polyester Fibres. It is assumed that the Hon'ble Member desires to have information about production of Polyester fibre and cloth made therefrom. Quantity of Polyester fibre produced during last three years is as under:

1971	5729 tonnes
1972	6604 ,,
1973	10527

Separate data regarding production of polyester fibre fabrics is not being maintained, Following are the figures of Man-Made Fibre Fabrics produced in the country for the last three years:

In million metres

	By Powerloom/handloom	By Cotton Mills	Total
1971 .	971.5	1.6	973.1
1972 .	918.0	1.4	919.4
1973	886.0	0.6	886.6

मत्स्य तथा अन्य समुद्री उत्पादों की लागत कम करने सम्बन्धी प्रस्ताव

3391. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मत्स्य तथा अन्य समुद्री उत्पादों की लागत कम करने सम्बन्धी ठोस प्रस्ताव बनाये हैं ताकि विश्व मंडी में ये प्रतियोगिता कर सकें; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) निर्यातों हेतु समुद्री उत्पादों की लागत को जहाजी अवतरण क्रम में वृद्धि करके, मछली पकड़ने के ट्रालरों की उत्पादकता में वृद्धि करके और प्रोसेसिंग सुविधाओं को सुधार कर कम किया जाएगा। इस दिशा में पांचवीं योजना के दौरान मुख्य योजनाएं हैं : (क) गहरे समुद्र में कार्य करने वाले ट्रालरों की व्यवस्था, और मछली पकड़ने की नावों का यंत्रीकरण (ख) मछली पकड़ने के पतनों तथा बन्दरगाहों रैफ्रिजरेटिड गोदामों और परिवहन का विकास और (ग) प्रोसेसिंग सुविधाओं का आधुनिकीकरण, निर्यातित उत्पादों का विविधीकरण आदि।

इण्डियन एयरलाइन्स के किरायों में वृद्धि

3392. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार का इंडियन एयरलाइंस के किराये बढ़ाने के बारे में एक प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) फिलहाल इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, मामले का निरंतर पुनरालोकन किया जाता है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इण्डियन एयरलाइन्स की कोच सेवाएं समाप्त करने के विरुद्ध अभ्यावेदन

3393. **श्री नुरुल हुडा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली और मद्रास महानगरों से आने-जाने वाले इंडियन एयरलाइंस के यात्रियों को इन नगरों में इंडियन एयरलाइंस की बस सेवा समाप्त हो जाने के कारण अत्यधिक कठिनाईयां हो रही हैं ;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में व्यक्तियों और सार्वजनिक निकायों से शिकायतें और अभ्यावेदन मिले हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार एयरलाइंस के यात्रियों की कठिनाइयां दूर करने के लिए बस सेवा पुनः आरम्भ करने का है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) इंडियन एयरलाइंस ने बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली मद्रास, बंगलोर, हैदराबाद तथा तिरुचिरापल्ली में हवाई अड्डे तथा सिटी टर्मिनल के बीच की परिवहन सुविधाओं को समाप्त कर दिया था। अन्य अंतर्देशीय विमानक्षेत्र पर, कारपोरेशन ऐसी सुविधाएं प्रदान कर रही है।

दिल्ली, मद्रास तथा कलकत्ता में, भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा ठेके पर निजी परिचालकों द्वारा ऐसी सुविधाएं प्रदान करने के वैकल्पिक प्रबंध कर दिये गये हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण बम्बई में भी इसी प्रकार के प्रबंध कर रहा है। बंगलौर तथा हैदराबाद में भी, वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था कर दी गयी है। तिरुचिरापल्ली में ऐसी सुविधाएं आवश्यक नहीं समझी गयीं क्योंकि हवाई अड्डे तथा सिटी टर्मिनल के बीच का फासला थोड़ा सा है।

अतीत में पृथक्-पृथक् व्यक्तियों तथा सार्वजनिक संस्थाओं से उस समय प्रतिवेदन प्राप्त ए थे जिस समय इंडियन एयरलाइंस द्वारा यात्री कोच सेवाएं बंद की गयी थीं।

राजस्थान में आयकर की बकाया राशि

3394. **श्री श्रीकिशन मोदी**: क्या **वित** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में आयकर की इस समय कितनी राशि बकाया है; और

(ख) गत वर्ष इस राज्य में आयकर की कितनी राशि वसूल की गई थी?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) आय-कर आयुक्त, राजस्थान के अधिकार क्षेत्र में 30 सितम्बर 1974 को आयकर (निगम-कर सहित) की सकल और शुद्ध बकाया रकमें निम्नलिखित के अनुसार है:—

(करोड़ रुपयों में)

सकल बकाया रकम	शुद्ध बकाया रकम
10.95	8.93

(ख) आयकर-आयुक्त राजस्थान, के अधिकार क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 1973-74 में वसूल की गई आयकर (निगम-कर सहित) की कुल रकम 15.31 करोड़ रुपये थी।

इण्डियन एयरलाइन्स की रात्रि विमान डाक सेवाएं

3395. **श्री बेकारिया :**

श्री धामनकर :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस ने रात्रि विमान डाक सेवाएं पुनः आरंभ करने का विचार त्याग दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) प्रातःकाल के समय चुने हुए स्टेशनों के बीच डाक और समाचार पत्र जाने के लिए इंडियन एयरलाइंस द्वारा इस समय क्या प्रबन्ध किये जा रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) रात्रि विमान डाक सेवा परिचालनों के लागत/राजस्व विश्लेषण से पता चला है कि उन्हें पुनः प्रारंभ करना अत्यन्त महंगा पड़ेगा, विशेषकर विमानन ईंधन की वर्तमान कीमत के संदर्भ में तथापि, इंडियन एयरलाइंस सस्ती विमान यात्रा सुविधाएं प्रदान करने के लिए कुछ चुने हुए नगरों के बीच देर-रात में अथवा प्रभात-पूर्व विमान सेवा प्रारंभ करने की व्यवहार्यता पर विचार कर रही है। इस प्रकार की सेवा को डाक की ढुलाई के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है। इस तरह की सेवा के आर्थिक पक्ष का मूल्यांकन किया जा रहा है।

डाक तथा समाचारपत्रों की ढुकाई के लिए, विभिन्न स्टेशनों से, विशेषकर मुख्य मार्गों पर, सहमति के आधार पर, सभी उड़ानों पर डाक तथा समाचार पत्रों के लिए निश्चित वहन-क्षमता का आवंटन किया गया है।

चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट संस्थान द्वारा कर अपवंचन के बारे में अध्ययन

3396. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**

श्री के० मालन्ना :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कर अपवंचन के बारे में अध्ययन करने के लिए भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट संस्थान की सेवाएं मांगी हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस संस्थान ने उक्त प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) तथा (ख) भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट संस्थान ने योजना आयोग के अनुसंधान सम्बन्धी अध्ययन के कार्यक्रम के अंतर्गत, करापवंचन के बारे में अध्ययन करने ले लिए प्रस्ताव भेजा है और वह योजना आयोग के विचाराधीन है।

सूती कपड़े के मूल्यों में कमी

3397. **श्री के० रामकृष्ण रेड्डी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूती कपड़े के मूल्यों में कितनी कमी हुई है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार ऋण प्रतिबंध तथा मिलों के पास पड़े हुए स्टाक को बाहर लाकर सूती कपड़े के मूल्य और कम करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) वस्त्र मिलों द्वारा हाल के महीनों में विभिन्न किस्मों के सूती कपड़े की कीमतों में औसतन 15 प्रतिशत से 25 प्रतिशत की कमी किये जाने का समाचार मिला है।

(ख) कोई विशिष्ट प्रस्थापना नहीं है।

राज्यों को वित्तीय सहायता

3398. **श्री मुरासोली मारन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष में विशेष सहायता, 'ओवर ड्राफ्ट', संबंधी सुविधाओं, अनुदान और ऋण के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक राज्यवार, कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : किसी भी राज्य को चालू वर्ष में कोई विशेष सहायता नहीं दी गयी है और न ही किसी राज्य को बजट साधन के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट लेने की अनुमति दी गयी है।

एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है जिसमें राज्य की आयोजनाओं के लिए चालू वर्ष में राज्य सरकारों को दिये गये अनुदान तथा ऋण दिखाये गये हैं।

विवरण

अब तक 1974-75 में राज्यों को दी गई आयोजनागत केन्द्रीय सहायता

(लाख रुपयों में)

राज्य	ऋण	अनुदान	जोड़
1	2	3	4
1 आन्ध्र प्रदेश	2494	1094	3588
2 असम	2003	895	2898
3 बिहार	3350	1534	4884
4 गुजरात	1992	720	2712
5 हरियाणा	806	45	851
6 हिमाचल प्रदेश	1153	503	1656
7 जम्मू और कश्मीर	1459	677	2136

1	2	3	4
8 कर्नाटक	1851	792	2643
9 केरल	1881	801	2682
10 मध्य प्रदेश	2673	1191	3864
11 महाराष्ट्र	2619	1125	3744
12 मणिपुर	390	170	560
13 मेघालय	38	592	630
14 नागालैंड	41	484	525
15 उड़ीसा	1522	728	2250
16 पंजाब	1000	—	1000
17 राजस्थान	2172	680	2852
18 तमिलनाडु	2160	927	3087
19 त्रिपुरा	368	169	537
20 उत्तर प्रदेश	5399	2136	7535
21 पश्चिम बंगाल	2198	1000	3198
सभी राज्य	37569	16263	53832

Setting up of New Branches of Nationalised Banks in Rural and Tribal Areas of Madhya Pradesh

3399. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up any new branches of nationalised banks in rural and tribal areas of Madhya Pradesh; and

(b) if so, the places selected for this purpose ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi): (a) and (b) Reserve Bank have reported that as at the end of September, 1974, public sector banks, including the 14 nationalised banks, had 76 licences/allotments on hand for opening branches in the rural areas of Madhya Pradesh. Of these, 53 licences/allotments pertain to backward/tribal areas. The names of the centres, to which these licences/ allotments relate, are indicated in the *ANNEXURE*. [*Placed in Library. See No. L. T. 8688/74*]

Reserve Bank of India have advised all the commercial banks that while drawing up the three year rolling plans for branch expansion, they should ensure that a large number of offices are proposed in unbanked/underbanked rural and semi-urban areas, particularly in districts is had a population per bank office exceeding 75,000 as at the end of June, 1974, a category which will cover most of the areas with sizeable tribal population Banks are currently engaged in the formulation of their plans for the three years 1975-77.

आयकर अधिकारियों के वेतन में विषमताएं

3400 **श्री डी० के० पण्डा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग में वरिष्ठ अधिकारियों का अपने कनिष्ठ अधिकारियों से कम वेतन पाने संबंधी मामला वित्त मंत्रालय की विभागीय परिषद के पास निर्णय के लिए विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो यह मामला कब से विचाराधीन है ;

(ग) इस मामले में यदि कोई निर्णय किया गया है तो वह क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा में शाल-ऊन उद्योग का विकास

3401. **श्री अनादि चरण दास :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उड़ीसा में शाल-ऊन उद्योग तथा अन्य उद्योगों के विकास के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) राज्य में ऊनी उद्योग के विकास हेतु उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्र में स्थापित किये जाने के लिए 600 शाडी तकुओं के एक शाडी कताई, एकक का अनुमोदन किया गया है। शाल उद्योग के विकास के लिए कोई पृथक कार्यक्रम की व्यवस्था नहीं है क्योंकि विद्यमान करघों का प्रयोगशालों के उत्पादन के लिए किया जा सकता है।

सोवियत संघ को बुने हुए ऊनी कपड़ों के निर्यात में वृद्धि

3402. **श्री के० मालन्ना :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होजियारी एक्सपोर्टर्ज कारपोरेशन ने केन्द्रीय सरकार से वर्ष 1975 के लिए किये गये व्यापार समझौते के अंतर्गत रूस को बुने हुए ऊनी कपड़ों के निर्यात में वृद्धि करने का अनुरोध किया है ;

(ख) क्या खरीद-आर्डरों को अन्तिम रूप देने के लिए रूस के व्यापार प्रतिनिधि ने कोई दौरा भी किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। राजनोएक्सपोर्ट मास्को, जो एक सोवियत खरीद अभिकरण है, के एक प्रतिनिधि-मंडल ने इस उद्देश्य से अक्तूबर 1974 में भारत की यात्रा की थी।

(ग) 1975 के दौरान सप्लाई के लिए आदेशों को अन्तिम रूप देने के उद्देश्य से उपर्युक्त प्रतिनिधिमंडल नमूने एकत्र करके मास्को ले गया है।

घाटे की अर्थव्यवस्था

3403. **श्री डी० पी० जदेजा**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में के दौरान केन्द्रीय सरकार की घाटे की अर्थव्यवस्था 567 करोड़ रुपये से बढ़कर 656 करोड़ रुपये हो गई है।

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और

(ग) घाटे की अर्थव्यवस्था में और आगे वृद्धि को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) से (ग) अक्टूबर 1974 के अन्त तक बजट का घाटा 650 करोड़ रुपये का था जबकि इसकी तुलना में अक्टूबर 1973 के अन्त में यह घाटा 543 करोड़ रुपये का था। हालांकि अक्टूबर के अंत में पिछले वर्ष की तुलना में बजट का घाटा अधिक होने का कारण छठे वित्त आयोग की शर्तों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा चुकाये जाने वाले ऋणों की अदायगी का कार्यक्रम फिर से बनाया जाना और सरकार की बकाया रकमों की प्राप्ति में देर हो जाना है, लेकिन यहां यह बात उल्लेखनीय है कि महीने के प्राप्तियों और खर्च में कोई परस्पर सम्बन्ध नहीं होता। वर्ष के किसी एक खास समय बजट में जो घाटा होता है उससे वर्ष के अंत में होने वाले बजट के घाटे का पता नहीं चलता।

घाटे को यथासंभव कम से कम करने के विचार से सरकारी खर्च में कटौती करने के लिए अनेक उपाय किये गये हैं और स्थिति की बराबर समीक्षा की जाती रही है।

Export of Birds and Animals

3404. **Shri Lalji Bhai**: Will the Minister of Commerce be pleased to state:

(a) the names of the birds and animals exported from India to foreign countries for consumption or for conducting scientific experiments; and

(b) the foreign exchange earned by Government from such exports during the last three years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) (a) and (b) The information is given in the statement attached.

Statement

Statement showing the value of birds and animals exported from India during the last three years 1971-72, 1972-73 and 1973-74

Value in Rs. lakhs

Name	1971-72	1972-73	1973-74
Goat and Kids	..	0.1	1
Sheep and Lambs	3*	9	6
Poultry (live)	0.2	0.1	0.5
Birds**	62	80	74
Dogs	..	Negligible	Negligible
Elephants	3	1	8
Monkeys	38	35	41
Other Zoo Animals	1	1	2

* It includes the value of goats also.

** Species-wise details are not maintained.

खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से लौह अयस्क का निर्यात

3405. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल :**

श्री एस० आर० दामाणी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से पूरे लौह अयस्क का निर्यात करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) यह परिवर्तन करने से क्या लाभ तथा हानि हुई है; और

(घ) इस प्रस्ताव के बारे में भूतपूर्व प्राइवेट निर्यातकों की प्रतिक्रिया क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (घ) गोआ उदभव के लौह अयस्क को छोड़कर, लौह अयस्क का निर्यात पहले ही खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत किया जा चुका है। गोआ के लौह अयस्क के निर्यात को खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

हवाई अड्डों पर परिवहन सुविधाएं

3406. **श्री धामनकर :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के सभी हवाई अड्डों पर क्रमबद्ध ढंग से हवाई अड्डा बस सेवा सुविधा प्रदान करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस सुविधा को अब किन-किन हवाई अड्डों पर प्रदान किया जा रहा है और चालू वर्ष में किन-किन हवाई अड्डों पर इस सुविधा को उपलब्ध कराय। जायेगा ; और

(ग) क्या सरकार ने श्रमिक सहकारी समितियों को यह कार्य सौंपने का निर्णय किया है और यदि हां, तो इस मामले में की कोई कार्यवाही की मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) जी नहीं । परन्तु, इंडियन एयरलाइंस बंबई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, बंगलोर, हैदराबाद तथा त्रिची को छोड़कर समस्त अंतर्देशीय विमानक्षेत्रों पर परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था कर रही है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने दिल्ली, मद्रास तथा कलकत्ता में विमानक्षेत्र कोच सेवाओं की व्यवस्था करने के प्रबन्ध किए हैं। दिल्ली तथा कलकत्ता में ठेका भूतपूर्व सैनिकों द्वारा प्रबंधित एक संगठन को दिया गया है तथा मद्रास में ठेका मैसर्स पल्लवन रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन को दिया गया है। बम्बई में भी ठेका भूतपूर्व सैनिकों के संगठन को ही दिया गया है तथा सेवा के शीघ्र ही चालू हो जाने की संभावना है। बंगलोर में मैसर्स कर्णाटक स्टेट ट्रांसपोर्ट तथा कारपोरेशन तथा हैदराबाद में मैसर्स टूरिस्ट ट्रैवल्ज ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था कर रहे हैं।

पर्यटन से विदेशी मुद्रा अर्जन

3407. **श्री भगतराम राजाराम मनहर** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क)) गत वर्ष पर्यटन उद्योग से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी ;

(ख) मध्य प्रदेश में पर्यटक स्थलों से कितने प्रतिशत आय हुई ; और

(ग) सरकार का विचार मध्य प्रदेश की ओर और अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) :(क) वर्ष 1973 के दौरान पर्यटकों से अर्जित की गयी विदेशी मुद्रा का अनुमान 67.5 करोड़ रुपये लगाया गया है।

(ख) पृथक-पृथक पर्यटन स्थलों के संबंध में इस प्रकार की आय का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

(ग) पर्यटन प्रोत्साहन के एक अंग के रूप में, पर्यटन विभाग अन्य बातों के साथ-साथ पर्यटन महत्व के विभिन्न स्थानों का प्रचार करता है जिसमें मध्य प्रदेश के स्थान भी सम्मिलित हैं।

पालम हवाई अड्डे से यात्रियों को शहर में लाने के लिए टैक्सी ड्राइवरों द्वारा लिये जाने वाले किराये के बारे में शिकायत

3408. **श्री बरके जार्ज** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी यात्रियों ने दिल्ली स्थित अनेक अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस को शिकायत की हैं कि टैक्सी ड्राइवरों द्वारा पालम हवाई अड्डे से शहर में उनको लाने के लिए उनसे अत्यधिक किराया लिया जाता है ।

(ख) क्या कई यात्रियों से पालम हवाई अड्डे से बसन्त बिहार तथा अशोका होटल, नई दिल्ली तक के जबरदस्ती 50 से 70 रुपये तक मांगे जाते हैं ;

(ग) क्या इन टैक्सी ड्राइवरों द्वारा यात्रियों का नाम, गन्तव्य स्थान तथा टैक्सी का नम्बर लिखने वाले हवाई अड्डा यातायात बूथ निरीक्षकों को रिश्वत दी जाती है और इसीलिए ऐसी शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (घ) टैक्सी चालकों द्वारा अधिक किराया मांगने के बारे में बीते समय में प्राप्त हुई थीं। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए टैक्सी ट्रैफिक कार्ड्स छापे गए हैं जिन में दिल्ली में हवाई अड्डे से महत्वपूर्ण होटलों तक का लगभग किराया दिया हुआ है। निकास द्वारा पर स्थित ट्रैफिक बूथ पर ट्रैफिक पुलिस इंस्पैक्टर टैक्सी का नम्बर, यात्री का नाम, उस का गंतव्य स्थान नोट करता है और उसे टैक्सी टैरिफ कार्ड देता है। शिकायत करने के लिए यात्री के लिए टैरिफ कार्ड के अलग हो जाने वाले भाग को भरना होता है और पुलिस अधीक्षक (यातायात) को डाक से भेजना होता है, जिससे दोषी ड्राइवरों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके ।

आम जनता की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण स्थानों पर इस आशय के नोटिस बोर्ड लगाये गये हैं कि टैक्सी ड्राइवरों के साथ किसी परेशानी के मामले में उन्हें यातायात पुलिस से मामले की रिपोर्ट करनी चाहिए ।

जहां तक टैक्सी ड्राइवरों द्वारा हवाई अड्डा यातायात बूथ निरीक्षकों को कथित रिश्वत देने का प्रश्न है, यह मामला यातायात निरीक्षक (यातायात) के ध्यान में ला दिया गया है।

सरकारी उपक्रमों में उत्पादन

3409. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार गृह तथा बहु राष्ट्रीय निगम (मल्टीनेशनल कारपोरेशन) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उत्पादन में कमी के लिए उत्तरदायी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) :(क) जी नहीं। सरकारी क्षेत्र में पिछले वर्ष क्षमता के उपयोग में उससे पहले के वर्ष की तुलना में काफी सुधार हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Gazetted Officers belonging to Scheduled Tribes in the Ministry of Tourism and Civil Aviation

3410. **Shri Dhan Shah Pradhan:** Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state:

(a) the percentage of Gazetted posts in various Departments under his Ministry on the administration and operational side, reserved for scheduled tribes and the percentage of Gazetted Officers belonging to Scheduled tribes at present;

(b) the reasons for the number of the Gazetted Officers belonging to scheduled tribes being less than the quota reserved for them; and

(c) the relaxation proposed to be made to appoint persons belonging to scheduled tribes, against those posts ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur): (a) According to Government orders, 7 1/2% of the vacancies which are filled by direct recruitment are reserved for scheduled tribes candidates. Also in grades or services in which the element of direct recruitment, if any, does not exceed 50%, 7 1/2% of the vacancies are reserved for scheduled tribes for promotions made by selection from Class III to Class II, within Class II and from Class II to the lowest rung or category in Class I. 1.72% and 1.2% of the officers in the Department of Tourism and Civil Aviation respectively belong to scheduled tribes. The India Meteorological Department and the Ministry (main) have none. The posts in the Commission of Railway Safety are filled by officers on transfer from Railways.

(b) and (c). There has been a shortfall in filling vacancies earmarked for scheduled tribe candidates on account of non-availability of suitable/eligible officers and relaxation as required according to Government orders are made in filling the vacancies by candidate belonging to scheduled tribes.

भारत के लिए अमरीकी वित्तीय सहायता

3411. **श्री एच० एन० मुकर्जी**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने डा० किसिंजर से उनकी हाल की भारत यात्रा के दौरान भेंट की ;

(ख) यदि हां, तो किन मुख्य विषयों पर चर्चा हुई ;

(ग) भारत के लिए अमरीकी सहायता प्राप्त करने हेतु किन शर्तों पर सहमति हुई है ; और

(घ) कितनी वित्तीय सहायता के लिए समझौता हुआ है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) जी, हां।

(ख) अनाज, रासायनिक खाद आदि सहित आपसी हितों के विभिन्न विषयों पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया था।

(ग) और (घ) भारत से अमरीकी सहायता के संबंध में हुए विचार-विमर्श का कोई विशेष निष्कर्ष नहीं निकला।

दिल्ली आयकर कर्मचारी संघ

3412. **श्री रामावतार शास्त्री**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली आयकर कर्मचारी संघ ने आयकर आयुक्त, दिल्ली से बार-बार अनुरोध किया है कि वे मान्यता के लिये अपेक्षित सदस्यता की जांच संबंधी औपचारिकतायें पूरी कर दें ;

(ख) क्या संघ ने आयकर आयुक्त, दिल्ली से यह भी अनुरोध किया है कि वे इस प्रयोजन के लिये उन्हें इन्टरव्यू के लिये बुलायें ; और

(ग) यदि हां, तो आयकर आयुक्त द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) यह यूनियन मान्यताप्राप्त नहीं होने के कारण इसको किसी औपचारिक इन्टरव्यू की स्वीकृति नहीं दी गयी थी, परन्तु यूनियन के प्रतिनिधि एक बार आयकर आयुक्त से मिले थे और उन्होंने आयकर के निरीक्षी सहायक आयुक्त (प्रधान कार्यालय) के साथ विस्तार से विचार विनिमय किया था।

मान्यता प्रदान करने के लिये यूनियन की प्रार्थना अभी भी विचाराधीन है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भारत को ऋण देने का प्रस्ताव

3413. **श्री बनमाली पटनायक :**

श्री पी० वेंकटासुब्बया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भारत को कैसी ऋण सुविधा देने की पेशकश की गयी है ; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान कितनी राशि लेने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष की तेल संबंधी सुविधा के अन्तर्गत भारत अधिक से अधिक 50.48 करोड़ एस० डी० आर० का ऋण ले सकता है। यह सुविधा कोष के सभी सदस्यों के लिये उपलब्ध है बशर्ते कि सदस्य विशेष को पेट्रोलियम और पेट्रोलियम से बनी वस्तुओं के मूल्यों में तेजी से हुई वृद्धि के कारण बैलेंस आफ पेमेण्ट की समस्या का सामना करना पड़ रहा हो।

(ख) भारत ने इस सुविधा के अन्तर्गत अक्तूबर, 1974 में 20 करोड़ एस० डी० आर० (193.86 करोड़ रुपये) का ऋण लिया है।

विदेशों में स्थित भारतीयों के साथ तस्करों का सम्पर्क

3414. **श्री एम० एम० जोजफ**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों में स्थित तस्करी से संबद्ध भारतीयों को चेतावनी दी है कि वे भारत लौट आयें और सरकार के सामने आत्म समर्पण करें और यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनके पासपोर्ट जब्त कर दिये जायेंगे; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) में दिये गये उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

पौली स्टील (इण्डिया) लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक द्वारा लोहा और इस्पात उत्पादों का निपटान

3415. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पौली स्टील (इंडिया) लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ने भावनगर स्थित अपने कारखाने से बिना उत्पादनशुल्क दिये 15 लाख रूपये की कीमत के लोहा तथा इस्पात उत्पादों के निपटान का स्वयं निरीक्षण किया ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और क्या इस्पात मंत्रालय का विचार उसके लिये इस्पात का आबंटन बन्द करने का है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सशीला रोहतगी) : (क) तथा (ख) मैसर्स पोली स्टील (इंडिया) लिमिटेड, भावनगर, के परिसरों में की गयी तलाशियों के दौरान 15 लाख रुपये से अधि मूल्य के स्टील उत्पादों के केन्द्रीय उत्पादनशुल्क की अदायगी के बिना निकासी बताने वाले दस्तावेज और रिकार्ड बरामद हुए। मैसर्स पोली स्टील (इंडिया) लिमिटेड के प्रबंध निदेशक—श्री जे० पी० मेहता और सचिव-एवं-वाणिज्यिक प्रबंधक श्री ए० सी० मेहता को उक्त निकासी में आरोपित सांठ-गांठ के लिये गिरफ्तार किया गया। उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया है। जांज-पड़ताल जारी है। अत: इस समय निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि संबद्ध लोहे और इस्पात उत्पादों के निपटान का प्रर्यवेक्षण मैसर्स पोली स्टील (इंडिया) लिमिटेड के प्रबंध निदेशक द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया गया था।

लोहा और इस्पात नियंत्रण प्राधिकारियों से यह जांच करने के लिये भी अनुरोध किया गया है कि क्या लोहा और इस्पात नियंत्रण आदेश, 1956 के उपबन्धों का कोई उल्लंघन अन्तर्गस्त है। यदि जांच-पड़ताल से अन्ततः यह प्रकट होता है कि उक्त आदेश के उपबन्धों का कोई उल्लंघन हुआ है तो अपराधी कम्पनी के विरुद्ध उक्त आदेश के उपबंधों के अन्तर्गत उचित कार्यवाही करने पर विचार किया जाएगा।

Arrest of Shri Ram Lal Narang of Bombay

3416. **Shri Phool Chand Verma**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Shri Ram Lal Narang, smuggler of antiques and works of art, was arrested under MISA in Bombay on 6th October;

(b) whether Shri Narang is a Member of the Film Censor Board; and

(c) if so, full facts thereof and the action proposed to be taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi): (a) Ram Lal Narang was detained under MISA on 5-10-1974 in Bombay.

(b) Shri Narang ceased to be a member of the Censor Board from September, 1974.

(c) Does not arise in view of (b) above.

मुकद्दमे के लिए पड़े तस्करी के मामले

3417. **श्री अजीत कुमार साहा**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तस्करी के लगभग 700 मामले कई वर्षों से मुकद्दमे के लिये पड़े हैं ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि ये मामले सीमा शुल्क अधिकारियों की सुस्ती के कारण इस प्रकार पड़े हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) पूरे भारत में सीमाशुल्क संबंधी अपराधों के इस्तगासे के लगभग 300 बड़े मामले विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं जिनमें प्रत्येक मामले में एक लाख रु० से अधिक मूल्य का और महत्वपूर्ण षड्यंत्र अन्तर्ग्रस्त हैं। कई स्थितियों में मामलों में ऐसे कारणों से न्यायालय में विलम्ब हो जाता है जो सीमाशुल्क प्राधिकारियों के नियंत्रण से बाहर होते हैं। जहां अपेक्षाकृत सरल मामलों का जल्दी ही निपटान हो जाता है वहां जटिल मामलों को निपटाने में, उनके स्वरूप के अनुरूप, समय लगता है। न्यायालयों में सुनवाई, आदि शीघ्र कराने के लिए सतत उपाय किये जाते हैं।

सरकार, आर्थिक अपराधों से संबंधित मुकद्दमे चलाने के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने और विलम्ब कम करने की दृष्टि से कार्यविधियों में संशोधन करने के बारे में विधि आयोग की सिफारिशों पर विचार कर रही है।

पाण्डिचेरी आयात लाइसेंस घोटाला

3418. **श्री झारखण्डे राय** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांडिचेरी सरकार ने पांडिचेरी आयात लाइसेंस घोटाले के सम्बन्ध में 14 मामले दर्ज किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Cancellation of Passports of Indian Smugglers staying abroad

3419. **Shri Nathu Ram Ahirwar**: Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) the names of those Indian smugglers who are at present staying in foreign countires on Indian passports and for the cancellation of whose passports, the Ministry of Finance has made a demand;

(b) whether the Ministry of External Affairs have written to the Government of the countries concerned in this regard; and

(c) if so, the names of the countries whose Governments have taken necessary action as also the names of those countries where such an action, is likely to be taken ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi): (a) The Ministry of Finance have not asked for cencellation of passport of any person staying abroad. They also do not have any specific information about persons staying in foreign countries on Indian passports against whom detention orders have been issued under the Maintenance of Internal Security (Amendment) Ordinance, 1974.

(b) and (c) In view of (a), question does not arise.

चीनी का निर्यात बढ़ाने के लिए कार्यवाही

3420. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में चीनी के निर्यात के संबंध में आन्तरिक ऊंचे दामों सहित, कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है ;

(ख) चीनी-निर्यात के संबंध में क्या-क्या त्रुटियां थीं और चीनी-निर्यात को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी तथा क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) चालू वर्ष के लिये चीनी का निर्यात लक्ष्य प्राप्त करना कहां तक संभव होगा और अब तक कितना निर्यात किया गया है तथा कितने के बारे में ठेका किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) कांडला और बम्बई के पत्तनों पर भीड़-भाड़ की समस्या के अलावा फिलहाल और कोई अन्य कठिनाइयां नहीं हैं। तथापि, चालू वर्ष के लक्ष्य पूरे होने की आशा है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यात हेतु संविदागत 6,82,800 मै० टन की कुल मात्रा में से 30-11-1974 तक 3,42,392 मै० टन का निर्यात किया जा चुका है।

आंसुका में त्रुटियों को दूर करने के लिये राज्य सरकारों को मार्गदर्शी सिद्धान्त

3421. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तस्करों को गिरफ्तार करने के लिये 'आंसुका' के अन्तर्गत जारी किये गये अनेक आदेशों में कई त्रुटियां थीं;

(ख) क्या इन त्रुटियों को दूर करने के लिये राज्य सरकारों को कोई मार्ग-दर्शी सिद्धान्त बताये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों की मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 1974 के अधीन जारी किये गये नजरबंदी के कुछ आदेशों को कुछ उच्च न्यायालयों द्वारा या तो इस आधार पर रद्द कर दिया गया है कि नजरबंदी का आदेश देने वाले अधिकारी ने मामले पर सावधानीपूर्वक विचार नहीं किया था अथवा इस आधार पर रद्द कर दिया गया है कि नजरबंदी संबंधी कारण अस्पष्ट अथवा असंगत अथवा असामाजिक थे। ऐसे मामलों में होने वाली त्रुटियों को दूर करने की दृष्टि से नजरबंदी के आदेशों और नजरबंदी संबंधी कारणों की समीक्षा की जा रही है।

ईरान को इंजीनियरी सामान का निर्यात

3422. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईरान को क्या इंजीनियरी सामान का निर्यात करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उस देश को निर्यात किये जाने वाले इंजीनियरी सामान का ब्यौरा क्या है ;

(ग) कितने मूल्य के सामान का निर्यात किया जाना है और ईरान किस प्रकार से भुगतान करेगा ;

(घ) क्या अन्य देशों से भी इस प्रकार के क्रयादेश प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) (क) से (ग) इंजीनियरी का सामान पहले से ही ईरान को निर्यात किया जा रहा है। निर्यात की मुख्य मदें हैं बिजली के वायर तथा केबल, ट्रासंमीशन लाइन टावर, बाईसाइकिलें तथा उनके हिस्से, डीजल इंजिन तथा इनके हिस्से, फैब्रिकेटिड स्टील स्ट्रक्चुरल जिनमें प्रैस्ड स्टील, टैंक, स्टील पाइप, ट्यूबें तथा फिटिंग्स शामिल हैं, ट्रांस्फामर्स कन-क्रीट मिक्सर्स आदि। 1974-75 तथा 1975-76 के दौरान क्रमश: 17.50 करोड़ रु० तथा 18.25 करोड़ रु० मूल्य के निर्यात होने की संभावना है। ईरान द्वारा भुगतान मुक्त विदेशी मुद्रा में किया जाता है।

(घ) तथा (ङ) विभिन्न इंजीनियरी वस्तुओं की सप्लाई के लिये क्रयादेश विश्व के सभी भागों से प्राप्त होते हैं तथा उन पर माल सप्लाई किया जाता है।

राजस्थान में तस्करों की गिरफ्तारी

3423. **श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान में उन तस्करों के नाम तथा पते क्या हैं जिनको राज्य सरकार द्वारा भारत रक्षा नियमों, 'आंसुका' अथवा राजस्थान के आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था तथा ऐसा किस-किस तारीख को किया गया और प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गयी ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायेगी।

तस्करी को रोकने के लिये द्रुतगामी निरीक्षण नौकाओं के लिये क्रयादेश देना

3424. **श्री पी० ए० सामिनाथन :**

श्री राजदेव सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तस्करी को रोकने के लिये स्वीडन और अन्य देशों से कितनी निरीक्षण नौकाओं के लिए क्रयादेश दिया गया है; और

(ख) इन्हें विदेशों से प्राप्त करने के क्या कारण हैं; जब कि इनका भारत में ही निर्माण किया जा सकता है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) तस्करी को रोकने के लिये सीमा-शुल्क विभाग के उपयोग के लिये नार्वे से 20 नावें खरीदने के संबंध में आर्डर भेज दिया गया है। स्वीडन से कोई नाव नहीं खरीदी जा रही है।

(ख) सीमाशुल्क विभाग की आवश्यकता के अनुकूल देश में ही तैयार की गई अपेक्षित रफ्तार आदि की नावें प्राप्त करने की संभावनाओं का पता लगाया गया परन्तु प्रयत्न सफल नहीं हुए। इस बीच इसी तरह की कुछ नावों का देश में ही निर्माण करने की दृष्टि से ऊपर उल्लिखित 20 नावों के डिज़ाइन-आधार सामग्री आदि खरीद ली गई है।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम में फालतू कर्मचारी

3425. **श्री राम सहाय पाण्डे :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम के प्रबंधकों ने, अध्ययन दल की सिफारिशों के आधार पर कर्मचारियों को बहुत बड़ी संख्या में फालतू घोषित किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने कर्मचारियों को फालतू घोषित किया गया है; और

(ग) फालतू घोषित किये गये कर्मचारियों की भावी संभावनाएं क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) निगम का कार्य-अध्ययन किया गया था जिससे यह प्रकट होता है कि 267 पद फालतू हैं। प्रबंधक कार्य-अध्ययन रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं। कर्मचारियों को यह आश्वासन दिया गया है कि किसी भी कर्मचारी की छंटनी नहीं की जायेगी।

भारतीय रुपये को अपना मूल्य स्वयं निर्धारित करने के लिए मुक्त छोड़ना

3426. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :**

श्री आर० वी० स्वामीनाथन् :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुछ विशेषज्ञों के इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हुई है कि भारतीय रुपये को अन्य मुद्राओं से सम्बद्ध किये बिना अन्तराष्ट्रीय बाजार में अपना मूल्य स्वयं निर्धारित करने के लिये मुक्त छोड़ दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख) मुद्रा विनिमय की दर के मौजूदा प्रबंध से हमारे निर्यात को प्रोत्साहन देने और आयातित वस्तुओं के स्थान पर देशी वस्तुओं के प्रयोग को बढ़ावा देने के लक्ष्यों की पूर्ति हो रही है और अभी सरकार का इसमें परिवर्तन करने का कोई इरादा नहीं है। विनिमय दर के प्रबंध के बारे में सरकार लगातार समीक्षा करती रहती है।

Barter System Trade between India and Bangladesh

3427. **Shri Mohan Swarup:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether barter system trade exists between India and Bangladesh;

(b) if so, the broad outlines thereof;

(c) whether any agreement to bring about a change in the said system has been entered into recently between the two countries; and

(d) if so, the salient features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) (a) to (d) Trade between India and Bangladesh is regulated in accordance with the provisions of an Agreement concluded on 5th July, 1973 between the two countries which is valid for three years from 28-9-73 to 27-9-76. Under the Agreement, there is a Balanced Trade and Payments Arrangement which envisages the movement of specified goods of the value of Rs. 30.50 crores each way during the first year of the Agreement, which has now been extended up to 31-12-74. Trade outside the Balanced trade and Payments Arrangement is regulated in accordance with the foreign exchange regulations of the two countries. No new Agreement has been entered into recently. A copy of the trade Agreement and the Balanced Trade and Payments Arrangement between India and Bangladesh is available in the Parliament Library.

काटन मिल्स फैडरेशन और सूती कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा नई योजना पेश करना

3428. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन काटन मिल्स फैडरेशन और सूती कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद् ने हाल में संयुक्त रूप से कपड़े के उत्पादन और वितरण की नई योजना सरकार को पेश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या नई योजना के बारे में सरकार ने कोई निर्णय किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ङ) क्या नई योजना उत्पादन के 16 प्रतिशत का निर्यात करने संबंधी वर्तमान दायित्व का स्थान लेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां। नियंत्रित कपड़े के उत्पादन और निर्यातों हेतु एक नई योजना 1 अक्तूबर, 1974 से लागू कर दी गई है।

(ख) से (ग) इस योजना के अन्तर्गत, संयुक्त सूती वस्त्र मिलों द्वारा अपने उत्पादन का 30 प्रतिशत उत्पादन नियंत्रित कपड़े के रूप में करना अपेक्षित है। प्रत्येक 5 रु० एफ० ओ० बी० मूल्य के मिल-निर्मित सूती थानों तथा तैयार कपडों और 7.50 रु० एफ० ओ० बी० मूल्य के मिल निर्मित कपड़े के परिधानों के निर्यातों के आधार पर नियंत्रित कपड़ा संबंधी दायित्व में एक वर्ग मीटर के समंजन की अनुमति है।

(ङ) जी हां।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा परियोजनाओं के लिये मंजूर की गई सहायता

3429. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा मंजूर की गई सहायता का लगभग 77 प्रतिशत अब तक 5 करोड़ और इससे अधिक राशि के पूंजी निवेश वाली परियोजना को मिला है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव है कि देश की जरूरतों के अनुसार इस सहायता को सुव्यवस्थित किया जाये और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०) द्वारा परियोजनाओं की स्थापना के लिये दी गई प्रत्यक्ष परियोजना सहायता का अधिकांश, अभी तक 8 बड़ी रासायनिक परियोजनाओं, 4 बड़े पेट्रो-रसायन परियोजनाओं, कई मशीन निर्माती परियोजनाओं, कागज और कागज उत्पादों, रबड़ उत्पादों आदि जैसे महत्वपूर्ण और प्राथमिकता वाले क्षेत्र के उद्योगों को दिया गया है। इस क्षेत्र में बहुत अधिक पूंजी लगाने की जरूरत होती है, इसलिये इनमें से अधिकांश परियोजनाओं का परिव्यय 5 करोड़ रुपये से अधिक है। नीचे दिये गये विवरण में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या, उनकी परियोजना-लागत, मंजूर की गई प्रत्यक्ष परियोजना-सहायता और परियोजना लागत के रूप में व्यक्त की गई ऐसी सहायता प्रदर्शित की गई है :--

(करोड़ रुपयों में)

परियोजना का आकार	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत	मंजूर की गई परियोजना सहायता	स्तंभ 4 की स्तंभ 3 से प्रतिशतता
1	2	3	4	5
1. (1) 5 से 10 करोड़ रुपये तक .	30 (12.0)	212.7 (11.4)	51.0 (13.9)	24.0
(2) 10 से 20 करोड़ रुपये तक . .	20 (8.0)	250.0 (13.4)	53.3 (14.6)	21.3
(3) 20 से 50 करोड़ रुपये तक .	14 (5.6)	408.9 (21.9)	98.4 (26.9)	24.1
(4) 50 करोड़ रुपये से अधिक .	9 (3.6)	650.5 (34.9)	79.4 (21.7)	12.2
जोड़	73 (29.2)	1522.1 (81.6)	282.1 (77.1)	
2. अन्य परियोजनाएं जिनका परिव्यय 5 करोड़ रुपये अथवा उससे कम है . .	176 (70.8)	342.0 (18.4)	83.9 (22.9)	24.53
1 और 2 का कुल जोड़ . .	249 (100.0)	1864.1 (100.0)	366.0 (100.0)	19.6

टिप्पणी—कोष्टकों में दिये गये आंकड़ें कुल से प्रतिशतता के द्योतक हैं।

उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र के ऋणकर्त्ताओं की अपेक्षा कम पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है । उनसे प्रायः कह दिया जाता है कि वे अन्य संस्थाओं में पूंजी की मांग करें ।

हाल के वर्षों में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की लगभग आधी सहायता निर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में अव स्थित एककों को दी गई है। यदि प्रत्यक्ष परियोजना और पुनर्वित्त सहायता को मिलाकर देखा जाय तो स्वीकृतियों की संख्या की दृष्टि से 99 प्रतिशत और मूल्य की दृष्टि से 52 प्रतिशत सहायता छोटे पैमाने और मझोले आकार के औद्योगिक एककों को दी गई है।

(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सहायता योजनाएं संतुलित क्षेत्रीय विकास नई उद्यमी प्रतिभा के विकास तथा औद्योगिक टेकनोलौजी छोटे पैमाने के उद्योगों और निर्यातों के विकास के बुनियादी आर्थिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए समग्र विकास नीति का पालन करने के लिये बनाई गई हैं। इन उद्देश्यों को पूरा करने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था की विशिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए समय-समय पर इन योजनाओं में यथावश्यक संशोधन किया जाता है।

सिक्यूरिटी पेपर मिल के स्थान के बारे में सरकार का निर्णय

3430. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**

श्री नाथूराम अहिरवार :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय दल ने सिक्यूरिटी पेपर मिल्ल की स्थापना के लिये मध्य प्रदेश में सांची-सलामतपुर की सर्वश्रेष्ठ दो स्थानों में से एक स्थान के रूप में सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

उप-वित्त मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) करेंसी नोट और बैंक नोट कागज तैयार करने के लिए एक सिक्योरिटी पेपर मिल स्थापित करने के उद्देश्य से स्थान का चुनाव करने के वास्ते भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति ने विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा बताए गए जिन विभिन्न स्थानों का पछिले अप्रैल-मई में दौरा किया था, उनमें मध्य प्रदेश में सलामतरपुर के निकट एक स्थान भी था। स्थान के चुनाब के लिए जिन तकनीकी–आर्थिक बातों पर ध्यान देना होता है उन्हें देखते हुए समिति ने प्रस्तावित मिल के लिये गुजरात राज्य में बड़ौदा के निकट एक स्थान को सब से अच्छा बताया है। सरकार ने समिति की सिफारिश को मान लिया है।

ओपियम फैक्टरी, गाजीपुर के टेकनीकल स्टाफ एसोसिएशन का मांग-पत्र

3431. **श्री सरजू पांडे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गवर्नमेंट ओपियम एण्ड एल्कलायड वर्क्स, गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) की टैकनीकल स्टाफ एसोसिएशन ने 14 अगस्त, 1974 को अपना मांग पत्र भेजा था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस ज्ञापन पर क्या निर्णय किया है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) सरकार के अफीम परिशोधन कारखाना, गाजीपुर (उ० प्र०) के तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के एक शिष्टमंडल ने, जिसके साथ श्री चन्द्रशेखर सिंह, संसद सदस्य भी थे, कारखाने के कर्मचारियों की कतिपय समस्याओं के बारे में 14 अगस्त, 1974 को तत्कालीन राजस्व तथा व्यय मंत्री के साथ विचार-विमर्श किया। उठाये गये प्रश्नों पर उन्हें सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया गया। जिन प्रश्नों के बारे अनुवर्ती कार्यवाही की जानी थी उनकी वर्तमान स्थिति अनुबंध में बताई गई है। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 8689/74]**

Seizure of smuggled Goods in Rajasthan

3432. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) the total value of smuggled gold and silver including cash seized in Rajasthan during the last one year;

(b) the names of the persons from whose possession these recoveries were made; and

(c) the number of persons arrested for Income-tax evasion ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi): (a) The value of smuggled gold seized in Rajasthan during the period December, 1973 to November, 1974 is Rs. 47,300. No silver or cash has been seized by the customs authorities in Rajasthan during this period.

(b) The recoveries were made from M/s. Dhanraj Ganpat Singh and one Shr Durgalal of Rajasthan.

(c) There is no provision in the income-tax law for arrest of a person for income-tax evasion as such.

Overdrafts by States

3433. Shri Bibhuti Mishra: Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) the names of the States who have drawn overdrafts so far i.e. upto 30th November, 1974 indicating the amount in each case;

(b) whether Government propose to stop the drawing of overdrafts; and

(c) whether the Central Government have given any direction as to the manner in which the States might meet their requirements ?

The Minister of Finance (Shri C. Subramaniam): (a) Excepting Kerala, Karnataka and Bihar, no other State has had an overdraft persisting for more than 7 successive working days in the current year. On account of the persistience of their overdrafts, the payments had to be suspended for three working days in the case of Kerala and one working day in the case of Karnataka in May, 1974, before these States could clear the overdrafts with the help of assistance from the Centre. When the payments were suspended, Karnataka s overdrafts was Rs. 27.32 crores and Kerala's Rs. 15.08 crores. Discussions with the Government of Bihar are under way regarding their financial position in the current year. As on 30th November, 1974 the State's overdraft was Rs. 13.03 crores.

(b) According to the policy in force since 1st May 1972, States are not allowed to use overdrafts with the Reserve Bank of India as a budgetary resource. Their payments are liable to be suspended if the overdrafts persist for more than seven successive working days.

(c) Government of India have advised the States to raise additional resources and to minimise the losses being incurred on the large investments in irrigation and power projects. They have also been advised to curtail non-essential, low priority and unproductive expenditures.

Expenditure on Maintenance or Disposal of Cash and Valuables seized during raids on Smugglers and Tax Evaders

3434. **Shri Ishwar Chaudhry:**
Shri Madhavrao Scindia:
Shri R. R. Sharma:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state the amount of expenditure incurred so far by Government on the maintenance or auction of goods seized during raids conducted so far in connection with smuggling, blackmoney and evasion of Income-tax ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi): Information is being collected and will be laid on the table of the House.

Arrest of Smugglers

3435. **Shri Mulki Raj Saini :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri M.S. Purty :
Shri C.K. Jaffer Sharief :
Shri S.A. Murugananthan :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total number of smugglers arested in the country under the MISA and their state-wise break-up;

(b) the number of those released on bail; and

(c) the number of those released on habeas corpus petition ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) 19 persons have been detained under detention orders issued by the Government of India under the provisions of the Maintenance of Internal Security (Amendment) Ordinance, 1974. In addition, the respective State Governments have detained more than 600 other persons involved in smuggling or activities prejudicial to conservation of foreign exchange.

b) There is no provision under MISA to release a detenue on bail.

(c) According to the information received by Government 26 detenues have been released upto 30-11-74 under orders of respective High Courts.

सीमेंट के निर्यात के लिये मध्य-पूर्व के देशों के साथ समझौता

3436. **श्री विश्व नारायण शास्त्री** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमेंट के निर्यात के लिये मध्यपूर्व के देशों के साथ किन मुख्य बातों पर समझौता हुआ है; और

(ख) 1 अप्रैल, 1974 से 30 सितम्बर, 1974 तक की अवधि में कुल कितने सीमेंट का निर्यात किया गया और इससे कितनी राशि की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) सीमेंट के निर्यात के लिए राज्य व्यापार निगम ने ईरान, ओमान तथा दुबाई के साथ संविदाएं की हैं। इन संविदाओं के सम्बन्ध में 1 अप्रैल, 1974 से 30 सितम्बर, 1974 तक की अवधि के दौरान 23.55 लाख रु० मूल्य के 12,530 मे०टन सीमेंट की कुल मात्रा का निर्यात किया गया।

मुद्रास्फीति से निपटने के लिये वित्तीय प्रतिबन्ध

3437. **श्री के० एम० मधुकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अभी हाल में कलकत्ता में दिये गये अपने भाषण में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर डा० आर० के० हजारी ने मुद्रास्फीति का प्रतिरोध करने के लिए वित्तीय प्रतिबन्ध लगाने की बात कही है;

(ख) यदि हां, तो उन प्रतिबन्धों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख) रिजर्व बैंक आफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर डा० आर० के० हजारी ने कलकत्ता में 12 नवम्बर, 1974 को प्रेस प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करते हुए 1974–75 के अधिक काम काज के दिनों (नवम्बर 1974 से अप्रैल 1975) के लिये रिजर्व बैंक की ऋण नीति के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला था। इस अवसर पर डा० हजारी ने वाणिज्यिक बैंकों से मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के साथ-साथ उत्पादन बढ़ाने तथा अत्यावश्यक क्षेत्रों में पूंजी लगाने के लिए सहयोग का अनुरोध किया था। काम काज के चालू दिनों के लिए निर्धारित ऋण नीति में नकदी या नकदी जैसी परिसम्पत्ति का अनुपात और अधिक कर, ब्याज की ऊंची दरें और एच्छिक वित्तीय सहायता पर रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा नियंत्रण रख कर ऋण पर मौजूदा प्रतिबन्ध को बनाये रखने की व्यवस्था है हालांकि अनुसूचित बैंक जो न्यूनतम रकम सांविधिक तौर पर रिजर्व बैंक के पास रखते हैं उसमें दिसम्बर 1974 के उत्तरार्ध से थोड़ी बहुत ढील देने का विचार किया जा रहा है। पूंजी बराबर लगाते रहने, उत्पादन बढ़ाने और जरूरत की चीजों के वितरण को आसान बनाने के लिए चुनीदा तौर पर कुछ और ऋण भी दिये जा रहे हैं।

(ग) मुद्रा स्फीति के बोझ के बढ़ने के बारे में सरकार भी बराबर चिन्तित है। जब तक अर्थ-व्यवस्था के लिए विकास की संभावना स्पष्टतः अनुकूल नहीं हो जाती, तब तक ऋणों पर नियंत्रण संबंधी वर्तमान उपायों का जारी रखा जाना जरूरी है ताकि अर्थ-व्यवस्था में वास्तविक उत्पादन की वृद्धि की तुलना में मांग अनुपात से ज्यादा बढ़ न जाये।

चाय बागानों के उर्वरकों की वितरण व्यवस्था

3438. **श्री शंकर नारायण सिंह देव :**
श्री देवेन्द्र नाथ महाता :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चाय बागानों को उर्वरकों की वितरण व्यवस्था में हाल ही में कोई परिवर्तन किया गया है ;

(क) यदि हां, तो इस प्रकार का परिवर्तन करने के क्या मुख्य कारण हैं और इव परिवर्तन से क्या वास्तविक लाभ हुआ; और

(ग) इस प्रकार के परिवर्तन से अब तक प्रभावित चाय बागानों की संख्या कितनी है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

अहमदाबाद में आयकर और सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा छापे

3439. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1971–72 1972–73 और 1973–74 के दौरान आयकर और सीमा शुल्क विभागों के अधिकारियों ने अहमदाबाद में कितने छापे मारे;

(ख) इन छापों के दौरान पकड़ी गयी नकदी और मूल्यवान सामग्री तथा सोने का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त पकड़े गये सामान को किस प्रकार जमा किया गया है और कब तथा किस प्रकार का उनका निपटान करने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) गुजरात में आयकर विभाग द्वारा 1971–72 में 19, 1972–73 में 12, और 1973–74 में 18 छापे मारे गये तथा अहमदाबाद में सीमाशुल्क विभाग द्वारा 1971–72 में 62, 1972–73 में 55 और 1973–74 में 100 छापे मारे गये।

(ख) इन छापों के दौरान आयकर तथा सीमाशुल्क विभागों द्वारा पकड़ी गयी परिसम्पत्तियों के मूल्यों का ब्यौरा नीचे दिये अनुसार है:—

गुजरात में आयकर विभाग द्वारा (हजार रु० में)

वर्ष	नकदी	जेवरात	स्वर्ण	अन्य
1971–72 . .	16,93	15,00	—	30
1972–73 .	9,57	2,23	—	—
1973–74	1,01	43	1,50	3.40

अहमदाबाद में सीमाशुल्क द्वारा (हजार रु० में)

वर्ष	नकदी	जेवरात	स्वर्ण	रत्न
1971–72 . .	4	—	58	—
1972–73 .	5	—	85	41
1973–74	84	—	1.49	—

(ग) पकड़ी गयी परिसम्पत्तियों को सुरक्षित स्थानों पर रखा जाता है और इन को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 132 और 132-ए में तथा आयकर नियमावली 1962 के संगत नियमों में दी गई प्रक्रिया के अनुसार निपटाया जाता है।

सीमाशुल्क विभाग द्वारा पकड़ी गई स्वर्ण, नगदी तथा जेवरात आदि जैसे बहुमूल्य वस्तुओं को बैंक की सुरक्षित तिजोरी में रखा जाता है। मामलों में न्यायनिर्णय के बाद, जब्त की गयी नकदी को स्टेट बैंक आफ इण्डिया में जमा कराया जाता है और स्वर्ण तथा चांदी को सरकार की टकसाल में भेजा जाता है।

रुई के ऊंचे मूल्यों का वस्त्र उद्योग पर प्रभाव

3440. **श्री ए० के० किस्कू : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूई के ऊंचे मूल्यों का वस्त्र उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) रुई की ऊंची कीमतों से और इस लिये कपड़े की ऊंची कीमतों से चालू वर्ष के दौरान परिधान उद्योग के लिये कठिनाइयां पैदा हो गई हैं। तथापि अक्तूबर, 1974 से रूई और कपड़े की कीमतों में गिरावट आई है। रूई की घरेलू उपलब्धि की अनुपूर्ति करने और निर्यात उत्पादन के लिये प्रतियोगी कीमतों पर रूई को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने कुछ मीडियम स्टेपल रूई का आयात करने का भी निश्चय किया है।

बहराइच (उत्तर प्रदेश) में धोतियों और साड़ियों की भारी मांग

3441. **श्री वी० आर० शुक्ल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बहराइच जिले (उत्तर प्रदेश) के ग्रामीण क्षेत्रों में मोटी किस्म की धोतियों और साड़ियों की भारी मांग है;

(ख) क्या बहराइच जिले को सप्लाई की जाने वाली मार्कीन का अर्ज बहुत कम होता है ; और

(ग) क्या सरकार 44 इंच अर्ज वाली मार्कीन की धोतियों की सप्लाई करने के लिए शीघ्र कार्यवाही करेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) माननीय सदस्य ने हाल ही में इस मामले की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है। वस्त्र आयुक्त से अनुरोध किया गया है कि इसके लिए जो कुछ भी संभव हो, वे करें।

(1) कंट्रोल के कपड़े से संबंधित उत्तर प्रदेश की मासिक हकदारी 71–74 गांठें हैं। इस हकदारी की अपेक्षा उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित बढ़े हुए आवंटन किये गये हैं :—

(1) सितम्बर, 1974 की पैकिंग में से अक्तूबर 1974 में कंट्रोल के कपड़े की 10,558–1/4 गांठों का आवंटन किया गया था, जिसमें "44" और उससे बड़े अर्ज के कोरे लट्ठे की 1324–1/4 गांठें, धोतियों की 315 गांठें और साड़ियों की 334 गांठें थीं।

(2) अक्तूबर, 1974 की पैकिंग में से नवम्बर 1974 में कंट्रोल के कपड़े की 9814-1/4 गांठों का आवंटन किया गया था, जिसमें 44" और उससे बड़े अर्ज के कोरे लट्ठे की 1281 1/2 गांठें, धोतियों की 983 1/2 गांठें और साड़ियों की 257 गांठें थीं ।

(3) नवम्बर, 1974 की प्रत्याशित पैकिंग में से अक्तूबर/नवम्बर, 1974 में उत्तर प्रदेश को 44" और उससे बड़े अरज के कोरे लट्ठे की 132 गांठों, धोतियों की 462 गांठों और साड़ियों की 360 गांठों की अतिरिक्त आवंटन।

प्रत्येक राज्य को आवटित कंट्रोल के कपड़े के वितरण की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार पर है। यह काम राज्य सरकार का है कि वह उस राज्य को किये गये आवंटनों में से राज्य के विभिन्न जिलों की क्वालिटीवार जरूरतें पूरी करे।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये मंहगायी भत्ते के फार्मूले में संशोधन

3442. **श्री सखदेव प्रसाद वर्मा .**

श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :

श्री एस० एम० बनर्जी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष अगस्त में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारह महीने के औसत आंकड़ों के 278 अंकों से भी आगे निकल जाने को ध्यान में रखते हुए तीसरे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ते के वर्तमान फार्मले की समीक्षा की है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) तीसरे वेतन आयोग ने सिफारिश की कि यदि मूल्य स्तर 12 महीने के औसत अंक 272(1960=100) से ऊपर चला जाता है तो सरकार को स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए और यह निर्णय करना चाहिए कि क्या मंहगाई भत्ते की योजना को आगे बढ़ाया जाए अथवा स्वयं वेतनमानों को ही संशोधित किया जाए सरकार इस मामले की एतद्नुसार समीक्षा कर रही है।

मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिये कार्यवाही

3443. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :**

सरदार महेन्द्र सिंह गिल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति को रोकने के लिए अनेक मुद्रा-भिन्न उपायों का सुझाव दिया है, जिनमें खाद्यान्नों के लिए प्रभावशाली सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, काले धन पर रोक, धन भण्डार में कमी और कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करने के ठोस प्रयास शामिल हैं;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या कुछ सुझाव स्वीकार भी किये गये हैं और सरकार ने उन्हें क्रियान्वित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी 1973–74 (जुलाई, 1973 से जून, 1974 तक) की, वार्षिक रिपोर्ट में, अर्थव्यवस्था में मूल्यवृद्धि को रोकने के लिए कई सुझाव दिये हैं। वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा हाल में अपनाये गये उपायों से मुद्रा-उपलब्धि वृद्धि में और अधिक कमी होने तथा इसके परिणामस्वरुप मांग पक्ष के कारण होने वाली मूल्य वृद्धि के रुकने की आशा है। इन उपायों के साथ-साथ अधिक अच्छी तरह से वस्तुओं की प्राप्ति का सुनिश्चयन करने, स्टाक जमा करने की वृत्ति को अनुत्साहित करने और सरकारी वितरण प्रणाली के कुशल कार्यचालन को प्रोत्साहिन करने के लिए, मुद्राविषयक उपायों से भिन्न उपाय भी अपनाय जाने चाहिएं। इसने पहले से विद्यमान क्षमता का खास तौर से कृषि, बुनियादी उद्योगों, बिजली और परिवहन के क्षेत्र में, उपयोग करके अधिक उत्पादन करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। साथ ही इसने बिना हिसाब की आमदनी और गैर-कानूनी लेनदेनों से निपटने के लिए कड़े कदम उटाने के लिए कहा है। सरकार देश में पड़ रहे मूल्यवृद्धिकारी दबावों के बारे में भी समान रुप से चिंतित है और इसने मूल्यवृद्धि को रोकने के लिए कुछ उपाय किये हैं, जो इस प्रकार हैं :—

(क) सरकार ने लोगों के पास उपलब्ध उपभोग्या आय (disposeable income) को कम करने की दृष्टि से तथा आम खपत की चीजों की जमाखोरी तथा उनमें की जाने वाली मुनाफाखोरी से निपटने के लिए अनिवार्य वस्तु अधिनियम के उपबन्धों को कड़ाई से लागू करने के लिए जुलाई, 1974 में चार अध्यादेश जारी किये;

(ख) संसद् में 31 जुलाई, 1974 को जो पूरक बजट पेश किया गया था उसका लक्ष्य बढ़े हुए खर्च के लिए अतिरिक्त साधन जुटाना और इस प्रकार घाटे की वित्त व्यवस्था को उचित सीमा के अन्तर्गत रखना था ;

(ग) काले धन और करों की चोरी की समस्या से निपटने के लिए प्रत्यक्ष कर जांच समिति (वांचू समिति) ने कुछ उपयोगी सिफारिशें की हैं। इनमें अधिकांश सिफारिशों को जिन्हें सरकार ने स्वीकार्य समझा, विभिन्न वित्त अधिनियमों और कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1972 के जरिये कार्यान्वित कर दिया गया। कर कानून (संशोधन) विधेयक, 1973 के जरिय कुछ अन्य सिफारिशों को भी कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। इस विधेयक की जांच प्रवर-समिति कर रही है। हाल ही में 17 सितम्बर, 1974 को एक अध्यादेश जारी करके माल की तस्करी और विदेशी मुद्रा के गैर-कानूनी लेन-देनों पर आंतरिक सुरक्षा कानून लागू कर दिया गया है और तस्करी तथा करों की चोरी के विरुद्ध कार्रवाई तेज कर दी गयी है।

(घ) सरकार की मौजूदा नीति का लक्ष्य यह है कि ऐसे क्षेत्रों को, जो अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं, विवेकपूर्ण ढंग से वित्तीय और मूल्य संबंधी प्रोत्साहन दिया जाय और गौण महत्व के क्षेत्रों पर प्रतिबन्ध लगाये जाएं। इस प्रकार इस नीति का लक्ष्य कृषि, कोयला, बिजली, रासायनिक खाद

और अलौह धातुओं जैसे महत्व के क्षेत्रों में पूंजी निवेश को बढ़ाना है । बिजली का उत्पादन करने और परिवहन के क्षेत्र में आने वाली अड़चनों को दूर करने तथा अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्षमता उपयोग करने के लिए विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(ङ) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने खरीफ की फसल की कमी को अगली रबी की फसल से पूरा करने के लिए, पर्याप्त मात्रा में तथा समय पर खेती के काम आने वाली आवश्यक वस्तुएं सप्लाई करके, परमपरागत रूप से गेहूं न उगाने वाले राज्यों में गेहूं की पैदावार शुरु करके और ट्यूबवैल चलाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर बिजली की व्यवस्था करके, एक जोरदार अभियान शुरू किया है।

(च) सरकारी वितरण प्रणाली को चुस्त बनाने तथा उचित मूल्य की दुकानों के काम में सुधार करने के लिए भी कई उपाय किये गय हैं।

चालू कामकाज के दिनों (नवम्बर 1974 से अप्रैल, 1975 तक) के लिए रिजर्व बैंक द्वारा 29 अक्टूबर, को घोषित ऋण नीति का लक्ष्य नये ऋण लेने पर अंकुश जारी रखना और मुद्रास्फीति को रोकना है। इसके साथ, नीति में पूंजीनिवेश बनाये रखने, औद्योगिक और कृषि उत्पादन को बढ़ाने तथा अत्यावश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए चयनात्मक आधार पर ऋण दिये जाने की व्यवस्था है।

Impact of Companies (Temporary Restrictions on Dividends Act on Industrial Development

3444. **Shri R.R. Sharma** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state; what has been and is likely to be the impact of Companies (Temporary Restrictions on Dividends); Act on the industrial development of the country ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : The Companies (Temporary Restrictions on Dividends) Act, 1974 restricts, for a Period of two years the payment of dividends to the extent of 33-1/3% of the net profits of the company, or an amount required to pay 12% dividend on the face value of the equity shares of the company and dividend payable on its preference shares. whichever is lower. The funds so saved by the companies will be available to them for productive use in financing the capital cost of the expansion, diversification and replacement and at the same time, it may also help to reduce the draft on the resources of the banking system and will also minimise the pressure on the resources of financial institutions.

भारत की प्रगति के बारे में विश्व बैंक का प्रतिवेदन

3445. **श्री बी० के० दासचौधरी :**

श्री डी० डी० देसाई :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत की आर्थिक प्रगति के बारे में गम्भीर शंकायें व्यक्त की हैं और यह कहा है कि देश की दो परम्परागत निर्यात-वस्तुएं चाय और जूट, मूल उत्पादों के बारे में विश्वव्यापी आर्थिक तेजी से लाभ उठाने में असफल रही हैं, जबकि पाकिस्तान ने रूई और चावल का निर्यात करके अपनी कुल राष्ट्रीय आय में 6 प्रतिशत की वृद्धि की है;

(ख) इस असफलता के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या विश्व बैंक ने यह मत भी व्यक्त किया है कि भारत ने अपने ऋणों से काफी लाभ प्राप्त नहीं किया है; परन्तु इसका मूल्यांकन करना भारत की संसद् के अधिकार क्षेत्र में आता है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) : : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सच है कि चाय और जूट के निर्यात से विदेशी मुद्रा के रूप में होने वाली आय पर बुनियादी वस्तुओं के मूल्य में हुई वृद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अन्य बातों के साथ-साथ, जूट के संबंध में इसका कारण, ऐसी ही अन्य वस्तुओं के साथ प्रतियोगिता और चाय के संबंध में उसकी मांग में लचीलेपन का होना है।

(ग) जी, नहीं।

निर्माताओं द्वारा हेसियन की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिये कार्यवाही

3447. **श्री एन० ई० होरो** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने चार से छः महीनों से अधिक अवधि के भण्डार न रखने का निर्देश दिया है;

(ख) क्या मिलों से अपना भण्डार घोषित करने के लिए भी कहा गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या नीति है और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि निर्माता हेसियन की कीमतों में वृद्धि न करने पाये ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) सरकार में हेसियन का स्टाक रखने के बारे में कोई हिदायतें नहीं दी हैं।

(ग) हेसियन की कीमतें बाजार शक्तियों द्वारा तय होती हैं। हाल ही के महीनों में कीमत में गिरावट का रुख प्रकट हो रहा है और सरकार स्थिति पर निगरानी रखे हुए हैं।

सिले सिलाये कपड़ों का निर्यात

3448. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं, जहां वर्ष 1971 से 1974 तक सिले सिलाये कपड़ों का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) नाम और पतों सहित निर्यातकर्त्ताओं की संख्या कितनी है; और

(ग) उनमें से कितने निर्यातकर्त्ताओं के अपने कारखाने हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह) : (क) 1971–74 की अवधि के दौरान सिले सिलाये भारतीय परिधानों के मुख्य आयातक सोवियत संघ, ब्रिटेन, सं० रा० अमरीका, फ्रांस, प० जर्मनी, इटली, डेनमार्क, स्वीडन, नीदरलैंडस, नार्वे, कनाडा, आस्ट्रेलिया, जापान और स्वीटजरलैंड रहे हैं।

(ख) तथा (ग) परिधान निर्यातकों का पूरा ब्यौरा उपलब्ध नहीं है क्योंकि वे लाइसेंस-शुदा नहीं है या किसी केन्द्रीय एजेंसी में पंजीकृत नहीं हैं। तथापि सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् में लगभग 1,400 परिधान निर्यातक पंजीकृत हैं। इसमें से लगभग 150 निर्यातकों के अपने परिधान कारखाने हैं।

अर्थ-व्यवस्था पर ऋण प्रतिबन्ध का प्रभाव

3449. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक ऋण पर प्रतिबन्ध लगाने के अर्थ-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव के बारे में अनेक संस्थाओं ने अभ्यावेदन दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने क्या-क्या मुख्य बात कही हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या ऋण प्रतिबन्ध में ढील देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो किन गतिविधियों के मामले में यह ढील दी जायगी ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) रिजर्व बैंक ने मई, 1973 से राजस्व तथा ऋण संबंधी जो प्रतिबन्ध लगाया है उसमें ढील देने के लिए कई औद्योगिक तथा व्यावसायिक संगठन सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के पास अभ्यावेदन भेजते रहे हैं। कुल मिला कर सभी अभ्यावेदनों में यही अनुरोध किया गया है कि यदि ऋण पर प्रतिबन्ध लगाने के उपायों से बिल्कुल छूट नहीं दी जा सकती है तो कम से कम उनमें काफी ढील दे देनी चाहिए। सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक अपने आप ही राजस्व तथा ऋण नीति पर बराबर नजर रखते हैं और जब आवश्यक होता है तब इन अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए उक्त उपायों में आवश्यक फेर बदल किया जाता है। 1974-75 के व्यस्त मौसम के लिए बनी ऋण नीति के अनुसार बैंकों के लिए ये मार्गदर्शक सिद्धान्त तय किये गये हैं कि वे पूंजी निवेश को बनाये रखने उत्पादन को बढ़ा लें। अत्यावशक वस्तुओं के वितरण में सुविधा बनाये रखने के लिए चयनात्मक आधार पर खासकर प्राथमिक क्षेत्रों जैसे कृषि, निर्यात, लघु उद्योगों, सरकारी क्षेत्र के निर्माता उद्योगों तथा गैर सरकारी क्षेत्र के मुख्य उद्योगों को ऋण दें। चूंकि अर्थ-व्यवस्था में मुद्रास्फीतिकारी दबाव में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है इसलिए इस समय ऋण पर लगाये गये प्रतिबन्ध में सामान्यतः कोई ढील देने की आवश्यकता नहीं है।

चाय बागानों का विकास

3450. **श्री टुना उरांव :**
श्री एम० एस० पुरती :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चाय बागानों के विकास के लिए गत तीन वर्षों में, वर्षवार व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है और राशि का वितरण करने की प्रणाली क्या है;

(ख) इन अनुदानों से सीमा-वार और राज्यवार, कितने चाय बागान लाभान्वित हुये; और

(ग) इस अवधि में, वर्षवार, कितनी उत्पादन-वृद्धि हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह) : (क) चाय बोर्ड की विकास

योजनाओं का माध्यम से गत तीन वर्षों के दौरान चाय बागानों को दी गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:

(व्यय लाख रु० में)

योजना	1971–72	1972–73	1973–74
1. चाय रोपण वित्त योजना	25.87	14.57	17.22
2. चाय मशीनरी तथा सिंचाई उपस्कर किराया खरीद योजना . .	112.42	142.02	87.24
3. पुनर्रोपण उपदान योजना .	29.69	26.90	25.80

(ख) जिन चाय बागानों को उनके आरम्भ से ही इन विकास योजनाओं से लाभ पहुंचा है उनके राज्य-वार आंकड़े संलग्न हैं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8690/74]

(ग) भारत में चाय का उत्पादन 1971 में 4354.68 लाख कि०ग्रा० और 1972 में 4559.96 लाख कि०ग्रा० से बढ़कर 1973 में 4719.52 लाख कि०ग्रा० हो गया है।

विदेशी मुद्रा और आयात सम्बन्धी नियंत्रणों को समाप्त करना

3451. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी मुद्रा और आयात संबंधी नियंत्रणों को समाप्त करने की मांग को सरकार ने अस्वीकार कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या मुख्य कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) बैलेंस आफ पेमेंट की मौजूदा स्थिति को देखते हुए सरकार आयात और विदेशी मुद्रा विनिमय संबंधी नियंत्रणों को हटाना ठीक नहीं समझती।

लघु क्षेत्र के निर्माण-निर्यातकों के लिये अच्छे सौदे

3452. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु क्षेत्र के निर्माता-निर्यातकों ने सरकार से अपनी वस्तुओं के अच्छे निर्यात मूल्य प्राप्त करने के उद्देश्य से एक साथ संघ बनाने के लिये कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और अमरीका, जर्मनी तथा अन्य देशों द्वारा लघु क्षेत्र का श्रमप्रधान वस्तुओं का उत्पादन बन्द करने के निर्णय को ध्यान में रखते हुए सरकार ने लघु क्षेत्र के निर्माता निर्यातकों के अनुरोध पर क्या निर्णय किया है; और

(ग) सार्थ संघ बन जाने पर भारत को कितनी विदेशी मुद्रा की आय होने की आशा है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) लघु विनिर्माता-निर्यातकों से यह अपेक्षित नहीं है कि वे अपने द्वारा सार्थसंघ बनाने के लिए वाणिज्य मंत्रालय से संपर्क स्थापित करें। अपनी विपणन क्षमताओं में सुधार करने के प्रयोजनार्थ बनाये गए इन सार्थसंघों को निर्यात सदनों की योजना के अन्तर्गत उपलब्ध सुविधाएं देकर प्रोत्साहित किया जाता है।

(ग) सार्थसंघों के जरिये निर्यातों से होने वाली विदेशी मुद्रा आयों का अपकलन करना संभव नहीं है।

साइप्रेस में भारतीयों द्वारा उद्योगों की स्थापना

3453. **श्री अर्जुन सेठी**: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने कितने भारतीय उद्योगपतियों को साईप्रस में अपनी कारबारी फर्में खोलने की अनुमति दी है;

(ख) क्या उनमें उड़ीसा के एक राजनैतिक व्यक्ति की भी एक फर्म है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह) : (क) एक।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

खनिज तथा धातु व्यापार नियम का लाभ/घाटा

3454. **श्री ज्योतिर्मय बसु**: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1971-72 से 1973-74 की अवधि के दौरान खनिज तथा धातु व्यापार निगम को हुए लाभ अथवा घाटे का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान लाभ अथवा घाटे के क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह) : (क) खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा 1971-72 से 1973-74 की अवधि के दौरान अर्जित लाभ की राशि निम्नोक्त प्रकार थी:

वर्ष	कर देने के बाद निवल लाभ
	करोड़ रु० में
1971-72	5.39
1972-73	5.25
1973-74	11.47

(ख) ये लाभ निगम के सामान्य व्यापार कार्यकलापों के परिणामस्वरूप अर्जित किये गये हैं।

चाय बोर्ड का पुनर्गठन

3455. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी समय से चाय बोर्ड का पुनर्गठन नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों में चाय बोर्ड के सदस्यों का विवरण क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) चाय बोर्ड का पुनर्गठन प्रत्येक तीन वर्ष बाद होता है। इसमें एक अध्यक्ष तथा विभिन्न चाय हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले चालीस अन्य सदस्य होते हैं। पिछली बार इसका पुनर्गठन अप्रैल, 1972 में हुआ था। अप्रैल, 1972 में पुनर्गठित चाय बोर्ड के सदस्यों की एक सूची संलग्न है जिसमें अब तक समय-समय पर हुए परिवर्तन भी शामिल हैं। **[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 8691/74]**

रुपये का मूल्य

3456. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पौंड और डालर की तुलना में रुपये का वर्तमान सरकारी मूल्य कितना है;

(ख) इसका वास्तविक मूल्य कितना है; और

(ग) रुपये के सरकारी मूल्य को बनाये रखने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) रुपया पौंड स्टर्लिंग दर 18.80 रुपये के बराबर है एक पौंड तय की गयी है। रुपया-डालर दर का हिसाब रुपया-पौंड स्टर्लिंग दर और पौंड-स्टर्लिंग डालर दर की संपरक दर के रूप में लगाया जाता है । रुपया-डालर दर स्टर्लिंग-डालर दर में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार घटती बढ़ती रहती है।

(ग) यह सवाल पैदा नहीं होता।

आयकर अधिकारियों द्वारा छापे

3457. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1974 से आयकर के संबंध में कुल कितने छापे मारे गये ;

(ख) इन छापों के दौरान कुल कितनी धनराशि बरामद हुई ; और

(ग) जिन स्थानों पर छापे मारे गये वहां से बरामद हुये कागजात के अनुसार कितनी आय छिपा कर रखी गई पायी गयी ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) आय-कर विभाग द्वारा 1 अप्रैल, 1974 से 31 अक्तूबर, 1974 तक ली गई कुल तलाशियों की संख्या 1,065 है।

(ख) इन छापों में पकड़ी गई परिसम्पत्तियों का कुल मूल्य 905 लाख रुपये है।

(ग) अलग-अलग मामलों में अन्तग्रस्त छिपी आय कर निश्चय, पकड़ गए कागजात की जांच-पड़ताल पूरी होने तथा संगत पर-निर्धारण पूरा किये जाने के बाद ही, किया जा सकता है। जिन मामलों में कुछ परिसम्पत्तियां पकड़ी गई हैं, उनमें इस बीच सरसरी तौर पर अप्रकट आय का अनुमान लगाने और उस पर लगने योग्य कर एवं कर की वर्तमान देनदारी की सीमा तक, पकड़ी हुई परिसम्पत्तियों को रोक रखने के आदेश आयकर अधिनियम 1961 की धारा 132 (5) के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

तस्करी विरोधी अभियान से सम्बद्ध अधिकारियों द्वारा विदेशों के दौरे

3458. **श्री एच० ए० मुरुगनन्तम :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तस्करी-विरोधी अभियान के निकटरूप से संबंध अनेक उच्च अधिकारी विदेशों का दौरा करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) तथा (ख) फिलहाल कोई ऐसा अधिकारी विदेश में नहीं है जिसका तस्कर-विरोधी कार्य के निकट संबंध हो। कभी-कभी अधिकारियों को सरकारी कार्य पर विदेश भेजना पड़ता है परन्तु स्वदेश में उनके महत्वपूर्ण कार्यों की अन्य अधिकारियों द्वारा देख-रेख करने की व्यवस्था सदैव की जाती है।

वोल्गा रेस्टोरेन्ट के नाम आयकर की बकाया राशि

3459. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या **वित्त** मंत्री वोल्गा रेस्टोरेन्ट के नाम आयकर तथा धनकर की बकाया राशि के बारे में 2 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1438 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी राशि अभी तक वसूल की गई है ;

(ख) कितनी राशि अविवादास्पद है और कितनी विवादास्पद है ;

(ग) इस राशि पर अब तक कितना ब्याज तथा कितना दंड लिया गया और यदि नहीं, तो क्यों; और

(घ) 31 अक्तूबर, 1974 को उन पर आयकर तथा धनकर की कितनी राशि बकाया थी ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) अपेक्षित सूचना नीचे दी गयी है :—

	आयकर (लाख रु० में)	धनकर (लाख रु० में)
(क)	0.39	कुछ नहीं
(ख) (i) विवादग्रस्त रकम	8.71	0.03
(ii) विवादरहित रकम	1.21	0.14
(ग) (i) प्रभारित ब्याज	कुछ नहीं	कुछ नहीं
ब्याज, साधारणतः, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में लगाया जाता है।		
(ii) लगाये गये अर्थ दण्ड	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(घ)	9.92	0.17

पर्यटन की विकास-दर

3460. **श्री एम० कतामुतू** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में पर्यटन विकास की दर में काफी गिरावट आयी है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी और इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) जनवरी-अक्तूबर, 1974 के दौरान पर्यटन की विकास दर पिछले वर्ष की उसी अवधि के दौरान दर्ज की गयी 21.2 प्रतिशत की तुलना में 2.3 प्रतिशत थी। तथापि, 1973 की उस अवधि की तुलना में 1974 की उस अवधि के दौरान पर्यटक यातायात की कुल संख्या में 7461 की वृद्धि हुई।

पर्यटकों के आगमन को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारण हैं--ईंधन का अधिक मूल्य जिस के कारण अन्तर्राष्ट्रीय विमान-किराये बढ़ गये हैं, मुद्रा-स्फीति के कारण पर्यटक स्रोत देशों द्वारा अवकाश-कालीन क्रियाकलापों के लिये पर्यटन निधियों में कटौती, इंडियन एयरलाइंस में हड़ताल, रेलवे की हड़ताल तथा एयर इंडिया में तालाबंदी। तथापि, यह कुछ-कुछ उत्साहवर्धक है कि हमने 1974 में विश्व पर्यटन में हुए सामान्य ह्रास की तुलना में पर्यटक आवकों में कुछ वृद्धि बनाये रखी। कुछ प्रेस रिपोर्टों के अनुसार प्रमुख पर्यटक-स्रोत देशों (यू० एस० ए०, फ्रांस, यू० के०, बेनिलक्स, इटली तथा स्कैंडिनेविया से जाने वाले पर्यटकों की संख्या लगभग सभी देशों में घटी है। जनवरी–मई, 1974 की अवधि के दौरान यू० एस० ए० तथा कनाडा में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में क्रमशः 2 तथा 4 प्रतिशत की कमी हुई है। जनवरी--जुलाई, 1974 की अवधि के दौरान पर्यटकों की संख्या आस्ट्रिया में 9 प्रतिशत, डेन्मार्ग में 4 प्रतिशत तथा स्पेन में 9 प्रतिशत घटी है।

परियोजनाओं को पूरा करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मांगी गई धनराशि

3461. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कुछ परियोजनाओं को पूरा करने के लिये केन्द्र से 45 करोड़ रुपये की राशि की मांग की है ?

(ख) यदि हां, तो केन्द्र ने क्या निर्णय किया है ; और

(ग) क्या यह राशि चौथी योजना के लिये मंजूर की जा रही है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार उसे चालू वर्ष में निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त रकम की आवश्यकता है जो प्रत्येक के सामने दी गयी है :—

	(करोड़ रुपयों में)
1. बिजली परियोजनाएं . .	132
2. शारदा सहायक सिंचाई परियोजना . .	20
3. चीनी कारखाने . . .	4

राज्य सरकार ने इस खर्च को पूरा करने के लिये भारत सरकार से सहायता मांगी है। किन्तु साधनों की कमी के कारण उसके अनुरोध को मानना संभव नहीं है।

न्यायालय परिसमापक, केरल पर व्यय

3462. **श्री एन० श्री कान्तन नायर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि न्यायालय परिसमापक, केरल द्वारा वसूल किया गया पूरा शुल्क केन्द्रीय सरकार के नाम डाला जाना चाहिये और न्यायालय परिसमापक तथा उसके संस्थापन पर समग्र व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिये ;

(ख) क्या इस मामले में निर्णय लेने में 'अनुचित विलम्ब' हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) केरल सरकार के अनुरोध पर पहले भी विचार हुआ था, किन्तु वह स्वीकार नहीं किया गया । फिर भी, केरल सरकार ने उक्त निर्णय पर पुनविचार के लिए अनुरोध किया है अतएव, इस मामले पर पुनर्विचार में सुविधा की दृष्टि से कुछ सूचना उक्त सरकार से भेजने का अनुरोध किया गया है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण पर दी गयी राशि

3463. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 1972-73 और 1973-74 (प्रथम पूर्वार्द्ध) में, राज्य-वार, कुल कितनी राशि के ऋण दिये ;

(ख) बिहार जैसे औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों को कम राशि देने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस बारे में कोई विशेष अभियान चलाया जायेगा जिससे पिछड़े क्षेत्र राष्ट्रीयकृत बैंकों से लाभ प्राप्त कर सके ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यन) : (क) दिसम्बर, 1972 और 1973 के अन्तिम शुक्रवार को 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिमों के राज्यवार आंकड़े अनुबन्ध में प्रस्तुत हैं । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०** 8692/74]

(ख) तथा (ग) किसी राज्य को कितना ऋण दिया जाये, यह प्रश्न यह उस राज्य के, विशेषत: व्यापार और उद्योग के संगठित क्षेत्र के आर्थिक क्रियाकलापों के सामान्य स्तर से जुड़ा होता है । दूसरी ओर, इसका निर्धारण बिजली और संचार जैसी आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धि, श्रम और कच्चे माल की सुलभता, बाजार की विद्यमानता तथा उसके आकार और स्थानीय उद्यमी प्रतिभा जैसे विभिन्न तत्वों के आधार पर होता है । सरकारी क्षेत्र के बैंक अपनी ओर से, कम बैंकों वाले क्षेत्रों में अपनी अधिक से अधिक शाखाएं खोलने का प्रयास कर रहे हैं ताकि कृषि लघु उद्योग, सड़क परिवहन आदि जैसे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में कार्यरत छोटे ऋणकर्ताओं की ऋणसंबंधी आवश्यकताओं को, अधिकाधिक मात्रा में पूरा किया जा सके । बैंक, राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में तथा कम विकसित राज्यों में राज्य संबंध निकायों के बांडों तथा ऋण पत्रों में भी अपेक्षाकृत अधिक रकम लगा रहे हैं ।

Development of Tourist Centre in Bastar District (Madhya Pradesh)

3464. **Shri Chandulal Chandrakar :** Will the Ministr of **Tourism and Civil Aviatioin** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that there is a large cave in Bastar district which is a centre of great attraction for tourists; and

(b) if so, the steps taken by Government to develop it a tourist centre ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh) : (a) & (b) The Government is aware that a cave containing stalactites and stalagmites exists in Bastar which could be of interest to tourists, particularly local tourists. There is, however, no proposal for the present to develop this cave as a tourist centre in view of the constraint on resources and other priorities.

रुग्ण चाय बागानों को अदा किया गया मुआवजा

3465. **श्री नवल किशोर सिंह :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने अब तक कितने रुग्ण चाय बागानों को अपने अधिकार में लिया है ;

(ख) अनमें से प्रत्येक को कितना मुआवजा अदा किया गया है; और

(ग) किसी विशेष चाय बागान को रुग्ण घोषित करने तथा उसे अपने अधिकार में लेने का निर्णय करने के लिये सरकार क्या मानदंड अपनाती है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) सरकार द्वारा अभी तक कोई संकटग्रस्त चाय बागान अधिकार में नहीं लिया गया है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

संकटग्रस्त एवं बन्द चाय बागान

3466. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :**

श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने चाय बागान दो वर्षों से अधिक समय से बन्द पड़े हैं कहां कहां पर स्थित हैं, उनके पिछले उत्पादन के उपलब्ध आंकड़ क्या हैं उन्हें बन्द करने के क्या कारण हैं और वे किस-किस राज्य में हैं ;

(ख) इनमें से कितने बागान सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्देश्यों से अभिगृहीत कर लिए गए हैं, उन्हें किस किस तिथि को अभिगृहीत किया गया; और

(ग) क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि किन किन बागान में उत्पादन फिर से प्रारम्भ किया जा सकता है और यदि हां, तो इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) चाय बोर्ड के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार 32 चाय बागान दो वर्षों से अधिक अवधि से बन्द पड़े हैं। इन बागानों के क्षेत्र सहित राज्य बार आंकड़े निम्नलिखित हैं :--

राज्य	चाय बागानों की संख्या	कुल क्षेत्र (हैक्टर में)
आसाम .	13	768
केरल . . .	5	260
त्रिपुरा . .	2	151
उत्तर प्रदेश .	6	279
पश्चिम बंगाल	6	998

इन बन्द पड़े चाय बागानों के पिछले उत्पादन आंकड़ों से संबंधित जानकारी तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

इन चाय बागानों के बन्द हो जाने के कारणों में से कुछ हैं वित्तीय कठिनाई, श्रमिक अशान्ति, कुप्रबंध, मालिक द्वारा बागान का छोड़ देना।

(ख) दो बागानों को सुरक्षा प्रयोजनों के लिए अधिगृहीत/प्राप्त किया गया है। उनमें एक 1964 के दौरान पश्चिम बंगाल में और दूसरा अगस्त, 1967 में असम में था।

(ग) चाय उद्योग संबंधी कृतिक बल से ऐसे किसी भी संकटग्रस्त अथवा बन्द पड़े बागान को नियंत्रण में लेने और उसका प्रबंध चलाने की कानूनी शक्तियां प्राप्त करने की सिफारिश की है जो जीवनक्षम एकक में परिवर्तित करने के योग्य है। बन्द पड़े तथा संकटग्रस्त चाय बागानों के प्रबंध को नियंत्रण में लेने और उन्हें पुनः सामान्य स्थिति में लाने के लिये समुचित अधिकरणों के माध्यम से उनका प्रबन्ध करने के संबंध में चाय अधिनियम में सुधार करने की प्रस्थापनाएं सरकार के विचाराधीन हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मछेरों को दिये गये ऋण

3467. **श्री दयालार रवि** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों ने केरल राज्य में "साईकिल लोड मछेरों' को ऋण के रुप में कितनी राशि दी हैं और उससे कितने श्रमिकों को लाभ पहुचा है ; और

(ख) किन-किन राष्ट्रीयकृत बैंकों ने निर्धन मछेरों को ऋण देने से इन्कार किया और उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) आंकड़ों सम्बन्धी सूचना देने की वर्तमान प्रणाली में 'साईकिल लोड मछेरे आदि जैसी व्यौरेवार श्रेणियों के बारे में सूचना रखने की व्यवस्था नहीं है। इस श्रेणी के ऋणकर्ताओं को दिये गये बैंक ऋण को "मछेरों को अग्रिम" की व्यापक व्यावसायिक श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इस व्यापक श्रेणी में न केवल "साईकिल लोड मछेरों' को दिये गये ऋण बल्कि जाल और अन्य उपकरणों से सज्जित यांत्रिक नौकाओं की खरीद, नये जलयानों

के निर्माण, जलयानों को यंत्रीकृत करने आदि जैसे अन्य विभिन्न प्रयोजनों के लिए दिये गए ऋण भी शामिल किये जाते है । रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सितम्बर, 1973 के अंतिम शुक्रवार को राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों के केरल राज्य में बकाया ऋणों की राशि 310.35 लाख रुपये और उन्हें लेने वालों के खातों की संख्या 2,133 थी।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसे केरल राज्य में मछेरों को ऋण न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट शिकायत नहीं मिली है।

भारतीय पयटन विकास निगम को पुनः नया रूप देना

3468. **श्री हरी सिंह :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय पर्यटन विकास निगम को पुनः नया रूप देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या परिवर्तन लाए जाएंगे तथा इन परिवर्तनों का निगम के कार्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम की संगठनात्मक एवं प्रशासनिक संरचना की जांच करने के लिये एक दल का गठन किया गया है ।

(ख) दल ने अभी अपना अध्ययन पूरा नहीं किया है । किये जाने वाले परिवर्तनों पर विचार तभी किया जा सकता है जब अध्ययन पूरा हो जाये ।

चाय बोर्ड द्वारा चाय कम्पनियों को ऋण

3469. **श्री मधुर्य्य हालदार :**
श्री ज्योतिमय बसु :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान चाय बोर्ड ने चाय कम्पनियों को पुनः बागान लगाने और किराया खरीद के आधार पर मशीनें, लारियां और जीपें आदि खरीदने के लिये ऋण के रूप में कुल कितनी राशि अदा की है ; और

(ख) पश्चिम बंगाल की उन चाय कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्हें ऐसे ऋण मिले हैं उन्हें तथा प्रत्येक को ऋण की कितनी राशि मिली है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) गत तीन वर्षों में चाय बोर्ड द्वारा भुगतान किये गये ऋणों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(व्यय लाख रुपयों में)

योजना	1971-72	1972-73	1973-74
1. चाय रोपण वित्त योजना .	25.87	14.57	17.22
2. चाय मशीनरी तथा सिंचाई उपस्कर किराया खरीद योजना . .	112.42	142.02	87.24

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

आस्ट्रेलिया से कच्ची ऊन खरीदने का राज्य व्यापार निगम का ठेका

3470. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडेय** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया के ऊन के जहाजी व्यापारियों ने राज्य व्यापार निगम को दो करोड़ रुपये की कच्ची ऊन की खरीद के ठेकों को न सिकारने के कारण काली सूची में रखा है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले में तथ्य क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह) :(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

तस्करों द्वारा समानान्तर रिजर्व बैंक की स्थापना

3471. **श्री कृष्ण चन्द्र हालदर :**
श्री सरजू पाण्डे :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तस्करों ने जो "समानान्तर रिजर्व बैंक" स्थापित किया है वह अब गिरफ्तार तस्करों को छुड़ाने के लिये "ब्लू प्रिन्ट्स" तैयार कर रहा है जिसके लिये वह कितनी भी धनराशि खर्च करने को तैयार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) सरकार के पास इस संबंध में कोई सूचना नहीं है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता।

अखबारी कागज की कमी

3472. **श्री के० लकप्पा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम विभिन्न देशों से और अधिक अखबारी कागज प्राप्त नहीं कर सका है तथा जिसके कारण देश में अखबारी कागज की कमी हो गई है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) राज्य व्यापार निगम के पास अखबारी कागज का कुल कितना रक्षित भंडार है ;

(ग) अखबारी कागज की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है

(घ) क्या रूस ने भारत को इस वर्ष अखबारी कागज की सप्लाई करना स्वीकार कर लिया है और यदि हां, तो कितना ; और

(ङ) इससे हमारी मांग कितनी पूरी होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) 31-10-1974 को 9098 मे० टन।

(ग) जब कि उत्पादन का विस्तार करने के लिये कदम उठाये जा रहें हैं, मांग और पूर्ति के बीच अन्तर को दूर करने के लिये अखबारी कागज का आयात करने के प्रयास जारी है।

(घ) सोवियत संघ 45,000 मे० टन अखबारी कागज सप्लाई करने के लिये सहमत हो गया है।

(ङ) राज्य व्यापार निगम द्वारा जो संविदाएं की जा चुकीं हैं उनसे देश में अखबारी कागज की आयात आवश्यकताएं पर्याप्त रूप से पूरी हो जाएंगी।

भारत में व्यापार कर रही विदेशी कम्पनियां

3473. **श्री शशि भूषण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के तत्संबंधी नियमों के अन्तर्गत केवल भारत में व्यापार कर रही कितनी विदेशी कम्पनियों को अब तक 31 अगस्त 1974 के बाद कार्य करने की अनुमति दी गई है ; और

(ख) उन विदेशी कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने समय बढ़ाने अथवा छूट देने का अनुरोध किया है ; और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) विदेशी मुद्राविनियमन अधिनियम 1973 की धारा 29 (क) के अन्तर्गत, विदेशी कम्पनियों की शाखाओं तथा व्यापारिक कार्यकलापों में लगी कम्पनियों सहित उन भारतीय कम्पनियों को जिनमें 40 प्रतिशत से अधिक शेयर विदेशियों के पास हो, भारत में अपना वर्तमान कारोबार चलाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए 31 अगस्त, 1974 तक भारतीय रिजर्व बैंक के पास प्रार्थना-पत्र भेजना आवश्यक था ? इस तरह के प्राप्त सभी प्रार्थना पत्र, उक्त अधिनियम की धारा 29 के प्रशासन के लिए सरकार द्वारा घोषित मार्गदर्शक सिद्धान्तो के संदर्भ में बैंक के विचाराधीन है। उक्त अधिनियम की एक प्रति 20 दिसम्बर, 1973 को लोक-सभा पटल पर रख दी गयी थी और अभी तक बैंक ने किसी मामले पर निर्णय नहीं किया है।

(ख) इस तरह की किसी कम्पनी ने उक्त अधिनियम की धारा 29(2) (क) के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र देने की तारीख बढ़ाने अथवा धारा 29 (3) के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने के लिए अनुरोध नहीं किया है।

केरल मिलों में अनुपयुक्त पड़ा कता हुआ सूत

3474. **श्री रामचन्द्रन कडना पल्ली** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल मिलों में बड़ी तादाद में कता हुआ सूत बेकार पड़ा है ;

(ख) क्या इसके उपयोग के लिये सरकार का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) (क) केरल की सूती कताई मिलों के पास जमा पड़े यार्न के स्टाक में पिछले तीन मास में भारी वृद्धि हुई है। जुलाई 1974 के अंत में जमा स्टाक 180 किग्रा– वाली 1000 गांठे थी जो बढ़कर अगस्त के अन्त में 2400 गांठों तक और अक्टूबर, 1974 के अन्त तक 7,900 गांठों तक पहुंच गया।

(ख) तथा (ग) वस्त्र-आयुक्त की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल मिलों के पास स्टाक जमा हो जाने की समस्या का अध्ययन कर रहा है और आशा है कि वह अपनी रिपोर्ट शीघ्र दे देगा।

कृत्रिम रेशा उद्योग

3475. **श्री त्रिदिव चौधरी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृत्रिम रेशा उद्योग में, विशेषकर पोली प्रोपलिन और कम घनत्व के पौलिथिलिन के उत्पादन के सम्बन्ध में हाल ही में जो परिवर्तन हुए हैं उनका कोई सरकारी अनुमान लगाया गया है जिससे पैकिंग सामग्री के रूप में भारतीय पटसन के लिए विश्व बाजार में अप्रतियोगी हो जाने का खतरा हो सकता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ; और

(ग) क्या सम्भावित खतरे का मुकाबला करने के लिए सरकार कोई ठोस कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह) : (क) पटसन उत्पादों की कीमतों की तुलना में लो डेसिटी पोलिथिलीन और पोलिप्रोपिलीन की कीमत प्रवृतियों की सरकार द्वारा निरन्तर समीक्षा की जाती है ।

(ख) तथा (ग) किसी भी खतरे का सामना करने के लिए यथावश्यक उपाय किये जाएंगे ।

मैसर्स वोल्गा रेस्टोरेन्ट दिल्ली और बम्बई से करों की वसूली

3476. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स वोल्गा रेस्टोरेन्ट, नई दिल्ली और वोल्गा रेस्टोरेंट बम्बई से 1972 से 1974 के वर्षों वर्ष वार कितना कर वसूल किया गया ;

(ख) क्या ये कर देय तिथियों पर अदा किए गए थे ; और

(ग) यदि नहीं तो चूक करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : अपेक्षित सूचना नीचे दी गयी है :--

(क) निम्नलिखित वर्षों में अदा किया गया आयकर :--

(लाख रुपयों में)

	1972	1973	1974 (31 अक्टूबर 1974 तक
वोल्गा रेस्टोरेन्ट नई दिल्ली	2.29	1.97	0.51
वोल्गा रेस्टोरेन्ट बम्बई	कुछ नहीं	0.65	कुछ नहीं
जोड़	2.29	2.62	0.51

(ख) निर्धारित तारीखों तक कुछ रकमों को अदा नहीं किया गया था।

(ग) विलम्ब से की गयी अदायगियों पर ब्याज/अर्थदण्ड लगाने की कार्यवाही की गयी है अथवा की जा रही है।

अवर सचिव तथा इससे उच्च पदाधिकारियों के वेतन पर खर्च की गई धनराशि

3477. **श्री रामदेव सिंह :**

श्री मधु लिमये :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 15 अगस्त 1947 को भारत सरकार के अधीन अवर सचिव तथा इससे ऊंचे पदों पर, जिनमें निदेशक, विशेष और अतिरिक्त सचिव भी सम्मिलित हैं, कितने अधिकारी नियुक्त थे ;

(ख) दिनांक 15 अगस्त, 1974 को उन की संख्या कितनी थी ; और

(ग) वित्तीय वर्ष 1948-49 और वित्तीय वर्ष 1973-74 में उन के वेतन, भत्ते आदि पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

Steps to Check Smuggling

3478. **Shri Shrikrishna Agrawal :**
Shri Vasant Sathe :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether Government are formulating a scheme to make the current compaign against smugglers more effecive to bring the smuggling to an end; and

(b) if so, the outlines thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohtagi) (a) & (b) A comprehensive scheme for establishment of Coast Guard Mobile Preventive Parties on the West Coast and Tamil Nadu Coast is being implemented. There will, in addition, be Road Checking Parties at the points where the feeder roads from the Coast meet the main roads and there will also be the intelligence-cum-preventive parties in the cities and towns from where smuggling is organised and from which the smuggled goods are distributed.

The Government are also implementing a scheme for a wireless communication network covering the West Coast and the Tamil Nadu Coast. This should provide speedy, reliable and secret means of communication for anti-smuggling staff.

भारत और बल्गारिया के बीच व्यापार समझौता

3479. **श्री भोला मांझी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुल्गारिया और भारत ने हाल ही में वर्ष 1975 के लिए व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 25 सितम्बर, 1974 को सम्पन्न वर्ष 1975 के लिए भारत बलगारियन व्यापार संलेख में 1975 के दौरान 85 करोड़ रुपये अर्थात् प्रत्येक ओर से 42.5 करोड़ रुपये के कुल व्यापार की व्यवस्था है।

बलगारिया को निर्यात की मुख्य मदें ये होंगी :—खली, पटसन निर्मित वस्तुएं, कमाई हुई खालें तथा चमड़ियां, काफी, मसाले भेषज तथा औषधियां, विविध इंजीनियरी सामान आदि।

बलगारिया से आयात की मुख्य वस्तुएं ये होंगी : उर्वरक, इस्पात तथा इस्पात के उत्पाद, भेषज उत्पाद तथा मध्यवर्ती पदार्थ, विभिन्न कार्बनिक तथा गैर कार्बनिक रासायनिक पदार्थ, इलैक्ट्रोनिक संघटक, आदि।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रत्याशियों की राष्ट्रीयकृत बैंकों में भरती

3480. **श्री एस० एम० सिद्धदग्या** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, स्टेट बैंक आफ इण्डिया और विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सेवा के मामलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों के लिए आरक्षण तथा अन्य रियायतें देने के बारे में सरकारी अनुदेशों का पालन किया जाता है ;

(ख) इन बैंकों में इन आदेशों का किस तिथि/किन तिथियों से पालन हो रहा है ; और

(ग) उपरोक्त बैंकों द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों को सेवाओं में तथा सीधी भरती द्वारा भरे गए पदों पर एवं पदोन्नति द्वारा भरे गए पदों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए क्या ठोस उपाय और विशेष प्रयास किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और सभी चौदह राष्ट्रीयकृत बैंक सीधी भरती द्वारा भरे जाने वाले पदों के बारे में अनुसूचित जाति/जनजातियों के वास्ते पदों के आरक्षण संबंधी सरकार के निर्देशों को अंगीकार कर चुके हैं। किन्तु ये बैंक पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों के विषय में आरक्षण संबंधी सरकारी निर्देशों को कर्मचारी संघों के साथ हुए करारों/समझौतों तथा न्यूनतम अर्हक सेवा वाले व्यक्तियों की कमी के कारण नहीं अपना सके हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को नीचे लिखे विशेष उपाय करने की सलाह दी है :

(1) अनुसूचित जातियों/जनजातियों के सदस्यों के लिए निम्नतर योग्यतायें और अर्हक मानक विहित करना;

(2) अधीनस्थ स्टाफ की अस्थायी नियुक्तियों के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वालों को ही भरती करना ;

(3) भरती संबंधी विज्ञापन में अनुसूचित जाति/जनजातियों के समुदायों के लिए विहित प्रतिशतता का स्पष्ट उल्लेख करना ;

(4) सरकार के निर्देशों के अनुसार आरक्षित रिक्तियों का व्यापक प्रचार करना ;

(5) हर बड़ी भरती की रिपोर्ट निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करना, जिसमें बैंक द्वारा भरती किए गए अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या और यदि विहित प्रतिशतता में कोई कमी रह गयी है, तो पूरा कोटा न भरे जाने के कारणों का भी उल्लेख करना ;

(6) बैंकों को यह सलाह भी दी गयी है कि वे अपने भरती अधिकारियों को, भरती परीक्षा के वास्ते अनुसूचित जातियों/जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए विभिन्न राज्यों में अवस्थित भरती-पूर्व प्रशिक्षण केंद्रों से सम्पर्क करने के निदेश देना ;

(7) बैंकों को यह भी सलाह दी गयी है कि वे उपयुक्त उम्मीदवारों के नाम भेजने के लिए आरक्षित रिक्तियों की सूचना अनुसूचित जातियों/जनजातियों के कल्याण से सम्बद्ध सस्थाओं/विशिष्ट निकायों को भी देना।

बैंक-सेवाओं में इन समुदायों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के उद्देश्य से कुछ बैंकों ने केवल अनुसूचित जातियों/जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए विशेष परीक्षाओं का आयोजन किया है।

पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में इन समुदायों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर बैंकिंग विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से विचार कर रहा है।

विवरण

क्रम संख्या	बैंक का नाम	सरकारी आदेशों के अंगीकरण की तिथि
(1)	(2)	(3)
1.	रिजर्व बैंक आफ इण्डिया	मई, 1967
2.	स्टेट बैंक आफ इण्डिया	सितम्बर, 1966
	राष्ट्रीयकृत बैंक	
1.	सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया	नवम्बर, 1970
2.	बैंक आफ इण्डिया	नवम्बर, 1970
3.	पंजाब नेशनल बैंक	4-12-1970
4.	बैंक आफ बड़ौदा	1-1-1970
5.	यूनाइटेड कामर्शियल बैंक.	19-7-1969
6.	केनारा बैंक . .	1-1-1971
7.	यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	1-1-1971
8.	देना बैंक .	19-7-1969
9.	सिंडिकेट बैंक . .	1-5-1971
10.	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	जनवरी, 1970
11.	इलाहाबाद बैंक	1-1-1971
12.	इण्डियन बैंक .	4-11-1970
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र .	6-11-1970
14.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	19-7-1969

बंद तथा संकटग्रस्त चाय बागानों को पुनः चालू करना

3481. **श्री एस० एन० मिश्र**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में बंद पड़े और संकटग्रस्त चाय बागानों को पुनः चालू करने के बारे में इस बीच कोई निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूप रेखा क्या है और उस पर खर्च होने वाली धनराशि कितनी है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) तथा (ख) संकटग्रस्त बागानों के प्रबंध को अपने हाथ में लेने तथा उन्हें पुनः सामान्य स्थिति में लाने के उद्देश्य से उनका समुचित अभिकरणों के माध्यम से प्रबंध करने के संबंध में चाय अधिनियम में संशोधन करने की प्रस्थापनाओं पर सरकार विचार कर रही है। उपायों के फलितार्थों पर कानूनी, प्रशासनिक, वित्तीय तथा अन्य सभी पहलुओं से विचार किया जा रहा है।

लोह अयस्क का निर्यात

3482. **श्री बी० बी० नायक**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में अनुमानतः कुल कितनी मात्रा में लौह अयस्क निक्षेप हैं;

(ख) इस समय प्रति वर्ष कितने मूल्य के लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है;

(ग) क्या भारत लौह अयस्क के निर्यात को "तेल उत्पादक निर्यात देशों" (ओपेक) की तरह व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहा है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) लगभग 110 बिलियन मे० टन।

(ख) 1973-74 के दौरान 132.83 करोड़ रु०।

(ग) जी नहीं। तथापि, लौह अयस्क निर्यातक देशों का संगठन बनाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं ताकि वे अपनी निर्यात नीतियों का समन्वय कर सकें तथा लौह अयस्क के अपने निर्यातों पर पर्याप्त लाभ प्राप्त करने के लिए संयुक्त कार्यवाही कर सकें।

वास्तविक प्रयोक्ताओं को आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस

3483. **श्री के० मालन्ना**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खनिज तथा धातु व्यापार निगम जैसी प्रेषण एजेंसियों के पास जमा आयातित कच्चा माल व्यापार तथा उद्योग द्वारा न उठाए जाने के बारे में कोई निर्णय लिया है;

(ख) क्या सरकार का विचार वास्तविक प्रयोक्ताओं तथा अन्य संबंधित हितों को दिए गए आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंसों की मात्रा घटाने का है और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौर क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) खनिज तथा धातु व्यापार निगम के पास पड़े हुए आयातित कच्चे माल को व्यापार तथा उद्योग द्वारा शीघ्र उठाये जाने को सुगम बनाने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Unlawful utilisation of licences by Fifty Four Firms

3484. Shri M.C. Daga : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state whether the Central Bureau of Investigation took action in 1973 against 54 firms who unlawfully utilized 206 licences valued at Rs. 3,22,10,506 and if so, the names and locations of those firms, the nature of action taken against them, the number of persons challaned and the names of those who have been convicted so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

औद्योगिकरण के लिये सोवियत संघ से सहायता

3485. **श्री भगतराम राजाराम मनहर**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत के औद्योगिक कार्यक्रमों में 15 वर्षीय आर्थिक और व्यापार सहयोग करार के अन्तर्गत सोवियत संघ से कितनी सहायता मिली है अथवा मिलने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सोवियत संघ ने भारत को इस वर्ष नये ऋण दिये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सो० सुब्रह्मण्यम) : (क) 29 नवम्बर, 1973 को भारत और सोवियत संघ के बीच हुए 15 वर्षीय करार/सन्धि के अन्तर्गत सोवियत संघ भारत को कुछ क्षेत्रों में नयी औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित करने के लिये और अन्य परियोजनाओं के विस्तार के लिए जिन्हें पहले सोवियत संघ की सहायता से शुरू किय गया है, ऋण देने के लिए सहमत हो गया है। अभी तक कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है, किन्तु इसका निर्णय दोनों सरकारों द्वारा यथासमय अलग अलग करारों द्वारा किया जाएगा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

मछली पकड़ने वाली आयातित नौकाओं के आवंटन का मापदंड

3486. **श्री सो० जनार्दनन**: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न फर्मों के मालिकों और निदेशकों के नाम क्या हैं जिनको मछली पकड़ने वाली 30 आयातित नौकाओं का आवंटन किया गया था तथा वह कब किया गया था और उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को मछली पकड़ने वाली कितनी नौकाएं दी गई थीं;

(ख) क्या प्रत्येक पार्टी ने नौका के आवंटन के बाद से अपने निर्यात दायित्वों को पूरा कर दिया था;

(ग) क्या नौका पाने वाली प्रत्येक पार्टी ने प्रत्येक दो नौकाओं पर एक स्वदेशी नौका के लिए क्रयादेश देने के वचन का पालन किया था ; और

(घ) क्या सरकार ने किसी आवंटन को रद्द किया है, यदि हां, तो उन पार्टियों के नाम क्या हैं और आवंटन को कब रद्द किया गया था ; और यह रद्द किये गये आवंटन पुनः किसे आवंटित किये गये तथा कब ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8693/74]**

(ख) निर्यात दायित्व को नौकाएं प्राप्त करने की तारीख से सात वर्षों की अवधि में पूरा करना होता है। जिन पार्टियों ने नौकाएं आयातित की हैं, उन्होंने पहले से ही समुद्री उत्पाद निर्यात करना शुरू कर दिया है।

(ग) सम्बद्ध पार्टियों को आयात लाइसेंसजारी करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि पार्टियों ने स्वदेशी शिपयार्डों से इस आशय का दस्तावेजी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है कि आयात के लिए अनुभेय प्रत्येक दो नौकाओं के पीछे एक नौका के विनिर्माण के लिये अप्रतिसंहरणीय क्रयादेश दिया गया है।

(घ) संलग्न विवरण के अनुसार सरकार ने पहले से ही कुछ पार्टियों को जारी किये गये लाइसेंस रद्द कर दिये हैं। पुनः वैध नहीं किए हैं क्योंकि इन पार्टियों द्वारा नौकाओं के आयात में बहुत थोड़ी प्रगति की जा रही है अथवा कोई प्रगति नहीं की जा रही है। 50 नौकाओं के आयात की नई योजना के साथ साथ रद्द किए गए इन आवंटनों में से उपलब्ध की गई नौकाओं के पुनः आवंटन के बारे में विचार किया जा रहा है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एस०टी० 8693/74]**

'आंसुका' के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये तस्करों को जेल में दी जाने वाली सुविधाएं

3487. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के अन्तर्गत तीन मास में गिरफ्तार किये गये तस्करों को जेलों में किस प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 1974 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा पारित आदेशों के अन्तर्गत नजरबन्द किये गये व्यक्तियों को वही सुविधाएं दी जाती हैं जो साधारण श्रेणी में कैदियों को उपलब्ध हैं। राज्य सरकार के प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के अधीन नजरबंद किये गये व्यक्तियों के संबंध में, ये सुविधाएं सम्बद्ध राज्य सरकार के संगत नियमों द्वारा अधिशासित होती हैं।

एवरो विमानों की उड़ान-योग्यता

3488. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञों के एक दल ने एवरो विमानों की उड़ान-योग्यता की जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो उन विशेषज्ञों द्वारा क्या टिप्पणियां की गई हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री : (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) एवरो (एच०एस०-748) विमानों के सभी पहलुओं का मूल्यांकन करने के लिए डा० एस० धवन की अध्यक्षता में नियुक्त एक-सदस्यीय एवरो मूल्यांकन समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

अरब 'पेट्रो डोलर्स आयल फन्ड' पुनर्व्यवस्थापित करने के लिये ब्रिटेन का प्रस्ताव

3489. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :**

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन ने अरब के "पैट्रो डोलर्स आयल फन्डस" को पुनर्व्यवस्थित करने का प्रस्ताव रखा है;

(ख) क्या अमरीका और पश्चिम जर्मनी सहित पाँच बड़े पश्चिमी देशों ने इस प्रस्ताव को मंजूर कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो यदि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है और कार्यरूप दिया जाता है तो क्या भारत को जिसने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नई सुविधा से ऋण लेने की घोषणा की थी कोई लाभ होगा; और

(घ) यदि हां, तो कितना;

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) . (क) जी, हां।

(ख) यद्यपि पेट्रो डालर निधियों के पुनर्आवर्तन के प्रस्तावों को व्यापक समर्थन मिला है, फिर भी अभी ऐसे कोई संकेत नहीं मिले हैं कि ब्रिटेन के विशिष्ट प्रस्ताव को प्रमुख विकसित देशों का समर्थन मिला है।

(ग) और (घ) : 1974 के लिए निधि की तेल संबंधी सुविधा तथा उसे 1975 में जारी रखने का प्रश्न अभी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विचाराधीन है। अतः इस समय यह बताना समय पूर्व होगा कि जो प्रस्ताव अंततः सामने आयेगा उसका स्वरूप क्या होगा और अन्तिम रूप से भारत को उससे कितना लाभ होगा।

दक्षिण पूर्व एशियायी देशों को यात्री डिब्बे निर्यात करने के लिये क्रयादेश

3490. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से यात्री डिब्बे निर्यात करने के लिये क्रयादेश प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने यात्री डिब्बों का निर्यात किया जायेगा तथा क्रयादेशों की शर्तें क्या हैं; और

(ग) ये डिब्बे कब तक सप्लाई कर दिये जायेंगे तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय होने की आशा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) संविदा किये गये यात्री डिब्बों की संख्या, उनका अनुमानित मूल्य, सुपुर्दगी की तारीख और संविदाओं की शर्तें नीचे दी गई हैं :—

संविदा किये गये यात्री डिब्बों की संख्या तथा देश का नाम	सुपुर्दगी की तारीख	अनुमानित मूल्य	शर्तें
1	2	3	4
बंगला देश 50 यात्री डिब्बे	अप्रैल, 75 तक	4.45 करोड़ रु०	5 प्रतिशत अग्रिम और 95 प्रतिशत सुपुर्दगी पर।
फिलीपाइन्स 30 यात्री डिब्बे	जून, 75 तक	2.48 करोड़ रु०	10 प्रतिशत अग्रिम 5 प्रतिशत नौवहन दस्तावेजों पर तथा शेष 85 प्रतिशत 11 वर्षों में विलम्बित भुगतान शर्तों पर विलम्बित भुगतानों की गारंटी फिलीपाइन्स सरकार द्वारा दी गई है।

अस्पताल कर्मचारियों तथा प्रवर्तन विभाग के अधिकारियों को श्री एस० एम० बाखिया द्वारा दिये गये उपहार

3491. **श्री वीरेन दत्त :**

मौलाना इसहाक सम्भली :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हाल में 'आंसुका' के अन्तर्गत गिरफ्तार श्री सुकुर नारायण बाखिया ने अपनी गिरफ्तारी के बाद अस्पताल के कर्मचारियों तथा प्रवर्तन विभाग के कुछ अधिकारियों को कीमती उपहार दिये थे।

(ख) यदि हां, तो अस्पताल में पुलिस की हिरासत में होने पर भी उसने उन कीमती वस्तुओं को प्राप्त करने का प्रबन्ध कैसे किया; और

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) सरकार ने समाचार पत्रों में छपे इस आशय के कुछ समाचारों को देखा है। समाचार पत्रों में सुकुर नारायण बाखिया की ओर से और भी समाचार छपे हैं जिनमें इन आरोपों का खण्डन किया गया है।

(ख) तथा (ग) जांच पड़ताल से पता चलता है कि उक्त समाचारों का कोई आधार नहीं है। आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम के अधीन नजरबन्द किये जाने के बाद श्री सुकुर नारायण बासिया पर राज्य पुलिस द्वारा लगातार निगरानी रखी गई।

Export of Groundnut

3492. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government propose to export groundnuts;

(b) whether on account of the scarcity of groundnut oil and other edible oils vanaspati ghee is not available to the consumers in the country; and

(c) if so, the justification of the exporting of groundnut in such a situation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) to (c) India has been exporting only the hand-picked selected variety of groundnuts, called the HPS groundnuts which are bold nuts selected from the lots by employing manual labour. All other varieties of groundnuts, including the oil yielding variety, are not allowed for export.

The reasons for exporting HPS groundnuts is that it has a lower oil content as compared to the milling variety and is not generally used for crushing. The export of HPS groundnuts have been fetching for India the much needed foreign exchange in a good measure. Moreover, the export of HPS groundnuts constitute less than 1.5% of the total groundnut production in the country. The shortage of groundnut oil and vanaspati in country, is therefore, not as a result of the export of HPS groundnuts.

Revenue Accruing from increased excise duty on Petrol

3493. **Shri Chandulal Chandrakar** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of income that accrued to Government in the form of excise duty and surcharge on petrol when its price was increased in 1972-73 and 1973-74;

(b) whether the aforesaid income is proposed to be spent on the construction of roads and the development works or on some other items; and

(c) the broad outlines of the other items on which this income has been spent ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohtagi) : (a) The additional amount realised from increased excise duty on Motor Spirit is as follows :—

Year	Amount (Rs. in lakhs)
1972-73	131.2
1973-74	7905.6

(b) & (c) The increased income from excise duty on petrol will be credited to the Consolidated Fund of India and is not proposed to be exclusively spent on construction of roads etc. However, a portion of the increased revenue is proposed to be given as loans to improve and strengthen the public transport system in metropolitan cities of Bombay, Calcutta, Delhi and Madras.

अयस्क (ओर) क्लब

3494. **श्री राजदेव सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अयस्क उत्पादक देशों अर्थात् भारत, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा तथा स्वीडन के बीच अयस्क क्लब संबंधी विचार के बारे में पूर्ण सहमति है;

(ख) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं और उस देश/देशों के नाम क्या हैं जो 'अयस्क क्लब विचार' के विरुद्ध हैं;

(ग) क्या क्लब विचार से सहमत होने वाले देश मिलकर निर्यात योग्य आधे से अधिक लौह-अयस्क का उत्पादन करते हैं; और

(घ) यदि हां, तो सहमत होने वाले देशों के साथ मिलकर क्लब बनाने में क्या हानि है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (घ) लौह अयस्क निर्यात देशों के ग्रुप की मंत्रिस्तरीय बैठक 4-6 नवम्बर, 1974 को जेनेवा में हुई। इस बैठक ने लौह अयस्क उत्पादकों में घनिष्ठ सहयोग की जरूरत की पुष्टि की और इस ग्रुप द्वारा अब तक किये गये कार्य को जारी रखने तथा आगे बढ़ाने के लिये किसी स्थायी व्यवस्था या संस्था की स्थापना पर विचार किया। ऐसे संगठन की स्थापना के विचार का कोई विरोध नहीं हुआ और भाग लेने वाले देशों ने अनेक सुझाव दिये। लौह अयस्क निर्यातक देशों की एसोसिएशन के स्वरूप तथा विस्तृत उपबन्धों का गहन अध्ययन करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक प्रारम्भिक समिति का गठन किया गया जिसमें सभी लौह अयस्क निर्यात देशों के प्रतिनिधि हैं। प्रारम्भिक समिति की बैठक जनवरी, 1975 में नई दिल्ली में होगी और वह मार्च-अप्रैल, 1975 में होने वाली मंत्रिस्तरीय बैठक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

आर्थिक अपराधों के मामलों में व्यक्तियों को 'आंसुका' के अन्तर्गत नजरबन्द करने का आधार

3495. **श्री शंकरराव सावंत** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर्थिक अपराधों के मामलों में व्यक्तियों को 'आंसुका' (मिसा) के अन्तर्गत नजरबन्द करने का आधार क्या है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि कुछ ईर्ष्यालु व्यक्ति अनाम अथवा हस्ताक्षर करके भी ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध तस्करी के आरोप लगाते हुये आवेदन पत्र दे रहे हैं जिन से वे घृणा करते हैं; और

(ग) ऐसे आवेदन पत्रों को कितना महत्व दिया जाता है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण (संशोधन) अध्यादेश 1974 द्वारा यथासंशोधित आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम, 1971 के अधीन आर्थिक अपराधों के लिए किसी व्यक्ति (जिसमें विदेशी व्यक्ति शामिल है) की निवारक नजरबन्दी का आदेश धारा 3 (1) (ग) के अन्तर्गत इस दृष्टि से दिया जा सकता है कि "उसे ऐसे किसी भी रूप में कार्य करने से रोका जा सके जो विदेशी मुद्रा के संरक्षण के प्रतिकूल हो या इस दृष्टि से दिया जा सकता है कि उसे (i) माल की तस्करी करने या (ii) दूसरे व्यक्तियों को माल की तस्करी के लिए उकसाने, या (iii) तस्करी के माल का व्यापार करने से रोका जा सके।"

(ख) और (ग) सरकार को हस्ताक्षर युक्त और बिना हस्ताक्षर के कई आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। जहां कोई विशिष्ट सूचना दी हुई होती है वहां कानून के अन्तर्गत उस पर आवश्यक कार्यवाही करने के लिए गौर किया जता है।

वर्ष 1972-73 और 1973-74 के दौरान चीनी का निर्यात

3496. **श्री प्रबोध चन्द्र :**

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर .

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972–73 और 1973–74 में कितनी मात्रा में चीनी का निर्यात किया गया; और

(ख) इस से कितनी विदेशी तथा भारतीय मुद्रा प्राप्त हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) वर्ष 1972–73 तथा 1973–74 के दौरान निर्यात की गई चीनी की मात्रा तथा उससे अर्जित की गई विदेशी मुद्रा की राशि इस प्रकार है :–

वर्ष	मात्रा (मे० टन)	अर्जित की गई विदेशी मुद्रा (करोड़ रु०)
1972–73	98,827	12.52
1973–74	248,864	42.21

चीनी कारखानों के मामलें में उत्पादनशुल्क में छूट की नयी व्यवस्था

3497. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा उत्पादशुल्क में दी गई छूट की नई व्यवस्था के प्रति भारतीय चीनी मिल एसोसियेशन ने नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित अपनी बैठक में विरोध प्रकट किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) दिनाँक 12 अक्तूबर, 1974 की अधिसूचना सं० 146/74-के०उ०शु० में घोषित उत्पादन-शुल्क संबंधी छूट की योजना में कोई परिवर्तन आवश्यक नहीं समझा गया है क्योंकि यह योजना कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रख कर तैयार की गई है। छूट की मात्रा भी पर्याप्त समझी गई है।

जिन कारखानों ने पहली बार 1971–72 में उत्पादन आरम्भ किया है उनके संबंध में योजना दिनांक 20 नवम्बर, 1974 की अधिसूचना सं० 152/74-के० उ० शु० द्वारा अलग से अधिसूचित की गई है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से तेल के लिए ऋण

3498. **श्री गजाधर मांझी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने आगामी वर्ष तेल सुविधा के अन्तर्गत सदस्य देशों को उनकी हकदारी के अप्रयुक्त भाग का लाभ उठाने की अनुमति देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दी गयी तेल संबन्धी सुविधा 1974 के लिए थी। सदस्यों का अपने अंश के अनुसार न निकाली गयी रकम को निकालने देने और उक्त सुविधा को 1975 में भी जारी रखने आदि पर कोष अब भी विचार कर रहा है ।

राज्य व्यापार निगम के अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

3499. **श्री प्रबोध चन्द्र**:

सरदार महेन्द्र सिंह गिल :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध वर्ष 1971 में अखबारी कागज की खरीद के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा जांच पूरी हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त जांच के क्या निष्कर्ष निकले ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरों की रिपोर्ट राज्य व्यापार निगम से प्राप्त हो गई है और वह विचाराधीन है ।

नैनमल पंजाजी शाह के कब्जे में सोना

3500. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्तरिक सुरक्षा कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार किय गये एक तस्कर, नैनमल पंजाजी शाह उर्फ जैन स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री के लिए एकत्रित किये गये सोने के गायब कर दिये जाने के मामले में भी अन्तर्ग्रस्त था ;

(ख) क्या उससे 100 करोड़ रुपये मूल्य का सोना कुछ वर्ष पूर्व पकड़ा गया था ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी तथ्य क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) 'छोटी सदड़ी' मामले के रिकार्ड से यह पता नहीं चलता कि वह इस मामले में ग्रस्त है।

(ख) तथा (ग) इस प्रकार की रिपोर्ट नहीं मिली है कि स्वर्ण की इतनी बड़ी राशि पकड़ी गई थी ।

पांचवीं योजना के दौरान अधिक संख्या में गुटके बनाने वाले संयंत्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव

3501. **श्री बसन्त साठे :**
श्री श्यामनकर :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम अपरिष्कृत लौह अयस्क के लिए 105 रु० से 110 रु० प्रति टन से अधिक मूल्य प्राप्त नहीं कर रहा है, जब कि गोआ के चौगूले-बंधुओं ने लौह अयस्क गुटकों के लिए 205 रु० प्रति टन की कीमत के लिए सौदा किया है ;

(ख) क्या स्पष्ट कारण से ग्राहक की प्राथमिकता और बेहतर मूल्यों को ध्यान में रखते हुए पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अधिक संख्या में गुटके बनाने वाले संयंत्रों की स्थापना करने का सरकार का क्या विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है और अर्द्धपरिष्कृत उत्पादों का अधिक निर्यात मूल्य प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाये गये भंडार की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) लौह अयस्क की कीमतें उसके ग्रेडों के अनुसार भिन्न-भिन्न हैं। खनिज तथा धातु व्यापार निगम की मूल्य प्राप्तियां, उसके द्वारा निर्यातित अनेक ग्रेडों के संबन्ध में 110 रु० प्रति टन से अधिक हैं। तथापि, गुटिकाओं की कीमत प्राप्ति से इसकी तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि गुटिकाएं एक अर्धसाधित उत्पाद है और उससे बेहतर इकाई मूल्य प्राप्त होता है ।

(ख) जी हां ।

(ग) दो संयंत्रों ने एक कर्नाटक राज्य में डोनिमलाई में स्थित एक संयंत्र से, जिसकी 20 लाख मे० टन प्रति वर्ष की क्षमता है तथा गोआ में स्थित दूसरे संयत्र, से जिसकी 18 लाख मै० टन प्रतिवर्ष की क्षमता है, कुछ प्रगति की है ।

नवजीवन ट्रेडिंग फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड

3502. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स नवजीवन ट्रेडिंग फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक विविध नान-बैंकिंग कम्पनी है, जो यद्यपि नान-बैंकिंग कम्पनियों के लिए निदेशों के अन्तर्गत निषिध है, न केवल 1 सितम्बर, 1973 से पूर्व चलाई गई योजनाएं चलाती हैं, अपितु उसने साबरमती और गोदावरी समूह नाम की दो नई योजनाएं भी चालू की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि मैसर्स नवजीवन ट्रैडिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ने "विविध गैर-बैंकिंग कम्पनियां (रिजर्व बैंक) निदेशों, 1973" के उपबन्धों का उल्लंघन करके, सितम्बर 1973 में निदेशों के लागू होने से पूर्व अपने द्वारा जारी की गयी योजनाओं के संबन्ध में जनता की जमाओं (अपनी बचत योजनाओं के अभियानों) को स्वीकार किया है तथा निदेशों के लागू होने के पश्चात् भी दो नयी योजनाओं को जारी किया है ।

(ख) रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि उसने 16 अक्टूबर 1974 को उक्त कम्पनी को एक कारण बताओं नोटिस जारी किया था जिसमें कहा गया था कि कम्पनी को जनता से और जमाएं स्वीकार करने से क्यों न वर्जित कर दिया जाय। कम्पनी का तर्क है कि उसकी योजनाओं के लिए उसके द्वारा जुटाये गये अधिमानों की रकमें "जमाएं" (डिपाजिट्स) नहीं है और इसके संबन्ध में उसने बम्बई उच्च न्यायालय में गुजरात सेविंग्स यूनिट प्राइवेट लि० द्वारा दायर की गयी समादेश याचिका की और रिजर्व बैंक का ध्यान आकृष्ट किया है। जिसमें विविध गैर-बैंकिंग कम्पनियों को जारी किये गये निदेशों की वैधता को "भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934" से अधिकार-बाह्य बताते हुए चुनौती दी गयी है। रिजर्व बैंक ने आगे कहा है कि इस कम्पनी के विरुद्ध और क्या कार्रवाई की जाय इसके बारे में विचार-विमर्श किया जा रहा है।

कम्पनियों द्वारा गैर-बैंककारी निदेशों का उल्लंघन

3503. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत सी विविध गैर-बैंककारी कम्पनियां और विशेषकर मैसर्स संतोष बेनिफिट प्राइवेट टेड, मैसर्स नवजीवन ट्रेडिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स गुजरात सेविंग यूनिट प्राइवेट लिमिटेड अपना व्यापार चला रही है यद्यपि यह 1966 के गैर-बैंककारी कम्पनी निदेशों के खंड 13 के अन्तर्गत निषिद्ध हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि मैसर्स संतोष बेनिफिट प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स गुजरात सेविंग यूनिट प्राइवेट लिमिटेड, नवजीवन ट्रेडिंग फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड तथा कुछ अन्य विविध गैर-बैंकिंग कम्पनियों को यद्यपि "विविध गैर-बैंकिंग कम्पनियां (रिजर्व बैंक) निदेश, 1973" की धारा 13 के अन्तर्गत कोई छूट नहीं प्रदान की गई है तथापि वे उक्त निदेशों में विहित सीमा से अधिक धनराशि जनता से लगातार स्वीकार कर रही हैं।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचना दी है कि मैसर्स गुजरात सेविंग यूनिट प्राइवेट को इस आशय का नोटिस दिया गया था कि जनता से और धनराशि स्वीकार करने के बारे में उन पर पाबन्दी क्यों न लगा दी जाय। इस 'कारण-बताओं' नोटिस की वैधता को चुनौती देते हुए उक्त कम्पनी ने एक विविध याचिका बम्बई उच्च न्यायालय में दायर कर दी है और 22 अक्तूबर, 1974 को उक्त न्यायालय से व्यादेश (इंजंक्शन) प्राप्त कर लिया है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आगे और कोई कार्यवाही करने पर रोक लगा दी गयी है।

बैंक ने मैसर्स नवजीवन ट्रेडिंग फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड, को भी इसी तरह का नोटिस जारी किया था। उक्त कम्पनी का कहना है कि उसके द्वारा एकत्रित किया गया अंशदान "जमाएं" (डिपाजिट्स) नहीं हैं। इस विषय में उन्होंने गुजरात सेविंग यूनिट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर की गयी रिट याचिका की ओर बैंक का ध्यान आकर्षित किया है। बैंक ने यह भी सूचना दी है कि इस कम्पनी के खिलाफ आगे कार्रवाई पर बैंक विचार कर रहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि मैसर्स संतोष बेनिफिट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड ने उक्त निदेशों के संबद्ध प्रावधानों के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है, ताकि वे अपनी वर्तमान इनामी चिट योजना को भी जारी रख सकें। यह मामला बैंक के विचाराधीन है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचना दी है कि कुछ अन्य विविध गैर-बैंकिंग कम्पनियों से प्राप्त इस प्रकार के आवेदन भी बैंक के विचाराधीन हैं।

सरकारी विभागों में स्टाफ कारों का उपयोग

3504. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा पेट्रोल बचाने हेतु कठोर उपाय किये जाने के बावजूद भी सरकारी विभागों में सरकारी कार्यों के लिए उपयोग में आने वाली स्टाफ कारों में पेट्रोल की खपत में अब तक कोई कमी नहीं हो पाई है ; और

(ख) यदि हां, तो पेट्रोल की खपत को कम करने के लिए सरकार का विचार और आगे क्या ठोस उपाय करने का है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) तथा (ख) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से एकत्रित की गई सूचना के अनुसार वर्ष 1972-73 की तुलना में वर्ष 1973-74 में 1.40 लाख लिटर पेट्रोल की अनुमानित बचत हुई, जिससे यह पता चलता है कि अगस्त 1973 में स्टाफ कारों पर होने वाली पेट्रोल की खपत पर लगाए गए प्रतिबंधों के क्या परिणाम निकले हैं। यदि यह बचत न की गई होती तो वर्ष 1973-74 में पेट्रोल पर होने वाला कुल व्यय लगभग 5.51 लाख रुपये अधिक होता।

ऊन के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट

3505. **श्री भागीरथ भंवर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊन के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में हाल ही में आई गिरावट संबन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप ऊनी वस्त्र आदि की खरीद पर सरकार का वर्ष 1975-76 में कितना खर्च कम करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): **(क) तथा (ख)** गत वर्ष कच्चे ऊन की जो अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें प्रचलित थी उसकी तुलना में उसकी अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में अप्रेल, 1974 से गिरावट का रुख रहा है। इस संबन्ध में किन्हीं बचतों का अनुमान लगाना संभव नहीं होगा क्योंकि ऊन के लिए विदेशी मुद्रा का आवंटन समस्त ऊनी उद्योग की उत्पादन क्षमता की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता।

आयकर संयुक्त कर्मचारी संघ से प्राप्त अभ्यावेदन

3506. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1974 से 30 जून, 1974 तक केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सैन्ट्रल बोर्ड आफ डायरेक्ट टैक्सेज) को दिल्ली आयकर संयुक्त कर्मचारी संघ से कितने पत्र प्राप्त हुये ; और

(ख) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सेन्ट्रल बोर्ड आफ डायरेक्ट टैक्सेज) ने कितने पत्रों के उत्तर दिये और यदि कोई उत्तर नहीं भेजा गया है तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) प्रथम जनवरी 1974 से 30 जून, 1974 तक, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नाम दिल्ली आयकर संयुक्त कर्मचारी संघ से आठ पत्र प्राप्त हुए थे ; और

(ख) इन पत्रों में से अन्तिम पत्र का उत्तर, आयकर आयुक्त दिल्ली की मार्फत भेजा गया है ।

आयातित रूई पर शुल्क समाप्त करने की मांग

3507. **श्री एस० एस० पुरती :**

श्री गजाधर मांझी :

क्या **वित** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सूती वस्त्र उद्योग द्वारा आयातित रूई से शुल्क समाप्त करने की निरन्तर मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) तथा (ख) रूई के आयात पर सीमाशुल्क हटा देने के संबंध में विगत समय में प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं, परन्तु उन्हें स्वीकार करना सरकार के लिए संभव नहीं हो पाया है ।

Number of Aircraft in Indian Airlincs

3508. Shri R.V. Bade : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the number of aircraft of various types with the Indian Airlines at present;

(b) the number of new aircraft procured during the current year; and

(c) the amount of foreign exchange spent in their procurement ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) : (a) Indian Airlines have, at present, the following aircraft:—

Boeing=737	—10
Caravelle	— 9 (including three on lease)
Viscount	— 3 (one is awaiting disposal)
F-27	— 9
HS-748	—15
DC-3	— 3 (one is awaiting disposal)

(b) Four new Boeing-737 aircraft were procured during the current year, one in replacement of the aircraft which was lost in an accident on 31st May, 1973 and three to augment the fleet.

(c) The amount of foreign exchange required for the replacement aircraft was U.S. $5.01 million and for the remaining three aircraft, the amount of foreign exchange was U.S. $19.20 million which included purchase of spare engines and related spares and equipment.

स्टेट बैंक आफ इण्डिया में क्लर्क एवं कैशियर के पद के लिये भरती

3509. **श्री आर० बी० बड़े** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट बैंक आफ इण्डिया, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली ने फरवरी, 1973 में क्लर्क एवं कैशियर के पद हेतु भरती के लिए फरवरी, 1973 में परीक्षा आयोजित की थी ;

(ख) यदि हां, तो कितने उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी तथा कितने उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए थे तथा इन्टरव्यू के लिए बुलाए गए थे, और

(ग) 31 अक्तूबर, 1974 तक कितने उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए गए थे तथा चुने गए उम्मीदवारों में से शेष पदों को अनुमानतः कब तक भरा जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि बैंक के अधीनस्थ कर्मचारियों की लिपिक वर्ग में पदोन्नति के लिए एक लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार (इंटरव्यू) 7 फरवरी, 1973 को उसके नई दिल्ली कार्यालय में लिया गया था।

(ख) और (ग) लिखित परीक्षा में जो 71 आवेदनकर्ता बैठे थे उन सभी का साक्षात्कार बैंक द्वारा दिया गया था। इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले सभी 20 आवेदनकर्ताओं को बैंक द्वारा जून, 1973 से लिपिक तथा खजांची के रूप में नियुक्त कर लिया गया था।

पश्चिम एशिया के पर्यटक

3510. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : पश्चिम एशिया से और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्र पाल सिंह) : पर्यटन विभाग का कुवैत में एक पर्यटन कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है। यह कार्यालय पड़ौसी देशों के लिए भी कार्य करेगा। अरबी भाषा में पर्यटक साहित्य/फिल्मों का उत्पादन-कार्य भी प्रारंभ किया जा चुका है।

सिल्चर हवाई अड्डा

3511. **श्री नूरूल हुडा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या आसाम में सिल्चर (कुंभीरग्राम) हवाई अड्डे को फिर से नया बनाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ताकि वहां से बोइंग विमान उड़ान ले सकें तथा वहां उतर सकें ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे निर्माण का कार्यक्रम क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) सिल्चर (कुंभीरग्राम) विमानक्षेत्र का बोइंग 737 विमान परिचालनों के लिए विकास करने का एक प्रस्ताव नागर विमानन विभाग में विचाराधीन है। साधनों के उपलब्ध होने तथा सरकार द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन कर देने की अवस्था में, उक्त कार्य को पांचवीं योजनावधि के दौरान प्रारंभ किया जा सकता है।

ग्वालपाड़ा, आसाम में अभाव की स्थिति

3512. **श्री नूरूल हुदा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम राज्य की ग्वालपाड़ा जिले तथा आस-पास के क्षेत्रों में घोर अभाव की स्थिति होने तथा भुखमरी से होने वाली मौतों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से उदारतापूर्वक वित्तीय अनुदान तथा सहायता देने का अनुरोध किया है ; और

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इसके लिए तुरन्त ही सहायता भेजी है ; और यदि हां, तो कितनी सहायता भेजी है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) असम सरकार ने राहत कार्यों और राज्य में बाढ़ से हुई क्षति की पूर्ति करने और उससे संबंधित मरम्मत के काम के लिए 20.86 करोड़ रुपये की आवश्यकता का अनुमान लगाया है। इस संबंध में राज्य की वित्तीय आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए हाल में एक केन्द्रीय दल ने राज्य का दौरा किया था। दल की रिपोर्ट के आधार पर, राज्य सरकार के परामर्श से इस बारे में और आगे विचार किया जायेगा ।

भारत सरकार ने चालू वर्ष में राज्य सरकार को रबी की फसल के कार्यक्रम के लिए अब तक 3.88 करोड़ रुपये का अल्पकालिक ऋण दिया है ।

राजस्थान में पर्यटन केन्द्रों का विकास

3513. **श्री श्रीकिशन मोदी :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: राजस्थान में उन स्थानों तथा ऐतिहासिक स्थलों के नाम क्या हैं जिनका पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकास किया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्र पाल सिंह) : जयपुर में एक स्वागत केन्द्र, भरतपुर में वन्य जीव शरण-स्थल में एक वन-लॉज तथा जैसलमेर में एक पर्यटक बंगले के निर्माण-कार्य, जिन्हें चौथी योजना में प्रारंभ किया गया था, पांचवीं योजना के दौरान पूरे हो जाएंगे ।

इनके अतिरिक्त, भारत पर्यटन विकास निगम का, निधियों के उपलब्ध होने की अवस्था में पांचवीं योजना में जयपुर में एक मोटल का निर्माण तथा वहां अपने परिवहन यूनिट का भी विस्तार करने का प्रस्ताव है ।

राजस्थान में शाल-ऊन उद्योग का विकास

3514. **श्री श्रीकिशन मोदी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राजस्थान में शाल-ऊन उद्योग तथा ऊन के अन्य उद्योग विकसित करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) ऊनी उद्योग के विकास के लिए उठाये गये कदमों में, जिनसे शाल उद्योग को भी लाभ होगा, निम्नलिखित शामिल हैं :—

उदारीकृत नीति के अन्तर्गत ऊनी तकुए संस्थापित करने के लिए 10 एककों को अनुमति दी गई है और एक राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किये जाने के लिए एक वर्स्टेड एकक और पांच शाड़ी एककों के मामले विचाराधीन हैं। इसके अलावा, राज्य के लिए 15 लाख पौंड कोम्बिंग क्षमता का अनुमोदन किया गया है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा राजस्थान के कृषि क्षेत्र में दिये गये ऋण

3515. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों का कितने प्रतिशत भाग राजस्थान के कृषि क्षेत्र को दिया गया है ; और

(ख) कृषकों को अधिकतम सहायता देने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) दिसम्बर 1973 के अन्त तक राजस्थान में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये कुल अग्रिमों का 19.7* प्रतिशत भाग कृषि क्षेत्र को दिया गया था।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि के क्षेत्र के वित्त पोषण के बारे में बैंकों के अनुपालन के वास्ते विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किये हैं। बैंकों से यह बात जोर देकर कही गयी है कि वे सुरक्षा-उन्मुख ऋण न देकर उत्पादकता और वृद्धिशील-आय उन्मुख ऋण मंजूर करें। सुदूर देहातों में रहने वाले कृषक समुदाय द्वारा उठाई जा रही कठिनाईयों को दूर करने की दृष्टि से बैंकों से आग्रह किया गया है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक शाखाएं खोलें। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकों के कार्यालयों की जो संख्या 19 जुलाई, 1969 को 147 थी, वह जून, 1974 के अन्त तक बढ़ कर 341 हो गयी। स्टेट बैंक आफ इंडिया ग्रुप ने समेकित आधार पर कृषकों की आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से राजस्थान में 10 विशेष कृषि विकास शाखाएं खोली हैं। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को ऋण देने के बारे में राज्यों द्वारा बनायी जाने वाली संविधियों के विषय में गठित विशेषज्ञ [illegible] द्वारा जिस आदर्श विधेयक की सिफारिश की गयी थी उसके आधार पर राज्य सरकार ने अगस्त 1974 . [illegible] ससे भी राज्य में वाणिज्यिक बैंकों मे कृषि क्षेत्र को ऋण प्राप्ति की स्थिति में सुधार लाने में सहायता मिलेगी।

लघु उद्योग निगम, राजस्थान द्वारा सिले सिलाये वस्त्रों का निर्यात

3516. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान लघु उद्योग निगम को सिले सिलाए वस्त्रों का निर्यात करने के लिये क्रयादेश मिले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसे प्राप्त क्रयादेशों के मूल्यों का व्यौरा क्या है ?

---

*अनन्तिम आंकड़ों पर आधारित है।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि राजस्थान लघु उद्योग निगम ने सिले-सिलाए परिधानों के निर्यात के लिए कोई क्रयादेश प्राप्त किये हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत शामिल किये गये कर्मचारी

3517. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पृथक-पृथक दोनों, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों में अनिवार्य जमा योजना के अंतर्गत कितने कर्मचारियों को लिया गया है ; और

(ख) उन कर्मचारी एसोसियेशनों/यूनियनों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस योजना के बा रोष प्रकट किया है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) अतिरिक्त परिलब्धियां (अनिवार्य जमा) अधिनियम, 1974 की ओर स्पष्टतः संकेत है । अन्य कर्मचरियों के साथ-साथ अधिनियम के उपबन्ध केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों पर लागू होते हैं । बाद में, 30 अक्तूबर, 1974 को जारी की गई एक अधिसूचना द्वारा उन कर्मचारियों को, जिनकी नियुक्ति नैमित्तिक प्रकार की है या जिनकी नियुक्ति वर्ष में 180 दिन से ज्यादा दिनों तक जारी रहने की संभावना नहीं है जिनमें छुट्टियां और अवकाश की अवधि भी शामिल है, और उन कर्मचारियों को भी उक्त अधिनियम के सभी उपबन्धों के लागू होने से मुक्त रखा गया है, जो 31 दिसम्बर, 1974 को या उससे पहले सेवा निवृत होने वाले या बार्द्धक्य-प्राप्त करने वाले हैं ।

31 मार्च, 1973 को, जब तक के लिए सूचना तत्काल उपलब्ध है, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 29 लाख और 46 लाख है ।

(ख) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के उन एसोसियेशनों/यूनियनों के नाम संलग्न विवरण-पत्र में दिए गये हैं, जिन्होंने अतिरिक्त परिलब्धियां (अनिवार्य जमा) अधिनियम, 1974 के प्रति वित्त मंत्रालय से विरोध प्रकट किया है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए सं० एल० टी० 8694/74]

अनिवार्य जमा योजना

3518. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आरम्भ में क्रियान्वित की गई अनिवार्य जमा योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या इस योजना के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों के वेतन की सीमा इस बीच बढ़ा दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो वेतन की यह सीमा किस तिथि से बढ़ाई गयी है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) सम्भवतः संकेत अतिरिक्त परिलब्धियां (अनिवार्य जमा) अध्यादेश, 1974 (1974 का 8वां) की ओर है जिसके स्थान पर अब अतिरिक्त परिलब्धियों (अनिवार्य जमा) अधिनियम, 1974 (1974 का 37वां) लागू कर दिया गया है। अतिरिक्त परलब्धियों के अनिवार्य जमा योजना की महत्वपूर्ण बातें जैसी की वे मूलतः परिकल्पित की गयीं थी, अध्यादेश में ही बनायी गयी थीं जिसकी प्रतियां 22 जुलाई, 1974 को लोक सभा पटल पर रख दी गयी थीं।

(ख) यह अधिनियम उसी अध्यादेश की तरह जिसके स्थान पर इसे लागू किया गया है, उसकी धारा 3 में विशिष्ट कर्मचारियों की सभी श्रेणियों पर लागू होता है चाहे उनकी आय कितनी हो। किन्तु अधिनियम की धारा 2(ग) के खण्ड (v) में वेतनों में की गयी ऐसी वृद्धि अधिनियम के अन्तर्गत अनिवार्य जमा से मुक्त है जो न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत तय की गयी न्यूनतम वेतन की दरों को बढ़ाने के परिणामस्वरूप की गयी हों, इस प्रकार की कोई व्यवस्था अध्यादेश में भी नहीं थी।

(ग) अधिनियम के उपर्युक्त उपबंध, अन्य उपबन्धों की तरह (सिवाये धारा 14 के) 6 जुलाई, 1974 से लागू होंगे।

यूरोपीय साझा बाजार को कपड़ों का निर्यात

3519. **श्री मान सिंह भौरा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय साझा बाजार ने भारत से कपड़ों के आयात में वृद्धि करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) भारत से वस्त्रों के आयात के बारे में एक करार करने के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ बातचीत चल रही है।

लौह-अयस्क का उत्पादन करने वाले देशों का सम्मेलन

3520. **श्री मान सिंह भौरा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लौह-अयस्क का उत्पादन करने वाले देशों का जनेवा में कोई सम्मेलन हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और उसमें क्या निष्कर्ष निकले ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) जी हां। जेनेवा में 4 से 6 नवम्बर 1974 तक लौह अयस्क निर्यातक देशों के समूह की एक मंत्रिस्तरीय बैठक हुई थी। इस बैठक में अभिस्वीकृत घोषणा की एक प्रति संलग्न है। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 8695/74]

मुद्रा और ऋण सम्बन्धी नीतियों में प्रस्तावित परिवर्तन

3521. **श्री एन० आर० बेकारिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुद्रा और ऋण सम्बन्धी नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त नीति की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) . (क) और (ख) सरकार मुद्रा सप्लाई में हो रही वृद्धि को रोकने और बैंक ऋणों को नियंत्रित करने के लिए पहले ही मुद्रा सम्बन्धी कई उपाय कर चुकी है । इन उपायों में उधार लेने और उधार देने के सम्बन्ध में ब्याज की दरें बढ़ाना, वाणिज्यिक बैंकों की नकदी या नकदी जैसी परिसम्पत्तियों पर नियन्त्रण रखना और सट्टेबाजी तथा कम जरूरी वस्तुओं के लिए बैंक ऋणों पर कड़ा नियंत्रण लगाना शामिल है । इन उपायों के प्रभाव पर नजर रखी जा रही है और पैदा होने वाली नयी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार उपयुक्त तौर पर नये कदम उठाये जायेंगे ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उच्च प्रबन्धक पद

3522. **श्री अरविन्द एम० पटेल.**
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उच्च प्रबन्धक पदों की भर्ती संबंधी नीति को नया रूप देने का निर्णय किया है ताकि वे राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के विकास में 'महत्वपूर्ण भूमिका' निभा सकें; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां ।

(ख) सरकारी उद्यमों को अपनी निर्णयक भुमिका निभा सकने योग्य बनाने के उद्देश्य से सरकार ने सभी स्तरों पर उच्च पदों के लिए नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया को नया रूप दिया है ताकि उद्यमों के उच्च प्रबन्धकों को कार्य निष्पादन के प्रति और अधिक जिम्मेदारी और जबाबदेही सौंपी जा सके । इस नीति द्वारा योग्यता और क्षमता को मान्यता देकर तथा उनका समुचित उपयोग सुनिश्चित करके प्रबन्धकों में प्रेरणा बढ़ाने का भी प्रयास किया गया है । अतः यह निर्णय किया गया है कि प्रबन्धकों के अधिकांश पदों के लिए भर्ती, प्रशिक्षण और पदोन्नति सम्बन्धी अधिकार कम्पनियों को ही सौंप दिये जायं । किन्तु, निदेशक-मण्डलों के अंशकालिक और पूर्णकालिक दोनों प्रकार के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति का परमाधिकार सरकार ने अपने हाथ में रखा है । एक ठोस प्रबन्धकीय कार्मिक नीति तैयार करने तथा सरकार को अपने परमाधिकार के अन्तर्गत नियुक्तियां करने और कम्पनियों में से ही प्रबन्धकों का विकास करने के बारे में सलाह देने के लिए एक 'सरकारी-उद्यम-चयन-मण्डल' बनाया गया है जिसमें सरकारी क्षेत्र की आवश्यकताओं के बारे में गहरी जानकारी रखने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों को रखा गया है ।

कर्नाटक आय-कर अधिकारियों द्वारा छापे मारा जाना

3523. **श्री सी०के० जाफर शरीफ:**
श्री के० मालन्ना :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक आय-कर अधिकारियों को करापवंचन और काले धन के विरुद्ध अपने हाल के अभियान में नकदी तथा आभूषणों के रूप में कई लाख रुपये मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) कर्नाटक के आय-कर आयुक्तों के अधिकार क्षेत्रों के आय-कर अधिकारियों द्वारा 1 अप्रैल 1974 से 31 अक्तूबर, 1974 तक की अवधि में तलाशियां लेने और माल पकड़ने के अभियान के दौरान जो नकदी, जेवरात तथा अन्य परिसम्पत्तियां पकड़ी गई, वे नीचे लिखे अनुसार हैं :—

नकदी	8,49,186 रुपये
आभूषणों का मूल्य	8.22 लाख रु० (लगभग)
सोना-चांदी	0.06 लाख रु० (लगभग)
अन्य परिसम्पत्तियां	2.70 लाख रु० (लगभग)

ऊपर बताई गई परिसम्पत्तियों के अतिरिक्त, बहीखाते तथा दस्तावेज पकड़े गए हैं । अलग-अलग मामलों में अन्तर्ग्रस्त छिपी आय का पता लगाने के लिए जांच पड़ताल जारी है ।

मादक द्रव्यों की चोरी-छिपे लाने ले जाने (ट्रेफिक) को रोकने के लिये कार्यवाही

3524. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मादक द्रव्यों के अवैध रूप से लाने ले जाने में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत छह महीनों के दौरान कितनी मात्रा में चरस, गांजा तथा अफीम जब्त किया गया तथा उसका मूल्य कितना है; और

(ग) क्या सरकार मादक द्रव्यों की अवैध रूप से लाने ले जाने को रोकने के लिए पूर्वी भारत में राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, पुलिस, सीमाशुल्क विभाग, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग, (मादक द्रव्य विभाग), केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा सीमा सुरक्षा दल का उपयोग करने पर विचार कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) विभिन्न प्रवर्तन ऐजेन्सियों द्वारा किये गये अभिग्रहण संबंधी आंकड़ों के आधार पर ऐसा नहीं लगता कि देश में नशीली वस्तुओं का अवैध व्यापार बढ़ रहा है ।

(ख) पिछले छः महीनों (मई से अक्तूबर, 1974) के दौरान चरस, गांजा और अफीम की निम्नलिखित मात्रा पकड़ी गई है :—

वस्तु :	पकड़ी गई मात्रा (किलोग्राम में)	अवैध बाजार मूल्य (अनुमानित) रु०
चरस	329.938	4,29,000
गांजा	11,175.250	44,70,000
अफीम	4,840.341	53,24,000

(ग) मादक औषधि के अवैध व्यापार में लगे व्यक्तियों को रोकने के लिये राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों की राज्य आबकारी, पुलिस, औषध नियंत्रण प्रशासन, सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, नार्कोटिक्स विभाग, सीमा सुरक्षा दल, रेलवे सुरक्षा दल आदि जैसी प्रवर्त्तन ऐजेन्सियां पूर्वी भारत में ही नहीं अपितु देश भर में सदैव सतर्क रहती हैं । देश के भीतरी भागों और

सीमा पर भी निगरानी रखी जाती है । तस्करी विरोधी उपायों में समन्वय कायम करने और उन्हें सुदृढ़ करने की दृष्टि से इन संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच सामयिक बैठकों का आयोजन किया जाता है ।

Fresh Proposals of L.I.C. in regard to Investment of more Funds for Backward Areas of Madhya Pradesh

3525. Shri G.C. Dixit : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Life Insurance Corporation has under consideration fresh proposals for investing more funds in backward areas of Madhya Pradesh during 1974-75; and

(b) if so, the outlines thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohtagi) : (a) & (b) Life Insurance Corporation does not make any investments directly in the backward areas of any state. It is for the State Government to decide as to how much of the funds made available to it by Life Insurance Corporation should be spent in backward areas.

During 1974-75, Life Insurance Corporation of India has tentatively allocated a sum of Rs. 12.30 crores, to be invested in Madhya Pradesh under the following categories :—

Category	Allocation for 1974-75 (In Crores of Rs.)
1. State Govt. securities	2.00
2. Debentures of Land Development Banks	1.30
3. Bonds of State Electricity Boards	0.75
4. Bonds and shares of S.F.C.	0.30
5. Loans to municipalities for water supply & drainage schemes	3.00
6. Loans to State Electricity Boards	3.30
7. Housing Loans to State Govt.	0.65
8. Loans to apex Co-operative Finance Housing Society	1.00
	12.30

Amount Advanced by Nationalised Banks to Village Industries in Madhya Pradesh

3526. Shri G.C. Dixit : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of loans advanced to village industries in Madhya Pradesh by the nationalised banks during the last three years; and

(b) in case no loans have been advanced, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohtagi) : (a) Present arrangements for flow of data relating to bank advances do not provide for compilation separately of advances to different categories of village industries. However, the only specific category for which data are available is "rural industries projects". At the end of Dec. 1973 public sector bank's outstanding advances under this category in Madhya Pradesh amounted to Rs. 3.43 lakhs. The two broad heads under which the bulk of the advances to village industries would figure are "small scale industries" and "professionals and self-employed persons". The relevant data in regard to public sector banks advances to these sectors during the last three years is set out below :

Advances by Public Sector Banks to Small Scale Industries and Professional and Self-employed Persons in Madhya Pradesh.

(Rs. in lakhs)

	Small Scale Industries	Professional and self-employed persons
	Amt. outstanding	Amt. outstanding
June, 1972		
Nationalised Banks	829.73	69.34
State Bank of India Group	759.59	4.77
Total :	1589.32	74.11
June, 1973		
Nationalised Banks	969.15	60.24
SBI Group .	799.50	8.66
Total :	1768.65	68.90
June, 1974*		
Nationalised Banks	1414.39	95.83
SBI Group .	1021.99	19.20
Total :	2436.38	115.03

*Provisional.

(b) Does not arise.

Loan Given to Farmers by Nationalised Banks in Madhya Pradesh during 1973-74

3527. **Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of loan given to the farmers by the nationalised banks in Madhya Pradesh during 1973-74 and the amount earmarked for the purpose for the year 1974-75; and

(b) the amount given so far for the industries in the public and private sectors in that State by the nationalised banks ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) The amount of direct advances granted by the nationalised banks to the farmers in Madhya Pradesh outstanding as at the end of December, 1973 was Rs. 946.66 lakhs (provisional). No predetermined amounts are earmarked for the purpose of lending by the banks among the various States. The extent of agricultural lending in a particular area depends on a variety of factors viz. the spread of bank offices in rural and semi-urban areas, the organisational set-up of the banks, the strength and performance of cooperatives in the area, the extension services, input supplies and irrigation facilities available, the developmen of banking habit among the farmers of that area etc.

(b) According to the information furnished by the Reserve Bank of India, advances granted by the nationalised banks to industries (including small scale industries) in the public and private sectors as at the end of December, 1973 stood at Rs. 4705 lakhs.

Amount of Loan, given by L.I.C. to Madhya Pradesh

3528. Shri G.C. Dixit : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether the amount of loan given by the Life Insurance Corporation to Madhya Pradesh is much less as compared to that being given to Maharashtra and Tamil Nadu; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) Yes, Sir.

(b) L.I.C's investments in the various States depend upon the existence of suitable agencies in the States that can absorb and use sizeable sums of money. In the case of Madhya Pradesh, some of such agencies have not fully developed to avail of L.I.C. loans on the same scale as in Maharashtra and Tamil Nadu.

विश्व बैंक से ऋण

3529. **श्री गजाधर मांझी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को वर्ष 1975 में औद्योगिक आयात के विश्व बैंक ग्रुप से आसान शर्तों पर ऋण प्राप्त होने की आशा है; और

(ख) यदि हां, तो कितना तथा इन ऋणों की शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) जी हां, कच्चा माल, मशीनों के हिस्सों व पुर्जों को जिनकी कि प्राथमिकता प्राप्त कुछ उद्योगों को जरूरत है, आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ ऋण लेने के प्रयोजन से दिसम्बर के उत्तरार्ध में बातचीत होनी है । इस बात की संभावना है कि इस विकास संघ उसकी सामान्य शर्तों अर्थात् दस वर्षों की रियायती अवधि सहित पचास वर्षों अदायगी और 1 प्रतिशत के तीन चौथाई सेवा प्रभार पर लगभग 150 करोड़ रुपये का ऋण मिल जायगा जो विकास संघ की चौथी प्रतिपूर्ति के सन्तोषजनक रीति पूरी हो जाने और इसके बोर्ड की मंजूरी मिलने पर निर्भर है ।

प्रतिपूर्ति अदायगियों संबंधी जालसाजियां

3530. **श्री गजाधर मांझी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रवर्तन निदेशालय के दुबाई, कुवैत तथा लन्दन की कम्पनियों की ओर से भारत में लगभग 15 लाख रुपये की अदायगियों सम्बन्धी 4 घोटालों का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो आयकर अधिकारियों द्वारा गत छः महीनों के दौरान चलाये गये अभियान का विवरण क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) हाल ही के महीनों में प्रवर्तन निदेशालय ने दुबाई, कुवैत तथा लन्दन की पार्टियों की ओर से भारत में भारी अदायगियों के अनेक मामलों का पता लगाया है ।

(ख) जब भी आय-कर अधिकारियों को अपेक्षित सूचना उपलब्ध होती है तभी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पता लगाये गये मामलों में आय-कर की दृष्टि से अनुवर्ती कार्यवाही की जाती है ।

करापवंचन के विरुद्ध अभियान में आय-कर अधिकारियों ने मई 1974 से अक्तूबर 1974 की छः महीने की अवधि में तलासी एवं माल पकड़ने की 1030 कार्यवाहियां की । इन कार्यवाहियों में पकड़ी गयी परिसम्पत्तियों का मूल्य लगभग 885 लाख रु० था ।

'ट्रेवल एजेंसियां'

3531. **श्री भागीरथ झंवर :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 'ट्रेवल एजेन्सीज' को मान्यता देने सम्बन्धी कार्य को केन्द्रीयकृत करने के लिये एक केन्द्रीय समिति बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और इसका लाभ क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्र पाल सिंह) : (क) और (ख) अक्तूबर, 1972 में यह सोचा गया था कि भारतीय यात्रा अभिकरणों को मान्यता एक केन्द्रीय समन्वयन समिति द्वारा प्रदान की जानी चाहिए । और आगे समीक्षा करने पर यह विचार हुआ कि संभवतः संयुक्त मान्यता व्यवहार्य नहीं हो सकेगी । अतः फिलहाल अलग-अलग मान्यता की प्रणाली जारी रखी गयी है ।

स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उड़ीसा में किसानों को मंजूर किये गये ऋण

3532. **श्री जनार्दिचरण दास :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उड़ीसा में किसानों को गत तीन वर्षों के दौरान कोई ऋण मंजूर किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी वर्ष व.र, आंकड़े क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) स्टेट बैंक आफ इंडिया समूह और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उड़ीसा राज्य में किसानों को दिये गये (प्रत्यक्ष) अग्रिमों की बकाया रकम जून 1972, जून 1973 और दिसम्बर 1973, के अन्त तक क्रमशः 90 लाख रुपये, 177* लाख रुपये और 226* लाख रुपये थी ।

०अनन्तिम

अल्प बचत संग्रह

3533. **श्री डी०पी० जडेजा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973-74 के दौरान अल्प बचतों के अन्तर्गत बहुत कम संग्रह हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त वर्ष में कितना संग्रह हुआ, और

(ग) अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) 1973-74 के दौरान निवल अल्प बचत संग्रह 450.29 करोड़ रुपये का हुआ जो कि अब तक के किसी भी वित्तीय वर्ष में हुए संग्रह के मुकाबले सबसे अधिक है और इन आंकड़ों से पता चलता है कि पहले के वर्ष के 355 करोड़ रूपये के आंकड़ों की तुलना में 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ग) विभिन्न अल्प बचत प्रतिभूतियों की निरन्तर समीक्षा की जाती है और उन्हें अधिक आकर्षक बनाने के लिए समय-समय पर आवश्यक कदम उठाये जाते हैं। अल्प बचत प्रतिभूतियों पर ब्याज की दरें पहली अप्रैल 1974 से तथा फिर 23 जुलाई 1974 से बढ़ा दी गयीं। डाकघर बचत बैंक के खाताधारी, जो अप्रैल-सितम्बर और अक्तूबर-मार्च के दौरान वर्ष की छमाही में अपने खाते में कम से कम 200 रुपये बकाया रखते हैं वे भी प्रत्येक वर्ष जनवरी और जुलाई में निकाले जाने वाले इनामों के ड्रा में भाग ले सकते हैं।

विदेशी मुद्रा स्थिति के संबंध में मतभेद

3534. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के अध्यक्ष ने जब 5 अक्तूबर, 1974 को व्यापार संबन्धी परामर्श दात्री परिषद् की स्थायी समिति की बैठक में भाग लिया था तब निर्यात आय के संबन्ध में वाणिज्य सचिव ने ये मतभेद व्यक्त किया था ; और

(ख) यदि हां, तो परिषद् को सही स्थिति क्यों नहीं बताई गयी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं। 1973-74 की निर्यात आय के संबन्ध में फेडरेशन के अध्यक्ष तथा वाणिज्य सचिव के बीच कोई मतभेद नहीं था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उड़ीसा में कृषि क्षेत्रों को दिया गया ऋण

3535. **श्री पी० गंगा देव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उड़ीसा में दिये गये ऋण का कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र को मिला है ; और

(ख) सरकार ने किसानों को अधिकतम सहायता देने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) दिसम्बर, 1973 तक राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उड़ीसा में दिये गये कुल अग्रिमों का 6.7* प्रतिशत भाग कृषि क्षेत्र को दिया गया था।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि के वित्त पोषण के बारे में बैंकों को सविस्तार मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी किये हैं। सुदुर गांवों में रहने वाले कृषक समाज को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए बैंकों से आग्रह किया गया है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी अधिक से अधिक शाखाएं खोले। उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकों के कार्यालयों की जो संख्या 19 जुलाई, 1969 को 25 थी वह जून, 1974 के अन्त तक बढ़कर 113 हो गयी। कृषकों की आवश्यकताओं को समेकित आधार पर पूरा करने के उद्देश्य से भारतीय स्टेट बैंक समूह ने 5 विशिष्ट कृषि विकास शाखाएं खोली हैं।

*अनन्तिम आंकड़ों पर आधारित

वाणिज्यिक बैंकों से धन प्राप्त करने में कृषकों को होने वाली कुछ कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से राज्य सरकार "वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि को दिये जाने वाले ऋण से संबन्ध रखने वाली राज्य संविधियों के विषय में गठित विशेषज्ञ दल" की सिफारिशों पर भी विचार कर रही है।

उड़ीसा लघु उद्योगों को प्राप्त हुए सिले-सिलाये वस्त्रों के निर्यात के क्रयादेश

3536. **श्री पी० गंगा देव:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा लघु उद्योग निगम को सिले सिलाये वस्त्रों को निर्यात के क्रयादेश प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त हुए क्रया देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त वस्त्र किन-किन देशों को सप्लाई किये जायेंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि उड़ीसा लघु उद्योग निगम ने सिले-सिलाये परिधानोंके निर्यात के लिये कोई क्रयादेश प्राप्त किये हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

उड़ीसा पर्यटन विभाग को दी गई सहायता

3537. **श्री पी० गंगा देव:** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने 1973-74 और 1974-75 में अक्तूबर, 1974 के अन्त तक के दौरान उड़ीसा पर्यटन विभाग को कोई सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्र पाल सिंह): (क) और (ख) पुरी में एक युवा होस्टल के निर्माण पर केन्द्रीय क्षेत्र में 1 अप्रेल 1974 व 31 अक्तूबर, 1974 के बीच अब तक 2.00 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। होस्टल का निर्माण राज्य सरकार के माध्यम से किया जा रहा है, तथा इसके 1975 के दौरान तैयार हो जाने की आशा है।

उड़ीसा में आयकर की बकाया राशि

3538. **श्री पी० गंगादेव:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में आयकर की अद्यतन बकाया राशि कितनी है; और

(ख) गत तीन वर्षों में उस राज्य से कितने आयकर की वसूली की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) 30 सितम्बर 1974 की स्थिति के अनुसार, आयकर आयुक्त, उड़ीसा के अधिकार-क्षेत्र में आय-कर (निगम-कर सहित) की सकल और शुद्ध बकाया की रकमें नीचे दिये अनुसार है:—

सकल बकाया	शुद्ध बकाया
(करोड़ रुपयों में)	
6.56	5.78

(ख) पिछले तीन वित्तीय वर्षों में आय-कर आयुक्त, उड़ीसा के अधिकार-क्षेत्र में वसूल की गई (निगम-कर सहित) आय-कर की कुल रकम नीचे दिये अनुसार है:--

वित्तीय वर्ष	आय-कर की वसूली की शुद्ध रकम (करोड़ रुपयों में)
1971-72	5.45
1972-73	6.45
1973-74	7.58

पंजाब में पर्यटन केन्द्रों का विकास

3539. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में उन स्थानों तथा ऐतिहासिक स्थलों के नाम क्या हैं जिनका पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकास किया जायेगा ; और

(ख) राज्य में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां सरकार का विचार उपरोक्त अवधि के दौरान होटलों और बंगलों का निर्माण करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्र पाल सिंह) : (क) और (ख) अमृतसर में एक युवा होस्टल तथा लुधियाना में एक पर्यटक बंगले के निर्माण कार्य, जिन्हें चौथी योजना में प्रारम्भ किया गया था, पांचवीं योजना के दौरान पूरे हो जाएंगे। भारत पर्यटन विकास निगम का धन उपलब्ध होने की अवस्था में, पांचवीं योजना में अमृतसर तथा चंडीगढ़ में एक एक होटल का निर्माण करने का प्रस्ताव है ।

पांचवीं योजना के दौरान प्रारम्भ की जाने वाली नयी स्कीमों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

पंजाब में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण दिया जाना

3540. **श्री रघुनन्दन भाटिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 1971-72, 1972-73, 1973-74 के दौरान पंजाब में बेरोजगार इंजीनियरों, लघु उद्योगपतियों छोटे किसानों को कितना ऋण दिया है; और

(ख) क्या उपरोक्त अवधि के दौरान बड़े उद्योग पतियों को कोई ऋण दिया गया था ।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) आंकड़े एकत्र करने की वर्तमान व्यवस्था में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा बेरोजगार इंजीनियरों को दिये गये अग्रिमों के संबन्ध में पृथक से सूचना देने की व्यवस्था नहीं है । ऐसे व्यक्तियों को दिये गये अग्रिम "छोटे पैमाने के उद्योग" और "व्यावसायिक और स्वय नियोजित व्यक्ति" शीर्षक दो व्यापक श्रेणियों में शामिल किये जाते हैं ।

छोटे पैमाने के उद्योगों और व्यावसायिक और स्वयं नियोजित व्यक्तियों को पिछले तीन वर्षों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिमों की बकाया राशि विवरण में दी गई है । सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पंजाब में किये गये किसानों के वित्त पोषण (सहायक कृषि कार्यों को दिये गये ऋण छोड़कर) संबन्धी जोतवार आंकड़े, 1 मार्च, 1973 के अन्त की स्थिति) उपलब्ध है और वे भी अनुबन्ध में दिये गये हैं । दिसम्बर, 1973 के अन्त तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पंजाब में उद्योगों को दिये गये अग्रिमों की कुल राशि 109.5 करोड़ रुपये थी, जिसमें से अनुमान है कि, लगभग आधी राशि मझौले और बड़े उद्योगों के संबन्ध में है ।

विवरण

(1) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पंजाब में छोटे पैमाने के उद्योगों, व्यावसायिक और स्वयं नियोजित व्यक्तियों को दिये गये अग्रिम और कृषकों का प्रत्यक्ष वित्त पोषण।

(लाख रुपयों में)

निम्नलिखित काम के अंत में	छोटे पमाने के उद्योग बकाया राशि	व्यावसायिक और स्वयं नियोजित व्यक्ति बकाया राशि
जून, 1972 राष्ट्रीयकृत बैंक . .	1293.87	7.20
भारतीय स्टेट बैंक समूह . .	1377.44	0.75
जोड़ . . .	2671.31	7.95
जून, 1973 राष्ट्रीयकृत बैंक . . .	1619.73	25.43
भारतीय स्टेट बैंक समूह . .	1905.77	3.08
जोड़ . . .	3525.50	26.51
जून, 1974 राष्ट्रीयकृत बैंक . . .	3121.08	53.70
(अनन्तिम) भारतीय स्टेट बैंक समूह .	2616.35	4.05
जोड़ . . .	5737.43	57.75

(2) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पंजाब में कृषकों को दिये गये 30 मार्च, 1973 के बकाया प्रत्यक्ष वित्त पोषण (सहायक कृषि कार्यकलाप के लिए दिये गये ऋण छोड़कर) के जोतवार आंकड़े।

जोत का आकार	खातों की सख्या	राशि (लाख रुपयों में)
5 एकड़ तक	3715	102.2
5 एकड़ से अधिक	10672	731.4
जोड़ . . .	14387	833.6

पंजाब में शाल-ऊन उद्योग का विकास

3541. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पंजाब में शाल-ऊन उद्योग तथा अन्य ऊनी उद्योगों का विकास करने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सबन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) पंजाब के ऊनी उद्योग के विकास के लिए अनेक उपाय किये गये हैं । इन उपायों से शाल उद्योग को भी लाभ होगा क्योंकि करघों वाला कोई भी एकक शालों का उत्पादन कर सकता है।

निम्नलिखित उपाय किए गये हैं :—

(i) उदारीकृत नीति के अन्तर्गत 45 एककों को ऊनी तकुए लगाने की अनुमति दी गई;

(ii) 1200 शाडी तकुओं वाले एक शाडी कताई एकक का सिद्धांत रूप में अनुमोदन कर दिया गया है जो राज्य के पिछड़े इलाके में सहकारी क्षेत्र में स्थापित किया जाना है;

(iii) 9 मौजूदा शाडी एककों को करघे आवंटित किये गये हैं। उनमें से कुछ ने कारगर उपाय किये हैं और उनके मामलों पर औद्योगिक अनुमोदन के लिए सचिवालय द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

(iv) 50 लाख पोंड प्रति वर्ष की कोर्म्बिग क्षमता का अनुमोदन किया गया है;

गोआ में आयकर की बाकया राशि

3542. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा में इस समय तक आयकर की कितनी राशि बकाया है; और

(ख) गत एक वर्ष के दौरान आयकर के रूप में कितनी राशि वसूल की गई ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) 30 सितम्बर, 1974 की स्थिति के अनुसार गोआ में आयकर (जिसमें निगम कर भी शामिल है) की सकल और शुद्ध बकाया की रकमें नीचे दिये अनुसार हैं :—

सकल बकाया	शुद्ध बकाया
(करोड़ रुपयों में)	
3.98	3.85

(ख) वित्तीय वर्ष 1973-74 में गोआ में वसूल की गई आयकर (जिसमें निगम कर भी शामिल है) की कुल रकम 4.01 करोड़ रु० है ।

गोआ में पर्यटन केन्द्रों का विकास

3543. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार का गोआ के किन-किन स्थानों और ऐतिहासिक स्थलों को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्र पाल सिंह): मास्टर प्लान तैयार करके व प्राकृतिक दृश्य योजना आदि द्वारा, समुद्रतटों के साथ-साथ विहार-स्थलीय क्षेत्रों तथा पुराने गोवा में चर्च कम्प्लेक्स का विकास करने और नगरों में एवं नदी तट के साथ-साथ चुने हुए क्षेत्रों के संरक्षण को सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है । अतः, उपर्युक्त स्कीमों की शीघ्रता से आयोजना एवं क्रियान्वयन के लिए आवश्यक विकासात्मक ढांचा तैयार करने का प्रश्न इस समय सरकार के विचाराधीन है ।

गोआ में शाल-ऊन उद्योग का विकास

3544. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गोवा में शाल-ऊन उद्योग अथवा अन्य किस उद्योग का विकास करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) करघों वाला कोई भी एकक ऊनी शाल बना सकता है । एक निर्यात अभियुख एकक को ऊनी/वर्स्टेट वस्त्रों के निर्माण के लिए आशय पत्र दिया गया है और एक्स-मिन्स्टर कालीनों के निर्माण के लिए एकक की स्थापना से सम्बन्धित एक आवेदन पत्र भी विचाराधीन है । मैमगोआ बन्दरगाह के एकदम करीब ही कस्टम्स बांडिड टैक्सटाइल प्रोसैसिंग ज़ोन स्थापित किये जाने की भी प्रस्थापना है जहां कतिपय निर्यात-अभिमुख एककों की स्थापना की जा सकेगी ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा गोआ के कृषि-क्षेत्र को दिये गये ऋण

3545. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिया गया ऋणों का कितने प्रतिशत भाग गोआ के कृषि क्षेत्र को उपलब्ध हुआ है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): दिसम्बर, 1973 के अन्त तक राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा गोआ, दमन और दीव में दिये गये कुल ऋणों का 2.68* प्रतिशत भाग कृषि क्षेत्र के लिए दिया गया है ।

कुटीर विद्युत्चालित उद्योग

3546. **श्री लालजी भाई**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: क्या कुटीर विद्युत्चालित उद्योगों के मालिक अधिकांशतः पूंजीपति तथा मिल मालिक हैं और बुनकर नहीं हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मास्टर बुनकरों, वित्त पोषकों तथा मिल मालिकों द्वारा कुटीर शक्तिचालित करघों के बेनामी स्वामित्व की रिपोर्टें मिली हैं । इस उद्योग के अत्यधिक विकेन्द्रित होने के कारण वास्तविक स्वामित्व की जांच कराना कठिन है ।

*अनन्तिम आंकड़ों पर आधारित ।

मैसर्स कोरस इंडिया लिमिटेड पर आयकर की बकाया राशि

3547. **श्री लालजी भाई** : क्या **वित्त** मंत्री मैसर्स कोरस इण्डिया लिमिटेड पर आयकर की बकाया राशि के बारे में 27 जुलाई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 881 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मसर्स कोरस इण्डिया लिमिटेड को जो "कारण बताओ" नोटिस जारी किया गया था क्या उसका उत्तर प्राप्त हो गया है और यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है; और

(ख) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) कारण बताओ नोटिस का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ ।

(ख) 24 अक्तूबर, 1973 को संशोधन आदेश जारी करने से मांग पूर्णतः समाप्त हो गयी थी । अतः अर्थदण्ड लगाने की कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी ।

'क्रेश फायर टेन्डर्स' मशीनों का आयात

3548. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल**:

श्री वीरेन दत्त :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 20 व्हील-टाइप क्रैश फायर टेंडर्स मशीनों के अतिरिक्त, जिनके आयात के लिये पहले ही हालैण्ड को क्रयादेश दिये जा चुके हैं, 16 क्रैश फायर टेंडर्स और आयात किये जा रहे हैं जिन पर 2 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की लागत आयेगी; और

(ख) क्या विश्व में कहीं भी ऐसी मशीनें प्रयोग में नहीं हैं और मंजूरी से पूर्व विशेष रूप से उन्हें विकसित किये जाने तथा व्यापक पैमाने पर उनका किस्म परीक्षण किये जाने की कोई सम्भावना नहीं है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हालैण्ड से आयात किये जाने वाले 20 व्हीलर टाइप क्रैश फायर टेंडर्स दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर तैनात किये जाने हैं जबकि आस्ट्रिया से आयात किये जाने वाले 16 को नागर विमानन विभाग के नियंत्रणगत देशीय हवाई अड्डों पर प्रयोग किया जाएगा । इन 16 क्रश फायर टेंडरों का विदेशी मुद्रा में अनुमानित व्यय 87.70 लाख रुपये होगा ।

(ख) इसी प्रकार के तथा इससे बड़े क्रैश फायर टेंडर अन्य देशों के कई अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर प्रयोग में लाए जा रहे हैं । स्वीकार करने से पहले सभी मशीनों की यथानिर्धारित कुशलता-परीक्षा तथा क्वालिटी कन्ट्रोल जांच की जाएगी ।

मुद्रास्फीति को रोकने के उपाय

3549. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुद्रा स्फीति के विरुद्ध अभियान तीव्र करने और कुछ वित्तीय उपाय करने के बाद अब अधिक उत्पादन और उसके उचित वितरण पर अधिक ध्यान दिया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) तथा (ख) अन्ततोगत्वा उत्पादन में वृद्धि ही एक मात्र ऐसा उपाय है जिससे मुद्रा-स्फीति पर पड़ने वाले दबावों को सफलतापूर्वक रोका जा सकता है और हमारी पंचवर्षीय आयोजना का बराबर यही उद्देश्य रहा है । हालांकि मांग को सीमित करने तथा सट्टेबाजी पर रोक लगाने के प्रयोजन से हाल ही में कई उपाय किये गये हैं तो भी उत्पादन में वृद्धि और अत्यावश्यक वस्तुओं के उचित वितरण की दिशा में किये जाने वाले उपायों की ओर सरकार का ध्यान हमेशा रहता है । उदाहरण के लिए इस वर्ष की खरीफ की फसल में हुई कमी को पूरा करने के उद्देश्य से रबी के मौसम के लिए एक अभियान शुरू किया गया है । इसमें अन्य बातों के साथ-साथ खेती के काम आने वाली वस्तुओं की ओर अधिक अच्छे ढंग से तथा समय पर सप्लाई की व्यवस्था की गयी है । अनाज की वितरण प्रणाली को दोषरहित बनाया जा रहा है और केन्द्र में एक सिविल सप्लाई विभाग की स्थापना की गयी है ताकि वह राज्यों के सिविल सप्लाई संगठनों के कार्यों में तालमेल बैठाने तथा आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने और उन्हें लाने-लेजाने का काम पहले से अधिक कारगर ढंग से करने में उनके लिए सहायक हो सके । औद्योगिक क्षेत्र में बिजली, कोयला, परिवहन सम्बन्धी सुविधाओं आदि में तेजी से सुधार करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं ताकि उत्पादन के रास्ते में आने वाली अड़चनों को दूर किया जा सके ।

ऋणों में रोक

3550. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऋणों पर रोक लगाये जाने से देश में उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा; और

(ख) क्या इसके फलस्वरूप देश को उत्पादन के क्षेत्र में प्रति वर्ष 1,000 करोड़ से 2,000 करोड़ रुपये तक की हानि हो रही है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) और (ख) ऋणों पर प्रतिबन्ध लगाने का उद्देश्य बहुत अधिक मात्रा में तालिकागत सामान को जमा करने सहित सट्टे सम्बन्धी गति-विधियों को निरुत्साहित करके मुद्रा स्फीतिकारी दबावों को रोकना है । जितना भी इन उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकेगा, उत्पादन पर स्वस्थ्य प्रभाव पड़ेगा । देश की ऋण नीति का निर्धारण करते समय, रिज़र्व बैंक द्वारा व्यापार और उद्योग की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरे तौर से ध्यान में रखा जाता है । अतः, व्यस्त मौसम के लिए जो नीति निर्धारित की गयी है वह यह मानकर की गयी है कि मौजूदा स्थिति का तकाजा यह है कि ऋण देने पर लगाये गये प्रतिबन्धों को जारी रखा जाये और इसके साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि पूंजी लगाने, उत्पादन बढ़ाने और अनिवार्य वस्तुओं के वितरण का कार्य बराबर जारी रहें और इसके लिए ऋण देने की चयनात्मक नीति जारी रहे ।

भारत के विदेशी मुद्रा रिजर्व

3551. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विदेशी मुद्रा सम्बन्धी स्थिति दिन पर दिन जटिल होती जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसमें सुधार के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां । चालू वित्तीय वर्ष में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की विदेशी परिसम्पत्तियों में (सोना, एस०डी०आर० और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से निकाली गई रकम को छोड़कर) 15 नवम्बर, 1974 तक 289.01 करोड़ रुपए की कमी हुई; जिससे इस बात का पता चलता है कि प्राप्तियों की तुलना में भुगतान अधिक करना पड़ा।

(ख) प्रारक्षित राशि में कमी मुख्यतः आयात पर खर्च के बढ़ जाने से हो रही है जिसका कारण तेल, उर्वरक और दूसरी चीज़ों की कीमतों में तेज़ी से वृद्धि होना और विदेशों से बराबर खाद्यान्न के आयात करने की ज़रूरत का बना रहना है । तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भी रकम ली है । किन्तु आगे विदेशी मुद्रा की स्थिति को मज़बूत बनाने के उद्देश्य से अनावश्यक चीज़ों के आयात को कम करने, तस्करी की रोकथाम करने और निर्यात, पर्यटन से होने वाली आय तथा बाहर से स्वदेश आने वाली रकमों से होने वाली आमदनी में वृद्धि करने की जोरदार कोशिश की जा रही है जो बराबर करती रहनी होगी ।

आयकर निर्धारण के विचाराधीन मामले

3552. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में आयकर निर्धारण के कितने मामले इस समय किस-किस निर्धारण वर्ष से विचाराधीन है ;

(ख) इस समय आयकर की कितनी राशि बकाया है ;

(ग) कितने मामलों में और किस किस के साथ मामले में आपसी समझौता हो गया है और परिणामतः आयकर की कितनी राशि कम की गई और ऐसे किन कारणों से किया गया ;

(घ) कुछ मामलों में अभी तक कोई भी कार्यवाही क्यों नहीं की गई है ; और

(ङ) मुकदमे दायर करने में वर्षों का समय लिये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) आयकर के मामलों से संबंधित आंकड़े, आयकर आयुक्तों के अधिकार क्षेत्रों के अनुसार रखे जाते हैं, न कि राज्यों के अनुसार । 31 मार्च 1974 को बकाया पड़े आयकर निर्धारण के मामलों का आयुक्तों के अधिकार क्षेत्र-वार तथा कर-निर्धारण वर्ष-वार ब्यौरा अनुबन्ध में दिया गया है । [ग्रंथालय में रख दिया गया । देखिए संख्या एल० टी० 8696/74] ।

(ख) आयकर (जिसमें निगम कर भी शामिल है) की बकाया रकमों के नवीनतम आंकड़े 30 जून, 1974 तक के उपलब्ध हैं । इस तारीख की स्थिति के अनुसार, आयकर की सकल तथा शुद्ध बकाया रकम नीचे दिये अनुसार है :—

रकम करोड़ रुपयों में

सकल बकाया रकमें	800.84
शुद्ध बकाया रकमें	595.71

(ग) कर की बकाया रकमों के निपटान (कम करने) के संबंध में अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र ही सदन पटल पर रख दी जायगी ।

(घ) जिन मामलों में मांग को विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा स्थगित कर दिया गया है अथवा जो मांगें अन्यथा कार्यवाही करने योग्य नहीं है, उन को छोड़ कर अन्य सभी मामलों में, प्रत्येक मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों को देखते हुए कानून के अनुसार सभी उपाय किये जाते हैं, जिन में निम्नलिखित भी शामिल हैं ।

(1) कर की अदायगी नहीं करने पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 221 के अन्तर्गत अर्थदण्ड लगाना ।

(2) धारा 226 (3) के अन्तर्गत, कर निर्धारिती को देय रकम की कुर्की ।

(3) धारा 226 (4) के अन्तर्गत, न्यायालय में रखी हुई रकम की कुर्की ।

(4) धारा 226 (5) के अन्तर्गत, चल सम्पत्ति की कुर्की तथा उसकी बिक्री ।

(5) धारा 222 के अन्तर्गत, वसूली प्रमाण पत्र जारी करना ।

(6) चल/अचल सम्पत्ति की कुर्की तथा बिक्री ।

(7) कर निर्धारिती को सिविल जेल में कैद रखना ।

(ङ) आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची में, करों की अदायगी नहीं करने पर, निर्धारिती को गिरफ्तार करने तथा सिविल जेल में कैद रखने की व्यवस्था है परन्तु उस पर इस्तगासे की कार्यवाही करने की व्यवस्था नहीं है । इसलिए कर अदा नहीं करने पर किसी भी प्रकार की इस्तगासे की कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता । परन्तु, कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 1973 के खंड 71 में, धारा 276 सी को इस प्रकार संशोधित करने की व्यवस्था है कि जो व्यक्ति जान-बूझकर कर की अदायगी करने से बचने की कोशिश करते हैं उन पर इस्तगास की कार्यवाही की जा सकेगी ।

रेलगाड़ियों में तस्करी की गतिविधियां रोकने के लिये कार्यवाही

3553. सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक्सप्रेस तथा मेल गाड़ियों में तस्करी की गतिविधियां खानपान व्यवस्था के ठेकेदारों के माध्यम से चल है , और

(ख) यदि हां, तो रेलगाड़ियों में तस्करी को रोकने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) तथा (ख) : रेल कर्मचारियों की सांठ-गांठ से अथवा उनकी सांठ-गांठ के बिना एक्सप्रेस और डाक गाड़ियों द्वारा तस्कर-माल के लाने ले जाने के छिटपुट मामले सरकार की जानकारी में आये हैं । सारे देश में निवारक एककों द्वारा किये गये बहुत से उपायों में गाड़ियों की बार-बार जांच-पड़ताल करना भी शामिल है ।

बेलेकेरी पत्तन उत्तरी कनारा कर्नाटक राज्य से लौह अयस्क का निर्यात

3554. **श्री वी० बी० नायक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य के उत्तरी कनारा जिले के बलेकेरी पत्तन से लौह अयस्क का निर्यात होना कब से बन्द है ;

(ख) इसके बन्द हो जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) इस पत्तन पर कार्य बन्द होने से अत्यधिक ढुलाई खर्च के कारण (कर्नाटक) मिनरल्ज लिमिटेड को कितनी हानि हुई है ; और

(घ) क्या बेलेकेरी पत्तन पर कार्य पुनः आरम्भ करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) मैसूर मिनरल्ज लिमिटेड, जो कि खनिज व धातु व्यापार निगम के अभिकर्ता हैं, 15 मई 1974 से बाद में बेलेकेरी पत्तन पर कार्य नहीं चल सके हैं ।

(ख) मैसूर मिनरल्ज लिमिटड और एक गैर-सरकारी पार्टी के बीच बेलेकेरी पत्तन भूमि पर, इमारत और ढांचों के स्वमित्व के बारे में कानूनी विवाद ।

(ग) मैसूर मिनरल्ज लिमिटेड को कोई हानि नहीं है क्योंकि लौह अयस्क की जिन मात्राओं का लदान बेलेकेरी पत्तन से होना था उनका लदान अब वे करवार पत्तन से कर रहे हैं और ढुलाई लागत दोनों पत्तनों से बराबर है ।

(घ) जी हां, ज्योंही कानूनी विवाद समाप्त हो जाएगा ।

मैसर्स कोरस इंडिया लिमिटेड द्वारा कच्चे माल तथा अर्ध-तैयार माल का निर्यात

3555. **श्री लालजी भाई** : क्या वाणिज्य मंत्री मैसर्स कोरस द्वारा कच्चे माल तथा अर्ध-तैयार माल के निर्यात के बारे में 17 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3517 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैसर्स कोरस इंडिया लिमिटेड की लेखा पुस्तकों का निरीक्षण किया है, और यदि हां, तो क्या सरकार को उपरोक्त प्रश्न के (क) भाग में अपेक्षित जानकारी मिल गई है ;

(ख) क्या सरकार ने सीमाशुल्क विभाग, नौवहन संबंधी दस्तावेजों रेलवे, चुंगी, तथा अन्य सरकारी एजेंसियों के माध्यम से इस फर्म के निर्यात की मात्रा का पता लगाने का प्रयास किया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार संबन्धित कम्पनियों की लेखा पुस्तकों का निरीक्षण करने तथा इसके निष्कर्षों की उपरोक्त भाग (ख) में वर्णित सरकारी विभागों के रिकार्ड से तुलना करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (घ) अनेक सरकारी अभिकरण इस मामले से संबंधित हैं, जानकारी यथासंभव एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी ।

Movable and Immovable Properties possessed by Income Tax and Customs Officials

3556. Shri Bhagatram Rajaram Manhar : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the press report that the Income tax and customs officials live beyond their means, they are the owners of grand buildings, foreign made articles are in abundance in their houses and are leading luxurious life; and

(b) the number of officers in these departments against whom investigations have been made in the above context and of those against whom action has been taken and relevant facts in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) :(a) Yes. Government's attention has been invited to a few press reports of this nature;

(b) Investigations against individual officials are initiated when the Government have reasons to believe that the officers concerned are corrupt, have assets disproportionate to their known sources of income or have smuggled articles in their houses. Details of such investigations made during 1972 to 1974 and the results thereof are being collected from the field formations and will be laid on the table of the House.

पश्चिम बंगाल में सूखाराहत संबंधी कार्यवाही

3557. श्री यमुना प्रसाद मंडल :

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में सूखा राहत कार्यों के लिए धन देने से इन्कार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) बाढ़/सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए राज्य की वित्तीय आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिए हाल में एक केन्द्रीय दल ने सज्य का दौरा किया है । दल के मूल्यांकन के आधार पर इस बारे में राज्य सरकार के परामर्श से और आगे विचार किया जाएगा।

(ख) यह सवाल पैदा नहीं होता ।

अकालग्रस्त राज्यों को वित्तीय सहायता

3558. **श्री ज्योतिर्मय बसु**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973 में तथा वर्ष 1974 के पहले 10 महीनों के दौरान अकालग्रस्त राज्यों को राहत के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि की सहायता स्वीकार तथा वितरित की गई है ;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्यों को आगे कोई और सहायता न देने का निर्णय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) 1973–74 तक राज्यों को केन्द्रीय सहायता केन्द्रीय दलों द्वारा राहत व्यय की सुझायी गई अधिकतम सीमाओं तथा राज्यों द्वारा बताये गये व्यय के क्रमिक आंकड़ों के आधार पर दी जाती थी । चूंकि केन्द्रीय दलों द्वारा की गयी सिफारिशें खास किस्म की विपत्तियों से संबंधित होती थीं, इसलिए वे एक से अधिक वित्तीय वर्षों में फैला दी जाती थीं । सूखे और बाढ़ संबंधी राहत खर्च के लिए राज्यों को 1972–73 तथा 1973–74 के दौरान कुल मिलाकर क्रमशः 216.67 करोड़ रुपये तथा 303.33 करोड़ रुपये की सहायता दी गयी थी ।

जहां तक वर्ष 1974–75 का संबंध है अभी तक राहत संबंधी व्यय के लिए कोई त्रिवय सहायता मंजूर नहीं की गयी है ।

(ख) और (ग) छटे वित्त आयोग की सिफारिशें भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गयी हैं और राहत संबंधी व्यय के लिए धन की व्यवस्था करने के बारे में राज्यों को इस प्रकार के व्यय के लिए आयोजना-भिन्न केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के पहले की पद्धति 1 अप्रैल, 1974 से समाप्त कर दी गयी है । मौजूदा नीति यह है कि केन्द्र द्वारा वित्तीय सहायता, जहां नितांत आवश्यक हो, केवल आयोजनागत सहायता की पेशगी के रूप में अथवा सूखे की संभावना वाले क्षेत्रों से संबंधित कार्यक्रम और आदिवासी विकास योजना के लिए की गयी व्यवस्था के अन्तर्गत सहायता के रूप में प्रदान की जाती है । इस प्रकार दी गयी पेशगी सहायता की रकम, उससे अगले वर्ष सम्बद्ध राज्य की देय सामान्य आयोजनागत सहायता में से घटा दी जायगी । इस प्रकार की पेशगी सहायता देने पर तभी विचार किया जायगा जब इस बात की तसल्ली हो जाय कि राज्य सरकारों ने वित्त आयोग द्वारा राहत-व्यय के लिए निर्धारित सीमान्तिक धनराशि को पूरी तरह से इस्तेमाल करने, आयोजना संबंधी राशि की विभिन्न क्षेत्रों में और राज्य के अप्रभावित इलाकों पर उपयोग करने की बजाय प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों पर उपयोग करने, प्रभावित जनता को जारी रहने वाली बड़ी और दरमियाने दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं पर और आयोजना में शामिल अन्य निर्माण-कार्यों पर रोजगार प्रदान करने, राहत-रोजगार कार्यक्रमों को सूखे की संभावना वाले क्षेत्रों से संबंधित कार्यक्रम और आदिवासी विकास योजना के लिए की गयी व्यवस्था आदि के अन्तर्गत विशिष्ट योजनाओं का रूप देने और राहत-व्यय की वित्त-व्यवस्था के लिए यथासम्भव सीमा तक अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए कदम उठाये हैं ।

चालू वर्ष में सूखे और बाढ़ से प्रभावित राज्यों को वित्तीय सहायता देने के बारे में उपर्युक्त नीति के अनुसार विचार किया जा रहा है ।

Levy of Agricultural Tax

3559. Shri Jagannathrao Joshi:
Shri Atal Bihari Vajpayee:

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the guidelines and directives issued by the Centre to the State Governments in regard to levy of agricultural tax during each of the last 3 years;

(b) the Statewise progress made in the implementation of each of them;

(c) the increase in the revenue of each State as a result thereof;

(d) the action proposed to be taken by Government in future in this regard; and

(e) whether Government propose to bring uniformity in this respect throughout the country keeping in view the interests of agriculture and agro-industries and if so, how and, if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) The State Governments have been advised to raise additional resources from the agricultural sector through imposition of an Agricultural Holdings Tax as recommended by the Raj Committee or through a combination of other measures like withdrawal of concessions in land revenue, levy of progressive surcharges on land revenue, betterment levy, cess on commercial crops etc.

(b) & (c) : A statement showing the names of the States which have taken measures in the current year to mobilize additional resources through agricultural taxation and the expected revenue from those measures in the current financial year is laid on the Table of the House.

(d) & (e) : Each State follows its own pattern of agricultural taxation suited to local conditions and circumstances, and it may not be feasible to achieve complete uniformity in agricultural taxation throughout the country.

Statement

Estimates of Additional revenues from agricultural taxation measures adopted by States in 1974-75

State	Revenue yield in 1974-75 (Rs. Crores)
1. Andhra Pradesh	1.00
2. Bihar	8.20
3. Himachal Pradesh	0.20
4. Madhya Pradesh	1.75
5. Maharashtra	0.80
6. Orissa	2.20
7. Punjab	1.70
8. Uttar Pradesh	12.00
Total :	27.85

Note : The taxation measures taken into account are those relating to land used for agricultural purposes like withdrawal of concession in land revenue, increase of land revenue cesses/surcharge on land revenue, cess on commercial crops, levy on capital value of agricultural land, agricultural holding tax, etc.

Increase in Money Circulation during 1973-74

3560. Shri R. V. Bade :

Shri Jagannathrao Joshi :

Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the extent to which money circulation increased in the country during the year 1973-74;

(b) the percentage by which industrial growth and money circulation increased during the last three years, year-wise; and

(c) the steps proposed to be taken in this behalf in the near future ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) Money supply with the public increased by Rs. 1423.6 crores during 1973-74.

(b) The requisite information is shown in the following table :

	(Percentage variation) Money supply with the public*	General Index of Industrial production
1971-72	+14.0	+3.3
1972-73	+15.7	+5.3
1973-74	+15.1	+0.5
1974-75 . . . . . (April-June)	+5.1@(+3.3)†	+3.2
1973-74 . (April-June)	+5.8@(+6.7)†	—1.8

*Based on last Friday figures.

@End March to end June.

†End March to Mid November.

(c) A number of measures have already been undertaken to increase essential industrial production and to bring down the rate of increase in money supply and bank credit. Further steps will be taken as and when necessary in the light of the emerging situation.

उत्पादन शुल्क घोटाले का पता लगाया जाना

3561. श्री वीरेंद्र सिंह राव:

श्री मुख्तियार सिंह मलिक:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क विभाग के अधिकारियों द्वारा दिल्ली में बड़े-बड़े राजनैतिक दलों की सांठगांठ से चलाए जा रहे 20 लाख रुपये के उत्पादन-शुल्क के घोटाले की जांच इस बीच पूरी कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले; और

(ग) सरकार ने दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) सरकार की जानकारी में दिल्ली में 20 लाख रुपये के उत्पादन-शुल्क का ऐसा कोई जाल-चक्र नहीं आया है, जिसमें केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग का कोई कर्मचारी अन्तर्ग्रस्त हो ।

(ख) तथा (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

आयकर अपवंचक

3562. **श्रीमती सावित्री श्याम**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 25 अक्तूबर, 1974 से 4 नवम्बर, 1974 के बीच बरेली, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार से कितने आयकर अपवंचक गिरफ्तार किए गए हैं ?

(ख) इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जानी है ; और

(ग) छापों और गिरफ्तारियों के क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) कर-अपवंचन के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने अथवा नजरबन्द रखने की, आय-कर अधिनियम, 1961 में कोई व्यवस्था नहीं है ।

25 अक्तूबर, 1974 से 4 नवम्बर, 1974 तक की अवधि में आय-कर विभाग ने बरेली में तलाशी लेने और माल पकड़ने का कोई कार्य नहीं किया ।

गुजरात, पूना, बम्बई, कानपुर, लखनऊ और बिहार के आय-कर आयुक्तों के अधिकार-क्षेत्रों में आय-कर अधिकारियों द्वारा अक्तूबर, 1974 में ली गई तलाशियों की संख्या और पकड़ी गई परिसम्पत्तियों का मूल्य नीचे दिये अनुसार है :

अधिकार-क्षेत्र	तलाशियों की संख्या	पकड़ी गयी परिसम्पत्तियों का मूल्य (लाख रुपयों में)
		(लगभग)
गुजरात	69	43.64
बम्बई सिटी	60	86.86
पूना	19	12.71
कानपुर	28	7.38
लखनऊ	27	79.02
बिहार	1	—

तलाशी के बाद पहला कार्य अघोषित आय का सरसरी तौर पर अनुमान लगाना और आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 132(5) के अधीन उतनी परिसम्पत्तियों को रोक रखने के लिए आदेश जारी करना है जो अनुमानित अघोषित आय-पर कर-दायित्व तथा किसी भी विद्यमान कर-देयता को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझी जायें । यह आदेश तलाशी लेने के 90 दिनों के अन्दर पास करना होता है । इसके बाद, जहां भी आवश्यक हो, मामले को फिर से शुरू करके- नियमित कर-निर्धारण की कार्यवाही की जाती है । जब भी उचित हो, कर की धोखा-धड़ी के लिए इस्तगासे की कार्यवाही की जाती है जिसमें जेल की सजा भी हो सकती है ।

Smugglers Arrested under MISA in Madhya Pradesh

3563. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the district-wise number and names of persons held in Madhya Pradesh under MISA in the wake of anti-smuggling drive;

(b) the description and value of the articles seized from each of them indicating the total value of those articles; and

(c) the steps proposed to be taken in future in this direction ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) to (c) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Production of unauthorised items by Shree Ram Rayon Mills, Kota

3564. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Commerce be pleased to refer to the reply given to Uns tarred Question No. 1627 on the 2nd March, 1973 regarding status of employees in Rayon Mills and state :

(a) the names and other details of those items for the production of which permission was sought by Shree Ram Rayons, Kota Rajasthan, a branch of Messrs Delhi Cloth and General Mills Company Limited vide Licences No. L/23/S/N/-17/Tex(D)61 dated 22-3-1961 and No. L/23/6/90/Tex(F)65 dated the 29th April, 1965;

(b) whether items for which permission was asked for are not being produced there and instead (1) Sulphuric acid (2) Sodium Sulphate(3) Sodium Sulphide (4) Carbon Bisulphide CS2 are being produced in large quantities without permission and if so, the action being taken; and

(c) whether quantity of Steam, valued at lakhs of rupees which is produced in this factory is being sold to the adjoining factory (Shri Ram Chemical Industries) which is absolutely illegal ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) to (c) : The information is being collected and will be placd on the table of the House.

Issue of licences to Shree Ram Rayons Kota (Rajasthan)

3565. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Commerce be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1627 on the 2nd March, 1973 regarding export of Manganese Ore and state :

(a) whether licences No. L/23/S/N-17-Tex(D) 61 dated 22nd March, 1961 and L/23/6/90/Tex(F) 65 dated the 21st April 1965 have been issued to M/s. Delhi Cloth and General Mills Chemical Limited Branch (Shri Ram Rayons Kota—Rajasthan) and if so, the terms and conditions on which licences have been issued;

(b) whether the terms and conditions of the licences have been violated by the Company to a very great extent as a result of which the company is making huge undue profit; and

(c) if so, whether Government propose to have some investigation in all these hung li ngs ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh):

(a) Yes Sir. The conditions of the licence are given in the statement enclosed.

(b) & (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Statement

(a) To develop the export of the end product in sufficient volume to earn the foreign exchange expenditure on the import of Capital Plant and equipment.

(b) Thereafter to arrange for exports in such quantities as might be found practicable from time to time having regard to the production by other units and domestic demand.

(c) To restrict sales or domestic consumption to such figures as may be prescribed by Government from time to time in the light of (a) and (b) above.

आर्थिक अपराधों के लिये गिरफ्तार किये गये व्यक्ति

3566. **श्री शंकरराव सावन्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर्थिक अपराधों के लिए कितने व्यक्तियों को आसुंका के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया ;

(ख) इनमें से प्रत्येक की सम्पत्ति का मूल्य क्या है ;

(ग) सरकार द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की कितने मूल्य की सम्पत्ति कुर्क की गई ;

(घ) क्या गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधिक मामले दायर करने का विचार है ; और

(ङ) यदि हां, तो किन के विरुद्ध और किस अपराध के लिए ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश, 1974 के अन्तर्गत 26 नवम्बर, 1974 तक 650 से अधिक व्यक्ति नजरबन्द किए गए हैं ।

(ख) और (ग) अभी ऐसे सभी व्यक्तियों की सम्पत्तियों के मूल्य निश्चित करना, समयपूर्व है, विशेषतः जब कि विभिन्न सम्पत्तियों में पूंजी निवेश बेनामी हैं ।

(घ) और (ङ) आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश 1974 स्वयं में, आपराधिक अभियोगों के लिए कोई कार्य-विधि नहीं है। जिन मामलों में पर्याप्त सबूत मौजूद हैं, उनमें प्रत्येक मामले की जांच करने के बाद, गुण-दोष के आधार पर, अन्य कानूनों के अधीन इस्तगासे की कार्यवाही की जाएगी ।

Encashment of Earned Leave

3567. Shri M.S. Purty :

Shri N.E. Horo :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the proposal entitling Government servants drawing pay upto Rs. 1000/- to encash their earned leave is under consideration of Government; and

(b) the objection of Central Government in approving the proposal ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) (a) : No, Sir.

(b) The Third Pay Commission have gone into this matter and, for the reasons contained in their report, recommended against the introduction of a scheme of encashment of eave for Central Govrnment employees. Government have accepted this recommendation.

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के लिये नया मजूरी ढांचा

3568. श्री प्रसन्नाभाई मेहता:

श्री के० लकप्पा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों के लिये नया मजूंरी ढांचा बनाये जाने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) मजदूरी-आय-मूल्य सम्बन्धी एकीकृत तर्कसंगत नीति की आवश्यकता सर्वमान्य है और सरकार इस प्रकार की नीति तैयार करने के लिए निरन्तर विचार करती रही है । सरकारी क्षेत्र में मजदूरी सम्बन्धी नीति के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में कुछ सामान्य मार्ग निर्देश जारी किए गये है । जब मजदूरी में संशोधन से सम्बन्धित प्रस्तावों पर विचार किया जाता है तो मजदूरी को अधिक से अधिक तर्कसंगत बनाने का ध्यान रखा जाता है।

मछली का निर्यात

3569. श्री बेकारिया :

श्री अरविंद एम० पटेल:

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 के दौरान गैर-सरकारी कम्पनियों तथा सरकारी एजेंसी के माध्यम से कुल कितनी-कितनी मछली का निर्यात किया गया था ; और

(ख) किन-किन देशों को मछली का निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) 1973-74 के दौरान 46612 मे० टन मछली तथा मछली से बनी वस्तुएं निर्यात की गई । व्यक्तिगत फर्मों तथा सरकार के संबंध में अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ख) जापान, संयुक्त राज्य अमरीका, आस्ट्रेलिया, फ्रांस, बेल्जियम, श्रीलंका मछली तथा मछली तथा मछली से बनी वस्तुओं के हमारे निर्यातों के लिए मुख्य बाजार हैं ।

गैर-बैंकिंग कम्पनियों संबंधी निदेशों के खण्ड 9 और 6 का पालन न किया जाना

3570. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक विविध गैर-बैंकिंग कम्पनियों और विशेष रूप से गुजरात सेविंग यूनिट प्राईवेट लि०, संतोष बेनिफिट प्राइवेट लि० और मैसर्स नवजीवन ट्रेडिंग फाईनेंस प्राईवेट लि० ने अपने नवीनतम निदेशक प्रतिवेदनों में गैर बैंकिंग कम्पनी संबंधी निर्देशों के खण्ड 9 के अधीन घोषित किये जाने वाले विवरण की घोषणा नहीं की है :

(ख) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और उनके नामों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या मैसर्स बसुन्धरा फाइनेन्सियर्स स्वर्यश्रेय बेनिफिट प्राइवेट लि०, गुजरात सेविंग यूनिट प्राइवेट लि०, सींगल बेनिफिट प्राईवेट लि० और मोहन बेनिफिट प्राइवेट लि० तथा कविता बेनिफिट प्राइवेट लि० ने उपर्युक्त निर्देशों के खण्ड 6 के अधीन घोषित किये जाने वाले अपेक्षित विवरण की घोषणा किये बिना ही जनता से धनराशि जमा करने का अनुरोध करते हुए विज्ञापन जारी किये हैं ; और

(घ) उक्त कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि मैसर्स गुजरात सेविंग यूनिट प्राइवेट लिमिटेड, संतोष बेनिफिट फाइनेन्स लिमिटेड और नवजीवन ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड ने अपने निदेशक मण्डल की वर्ष 1973 की रिपोर्ट अभी बैंक के पास नहीं भेजी है । भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि मैसर्स गुजरात सेविंग यूनिट प्राइवेट लिमिटेड, और मैसर्स नवजीवन ट्रेडिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड को इस आशय के 'कारण बताओ' नोटिस दिए थे कि उन पर जनता से और जमाये स्वीकार करने पर पाबन्दी क्यों न लगा दी जाये । मैसर्स गुजरात सेविंग प्राइवेट लिमिटेड ने इस 'कारण बताओ' नोटिस की वैधता को चुनौती देते हुए एक विविध याचिका बम्बई उच्च न्यायालय में दायर कर दी और 22 अक्तूबर, 1974 के उक्त न्यायालय से व्यादेश (इन्जेक्शन) प्राप्त कर लिया, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस विषय में आगे और कार्रवाही करने पर रोक लगा दी गयी है । मैसर्स नवजीवन ट्रेडिंग फाइनस प्राइवेट लिमिटेड ने तर्क दिया है कि उनके द्वारा एकत्रित अंशदान "जमाएं" (डिपाजिट्स) नहीं हैं और इस बारे में उक्त कम्पनी ने दी गुजरात सेविंग यूनिट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर की गयी रिट याचिका की ओर बैंक का ध्यान आकर्षित किया है । मैसर्स संतोष प्राइवेट लिमिटेड के विषय में बैंक ने कहा है कि उक्त कम्पनी ने "विविध-गैर-बैंकिंग कम्पनियां (रिजर्व बैंक) निदेश, 1973" के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने के लिए बैंक से आवेदन किया है, ताकि वे अपनी वर्तमान इनामी चिट योजना को जारी रख सकें । यह आवेदन अब बैंक के विचाराधीन है ।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि गुजरात सेविंग यूनिट प्राइवेट लिमिटेड को ऐसे विज्ञापन भी बैंक के ध्यान में आये हैं, जिनमें "विविध गैर-बैंकिंग कम्पनियां (रिजर्व बैंक) निदेश, 1973" के पैरा 6 में विहित सूचना नहीं दी गयी है । इस अवहेलना की ओर बैंक ने कम्पनी का ध्यान दिलाया है । बैंक ने यह भी सूचना दी है कि यद्यपि अन्य कम्पनियों की विज्ञापन-विषयक विशिष्ट सूचना बैंक के पास सुलभ नहीं है, किन्तु जब कभी उक्त निदेशों के अन्तर्गत विज्ञापन-विषयक प्रावधानों की अवहेलना बैंक के ध्यान में आती है, तो यह मामला सम्बद्ध कम्पनी के साथ उठाया जाता है ।

Utilization of Petro-Dollars for Raising Loans from Arab Countries

3571. **Shri Balakrishna Venkanna Naik** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether Indian Government has any proposals to utilize the petro dollars for development by raising long term loans in Arab Countries; and

(b) whether this debenture scheme has been offered to any non-Arab countries ?

The Minister of Finance (Shri C. Subramaniam) : (a) & (b) Some proposals are under discussion.

आर्थिक अपराधों के लिये दोषियों को सजा देने हेतु कानून

3572. **श्री एस० आर० दामाणि** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसुंका और अन्य कानूनों के अधीन पकड़े गये तस्करों, जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों पर मुकदमा चलाने, उन्हें सजा देने और उनके द्वारा जमा की गई सम्पत्ति को जब्त करने के लिए वर्तमान कानून पर्याप्त है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों पर बिना विलम्ब मुकदमा चलाने के लिये क्या उपाय किए गए हैं ?

वित्त संत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) सीमा-शुल्क अधिनियम में तस्कर-व्यापारियों पर मुकदमा चलाने की व्यवस्था है। जब कभी, जांच-पड़ताल से पता चलता है कि तस्कर व्यापारी पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत है, तो इस्तगासे की कार्यवाही की जाती है । विशेष न्यायालय स्थापित करने के लिए विधि आयोग की सिफारिश भी सरकार के विचाराधीन है।

जहां तक तस्कर-व्यापारियों के धन का सम्बन्ध है, उन पर, तस्करी के माल के मूल्य के पांच गुना तक का दण्ड लगाया जा सकता है । इसी प्रकार छिपाई गई आय अथवा धन के लिये, आय-कर और धन-कर कानूनों में, दण्ड लगाने की व्यवस्था है । लेकिन, इन कानूनों में, अस्पष्ट स्रोतों से प्राप्त धन को जब्त करने की कोई व्यवस्था नहीं है ।

मादक पदार्थों का उत्पादन उनकी बिक्री और उनका उपयोग

3573. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : मादक पदार्थों की बढ़ोतरी, उनके उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर निगरानी रखने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मादक औषधियों की काश्त, उत्पादन और बिक्री आदि को सर्वथा इस विषय से संबंधित राष्ट्रीय कानूनों तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संधियों और करारनामों के अनुसार विनियमित किया जाता है जिनके लिए भारत सरकार एक संविदाकारी पक्ष है ।

उचित औषधीय और वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिये अफीम की घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय जरुरतों को पूरा करने की दृष्टि से भारत में अफीम पोस्त की काश्त सरकारी एकाधिकार के रूप में की जाती है । भारत में अफीम का गैर-औषधीय उपयोग अप्रैल, 1959 से वर्जित है ।

वर्तमान में केवल पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्यों में संबंधित राज्य सरकारों की देखरेख में गांजे की काश्त करने की अनुमति दी गयी है। गांजे की काश्त के क्षेत्र को उत्तरोत्तर कम करने के लिए राज्य सरकारों को मनाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ताकि देश में 1989 तक गांजे की काश्त पूर्ण रूप से बंद हो जाये । उपर्युक्त चार राज्यों और उत्तर प्रदेश को छोड़कर शेष सभी राज्यों में गांजे की गैर-औषधीय खपत पहले ही वर्जित है । भारत में काफी समय से चरस का उत्पादन, बिक्री और प्रयोग पूर्णत: निषिद्ध है । कोका को पत्ती एक अन्य मादक औषध है । तथापि, भारत में कोका की पत्ती की काश्त अथवा कोका के सत का उत्पादन नहीं होता ।

Photographs of Smugglers in possession of Rajasthan Public Relations Department

3574. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether the Rajasthan Public Relations Department had snapped notorious smuggler Bakhia with a former Chief Miniser of Rajasthan some years back;

(b) whether the copies of these photographs and their negatives have now disappeared from the Public Relations Department; and

(c) if so, the full facts in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने संबंधी अधिनियम के प्रवर्तन का पर्यवेक्षण करने के लिये समिति

3575. **श्री घनुआ प्रसाद मंडल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तस्करों के साथ निपटने के लिये आंतरिक सुरक्षा बनाये रखने संबंधी अधिनियम के प्रवर्तन का पर्यवेक्षण करने के लिये एक उच्चस्तरीय समिति गठित की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के सदस्यों के नाम और कृत्य क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) तस्करों के विरुद्ध आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 1974 की कार्यवाही के पर्यवेक्षण के लिये सरकार ने कोई समिति स्थापित नहीं की है ।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) को ध्यान में रखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता ।

भारत और पश्चिम जर्मनी के बीच तकनीकी सहायता के लिये समझौता

3576. **मौलाना इसहाक सम्भली**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तकनीकी सहायता के लिए पश्चिमी जर्मनी के साथ कोई समझौता किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत सरकार और जर्मन संघीय गणराज्य सरकार के बीच 31-12-1971 को हुए करार के अन्तर्गत जर्मन संघीय गणराज्य सरकार विकास सम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रों में भारत की विशेषज्ञों की सेवाओं, उपकरणों और भारतीय राष्ट्रिकों के लिए प्रशिक्षण की सुविधाओं के रूप में तकनीकी सहायता देने के लिए सहमत हो गयी है । जर्मन संघीय गणराज्य सरकार जर्मन विशेषज्ञों का वेतन और अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा का खर्च अदा करेगी, उपकरणों और सामान के समुद्री भाड़े का खर्च देगी और जर्मनी में भारतीय प्रशिक्षणार्थियों के लिए उपयुक्त भर्ती और अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा के खर्च और अन्य व्यय की व्यवस्था करेगी । भारत सरकार भारतीय कर्मचारियों के वेतन का स्थानीय खर्च पूरा करेगी, कच्चे माल और देश में निर्मित वस्तुओं की व्यवस्था करेगी, कार्यालय के स्थान का प्रबन्ध करेगी और विशेषज्ञों के लिए रिहाशी स्थान तथा भारत में उनके काम के सम्बन्ध में दौरों का खर्च पूरा करने के लिए उपयुक्त भत्ता देगी और उन विशेषज्ञों के व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए विशेष घरेलू वस्तुओं और सामान के आयात पर लगने वाले सीमा शुल्क की अदायगी का प्रबन्ध करेगी ।

इंजीनियरी उद्योग में क्षमता का उपयोग

3577. **श्री के० मालन्ना** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योरोपीय आर्थिक समुदाय उन क्षेत्रों में भारतीय इंजीनियरी उद्योग की शेयर क्षमता का उपयोग करने में रुचि रखता है जिन में योरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों में मंजूरी की दरें बढ़ जाने के कारण उत्पादन लागत में बहुत वृद्धि हो गई है ;

(ख) क्या योरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा प्रायोजित निर्माता फर्मों के परामर्शदाताओं तथा प्रतिनिधियों के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने उन क्षेत्रों का पता लगाने के लिये भारत की यात्रा की थी जिन में इंजीनियरी उद्योग योरोपीय आर्थिक समुदाय की आवश्यकताएं पूरी कर सकता है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) एक भारतीय विशेषज्ञ ने जो इंजीनियरिंग उद्योगों के क्षेत्र में सहयोग की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए इस वर्ष मई के महीने में यूरोप गया था, सूचित किया है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सम्बद्ध व्यक्तियों ने भारतीय इंजीनियरी उद्योग में उपलब्ध योग्यताओं तथा क्षमताओं का उपयोग करने में दिलचस्पी दिखाई है ।

(ख) तथा (ग) परामर्शी, निर्माण तथा संविदा संबंधी इंजीनियरी फर्मों के एक प्रतिनिधिमंडल के दौरे की एक प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन है ।

Illegal production in D.C.M. Units

3578. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Commerce be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1627 on the 2nd March, 1973 regarding workers in Rayon Mills and state :

(a) the quantity of (1) Sulphuric acid (2) Sodium Sulphate (3) Sodium Sulphide (4) Carbon Bisulphide (5) Rayon tyre chord (6) power and steam produced at present in M/s. Delhi Cloth and General Mills Co. Ltd. Branch (Shri Ram Rayon Kota, Rajasthan);

(b) the cost of production of these items, separately and the difference between the selling price and the cost of production;

(c) whether the production going on in indusries at present is illegal; and

(d) if so, whether Government would make an enquiry in regard thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) (a) to (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Remittances by Foreign Companies

3579. Shri R.V. Bade :
Shri Atal Behari Vajpayee :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the names of first twenty companies, being run with foreign collaboration, which remit abroad the maximum amount of foreign exchange from India;

(b) the amount of foreign exchange remitted by each of these companies during the last three years, separately under each head as also the name of the country to whch it was remitted; and

(c) the names of the companies found guilty of unauthorisedly remitting foreign exchange abroad ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) (a) to (c). The names of twenty companies which are subsidiaries of foreign companies and which have remitted the maximum amount during the year 1972-73 and their headwise remittances during the last three years are given in the attached statement. [*Placed in Library See No. L.T. 8697/74*] Out of these twenty companies none has been found guilty of unauthorisedly remitting foreign exchange abraoad during the last three years.

सरकारी उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ

3580. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों को गत वित्तीय वर्ष में 135 करोड़ रु० का कुल कर पूर्व लाभ हुआ था जबकि उस से पहले वर्ष 85 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो इन उपक्रमों की इस विशेष रूप से सुधरे कार्य निष्पादन की स्थिति के क्या मुख्य कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का इस सुधरी कार्य निष्पादन स्थिति को बनाए रखने और भविष्य में इसे और सुधारने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) सभी सरकारी उद्यमों से उनके 1973-74 वर्ष के लाभ-हानि के परीक्षित लेखे और तुलन-पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं । अनन्तिम आंकड़ों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि 1973-74 में कर-व्यवस्था से पहले लगभग 137 करोड़ रुपये का लाभ होगा जबकि 1972-73 में 83 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था ।

(ख) सामान्यतः कम्पनियों ने पिछले वर्ष की तुलना में 1973-74 के दौरान अपने कार्य-परिणामों और क्षमता के उपयोग में सुधार किया है । कुल मिलाकर स्थिति में यह सुधार हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 32.6 करोड़ रुपये की कम हानि होने तथा खनिज एवं चातू व्यापार निगम और भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड को 1972-73 की तुलना में क्रमशः 16.7 करोड़ रुपये और 12.8 करोड़ रुपये का अधिक लाभ होने के कारण अच्छे कार्य-परिणाम प्राप्त होने से हुआ है ।

(ग) सरकारी उद्यमों के कार्य में सुधार के लिए सरकार निरन्तर प्रयत्नशील है ।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा नागर विमानन विभाग के सहायक विमान निरीक्षक के निवास स्थान से अपराध प्रमाणित करने वाली सामग्री पकड़ना

3581. **श्री राजदेव सिंह :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो-विशेष पुलिस प्रतिष्ठान ने इस वर्ष की पहली तिमाही में नागर विमानन विभाग के एक सहायक विमान निरीक्षक के निवास पर छापा मारा था ;

(ख) यदि हां, तो क्या अपराध प्रमाणित करने वाली कोई वस्तुएं वहां पाई गई थीं, और यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या उक्त छापे में केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों के अपराध प्रमाणित करने वाली सामग्री भी पाई गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (घ) शिकायत प्राप्त होने पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जनवरी 1974 में नागर विमानन विभाग के एक सहायक विमान निरीक्षक के घर पर जाल बिछाया । उसके घर की तलाशी के दौरान कुछ अपराध सूचक कागजपत्र पाये गये थे । केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की आगे जांच कर रहा है ।

सरकारी टेलीफोनों के कनेक्शन समाप्त करना

3582. **श्री एस०आर० दामाणी :**

श्री विक्रम महाजन :

श्री एम० कतामुत्तु :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोनों के व्यय में कमी करने संबंधी सरकार के निदेश को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में क्रियान्वित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो मंत्रालयवार/विभागवार कितने टेलीफोनों के कनेक्शन समाप्त किये गये हैं ; और

(ग) उपसचिव के पद से नीचे के अधिकारियों के आवास स्थानों पर अभी भी लगे टेलीफोनों की मंत्रालयवार/विभागवार संख्या कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) कुल मिलाकर सरकारी निदेश क्रियान्वित हुआ है ।

(ख) एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर रखा जा रहा है जिसमें, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उनके द्वारा सुपुर्द किये गये टेलीफोनों की संख्या दर्शायी गई है ।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

विवरण

मंत्रालय/विभाग	सुपुर्द किये टेलीफोनों की संख्या
(1)	(2)
1. कृषि मंत्रालय	
कृषि विभाग	54
खाद्य विभाग	18
सामुदायिक विकास तथा सहकारिता विभाग	25
2. वाणिज्य मंत्रालय	46
3. रक्षा मंत्रालय	60
(जिसमें रक्षा उत्पादन विभाग तथा रक्षा पूर्ति विभाग शामिल हैं)	
4. संचार मंत्रालय	20
5. शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय	
शिक्षा विभाग	36
समाज कल्याण विभाग	11
6. विदेश मंत्रालय	74
7. वित्त मंत्रालय	
बैंकिंग विभाग	13
अर्थ विभाग	33
व्यय विभाग	54
राजस्व तथा बीमा विभाग	39
लोक उद्यम ब्यूरो	12
रक्षा प्रभाग	17
8. स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय	40
9. भारी उद्योग मंत्रालय	13
10. गृह मंत्रालय	37
11. औद्योगिक विकास मंत्रालय	28
12. सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	114
13. सिंचाई तथा बिजली मंत्रालय	21

(1)	(2)
14. श्रम मंत्रालय	22
15. पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय	9
16. योजना मंत्रालय (सांख्यिकी विभाग)	16
17. रेलवे मंत्रालय	64
18. जहाजरानी तथा परिवहन मंत्रालय	46
(जिसमें संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय शामिल हैं)	
19. इस्पात तथा खान मंत्रालय	
इस्पात विभाग	18
खान विभाग	12
20. पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय	
पर्यटन विभाग	10
नागर विमानन विभाग	10
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग	7
21. पूर्ति मंत्रालय	
पूर्ति विभाग	28
पुनर्वास विभाग	18
22. निर्माण तथा आवास मंत्रालय	77
(जिसमें संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय तथा लोक उपक्रम शामिल हैं)	
23. विधि न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय	
विधि विभाग	24
विधायी विभाग	10
कंपनी कार्य विभाग	17
24. परमाणु ऊर्जा विभाग	4
25. संस्कृति विभाग	7
26. संसदीय कार्य विभाग	3
27. अंतरिक्ष विभाग	1
28. मंत्रिमंडल सचिवालय	
मंत्रिमंडल कार्य विभाग	15
कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग	24

(1)	(2)
29. राष्ट्रपति सचिवालय	6
30. उप राष्ट्रपति सचिवालय	2
31. प्रधान मंत्री सचिवालय	14
32. योजना आयोग	51

टिप्पणी : जहां अन्यथा विनिर्दिष्ट हो, उसे छोड़कर, उपर्युक्त सूचना सचिवालयी कार्यालयों के संबंध में है।

Reservation of Posts for candidates belonging to SC/ST in Public Sector Undertakings

3583. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the names of those industries in the public sector where the Central Government orders regarding reservation of posts in services for the candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes were not complied with by the management; and

(b) the action taken by Government to get these orders compiled with by them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohtagi) : (a) The orders regarding reservation of posts for persons from Scheduled Castes/Scheduled Tribes in Public Enterprises are mandatory. Necessary directives have been issued to most of the enterprises. Even where due to legal requirements necessitating the amendment of Articles of Association, such directives could not be issued in a few cases, the companies concerned have been asked to comply with the Government orders pending the amendment of the Articles. The question of public Enterprises not complying with these orders does not, therefore, arise.

(b) Government have also asked the enterprises to take positive steps towards training and development of Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates so that they could aspire and qualify for employment at higher levels in greater numbers. Government at the highest level keep a watch over the progress being achieved as a result of implementation of this policy.

कपड़े के उत्पादन में कमी

3584. **श्री मोहम्मद शरीफ :**

श्री दिनेश सिंह :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मिलों में कपड़े के उत्पादन में गिरावट आई है ;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है और कपड़े के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जनवरी-अक्तूबर 1974 की अवधि में मिल क्षेत्र में सूती कपड़े के उत्पादन में अस्थायी आंकड़ों से पता चलता है कि 1973 की उसी अवधि के उत्पादन की तुलना में उत्पादन में मार्जिनल वृद्धि हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठते ।

अध्यक्ष महोदय : कुछ देर के लिये उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन होंगे । मैं अन्यत्र कहीं नहीं जा रहा हूं । परन्तु अपने कक्ष में जा रहा हूं । प्रधानमंत्री एक वक्तव्य देना चाहती हैं । वह मेरे वापस आने पर वक्तव्य देंगी । इस बीच अध्यक्ष महोदय सभा की कार्यवाही, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आदि चलायेंगे जहां तक श्री ललित नारायण मिश्र के वक्तव्य का प्रश्न है, इसे मैं वापस आने पर लूंगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : प्रधानमंत्री किस समय वक्तव्य देंगी हमने इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही निश्चित की है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं बाद में बताऊंगा ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Statement may be given just now if she is prepared for it.

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार था कि आप बिना मेरे रहे ही समझ जायेंगे । मैं श्री मोरारजी देसाई से मिलने जा रहा हूं ।

श्री एस०एम० बनर्जी (कानपुर) : हमारी इच्छा है आपको सफलता मिले ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

स्थगन प्रस्ताव के बारे में
Re. Adjournment Motion

(प्रश्न)

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है । मैं अध्यक्ष महोदय को इस बारे में उनके कक्ष में बता चुका हूं । गत सप्ताह बम्बई में बहुत गम्भीर तथा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है । माटुंगा वर्कशाप के पर्सनल आफिसर श्री एन० सी० सुन्दरामन ने एक गोपनीय परिपत्र जारी किया है । उसमें लिखा है कि 'इन्टक' से सम्बद्ध रेलवे संघ के पदाधिकारियों की सूची दी गई है, को उपस्थित समझा जायेगा और उन्हें वेतन दिया जाना चाहिये आल इन्डिया रेलवे मैन्स फैडरेशन से सम्बद्ध नेशनल मजदूर यूनियन ने माटुंगा में 3-12-74 को एक बैठक की थी । जब बैठक चल रही थी श्री पांडे ने.....(**व्यवधान**) ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये (**व्यवधान**) ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरे व्यवस्था के प्रश्न का क्या हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये ।

श्री दंडवते के स्थगन प्रस्ताव का नोटिस मेरे समक्ष रखा हुआ है। साथ ही एक टिप्पणी रखी हुयी है जिसमें लिखा है स्थागन प्रस्ताव को अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमति नहीं दी गई है। इसके अतिरिक्त मुझे और कोई जानकारी नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न क्या है, कृपया बैठ जाइये।

प्रो० मधु दंडवते : आल इन्डिया रेलवे मैन्स फैडरेशन ने एक बैठक की श्री पांडे **(व्यवधान)** एक मजदूर मारा गया। ब्रिटिश शासन काल में भी ऐसा नहीं हुआ था। पर्सनल आफिसर ने एक गोपनीय परिपत्र जारी किया है.....**(व्यवधान)**।

उपाध्यक्ष महोदय : और आगे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

प्रो० मधदंडवते : **

सभा की कार्यवाही के रिकार्ड के बारे में
Re. Record of Proceedings of the House

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : किन नियमों के अन्तर्गत प्रो० मधु दण्डवते द्वारा कही जा रही बात को कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न करने के लिये रिपोर्टर से कहा गया है।

श्री दिनेश भट्टाचार्य (सीरमपुर) : प्रो० मधु दंडवते ने जो कुछ कहा है वह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित किया जाना चाहिये।

प्रो० मधु दंडवते : क्या मैंने असंसदीय भाषा में कुछ कहा है ? सभा में जो कुछ भी कहा जाता है उसमें से कुछ भी नहीं निकाला जा सकता। असंसदीय भाषा में प्रयुक्त शब्दावली को निकाला जा सकता है। क्या मैंने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री वाजपेयी जी के प्रश्न का उत्तर देता हूं। श्री वाजपेयी नियम संख्या 356 देखें जिसमें बताया गया है

> "अध्यक्ष, ऐसे सदस्य के आचरण की ओर, जो वाद-विवाद में असंगत बातें करे या जो स्वयं अपने प्रतकों की या अन्य सदस्यों द्वारा प्रयुक्त प्रतकों को उकता देने वाली पुनरुक्ति करता रहे, सभा का ध्यान दिला देने के बाद उस सदस्य को अपना भाषण बन्द करने का निदेश दे सकेगा"।

इस सम्बन्ध में नियम संख्या 389 भी देखी जा सकती है।

श्री मधु लिमये (बांका) : आप दूसरों की बात भी सुनिये और तब अपनी व्यवस्था दीजिये।

प्रो० मधु दंडवते : आप नियम उद्धृत कर सकते हैं परन्तु व्यवस्था न दीजिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमन्, नियम 379 देखिए।

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।
Not recorded.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Nothing is irrelevant what Mr. Dandvate has said. Neither he has made any repetition. If you say that there is repetition kindly point out what is that.

The portion of the speech which is in unparliamentary language can be expunged. He has not used unparliamentary language. He has given a notice for adjournment motion. You have informed that the Speaker has not allowed it. Even after that the hon. Member may make his submission.

An hon. Member : No, he can not.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Shri Dandvate wanted to make a submission, but you said that this will not be recorded. You should not have said that and such things should not be repeated in the House in future.

श्री सी०एम० स्टीफन (मुक्तु पूजा) : उपाध्यक्ष महोदय कार्यवाही वृतांत से निकालने का अधिकार **(व्यवधान)**

किसी बात को कार्यवाही वृतांत से निकालने का अधिकार नियमानुकूल है । नियम 31(ख-1) में बताया गया है कि :

"सचिव प्रत्येक दिन के लिये एक कार्यसूची तैयार करेगा और उसकी एक प्रति प्रत्येक सदस्य के उपयोग के लिये उपलब्ध हो जायेगी ।"

(दो) में बताया गया है कि :

"इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित अवसर को छोड़कर अध्यक्ष की अनुमति के बिना किसी बैठक में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जायेगा जो उस दिन की कार्यसूची में सम्मिलित न हो ।"

अतः मेरा अनुरोध है कि सभा की कार्यसूची में जो कुछ है वही सभा की कार्यवाही होगी । और सभा की कार्यवाही ही वृतान्त होगा । सभा का कार्य नियम 311 में बताया गया है । जो कार्यवाही सूची में नहीं है और अध्यक्ष द्वारा जिसकी अनुमति नहीं दी जाती है वह सभा का कार्य नहीं हो सकता और जो सभा का कार्य नहीं है उसे सभा की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जा सकता । अतः आप को अधिकार है कि आप किसी बात को कार्यवाही में सम्मिलित न करने के लिये कहें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये ... **(व्यवधान)**

Shri Madhu Limaye (Banka) : I would like to draw your attention towards rule 379.

इस में बताया गया है कि :

"सचिव सभा की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का पूरा वृतांत तैयार करवायेगा और उसे यथा साध्य शीघ्र ऐसे रूप में तथा ऐसी रीति से प्रकाशित करायेगा जैसा कि अध्यक्ष समय समय पर निदेश दे।"

नियम 380 में बताया गया है कि :

"यदि अध्यक्ष की यह राय हो कि वाद-विवाद में कोई ऐसा शब्द या ऐसे शब्द प्रयुक्त किये गये हैं जो मानहानिकारक या अशिष्ट, या असंसदीय या अभद्र हैं तो वह स्वविवेक से, आदेश दे सकेगा कि ऐसा शब्द या ऐसे शब्द सभा की कार्यवाही में से निकाल दिये जायें।"

अब मैं श्री स्टीफन द्वारा कही गयी बात पर आता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : उनकी बात छोड़िये, आप को जो कहना है कहिये।

श्री मधु लिमये : जब स्थगन प्रस्ताव के नोटिस दिये जाते हैं, तब सभा की यह परम्परा रही है कि अध्यक्ष सदस्यों को नोटिस स्वीकार करने के सम्बन्ध में बोलने की अनुमति देता है । अतः नियमानुसार आपको किसी शब्द या शब्दों को कार्यवाही वृतांत से निकालने का अधिकार नहीं है जब तक कि शब्द अपमानजनक, असंसदीय या अभद्र न हों। आपको उन्हें अपनी बात पूरी करने की अनुमति देनी चाहिये थी . . . **(व्यवधान)**

श्री वसन्त साठे (अकोला) : यदि हम ऐसी प्रक्रिया आरम्भ कर दें कि जब जो सदस्य चाहे बोले चाहे अध्यक्ष पीठ अनुमति दे अथवा नहीं तब कुछ भी कार्यवाही वृतांत नहीं बनेगा क्योंकि 100 सदस्य खड़े हो जायेंगे और अपनी-अपनी बात कहने लगेंगे । इस सम्बन्ध में हमें नियम 350 की ओर ध्यान देना चाहिये । इसमें बताया गया है कि :

"जब कोई सदस्य बोलने के लिये खड़ा हो तो अध्यक्ष द्वारा उसका नाम पुकारा जायेगा यदि एक ही समय पर एक से अधिक सदस्य खड़े हों तो जिस सदस्य का नाम इस तरह से पुकारा जाये उसी को बोलने का हक होगा।"

नियम 378 में बताया गया है कि :

"अध्यक्ष व्यवस्था बनाय रखेगा और विनिश्चयों के प्रवर्तन के प्रयोजन के लिये उसे सब आवश्यक शक्तियां होंगी।"

यदि आपकी अनुमति के बिना कोई बोलना आरम्भ कर देता है तो यह आवश्यक हो जाता है कि आप यह कहें कि जो कुछ उन्होंने कहा है वह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सदस्यों की पुस्तिका का पृष्ट 31 देखिए इसमें लिखा है कि यदि जब अध्यक्ष को नोटिस स्वीकार करने के लिये उस विषय से सम्बन्धित तथ्यों का पता न हो, तब वह प्रस्ताव की स्वीकृति के बारे में बता सकते हैं और सस्दय का संक्षिप्त वक्तव्य सुनाने के बाद गुण-दोष के आधार पर निर्णय दे सकते हैं ।

इस विषय में नियम 379 बहुत ही स्पष्ट है । अतः आपने जो कुछ किया है वह नियम और प्रक्रिया के अनकूल नहीं है तथा अध्यक्षपीठ के न करने योग्य है ।

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली) : यह सही है कि नियम संख्या 350 के अन्तर्गत सदस्य तभी बोल सकता है जब अध्यक्ष उसे बोलने की अनुमति दें । मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत नहीं हूं । सदस्य को बोलने का अधिकार है । सदस्य तभी बोल सकते हैं जब अध्यक्ष अनुमति दें।

नियम संख्या 352 के अनुसार कोई भी सदस्य भाषण के अधिकार का सभा के कार्य में व्यवधान डालने के लिये प्रयोग नहीं करेगा । पीठासीन अधिकारी का यह काम है कि वह इस बात की जांच करे कि सदस्य अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहा है अथवा नहीं । आपने टिप्पणी को कार्यवाही सारांश से नहीं निकाला । आपने सदस्य को बोलने के लिये मना किया है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : यह स्पष्ट है कि जब श्री दण्डवते बोल रहे थे तो पीठासीन अधिकारी ने उन्हें मना किया । इसका अर्थ है कि जब तक वह बोल रहे थे, उन्हें पीठासीन अधिकारी की अनुमति प्राप्त थी । मैं पीठासीन अधिकारी की इस बात से सहमत हूं कि जब सदस्य असम्बद्ध बातें कर रहा हो तो वहां नियम संख्या 356 लागू होगा। यदि आप यह सिद्ध कर दें कि मैं असम्बद्ध बात कर रहा था तो मैं यहीं रुक जाऊंगा । पीठासीन अधिकारी को हमारी बातों की ओर ध्यान देना होगा । आपको इस पर विचार करना होगा कि माननीय सदस्य असम्बद्ध बातें कर रहा था अथवा नहीं ।

क्या पीठासीन अधिकारी को यह अधिकार था कि वह किसी बात को कार्यवही सारांश में शामिल न करने के लिये कहे ? प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों में ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है । इसमें कोई संदेह नहीं कि किसी टिप्पणी को कार्यवाही सारांश से निकालने का अधिकार उनको है । परन्तु इस समय उस अधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता । यदि पीठासीन अधिकारी का सदन में शांति बनाये रखने का विचार था तो वह अन्य नियम के अन्तर्गत ऐसा कर सकते थे। श्री मधु दण्डवते को बोलने की अनुमति दी गई थी । माननीय सदस्य पीठासीन अधिकारी को आश्वस्त करना चाहते थे कि उनका प्रस्ताव स्वीकार करने योग्य है । यदि नियम संख्या 58 इसकी अनुमति देता है, तो पीठासीन अधिकारी को इसकी अनुमति देनी चाहिये । अतः मेरे विचार में माननीय सदस्य को जिस समय बोलने से मना किया गया था, उस समय उसे रोका नहीं जाना चाहिये था । माननीय सदस्य की कोई गलती नहीं थी।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गौहाटी) : मैं आपका ध्यान नियम संख्या 350, 356 तथा 378 की ओर दिलाना चाहता हूं । नियम संख्या 356 के अनुसार कोई भी सदस्य आपकी अनुमति के बिना नहीं बोल सकता । नियम संख्या 356 के अनुसार यदि सदस्य बात को दोहराये या असम्बद्ध बात कहे, तो आप उसे सीट पर बैठने के लिये कह सकते हैं । यह देखना पीठासीन अधिकारी का काम है कि सदस्य सम्बद्ध बात कह रहा है अथवा नहीं । अन्यथा हम यही समझेंगे कि सदस्य द्वारा कही गई बात सम्बद्ध है ।

इस मामले में पीठासीन अधिकारी ने यह निर्णय दिया कि श्री दण्डवते का प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं है । इसीलिये उन्होंने इसे अस्वीकार करते हुए सदस्य को अपने स्थान पर बैठने को कहा । इसका अर्थ यह हुआ कि बाद में सदस्य ने जो भी कहा वह सम्बद्ध नहीं था ।

आपसे पूछा गया है कि किस नियम के अन्तर्गत आपने यह कहा कि टिप्पणी को कार्यवाही सारांश में शामिल न किया जाये । नियम 378 में कहा गया है कि अध्यक्ष व्यवस्था बनाये रखेगा और अपने विनिश्चयों के प्रवर्तन के प्रयोजन के लिये उसे सब आवश्यक शक्तियां होंगी । अतः पीठासीन अधिकारी को यह कहने का अधिकार था कि सदस्य की बात को कार्यवाही सारांश में शामिल नहीं किया जायेगा । इसलिये आप का निर्णय संगत था ।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता-उत्तर पुर्व) : नियम की व्यवहारिकता तर्क पर नहीं बल्कि अनुभव पर निर्भर करती है । हमें नियमों को सही अर्थों में समझना होगा । यह सच है कि पीठासीन अधिकारी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि परम्पराओं को ताक पर रख दिया जाये । यह सही है कि आपको यह कहने का पूरा अधिकार है कि अमुक टिप्पणी कार्यवाही सारांश से निकाल दी जाये परन्तु वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा नहीं किया जाना चाहिये था। सदस्य को बोलने की अनुमति दी जानी चाहिये थी । आप घंटी का भी प्रयोग कर सकते थे अथवा सदन की जानकारी में यह बात ला सकते हैं कि सदस्य सम्बद्ध नहीं बोल रहा । लेकिन आपने सदन को अवसर नहीं दिया । आपसे आशा थी कि आप कहते कि सदस्य और न बोले...

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कहा था ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : आपके निर्णय को समझना बहुत कठिन है । हम आपका पूरा सम्मान करते हैं और हम चाहते हैं कि आप सदन की कार्यवाही को नियमित रूप से चलाने के लिये उचित कार्यवाही करें । यदि पीठासीन अधिकारी यह अनुभव करता है कि सदन में शांति नहीं है, तो वह कुर्सी छोड़कर जा सकते हैं और अन्य सदस्य भी ऐसा कर सकते हैं (व्यवधान) लेकिन जब तक पीठासीन अधिकारी अपनी सीट पर है, उन्हें नियमों का पालन करना ही होगा और परम्पराएं निभानी ही होंगी (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांति बनाए रखें ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : सदन पीठासीन अधिकारी को आदेश तो नहीं दे सकता परन्तु उसे यह जानने का पूरा अधिकार है कि पीठासीन अधिकारी कसी स्थिति पर अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग कर सकता है ।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : संसदीय परम्परा है कि शून्य काल में सदस्य महत्वपूर्ण प्रश्न उठा सकता है । लेकिन ऐसा वह किसी नियम के अन्तर्गत कर सकते हैं । जब श्री डण्डवते ने प्रस्ताव पेश किया तो अध्यक्ष महोदय ने इसकी अनुमति नहीं दी थी । यदि आप समझते हैं कि सदस्य कार्यवाही में व्यवधान डालना चाहता है, तो आप उसे रोक सकते हैं । यहां तक तो ठीक है । मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि आपने श्री दण्डवते को अनुमति दी थी अथवा नहीं । यदि आपने उनको बोलने की अनुमति नहीं दी थी, तो उनकी बात को कार्यवाही सारांश में शामिल नहीं किया जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप चाहते हैं कि मामले पर पूरी चर्चा की जाये और मैं वाद में विनिर्णय दूं या आप अनुभव करते हैं कि आपने काफी कुछ कह दिया है ?

श्री समर गुह (कन्टाई): प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों में कहीं इन शब्दों का उल्लेख नहीं है कि "कु भी कार्यवाही सारांश में शामिल नहीं किया जायेगा" । यदि आप नियम संख्या 378 अथवा 379 काछ प्रयोग करके ऐसे शब्द कहते हैं तो मेरे विचार में पीठासीन अधिकारी को यह कहने का अधिकार नहीं है ।

नियम संख्या 381 में कहा गया है कि सभा की कार्यवाही में से इस तरह निकाले गये अंश पर तारांक लगाया जायेगा और कार्यवाही में निम्नलिखित व्याख्यात्मक टिप्पणी समाविष्ट की जाएगी : "अध्यक्षपीठ के आदेशानसार कार्यवाही वृतांत से निकाला गया "

इसी प्रकार नियम संख्या 187 में कहा गया है कि अध्यक्ष विनिश्चत करेगा कि कोई प्रस्ताव या उसका कोई भाग इन नियमों के अन्तर्गत ग्राह्य है अथवा नहीं और वह कोई भाग अस्वीकृत कर सकेगा जो उसकी राय में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अधिकार का दुरुपयोग हो या सभा की प्रक्रिया में बाधा डालने के लिये आयोजित हो या इन नियमों का उल्लंघन करता हो ।

यहां नियम 187 भी लागू नहीं होता क्योंकि आपने उन्हें बोलने से तब रोका जब वह पहले से ही बोल रहे थे इसलिये यह मामला नियम समिति को भेजना चाहिये।

आपको श्री दण्डवते को बोलने की अनुमति देनी चाहिये क्योंकि वह एक गंभीर मामले पर बोल रहे थे।

श्री सोमानाथ चटर्जी (बर्दवान) : संविधान के अनुच्छेद 105 में संसद में भाषण की स्वतन्त्रता की व्यवस्था की गई है। इसीलिये हमें यह देखना है कि क्या कोई ऐसे नियम है जो मेरे अधिकार में दखल डालते हैं । आपने नियम संख्या 356 और 389 का उल्लेख किया है नियम संख्या 356 में स्पष्ट व्यवस्था है कि यदि सदस्य असम्बद्ध बात कर रहा है या बार-बार अपनी बात को दोहरा रहा है, तो पीठासीन अधिकारी उसे न बोलने के लिये कह सकता है ।

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair

नियम संख्या 373 तथा 374 में स्पष्ट बताया गया है कि यदि सदस्य पीठासीन अधिकारी की बात नहीं मानता, तो क्या कार्यवाही करनी चाहिये । परन्तु नियम 374 तथा 373 का आश्रय नहीं लिया गया ।

नियम 389 में अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किया गया है । यदि किसी मामले पर नियम नहीं है तो पीठासीन अधिकारी अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग कर सकता है । ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना सदस्य के अधिकार में हस्तक्षेप करना है । अतः सदस्य के अधिकार को कम करने की कोई शक्ति नहीं है ।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : इस विषय पर सभी तक उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सुन लिये गये हैं । इस पर निर्णय या विनिर्णय सोमवार तक स्थगित किया जा सकता है । अब प्रधान मंत्री वक्तव्य दें ।

श्री मोरारजी देसाई द्वारा सत्याग्रह के बारे में
Re. Satyagraha by Shri Morarji Desai

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है । इस पर बाद में चर्चा की जा सकती है । सदन की जानकारी के लिये मैं बताना चाहता हूं कि श्री मोरारजी देसाई सत्याग्रह के मामले में मुझे चैम्बर में मिले थे। उन्होंने सत्याग्रह स्थगित करने का मेरा अनुरोध मान लिया है।

श्री पीलू मोदी : क्या प्रधान मंत्री वक्तव्य नहीं देंगी ?

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं।

सभा पटल पर रखे गए पत्र
Papers Laid on the Table

भारतीय कपास निगम लिमिटेड, का वार्षिक प्रतिवेदन 1971-72

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी०पी० चट्टोपाध्याय) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारतीय कपास निगम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1971-72 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी०-8681/74]

एयर इंडिया तथा इन्डियन एयरलाइन का वार्षिक प्रतिवेदन तथा परीक्षा प्रतिवेदन 1973-74

पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ।

(1) वायु निगम अधिनियम, 1953 की धारा 37 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) एयर इंडिया का वर्ष 1973-74 का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(दो) इंडियन एयरलाइन्स का वष 1973-74 का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(2) वायु निगम अधिनियम, 1953 की धारा 15 की उपधारा (4) के अन्तगत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) एयर इंडिया के वर्ष 1973-74 के प्रमाणित लेखे तथा तत्संबंधी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) इंडियन एयरलाइन्स के वर्ष 1973-74 के प्रमाणित लेखे तथा तत्संबंधी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी०-8682/74]

आय पर करों के बारे में दोहरे कराधान से बचने के लिए भारत तथा जापान सरकार के बीच हुए समझौते के बारे में अधिसूचना तथा जीवन बीमा निगम का 1 अप्रैल, से 31 दिसम्बर, 72 का प्रतिवेदन तथा लेखे

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) आय पर करों के बारे में दोहरे कराधान से बचने के लिये भारत सरकार तथा जापान सरकार के बीच हुए समझौते के उपबन्धों को लागू करने के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 90 तथा कम्पनी (लाभ) अतिरिक्त अधिनियम, 1964 की धारा 24क के अधीन जारी की गई अधिसूचना संख्या सा०सां० नि० 671(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 30 नवम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी । [ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिए एल०टी० 8683/74]

(2) जीवन-बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 29 के अन्तर्गत सामान्य बीमा कारबार के सम्बन्ध में 1 अप्रैल, 1972 से 31 दिसम्बर, 1972 तक की अवधि के लिये भारतीय जीवन बीमा निगम के अन्तिम प्रतिवेदन तथा लेख (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं । [ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल०टी० 8684/74]

राज्य सभा से संदेश
Messages From Rajya Sabha

महासचिव: मुझ राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है:—

1. (एक) कि राज्य सभा ने 2 दिसम्बर, 1974 की अपनी बैठक में श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध (संशोधन) विधेयक, 1974 पास कर दिया है ।

(दो) कि राज्य सभा 28 नवम्बर, 1974 की अपनी बैठक में लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत हो गई है कि वह लोक सभा की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति में 30 अप्रैल, 1975 को समाप्त होने वाली समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिय श्री एच० एम० त्रिवेदी के स्थान पर, जो मंत्री के रूप में नियुक्त होने पर समिति के सदस्य नहीं रहे हैं, सहयोजित होने के लिये राज्य सभा का एक सदस्य नामनिर्दिष्ट करे और राज्य सभा ने यह सूचना भी दी है कि राज्य सभा के सदस्य श्री श्रीमन्, प्रफुल्ल गोस्वामी को उक्त समिति में निर्वाचित किया गया है ।

श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध (संशोधन) विधेयक
Working Journalists (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions (Amendment) Bill

राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में

महासचिव : मैं श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध (संशोधन) विधेयक, 1974, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, सभा पटल पर रखता हूं ।

विधेयक पर अनुमति
Assent to Bill

महासचिव: मैं चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किया गया तथा राष्ट्रपति की प्राप्त भारतीय तार (संशोधन) विधेयक, 1974 सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से श्री एल० एन० मिश्र के वक्तव्य के लिये आज समय नहीं बचा । इसलिये उसे सोमवार को लिया जाये (व्यवधान)

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Sir, we have no objection....But the matter will not end with this. Supplementary questions would have to be put. Then you have to give your decision about the privilege motion also.

Mr. Speaker : If you want him to give statement to-day, I can give my decision today also.

Mr. Atal Bihari Vajpayee : As per rules matter of privilege should be taken immediately after question hour. But you are allowing Paper to be laid on the Table.

Mr. Speaker : It is an exception. Now you tell me if you want it today or on Monday.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : सोमवार ।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे कर पन्द्रह मिनट म०प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till quarter past fourteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बज कर उन्नीस मिनट म०प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at nineteen minutes past fourteen of the clock.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

Mr. Deputy Speaker in the Chair

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : क्या मैं एक अनुरोध कर सकता हूं ? हमारे मिलने आने वालों को बहुत कठिनाई हो रही है । दीर्घा के प्रवेश द्वार के निकट उनकी तलाशी ली जाती है । उन्हें जूते, जुराबें व जैकेट तक उतारने को कहा जाता है । इस प्रकार की बातें अन्य कहीं पर नहीं सुनी जातीं । देश के सभी भागों से दर्शक यहां पर आते हैं **(व्यवधान)** यह बहुत ही गंभीर बात है ।

श्री पी०जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : प्रो० दण्डवते के स्थगन प्रस्ताव का क्या हुआ ?

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय ने उसकी अनुमति नहीं दी ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Three days ago I had raised the matter relating to Matunga Railway workshop and expressed my doubts about violence taking place there. Prof. Dandwate who has returned from there, has confirmed my doubts. He may be allowed to make a submission on Monday and then you give your decision.

श्री पी०जी० मावलंकर : मेरा अनुरोध यह है कि अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि भोजन काल से पूर्व जो मामला सदन के सामने था उसका निपटान आप करेंगे . . .

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप उस व्यवस्था के प्रश्न पर मेरा विनिर्णय चाहते हैं, तो मैं दे दूंगा। **(व्यवधान)** मैं भी एक मनुष्य हूं । यदि आप चाहते हैं कि आपकी बात सुनी जाये तो आप भी मेरी बात सुनें ।

जब कभी कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाया जाता है तो क्या उसे उसी समय नहीं निपटाया जाना चाहिये ? मेरे विचार से उसे 2–3 दिन तक रोका नहीं जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : जब अध्यक्ष पीठ से उठकर गये और मैं पीठासीन हुआ तो मुझे नहीं मालूम था कि क्या विषय लिया जाना है । उस समय श्री मधु दण्डवते ने उठकर कुछ कहना प्रारम्भ कर दिया तथा व्यवस्था के प्रश्न उठाये गये । उस समय अध्यक्ष महोदय आ गये और मुझे अध्यक्षपीठ से उठना पड़ा। मेरे उठने पर दूसरा विषय लिया गया और यह मामला बीच में ही रह गया ।

प्रो० मधु दंडवते : मैंने बोलने के बारे में में अध्यक्ष महोदय को पूर्व सूचना दी थी ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि अब आप सब की सहमति हो तो मुझे व्यवस्था के प्रश्न पर अपना विनिर्णय देने दिया जाये ।

श्री पी०जी० मावलंकर : मेरा अनुरोध है कि नियम 350, नियम 356, नियम 380 तथा नियम 389 आदि कई नियमों का उल्लेख किया गया है । मैं आप का ध्यान केवल मात्र नियम 350 की ओर दिलाता हूं जिसके अनुसार अध्यक्ष महोदय द्वारा किसी को बोलने के लिये कहने के उपरान्त अन्य सभी सदस्यों को बैठ जाना चाहिये । आपने श्री दण्डवते का नाम पुकारा था...

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उनका नाम नहीं पुकारा था । वह उठकर बोलने लगे और मैं उन्हें सुनने लगा । इसी आधार पर उनकी बातें कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित की गई । जब मैंने समझा कि उन्होंने अपनी बात कह दी है तो मैंने उन्हें भाषण समाप्त करने को कहा । मैंने यह भी कहा कि यदि आप जारी रखेंगे तो यह सब कार्यवाही वृतान्त में नहीं लिया जायेगा । उस समय श्री वाजपेयी ने उठकर यह जानना चाहा कि मैंने किस नियम के अनुसार ऐसी विनिर्णय दिया है ? प्रो० मधु दण्डवते ने उस के पश्चात् जो कुछ भी कहा उसे इसी कारण से कार्यवाही वृतान्त में नहीं लिया गया ।

Shri Madhu Limaye : The matter need not be dragged any further. He may be allowed to complete his submission.

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं । यह प्रश्न बार-बार उठाया गया है । अतः इस बारे में एक बार फैसला कर लेना चाहिये ।

श्री पी०जी० मावलंकर : मैं आपके विचारों की सराहना करता हूं । आपके अध्यक्षपीठ पर आसीन होने से पूर्व अध्यक्ष महोदय ने प्रो० मधु दण्डवते को सुनना प्रारम्भ कर दिया था। शून्य काल प्रारम्भ होते ही प्रो० दण्डवते ने खड़े होकर बोलना प्रारम्भ कर दिया । अध्यक्ष महोदय के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे अपने स्थगन प्रस्ताव पर बोल रहे हैं । उस समय आप अध्यक्ष पीठ पर आसीन हुए । अध्यक्ष पीठ द्वारा उनके बोलने पर कोई आपत्ति नहीं उठाई गई । इसका अर्थ है कि आप की अनुमति थी । वह बम्बई की गंभीर घटना के बारे में अनुरोध कर रहे थे ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने अपनी व्यवस्था नहीं दी है ।

श्री पी०जी० मावलंकर : नियम 380 असंसदीय अभद्रतापूर्ण आदि शब्दों के बारे में है परन्तु प्रो० दण्डवते ने इस प्रकार के किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया यदि कोई सदस्य बोल रहा हो और बीच में कुछ सदस्य उठकर उसका बोलना असंभव कर दें तो अध्यक्षपीठ का क्या उत्तरदायित्व है ! मेरा प्रश्न केवल इतना है कि अध्यक्षपीठ को उन्हें अपना अनुरोध पूरा करने का अवसर देना चाहिये था । किसी भी सदस्य को बोलने से रोकने का अधिकार नियम 350 के अन्तर्गत अध्यक्षपीठ को है । न कि अन्य सदस्यों को है । अध्यक्षपीठ द्वारा प्रो० दण्डवते को इस कारण बोलने से रोका गया क्योंकि बीच में बहुत व्यवधान उपस्थित हो रहे थे । अध्यक्षपीठ उन्हें रोकने में असफल था । इस कारण यह कहा गया कि वह सब कार्यवाही वृतान्त में नहीं लिखा जायेगा।

नियम 389 के अनुसार सभी अवशिष्ट शक्तियां अध्यक्षपीठ के अधीन हैं । परन्तु मैं इस बारे में स्पष्ट विनिर्णय चाहता हूं कि क्या नियम 389 के अन्तर्गत अध्यक्षपीठ को यह कहने की अभूतपूर्व शक्ति प्राप्त है कि इससे आगे कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नही होगा ?

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्वी दिल्ली) : मैं आपका ध्यान सदन में आपके कल के विनिर्णय की ओर दिलाना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यदि आपको अनुमति दूं तो मुझे अन्य को भी अनुमति देनी पड़ेगी।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : किसी बात को कार्यवाही वृतान्त में शामिल करने अथवा न करने की आप को अवशिष्ट शक्ति प्राप्त है । परन्तु सामान्यतः उसका उपयोग नहीं किया जाता ।

मैं केवल एक अनुरोध करना चाहता हूं । यद्यपि आपने अभी इस बारे में अपना विनिर्णय नहीं दिया है । परन्तु मेरा अनुरोध है कि इस प्रश्न को नियम समिति को निर्देशित करके हमेशा के लिये यह निर्धारित हो जाना चाहिये कि क्या अध्यक्षपीठ द्वारा किसी बात को असंसदीय अथवा आपत्तिजनक न होते हुए भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न करने को कहा जा सकता है ? अन्यथा यह बहुत ही गंभीर बात है ।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : यह सारी कठिनाई इस कारण उत्पन्न हुई है कि मैंने अध्यक्षपीठ से अनुरोध किया कि मेरे स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाये ।

यह इस सदन की परम्परा रही है कि जब कभी अध्यक्ष महोदय द्वारा स्थगन प्रस्ताव स्वीकार न किया जाये तो हम खड़े हो कर कहते हैं कि "हमें मामले को स्वीकार करने के बारे में कुछ कहने का अवसर दिया जाये" । मैंने सदन में बोलने के लिये खड़ा होने से पूर्व अध्यक्ष को उनके चैम्बर में सूचित किया था कि "यदि आप इसे अनुमति न भी देंगे तो मैं इसे सदन में उठाऊंगा और मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप यह मान जायेंगे कि स्थगन प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है" । अतः मैं सम्बद्ध दस्तावेज दे रहा था . . . । मुझे पूरा विश्वास था कि उन दस्तावेजों से आप सहमत हो जाते कि स्थगन प्रस्ताव उठाया जा सकता है ।

अतः, मैं परम्परा के अनुसार ही बोलने को उठा और यह भी परम्परा है कि ऐसे अवसर पर सदस्य को अनुरोध करने का अवसर दिया जाता है तथा बाद में मान लिया जाता है कि मामला उठाया जा सकता है । कई बार ऐसा हुआ है कि स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी गई परन्तु बाद में अनुरोध सुनने के पश्चात् स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई । अतः मेरा अनुरोध है कि मामले के गुणों पर विचार किया जाये तथा निदेश जारी किया जाये कि रेलमंत्री इस महत्वपूर्ण मामले पर अपना वक्तव्य दें ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप इसे नियम समिति को क्यों नहीं भेजते ?

श्री मल्लिकार्जुन (मेडक) : मैं आपका ध्यान नियम 56 की ओर दिलाना चाहता हूं । मध्याह्न पूर्व आपने सूचित किया था कि अध्यक्ष महोदय ने इस प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी । अतः इस पर चर्चा नहीं हो सकती । चार तारीख को श्री भगत ने यह प्रश्न उठाया था कि यदि कोई सदस्य आपकी अनुमति के बिना बोल रहा हो और आप चुप रहने को कह रहे हों, परन्तु वह बोलता जा रहा हो, तो वह सब कार्यवाही वृतान्त में नहीं जायेगा । इसके अनुसार जो कुछ श्री दण्डवते ने कहा, वह कार्यवाही वृतान्त में नहीं जायेगा ।

श्री मधु लिमये : हम कोई व्यवस्था नहीं चाहते । हम अपना व्यवस्था का प्रश्न वापस लेते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप मेरा विनिर्णय नहीं चाहते तो इसका यह अर्थ है कि मेरे द्वारा पहले दिया गया विनिर्णय "कि इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा" बना रहेगा। (व्यवधान)

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किश्तें न देने के सरकार के निर्णय का समाचार

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं वित्त मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस संबंध में एक वक्तव्य दें :

"केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किस्तें न देने का सरकार का कथित निर्णय"।

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : तीसरे वेतन आयोग ने इस आशय की एक योजना की सिफारिश की थी कि जब औद्योगिक कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, 1960 को आधार मानते हुए 200 के स्तर से ऊपर चला जाये, जिससे कि आयोग द्वारा सुझाई गयी वेतन-संरचना संबंधित है, तो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की स्वीकृति प्रदान की जाए। सरकार द्वारा अंततः स्वीकृत महंगाई भत्ते की योजना, वेतन आयोग द्वारा सुझाई गई योजना की अपेक्षा अधिक उदार थी। सरकार द्वारा अंततः यथा अनुमोदित योजना के अनुसार, 1 जनवरी, 1973 से लेकर अब तक महंगाई भत्ते की छह किश्तें स्वीकृत की जा चुकी हैं, जिनमें से अंतिम किश्त 1 अप्रैल, 1974 से प्रभावी है, जब सूचकांक औसत 248 हो गया था।

नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, जो सितम्बर, 1974 के महीने के आखिर से संबंध रखते हैं, 12 महीने का जीवन-निर्वाह औसत सूचकांक 285.25 था। तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 1 जून, 1974, 1 जुलाई, 1974 और 1 सितम्बर, 1974 से महंगाई भत्ते की तीन अतिरिक्त किश्तें देय हो चुकी हैं। महंगाई भत्ते की प्रत्येक किश्त पर केन्द्रीय सरकार को एक पूरे वर्ष में 50 करोड़ रुपये से कुछ ऊपर अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है।

सरकार को आशा है कि वह अपने कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते पर सभी संगत बातों को ध्यान में रखते हुए निर्णय कर सकेगी। यह कहना सही नहीं है कि सरकार ने महंगाई भत्ते की देय हुई किश्तों को स्वीकृति नहीं देने का निर्णय किया है।

श्री एस०एम० बनर्जी : मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री ने कहा है कि यह कहना सही नहीं है कि सरकार ने महंगाई भत्ते की देय हुई किस्तों को स्वीकृति नहीं देने का निर्णय किया है। परन्तु उसी पैरा में यह भी लिखा है कि सरकार को आशा है कि वह अपने कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते पर सभी संगत बातों को ध्यान में रखते हुए निर्णय कर सकेगी।

सरकारी कर्मचारियों में असन्तोष बढ़ रहा है। हमने वेतन आयोग की इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया। अंत में हमें बताया गया है कि सरकार फार्मूलों को नहीं बदल सकती। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को इस कारण हड़ताल करनी पड़ी कि सरकार महंगाई भत्ते के बारे में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों में संशोधन नहीं करना चाहती थी। पहले एक अवसर पर स्वर्गीय प्रधान मंत्री पं० जवाहर लाल नेहरू ने कहा कि वेतन आयोग की सिफारिश पंचाट निर्णय के समान है। परन्तु अब वेतन आयोग की सिफारिश को स्वीकार करने के बाद भी सरकार द्वारा उसे लागू नहीं किया जा रहा है।

'टाइम्स आफ इंडिया' के आज के अंक में प्रकाशित हुआ है कि एक अन्य किस्त देय हो गई है। यदि यह क्रम चलता रहा, तो फरवरी, 1975 में आठवीं किस्त देय हो जायेगी।

सरकार मूल्य वृद्धि रोकने में असफल रही है। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को इस आधार पर महंगाई भत्ते से वंचित किया जा रहा है कि इससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी। श्री सुब्रह्मण्यम जिस समय खाद्य मंत्री थे, उन्होंने कहा कि देश में कोई खाद्य संकट नहीं है। उनके उत्तराधिकारी भी इसी प्रकार की बातें कर रहे हैं। श्री टी० ए० पाई द्वारा कहा जा रहा है कि उद्योगों के सम्मुख मंदी नहीं है। परन्तु कर्मचारियों को देय अदायगियां न करने के लिए सरकार को इन परिस्थितियों को झुठलाना होगा।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के संगठनों ने मांग की है कि यदि कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं दिया जा सकता, तो सरकार खाद्यान्न सहित 12 महत्वपूर्ण वस्तुओं की उचित दर पर सप्लाई करने की व्यवस्था करें। परन्तु सरकार इस मांग को नहीं मानती। यदि सरकार वेतन आयोग की सिफारिश को कार्यान्वित नहीं करती, तो कर्मचारियों के सामने और क्या रास्ता है?

मैं जानना चाहता हूं कि महंगाई भत्ते की तीन किस्तों का भुगतान कब किया जायेगा। अब तो अक्तूबर अथवा नवम्बर से चौथी किस्त भी देय हो जायेगी। मैं यह सब इसलिये कह रहा हुं कि मूल्य बढ़ते जा रहे हैं। मुद्रास्फीति विरोधी उपाय किये जाने के बावजूद भी मूल्य बढ़ते ही जा रहे हैं। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी यह आशा लगाये बैठे थे कि उन्हें महंगाई भत्ते का पैसा सर्दियों से पहले मिल जायेगा ताकि वे अपने बच्चों के लिये गर्म कपड़े बनवा सकें। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि महंगाई भत्ते की किश्तों का भुगतान कब तक किया जायेगा? मैं समझता हूं कि इस बारे में सरकार की नीयत साफ है।

मैं निश्चित रूप से जानना चाहता हूं कि सरकार महंगाई भत्ते की अदायगी कब तक करेगी। यदि मंत्री महोदय 15 तारीख तक इस बारे में कोई निश्चित घोषणा नहीं करते हैं, तो कर्मचारी कुछ कार्यवाही करने के लिये बाध्य हो जायेंगे।

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : सरकारी कर्मचारियों की कठिनाईयों को मैं समझता हूं, विशेषकर उस समय जब मूल्य इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। तीसरे वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशें देते हुये कहा था कि मूल्य सूचकांक 272 पर पहुंचने पर सारी स्थिति का पुनरीक्षण किया जाए। संभवतः, उसका विचार था कि मूल्य सूचकांक इतने स्तर पर तीन, चार या पांच वर्ष के बाद ही पहुंच पायेगा लेकिन दुर्भाग्यवश यह 18 महीनों में ही पहुंच गया। हम बहुत ही कठिन स्थिति का सामना कर रहे हैं।

मुख्य मंत्रियों ने हमें लिखा है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किस्तें देने पर उनके कर्मचारी भी महंगाई भत्ते की मांग करेंगे। अतः भत्ते की अदायगी संबंधी निर्णय लेते समय राज्य सरकारों के विचारों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि हमें इस स्थिति का पूरा ज्ञान है और सरकार शीघ्र ही इस बारे में निर्णय लेने का प्रयास करेगी। खेद है कि मैं इस बारे में किसी निश्चित तारीख की घोषणा नहीं कर सकता।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Government servants are suffering badly due to rise in prices. Their difficulties should be looked into. Poor section of the society is hit hard due to rise in prices.

The Government should evolve economic policy with a view to check the rise in prices which is the result of faulty policies of the Government. It has been said that there has been fall in wholesale prices by 2 to 2-1/2 per cent but the retail price level is still unaltered. Production in some of the industries producing essential commodities has fallen. There is possibility of fall in the production of sugar and cotton. Government should formulate some effective policy for checking prices.

The Central Government do not have any price policy. There has been increase in non-productive jobs and expenditure in the distribution and service field during the last 27 years and a common man has to bear the burden of this expenditure. Employees are not to be blamed for this additional burden.

System of computing index numbers is defective and no steps were taken to improve this system since 1963. I want to know whether the Government propose to appoint a sub-committee for improving this system ?

Government should seriously think over the payment of dearness allowance to the employees with a view to avoid agitation.

I also appeal that opportunity should be provided for discussing the report of Pay Body in respect of pay-scales of the employees of this secretariat.

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक भिन्न विषय है।

Shri Madhu Limaye : A stage has come when Government should decide the extension of D.A. system further or revision of pay scales. The workers have been demanding computation on the basis of price-index.

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : इसमें कोई संदेह नहीं कि हम बहुत ही कठिन स्थिति का सामना कर रहे हैं लेकिन यह तो एक सार्वभौमिक स्थिति है और हम भी इसके शिकार बने हुये हैं। इसलिये यह कहने का कोई लाभ नहीं है कि हमारी गलत नीतियों के कारण ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। वेतन ढांचे तथा महंगाई भत्ते को बढ़ाकर इस स्थिति में कोई अंतर नहीं आयेगा।

केवल उत्पादन बढ़ाकर ही हम स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन यदि ऐसी स्थिति पर पहुंच जायें कि हमारे पास जो भी संसाधन हों, उन्हें हम अपने कर्मचारियों में वितरित कर दें, चाहे वे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी हों अथवा राज्य सरकारी कर्मचारी, तो फिर विकास का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता है। फिर भी हमें इस स्थिति की पूरी जानकारी है और हम शीघ्र ही इस बारे में कोई निर्णय ले लेंगे। लेकिन हम जिस कठिन स्थिति से गुजर रहे हैं उसे भी ध्यान में रखना है।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Prices have increased due to faulty policies of the Government. Third Pay Commission's recommendations have been accepted by the Government. Still the Government resorted to wage-freeze and paid only 50 per cent of the D.A. to the employees. Government is providing maximum benefits to the officers of various departments and ministeries whereas legitimate claims like D.A.is being denied to the non-gazetted staff.

I would like to know the exact date by which decision on D.A. is to be announced by the Government.

The Government is committed to the payment of D.A. to the employees but the same is being delayed or deferred for some unknown reasons. The demands of State Government employees for D.A, should not be brought in while deciding the payment of D.A. to the Central Government employees.

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मुद्रास्फीति की स्थिति सार्वभौमिक है। कोई भी देश इससे नहीं बच पाया। हम किसी भी प्रकार का वचनभंग नहीं कर रहे हैं। हम कर्मचारियों की समस्याओं को हल करने का प्रयास कर रहे हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Dearness allowance is not donation from the Government to the employees . No employee will demand D.A. if the rise in prices is checked.

We are no doubt, passing through a critical times which is not as a result of world wide crisis. In other countries whenever there is rise in prices, there is also proportionate rise in income.

System of calculating D.A. is defective as stated by a committee appointed by the West Bengal Government. Will the Government take necessary steps for improving it ?

The amount of D.A. instalments due to the employees has not been paid to them as a result of which they are facing great hardships.

Government should call the Trade Union leaders and discuss and solve this issue so that agitational approach of the employees could be avoided.

If due instalments of D.A. are not paid, Government employees are thinking in terms of going on strike. I think Government should pay D.A. instalments upto 272 Index and consider ways and means of paying further instalments alongwith employees representatives as proposed by the Pay Commission.

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : यह सच नहीं है कि सरकार को कर्मचारियों की कठिनाइयों की जानकारी नहीं है परन्तु जैसा कि सदस्यों ने स्वयं माना है देश इस समय बहुत ही कठिन समय से गुजर रहा है और हमें यह भी देखना है कि न केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की कठिनाइयां ही दूर हों अपितु राज्य सरकारों के कर्मचारियों को भी राहत मिले।

इस समय सरकार महंगाई भत्ते संबंधी मामले पर ही विचार कर रही है और 272 के बाद इस भत्ते के भुगतान के प्रश्न पर कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ बैठकर ही विचार किया जायगा।

मैं इस बात से भी सहमत हूं कि मूल्य सूचकांक आंकने का तरीका भी ठीक होना चाहिये।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से 9 दिसम्बर, 1974 से आरंभ होने वाले निम्नलिखित सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं :

(1) आज की कार्य सूची में से शेष सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार,

(2) वर्ष 1974-75 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (गुजरात) पर चर्चा तथा मतदान

(3) राज्य सभा द्वारा पास किए गए निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा पास करना :

(i) पूर्वी पंजाब नगरीय किराया नियंत्रण अधिनियम, (चंडीगढ़ पर विस्तार) विधेयक, 1974

(ii) दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1974

(iii) निरसन तथा संशोधन विधेयक, 1974।

(4) संसद (निर्हरता निवारण) संशोधन विधेयक, 1973 पर विचार तथा पास करना।

उपाध्यक्ष महोदय : गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य आरंभ करने में अभी एक मिनट है, अतः आगामी सप्ताह के कार्य के बारे में यदि कोई सदस्य कुछ कहना चाहे तो कह सकता है।

श्री समर गुह (कटाई) : मैं संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान आज के 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाना चाहता हूं कि एक संसद्-सदस्य द्वारा अपनी विधवा भाभी के नाम खरीदी गई भूमि और उसे 75 लाख रुपये में सरकार को बेचने का समाचार है। मैं चाहता हूं कि सरकार इसकी जांच करें और आवश्यक कार्यवाही करें और इस बारे में वक्तव्य दें।

श्री मधु दंडवते (राजापुर) : मैंने बैंक आफ बड़ौदा संबंधी मामला उठाया था और चाहता हूं कि इस संबंध में सरकार वक्तव्य दें। मैंने महामंत्री की बहाली की भी मांग की थी जिसे स्वीकार कर लिया गया है परन्तु मैं यह भी चाहता हूं कि उक्त बैंक के कर्मचारी संघ की मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही समाप्त की जाएं।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री 256 संसद्-सदस्यों की चीनी उद्योग के सरकारीकरण की मांग पर विचार करें और सरकार इस पर वक्तव्य दें। इण्डियन एयरलाइंस के तीन चालकों को भी बहाल किया जाए क्योंकि मंत्री महोदय के कहने पर ही चालकों ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी है। इस संबंध में भी वक्तव्य दिया जाए।

श्री दिनेश भट्टाचार्य (सीरमपुर) : हावड़ा-आमता रेल-मार्ग के बारे में जो नया विवाद उठाया गया है उसके बारे में मैं स्पष्ट वक्तव्य चाहता हूं।

Shri Madhu Limaye (Banka) : First of all I want to know the fate of our demands made here.

Secondly, the demand for an enquiry into Maruti Ltd., had been accepted by the hon. Speaker and it is pending for a long time now. I want to know from the hon. Minister whether it would be put for discussion next week.

श्री के० रघुरामैया : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। क्या सदस्यगण आगामी सप्ताह में चर्चा के लिये रखे जाने के लिये विषयों का सुझाव दे सकते हैं या कि आरोप और वक्तव्य आदि देकर भाषण कर सकते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : यह मद तो आगामी सप्ताह में कार्य के सम्बन्ध में ही है।

श्री मधु लिमये : जी नहीं। हम इसमें नियम 377 भी जोड़ते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ये दो भिन्न मदें हैं।

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : मेरा व्यवसथा का प्रश्न है। श्री लिमये किस नियम के अन्तर्गत यह मामला उठा रहे हैं। मेरे विचार से ऐसा कोई नियम नहीं है।

Shri Madhu Limaye : I was trying to prove the urgency of my motion.

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : According to a news item published in the 'Indian Nation' of 25th November, "a new Railway zone, namely North Central Zone with headquarters at Darbhanga would be set up in December." I congratulate Government if it is true. But in view of difficulties of Railway employees it should be located in a central place in South Bihar.

Secondly, I want a Statement from the Minister of Agriculture in regard to non-implementation of arbitration award in Digha, Phulwari Sharif and Darbhanga, in Bihar.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैंने भी श्री लिमये की तरह देखा है कि हमारी मांगों का सरकार पर कोई प्रभाव नहीं होता है।

मेरे इस सुझाव पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है कि दो सप्ताह में एक बार उन राज्यों की समस्याओं पर दो घंटे के लिये चर्चा की जाये जिन पर राष्ट्रपति शासन है। हमें संसद को केवल अपनी बात कहने का ही मंच नहीं बनाना चाहिये परन्तु सरकार को वे शिकायतें दूर करने का भी प्रयास करना चाहिये।

प्रैस में गुजरात में सूखे की स्थिति के बारे में चिन्ताजनक समाचार मिल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जब जब कि राज्य के बजट पर चर्चा होगी तो केन्द्रीय सहायता पर्याप्त मात्रा में देने पर सरकार विचार करे।

पहले गुजरात राज्य में विद्यार्थियों को गुणों के आधार पर लगभग दस लाख रुपये की छात्रवृतियां दी जाती थीं जिनको अब इस बहाने पर बन्द कर दिया गया है कि गत वर्ष विद्यार्थी परीक्षा में नहीं बैठे थे। वास्तविकता यह है कि विद्यार्थी तो परीक्षा में बैठना चाहते थे परन्तु समूचे गुजरात राज्य में परिस्थितियां ही ऐसी थी कि वे परीक्षा में नहीं बैठ सके। अतः मेरा निवेदन है कि इन गरीब और मेहनती विद्यार्थियों को छात्रवृतियों का देना पुनः चालू किया जाना चाहिये।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी श्री अनिल चोपड़ा को परामर्श के लिये दिल्ली बुलाया गया था। उनकी स्कूटर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इस बारे में गृह-मंत्री को एक वक्तव्य देना चाहिये और इसके परिवार को पर्याप्त मुआवजा भी दिया जाना चाहिये।

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad) : Discontentment is prevailing in almost all the Universities of Uttar Pradesh. Several student leaders have been arrested. The students are demanding drastic changes in the education system. The hon. Education Minister should make a statement next week in the House.

Our Vanaspati manufacturing unit of Kanpur has been penalised several times for adulteration and tax evasion. The proprietor has been saved because of his relation with Shri Uma Shanker Dixit. The hon. Minister of Industries should be asked to make a statement in this regard.

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैंने सभी सुझावों को पूरे ध्यान में सुना है। सभा में जो भी अनुरोध किये जाते हैं मैं उनके बारे में संबंधित मंत्रियों को अवगत करा देता हूं। वक्तव्य देना मंत्रियों का काम है।

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण विधेयक
Conservation of Foreign exchange and prevention of Smuggling Activities Bill

उपाध्यक्ष महोदय. मेरे विचार में सभा इस विधेयक पर चर्चा पुनः आरम्भ करने के बारे में सहमत है। प्रत्येक दल से एक सदस्य लेने की प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी (गर्दवान) : इस बारे में दो मत नहीं हो सकते कि तस्करी को समाप्त करने तथा तस्करों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये। इसके लिये सरकार के पास पहले ही पर्याप्त विधाई तथा कार्यवाही शक्तियां हैं। सरकार इन शक्तियों का प्रयोग कर सकती थी। परन्तु ऐसा नहीं किया गया और तस्करी में अत्यन्त वृद्धि हुई। इससे स्पष्ट है कि सरकार तस्करी को रोकने में असफल रही है।

कल श्री भोगेन्द्र झा के संशोधन को सत्तारुढ़ दल द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था जिसमें तस्करों की सम्पत्ति को जब्त करने की बात कही गई थी। इससे ऐसा लगता है कि सरकार तस्करों की सम्पत्ति जब्त करना नहीं चाहती परन्तु कम से कम सरकार विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम और सीमा शुल्क अधिनियम में अन्तर्गत तस्करी की वस्तुओं को तो जब्त कर ही सकती है। हम जानना चाहते है कि उन सभी वर्षों में कितने मूल्य की तस्करी की वस्तुओं को जब्त किया गया है और प्रत्येक तस्कर पर कितना जुर्माना किया गया है ।

सरकार के पास पहले ही पर्याप्त शक्तियां हैं। इसलिये मैं जानना चाहता हू कि सरकार और शक्तियां क्यों लेना चाहती हैं। हमें शंका है कि इनका भी 'आंसुका' की तरह दुरुपयोग न हो। 'आंसुका' पास कराते समय माननीय संबंधित मंत्री ने स्पष्ट आश्वासन दिया था कि इसको राजनैतिक बन्दियों तथा राजनैतिक विरोधियों के विरुद्ध प्रयोग नहीं किया जायेगा। परन्तु कल स्वयं वित्त मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है कि राजनैतिक नजरबन्द व्यक्तियों के विरुद्ध इसका प्रयोग किया गया है। अतः हमें शंका है कि यदि सरकार को और शक्तियां दी जाती हैं वह उनका भी दुरुपयोग करेगी।

मैं ऐसे अनेक मामले बता सकता हूं जिनमें तस्करों तथा विदेशी मुद्रा की जालसाजी करने वालों के प्रति नरम रवैया अपनायी गया है हालांकि कठोर कार्यवाही के लिये सरकार के पास पर्याप्त शक्तियां हैं। पश्चिम बंगाल में ऐसे अनेक मामले हैं । अनेक व्यक्तियों को बिना मुकदमा चलाये नजरबन्द रखा गया है। जब तक आयात स्थिति समाप्त नहीं की जाती उन्हें नजरबन्द ही रखा जायेगा। इस सत्र में भी आयात स्थिति को समाप्त करने के बारे में एक प्रश्न किया था जिस के उत्तर में कहा गया है कि 'हम कुछ नहीं कह सकते'। अगर 1972 में नजरबन्द किय गये व्यक्ति को 1980 तक भी नजरबन्द रखा जा सकता है परन्तु अब जो कानून बनाया जा रहा है उसके अन्तर्गत तस्करों को केवल दो वर्ष के लिये नजरबन्द रखा जायेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नजरबन्दी के सभी मामलों पर समय-समय पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये। परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। तस्करी के मामले में मंत्री महोदय ने एक संशोधन प्रस्तुत किया है जिसमें कहा गया है तस्करी और विदेशी मुद्रा की जालसाजी सम्बन्धी मामलों में नजरबन्द व्यक्तियों के मामले पर प्रति छः मास पश्चात् विचार किया जाना चाहिये। क्या यही कठोर कार्यवाही है जो सरकार तस्करों के विरुद्ध करना चाहती है और जिसके लिये सरकार और अधिक शक्तियां प्राप्त करना चाहती है। एक बात यह है कि 'आंसुका' के अन्दर नजरबन्दी के आदेश जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस कमिश्नर द्वारा भी दिये जा सकते हैं जबकि वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत तस्करों के विरुद्ध संयुक्त सचिव को स्वयं को सन्तुष्ट करना होगा। इन सभी बातों को देखते हुये हम नहीं चाहते कि सरकार को और अधिक शक्तियां दी जाये।

एक बात मैं यह जानना चाहता हूं कि आपात स्थिति कब तक जारी रहेगी क्योंकि इसके नाम पर लोगों को न्यायालय में जाने से रोका जा रहा है। मेरा अनुरोध है कि आपात की स्थिति को तुरन्त समाप्त किया जाये।

श्री इराज्युद सेकेरा (मारमोगोआ) : हाल में जो गिरफ्तारियां की गई हैं उससे यह पता लगता है कि सरकार को तस्करी के बारे में पहले से जानकारी थी अगर ऐसी बात है तो सरकार ने इसे पहले ही समाप्त क्यों नहीं किया और तस्करों के विरुद्ध मुकदमें क्यों नहीं चलाये। इन बातों से स्पष्ट

है कि इन सभी वर्षों में सरकार ने तस्करों को संरक्षण दिया है। जितने बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही है, जिसको सरकार ने भी स्वीकार किया है, यह तब तक सम्भव नहीं था जब तक कि भ्रष्ट सरकारी अधिकारी, सत्तारुढ़ दल के भ्रष्ट सदस्य तस्करों के साथ न हों।

जहां तक विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लघंन का प्रश्न है कुछ मास पूर्व वाणिज्य मंत्रालय ने गोआ के लौह अयस्क निर्यातकर्त्ताओं को कहा था कि भविष्य में मूल्य की बातचीत सरकार करेगी और निर्यातकर्त्ताओं को वह अच्छा मूल्य दिलायेगी। इस पर निर्यातकर्त्ताओं ने कहा था कि आप ऐसा न करें इससे सारे व्यापार में गड़बड़ हो जायेगी। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि लौह अयस्क से हमें उतनी विदेशी मुद्रा नहीं मिल रही है जितनी मिलनी चाहिये। दूसरे यह कि निर्यातकर्ता कम बीजक बना रहे हैं। इस पर गोआ को राष्ट्रीय नीति के अन्तर्गत नहीं लाया गया है जबकि शेष समूचे देश का व्यापार खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया है। ऐसा लगता है कि सरकार का कोई व्यक्ति इसमें हितबद्ध है। इन बातों को देखते हुये हमें विश्वास नहीं होता कि सरकार जो कुछ कहती है उस बारे में वह गम्भीर है। आज कुछ तस्करों के विरुद्ध हो रहा है कल वही राजनैतिक विरोधियों के विरुद्ध किया जायेगा। इसी बात की हमें शंका है।

श्री समर गुह (कन्टाई): इस सभा में तथा समूचे देश में यह भावना उत्पन्न की जा रही है कि सत्तारूढ़ दल तो तस्करी को समाप्त करना चाहता है परन्तु विरोधी दल ऐसा नहीं चाहते हैं।

विधेयक का उद्देश्य तस्करी को रोकना नहीं बल्कि तस्करों के जिन राजनैतिक व्यक्तियों से सम्बन्ध है उनको छिपाना है। यदि सरकार में उत्साह है तो वह उन राजनैतिक नेताओं और मंत्रियों के नाम बताये जिनके हाजी एंड कम्पनी तथा अन्य तस्करों के साथ सम्बध थे। सभी देश को उनका पता लगना चाहिये। परन्तु सरकार में ऐसा करने की हिम्मत नहीं है।

यदि सरकार यह महसूस करती है कि वर्तमान विदेशी मुद्रा विनियम तथा सीमा-शुल्क अधिनियम तस्करों पर मुकदमा चलाने के लिए अपर्याप्त है तो विधेयक को एक सप्ताह के भीतर सभा में प्रस्तुत करने में क्या कठिनाई है।

आप न तो तस्करी को ही समाप्त करना चाहते हैं और न ही तस्करों को दण्ड देना चाहते हैं। इन लोगों के साथ कारावास में शाही व्यवहार किया जा रहा है। उनको जेल में प्रत्येक वस्तु उपलब्ध की जा रही है।

पश्चिम बंगाल के समाचारपत्रों में एक समाचार छपा है कि जिसमें कहा गया है कि एक तस्कर जिसको जेल में होना चाहिये दार्जिलिंग में अपने साथियों के साथ तस्करी को नेपाल तक ले जाने के लिये सम्मेलन कर रहा था। इसी प्रकार श्री मुन्दरा जिसको भी जेल में होना चाहिये था अर्धरात्रि को कलकत्ता मैदान में देखा गया था। अतः यह विधेयक केवल एक दिखावा मात्र है। सरकार तस्करों को दण्ड देना नहीं चाहती। वह केवल उनको जेल में रखना चाहती है। तस्करों ने समानान्तर अर्थव्यवस्था बीमा प्रणाली तथा बैंक आदि स्थापित कर रखे हैं। तस्करों के अपने गुप्तचर विभाग हैं। सीमा शुल्क विभाग, पुलिस तथा सत्तारूढ़ दल से उनके सम्बन्ध हैं। यदि सरकार तस्करी को समाप्त करने में गम्भीर है तो उसको मेरा सुझाव स्वीकार कर लेना चाहिये था। मैंने सुझाव दिया था कि इस समस्या के सभी पहलुओं पर विचार के लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त जांच आयोग नियुक्त की जानी चाहिये। इसमें इन लोगों के सीमा शुल्क, पुलिस तथा गुप्तचर विभाग से सम्बन्धों का भी पता चल सका था। परन्तु मेरा यह सुझाव स्वीकार नहीं किया गया।

1960 में विदेशों में अध्ययन करने वाले मेडिकल के विद्यार्थियों को 25 लाख रुपय की विदेशी मुद्रा दी गई थी। नेशनल एंड ग्रिंडले बैंक ने अपनी लन्दन स्थित शाखा के लिये 120 ड्राफ्ट दिये थे परन्तु ये ड्राफ्ट किसी प्रकार हांगकांग पहुंच गये। इस जालसाजी में दो पाकिस्तानी भी शामिल थे। जब यहां से प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक को जांच के लिये भेजा गया तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और बाद में सारे मामले को दबा दिया गया। 1966 में भी ऐसा एक मामला हुआ जिसमें 25 व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त थे। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री सचिव चौधरी का भतीजा तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो के कुछ अधिकारी भी अन्तर्ग्रस्त थे। यह मामला अभी भी केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास है। इससे यह सिद्ध होता है कि तस्करों का प्रत्येक विभाग में बड़े-बड़े लोगों से सम्पर्क हैं और वे किस प्रकार मामले को लटकाते हैं। सरकार तस्करों को जेल में तो रखना चाहती है परन्तु उन पर मुकदमा नहीं चलाना चाहती। सरकार तस्करी की समस्या को समाप्त नहीं करना चाहती।

मंत्री महोदय द्वारा आश्वासन दिये जाने के बावजूद भी 'आंसुका' का प्रयोग राजनैतिक विरोधियों, कार्मिक संघ के नेताओं तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध किया गया है।

सरकार को इस बात को स्पष्ट करके बताना चाहियें कि उसने तस्करी को समाप्त करने के लिये क्या ठोस कार्यवाही की है।

Shri Onkar Lal Berwa (Kota) : The Government was fully aware of the activities of the Smugglers. They are engaged in their activities for the last twenty seven years. The Government have not taken any action in all these years. Even now these people have been kept in jails but no prosecutions have been launched against them. It appears to me that Government do not want to punish them but simply it wants to extract money from them for election etc. Smuggling on the Rajasthan-Pakistan border is going on in very large scale. This is being done in connivance with the Police and Custum officials. Some 150 smugglers were arrested in 1965 in Rajasthan but they were later on released or they all joined the Congress. So far as smuggling is concerned even ministers can not escape from their responsibility. One can fin foreign made goods such as T.V. sets, transistors etc. from their homes. It is also true in the case of Custom officials.

If the Government is serious in eradication of smuggling, it should start open investigation against smugglers and prosecutions should be launched against them.

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : लगभग तीन वर्ष पूर्व सरकार ने सीमावर्ती क्षत्रों को छोड़कर शेष देश में आपात स्थिति को समाप्त करने का निर्णय किया था। परन्तु अभी तक समूचे देश में ऐसा नहीं हुआ है। हम सभी जानते हैं कि 'आंसुका' का भी दुरुपयोग हो रहा है। इसी लिये हमें शंका है कि इस सभा में दिये गये आश्वासनों को वास्तव में क्रियान्वित नहीं किया जायगा। हमें शंका है कि इस विधेयक का प्रयोग भी छोटी मछलियों के विरुद्ध ही किया जायेगा। पूंजीवाद की वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत सरकार इन लोगों को संरक्षण दे रही है। यही कारण है कि इन लोगों ने बहुत अधिक धन सम्पत्ति जमा कर ली है। इस धन से यह लोग न्याय भी खरीद लेते हैं क्योंकि बड़े बड़े वकीलों की फीस भी यही लोग दे सकते हैं। यह लोग धन की शक्ति से शिक्षा से लेकर न्याय तक प्रत्येक वस्तु को खरीद सकते हैं। सरकार का कहना है कि विरोधी दलों द्वारा सहयोग न दिये जाने के कारण वह अनेक कदम नहीं उठा सकी। परन्तु मुझे विश्वास है कि यदि सरकार तस्करी तथा विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन से अर्जित सम्पत्ति को जब्त करने सम्बन्धी कोई विधेयक प्रस्तुत करती है तो हम उसको पास करने को तैयार हैं चाहे हमें उसके लिए एक दिन अतिरिक्त ही क्यों न बैठना पड़े। नजरबन्द किए गए तस्करों के विरूद्ध मुकदमे

चलाये जाने चाहियें और उन्हें लम्बी अवधि के लिये दण्ड दिया जाना चाहिये। इन गतिविधियों का सामना करने के लिये सरकार को कार्यवाही करनी चाहिये। लोगों को सरकार पर तभी विश्वास आयेगा जब सरकार तस्करों की सम्पत्ति को जब्त कर उनकी धन की शक्ति को समाप्त करेगी। अतः सरकार को इस सम्बन्ध में विधेयक लाना चाहिये।

सरकार ने संशोधन संख्या 20 और 35 को स्वीकार किया है इससे मेरे मन की आशंका उत्पन्न हो गई है। ये सुविधायें राजनैतिक नजरबंदियों को उपलब्ध नहीं हैं। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि नजरबन्दी के आदेश संयुक्त सचिव द्वारा ही पास किय जायें। यदि यह शक्ति छोटे अधिकारियों को दी जाती है तो इसके दुरुपयोग होने की शका है। इस सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यदि सरकार अभी आपात स्थिति को समाप्त नहीं कर सकती तो कम से कम आंसुका के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये राजनैतिक कैदियों, कार्मिक संघ के नेताओं और किसानों आदि के सम्बन्ध में भी आदेश संयुक्त सचिव द्वारा जारी किये जाने चाहियें और उनके मामलों पर भी प्रति छः मास बाद पुनर्विचार होना चाहिये।

सरकार ने अब तक केवल 50 व्यक्तियों को ही गिरफ्तार किया है जब कि देश में लगभग 2,000 तस्कर हैं। इन को गिरफ्तार करके इनकी सम्पत्ति जब्त की जानी चाहिये। इस विधेयक को कानून बना कर सख्ती से लागू किया जाना चाहिये।

विधि आयोग ने सिफारिश की है कि तस्करों के लि स्पैशल न्यायालय बना कर उनकी 'समरी ट्रायल' होनी चाहिये। इस सिफारिश को विधेयक का रूप दिया जाना चाहिये।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : दुसरे पाठ के समय माननीय वित्त मंत्री द्वारा दिये गये भाषण से ऐसा प्रभाव बनता है कि जो मामले वित्त मन्त्रालय से संबंधित नहीं हैं उनको गृह मंत्रालय द्वारा निपटाया जायेगा। उन्होंने यह प्रभाव भी दिया कि उनका मुख्यता सम्बन्ध 'आंसुका' के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये उन व्यक्तियों के मामलों से है जिन्होंने तस्करी की है अथवा जिन्होंने विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन किया है।

जहां तक 'आंसुक' का संबंध है इस सभा में यह शंका व्यक्त की गई है कि लोगों की उचित मांगों और वास्तविक भावनाओं को कुचलने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। यह भी कहा गया है कि श्री बाजपेयी को भी 'आंसुका' के अन्तर्गत ही गिरफ्तार किया गया था। मेरे विचार में इन बातों का संतोषजनक उत्तर वित्त मंत्री नहीं दे सकते।

हम वास्तव में ऐसी स्थिति में पहुंच गये हैं जहां हमें आर्थिक संकट का सामना है एवं चलार्थ की साख खतरे में पड़ गई हैं। इस अवस्था में मेरे विचार में वित्त मंत्री को संविधान के अनुच्छेद 359 में कार्यवाही न करके संविधान के अनुच्छेद 360 के अन्तर्गत कार्यवाही करनी चाहिये। यह मेरा सुझाव है ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगूसराय) : मैंने आरम्भ में ही यह बात स्पष्ट कर दी थी कि हम तस्करों के विरुद्ध तेजी से तथा सख्त कार्यवाही करने के पक्ष में हैं। परन्तु हमें इस बारे में शंका है कि क्या सरकार भी ऐसा करना चाहती है क्योंकि सरकार ने अब तक उसको प्राप्त शक्तियों का पूरा प्रयोग नहीं किया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि इन वर्षों में तस्करी की गतिविधियों में वृद्धि हुई है।

हम तो सरकार को इस मामले में गंभीरता के बारे में तभी संतुष्ट होंगे जबकि सरकार 'आंसुका' के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये सभी राजनैतिक कैदियों को रिहा कर देगी। सरकार ने यह आश्वासन भी दिया था कि वह 'आंसुका' का प्रयोग राजनैतिक विरोधियों के विरुद्ध नहीं करेगी। हमें यह भी शंका है कि सरकार वर्तमान विधेयक का प्रयोग भी राजनैतिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध करेगी।

लगभग 500 तस्करों को गिरफ्तार किया गया था उनमें से 19 तस्करों को रिहा कर दिया गया था। इन रिहा किये गये तस्करों में से केवल 6 को पुनः गिरफ्तार किया गया है। शेष व्यक्तियों को पुनः गिरफ्तार न किये जाने के क्या कारण हैं। विधि आयोग ने सुझाव दिया था कि संवैधानिक संशोधन आवश्यक है। इस के सुझाव को स्वीकार न किये जाने के क्या कारण हैं। सरकार यदि चाहती तो वह वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत भी तस्करों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकती थी। परन्तु सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार तस्करों के न्यायालय में जाने के मूल अधिकारों को स्थगित करना चाहती है।

देश के एक सम्मानित सम्पादक ने यह सुझाव दिया था कि राष्ट्रपति के आदेश से प्रभावित लोगों के मामलों पर पुनर्विचार के लिए सलाहकार समिति नियुक्त की जानी चाहिए। सरकार ने इस सुझाव को भी स्वीकार नहीं किया है। मैं जानना चाहता हूं कि विधेयक के पास होने पर सरकार ईमानदार नागरिकों के लिए इस कथन के प्रति सुरक्षा के क्या उपाय करने जा रही है।

क्या सरकार निर्यात के लिए कम बीजक बनाने तथा आयात के लिए अधिक बीजक बनाने वालों के विरुद्ध भी कोई कार्यवाही करने जा रही है। क्योंकि यह अपराध तस्करी के समान ही संगीन है। निर्यात करने वाले जो व्यापारी कम मूल्य के बीजक बनाते हैं और आयात व्यापार में लगे जो व्यापारी अधिक मूल्य के बीजक बनाते हैं, वे भी तस्करों की सहायता करते हैं। अतः इनके लिए भी कड़े दंड की व्यवस्था होनी चाहिये। अन्त में, मैं सरकार से पुनः यह अनुरोध करता हूं कि सरकार इस विधेयक को और भारतीय सुरक्षा नियमों तथा आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम को राजनीतिक नेताओं और कर्मचारियों आदि के विरुद्ध प्रयोग में न लाए। अन्यथा हमें इन कानूनों के खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही करनी होगी।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : यदि सरकार का उद्देश्य तस्करी को रोकना है, तो उसका विरोध करने का तो मतलब ही नहीं है। किन्तु इस विधेयक से व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर जो कुठाराघात होता है, उस दृष्टि से मैं इसका विरोध करता हूं। यद्यपि मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध इसका दुरुपयोग नहीं किया जायेगा। किन्तु मुझे डर यह है कि ऐसा आश्वासन पूरा नहीं होगा, जैसा कि हमें अनुभव है। वित्तीय संकट से जनता का ध्यान हटाने के लिए यह विधेयक लाया गया है। जिससे सरकार जनसाधारण के मन में यह धारणा पैदा कर सके कि वह वित्तीय संकट दूर करने के लिए बहुत कुछ कर रही है जबकि वास्तव में वह कुछ भी नहीं कर रही है। यह विधेयक आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए लाया गया है। आज देश में आपात कि स्थिति है ही नहीं न तो कोई बाहरी खतरा है और न आन्तरिक अशांति। इस विधेयक से कार्यपालिका को अनियंत्रित शक्ति मिल गई है। यदि राज्य स्तर पर कोई राजनैतिक कर्मचारी गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी अपील किससे की जाये और क्या संघीय कार्यपालिका उस गिरफ्तारी को गलत बतायेगी। हम इस विधेयक का कड़ा विरोध करते हैं क्योंकि सरकार इसके द्वारा सामान्य स्थिति को आपात स्थिति के रूप में प्रयोग में लाना चाहती है।

जहां तक व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का प्रश्न है, यह महत्वपूर्ण है और समाजविरोधी तत्वों का नाम लेकर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नहीं छीनी जानी चाहिये। कल हमने श्री भोगेन्द्र झा का यह सुझाव माना था कि तस्करों की संपूर्ण सम्पत्ति जब्त कर ली जाये। ऐसे ही अन्य सुझाव भी स्वीकार किये जाने चाहियें। इन पर खुले न्यायालय में मुकदमा चलाया जाये। ऐसा लगता है कि सरकार ऐसा करने से इसलिये डरती है कि कहीं तस्कर सरकारी अधिकारियों या शासक दल के नेताओं के साथ अपने संबंधों का भंडाफोड़ न कर दें।

एक अन्य बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो सामान तस्करों से पकड़ा जाता है, उसका निपटान सरकार किस प्रकार से करती है? क्या वे बेचे जाते हैं या मुनाफाखोरों द्वारा जनता को उपलब्ध कराये जाते हैं इस बारे में मंत्री महोदय विस्तार से बतायें।

हमारे देश में लोकतंत्र है। परन्तु यहां राजनीतिक गतिविधियों को सरकार ऐसे कानूनों द्वारा समाप्त करना चाहती है। मेरा अनुरोध है कि तस्करी रोकने के नाम पर राजनीतिक नेताओं और निर्दोष लोगों को गिरफ्तार न किया जाये, इन पर मुकदमा चलाकर उन्हें बेकसूर तंग न किया जाये।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : श्रीमन् मैं पिछले पांच-सात वर्ष से इस बात पर बल देता आ रहा हूं कि यदि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दे दिया गया तो मौलिक अधिकार ही समाप्त हो जायेंगे। उस समय मेरे साथियों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया किन्तु चौबीसवें संशोधन विधेयक के पास होने के बाद वे इसे महसूस करने लगे हैं। आपात स्थिति अब इस देश में आपात न रह कर सामान्य स्थिति बन गई है। पहली बार आपात स्थिति 6 वर्ष तक रखी गई और वर्तमान आपात स्थिति कब तक रखी जायेगी, कोई नहीं जानता अब शासक वर्ग ऐसे निरंकुश कानूनों द्वारा अपनी निरंकुशता का परिचय दे रहा है। वर्तमान विधेयक का स्वरूप भी ऐसा ही है और उसके आधार पर सरकार भेदभाव पूर्ण व्यवहार करेगी। वह इसका प्रयोग किसी के विरुद्ध करेगी और किसी के विरुद्ध नहीं। मंत्री महोदय ने कहा है कि जिसके विरुद्ध परिस्थिति साक्ष्य होगा, उसके विरुद्ध भी इसका प्रयोग किया जा सकता है और यह सर्वविदित है कि ऐसा साक्ष्य किसी के भी विरुद्ध बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। मतलब यह हुआ कि इस विधेयक का दुरुपयोग किसी भी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध किया जा सकता है और किसी भी अपराधी को छोड़ा जा सकता है। इस विधेयक का मैं इसके भेद भावकारी स्वरूप के कारण ही विरोध करता हूं।

मैं यह जानना चाहता हूं कि जो माल पकड़ा जाता है उसका क्या किया जाता है? गत तीन वर्षों में कितना सामान पकड़ा गया और यदि वह बेचा गया तो उसका मूल्य किस खाते में डाला गया?

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं आशा करता हूं कि सरकार इन असीमित और निरंकुश शक्तियों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए करेगी जिनका विधेयक में उल्लेख किया गया है। इस विधेयक में कई कमियां हैं। तस्करों के पास करोड़ों रुपये की सम्पत्ति है। किन्तु उसे सरकार जब्त नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास ऐसा करने का वैध अधिकार नहीं है। मैं चाहता हूं एक व्यापक विधेयक लाया जाये जिसके आधार पर तस्करों आदि समाज-विरोधी तत्वों का माल सम्पत्ति आदि जब्त किया जा सके। सुरक्षित अन्तः कक्षों में जमा चल सम्पत्ति को जब्त करने के लिए ये कानून बनाया जाना चाहिये। अन्त में, मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह हमारी इस शंका को दूर करें कि इसका प्रयोग उनके विरुद्ध किया जायेगा जो ऐसी गतिविधियों से संबंधित नहीं हैं।

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : सभापति महोदय, यदि सरकार की सदाशयता और ईमानदारी पर हर मामले में संदेह किया जायेगा तो सरकार के लिए काम करना ही कठिन हो जायेगा। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि देश के हितों की सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर उनसे कहीं अधिक है। साथ ही मैं यह आश्वासन देता हूं कि हम इस विधेयक के द्वारा तस्करी को जहां तक संभव होगा कठोर कार्यवाही द्वारा समाप्त करने का प्रयास करेंगे।

विशेषरूप से तस्करी के मामलों में दुर्भाग्य यह रहा कि जितने लोग इस सिलसिले में गिरफ्तार किये गये उनमें से बहुत कम न्यायालय द्वारा अपराधी ठहराये जा सके। कारण यह है कि उनके विरुद्ध प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता क्योंकि उनके कार्य करने का ढंग ही ऐसा है। गत कुछ वर्षों में गिरफ्तार किये गये लोगों की संख्या इस प्रकार है: 1968 में 1135, 1971 में 3399, 1973 में 2373 और जुलाई 1974 तक 1862। मैं यह स्वीकार करता हूं कि यह कानून कठोर बनेगा और इससे सरकार को व्यापक शक्तियां मिल जायेंगी। अतः सरकार को भी ईमानदारी से कार्य करना होगा इस कानून का उपयोग आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए ही करना होगा न कि राजनीतिक विरोधियों से निपटने के लिए।

जहां तक कानून के दुरुपयोग का सवाल है, किसी भी सामान्य कानून का दुरुपयोग तलाशी या गिरफ्तारी के मामले में किया जा सकता है। अतः यह मान कर डरना ठीक नहीं है कि किसी कानून विशेष का दुरुपयोग किसी वर्ग विशेष के विरुद्ध किया जायेगा। यह कहा जाता है कि आंसुका (मीसा) का दुरुपयोग किया गया। आंसुका के अन्तर्गत 31 अक्टूबर 1974 को 4608 व्यक्ति नजरबंद थे जिसमें 3808 व्यक्ति केवल पश्चिम बंगाल के थे। वहां स्थिति ही ऐसी पैदा हो गई थी कि राजनीतिक कर्मचारियों पर भी उसे लागू करना पड़ा। अन्य राज्यों में उसके अन्तर्गत राजनीतिक कर्मचारियों की गिरफ्तारियां नहीं की गईं। जहां तक वर्तमान कानून का सबंध है इस का उपयोग आर्थिक अपराधों को रोकने के लिये ही किया जायेगा और इसे किसी वर्ग विशेष पर भेदभावपूर्ण ढंग से लागू नहीं किया जायेगा।

जहां तक माल को जब्त करने का सवाल है, मैं अन्य सभा में बहुत पहले यह घोषणा कर चुका हूं कि तस्करी के माध्यम से अर्जित सम्पत्ति अन्य अर्जित सम्पत्ति से भिन्न प्रकार की होती है। अतः उसे जब्त करने के लिए तरीका भी भिन्न प्रकार का ही अपनाना होगा। हम इस पर विचार कर रहे हैं और ऐसा विधेयक लाने पर विचार कर रहे हैं। जो न्यायिक कसौटी पर खरा उतर सके। वर्तमान कानूनों अर्थात् सम्पत्ति कर अधिनियम या आयकर अधिनियम के अन्तर्गत सम्पत्ति को जब्त नहीं किया जा सकता। अतः तस्करी के माध्यम से अर्जित सम्पत्ति को जब्त करने के लिए एक विशेष कानून की आवश्यकता थी, जिसे विचाराधीन विधेयक पूरी करेगा। जहां, तक तस्करी के सामान का संबध है, उसे सीमा शुल्क अधिनियम और उत्पादन शुल्क अधिनियम के अतर्गत पकड़ा जा सकता है। पकड़े गये माल को अब बेच दिया जाता है। वर्ष 1970 में 22 करोड़, 1971 में 20 करोड़, 1972 में 28 करोड़, 1973 में 35 करोड़ और अगस्त 1974 तक 40 करोड़ रुपये का माल पकड़ा गया। इससे मालूम होता है कि तस्करी किस गति से बढ़ती जा रही है। इसी कारण से आंसुका का प्रयोग ऐसी गतिविधि करने वालों को पकड़ने के लिए करना पड़ा।

यह प्रश्न भी पूछा गया है कि इस पकड़े गये माल को कैसे बेचा जाता है। आजकल मुख्यतः घड़ियों, संथिलस्ट कपड़ों, विदेशी शराब और इलेक्ट्रोनिक्स माल की तस्करी होती है। इसे सहकारी भंडारों के माध्यम से बेचा जाता है और कुछ सामान सैनिक भंडारों में सैनिकों को बेचे जाने के लिए भेज दिया

जाता है। इस संबंध में एक सुझाव यह था कि ऐसे माल को नष्ट कर दिया जाये। किन्तु यह सुझाव व्यावहारिक नहीं है क्योंकि यह सामान कीमती होता है और उसे नष्ट करना बुद्धिमत्ता पूर्ण नहीं हैं। हां कुछ अन्य विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, जैसे इंटरनेशनल अड्डों में स्थिति कर मुक्त दुकानों पर रखा जाये जहां से केवल विदेशी ही इसे खरीद सकें। अथवा इसे पुनः निर्यात कर दिया जाये।

तस्करी और विदेशी मुद्रा के घोटाले को रोकने के लिए तथा तस्करों की गिरफ्तारी के लिए यह विधेयक तो शुरूआत मात्र है। यदि आवश्यक हुआ तो अन्य वृहद विधेयक इसके लिए लाया जायेगा। इस बात पर विचार किया जा रहा है कि कौन सी अनुवर्ती कार्यवाही इस संदर्भ में की जा सकती है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि इन कानूनों का उपयोग ईमानदारी से और सत्य निष्ठापूर्वक किया जा रहा है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : क्या सरकार कोई ऐसी कार्यवाही कर रही है जिससे जब्त सम्पत्ति का हस्तान्तरण न किया जा सके।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : इसके लिए विद्यमान कानून पर्याप्त है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : सरकार सम्पत्ति को अधिक महत्वपूर्ण समझती है या व्यक्ति की स्वतन्त्रता को सरकार तस्करों को गिरफ्तार करने का विधेयक पहले क्यों लाई, उनकी सम्पत्ति को जब्त करने का विधेयक क्यों नहीं लाई। यह सिद्धान्त कहां तक उचित है कि तस्करी के विरुद्ध कार्यवाही संविधान के अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत ही की जा सकती है, 360 के अन्तर्गत नहीं? क्या तस्करों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का संबंध देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : जहां तक पहले प्रश्न का सबध है, व्यक्ति आसानी से भाग सकता है और सम्पत्ति को वह उठाकर नहीं ले जा सकता। जहां तक दूसरे प्रश्न का संबंध है, माननीय सदस्य भलीभांति जानते हैं देश की सुरक्षा को खतरा न केवल विदेशी आक्रमणों से होता है, बल्कि अन्य प्रकार से भी होता है। इन शब्दों के साथ में प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

देश में फासिस्टबाद के बढ़ने के बारे में संकल्प—जारी

Resolution Re growth of Fascism in the Country—Contd.

सभापति महोदय : अब हम गैर सरकारी कार्य लेंगे।

Shrimati Subhadra Joshi (Chandni Chowk) : Sir, I suggest that the time should be extended half-an hour for the Resolution of Shri Shyamanandan Mishra, because it is an important one.

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य-मंत्री (श्री के० रघुरामैय्या) : समय आधा घंटा बढ़ा दीजिए।

Mr. Chariman :I take it that it is the opinion of the House that half-an-hour more should be allotted to the Resolution moved by Shri Shyamanandan Mishra.

Shri Shyamanandan Mishra (Begusarai) : Sir, I want your permission to speak on it because it is already 6.00 O' clock now.

Mr. Chariman : The Resolution of hon. Member will be taken up next time.

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार 9 दिसम्बर, 1974/18 अग्रहायण 1896 (शक) के 11 बजे म०पू० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Monday, the 9th December, 1974/Agrahayana 18, 1896 (Saka)

MGIPRRND—50 LSS/74—Sec. VI—21-2-75—200